

सातवाँ वर्ष



सत्यमेव जयते

310.58

Ind/M.I.B.

पब्लिकेशन्स डिवीजन

GOVERNMENT OF INDIA
ARCHÆOLOGICAL SURVEY OF INDIA
ARCHÆOLOGICAL
LIBRARY

ACCESSION NO. 3651

CALL No. 310.58/Ind/M.I.B.

D.G.A. 79

‘प्रसारिका’ साहित्य, कला, इतिहास, यात्रा, दर्शन, धर्म, विज्ञान, मनोविज्ञान आदि विषयों पर देश भर के प्रख्यात व्यक्तियों के चुने हुए भाषणों का संग्रह है। उच्चकोटि की बौद्धिक सामग्री के अलावा इस संग्रह में कहानी, कविता, नाटक, हास्य-रस के लेख आदि भी होते हैं। ऐसी उत्कृष्ट सामग्री सभी को सुलभ करने के लिए इस सचित्र, लगभग सौ पृष्ठ की पत्रिका का मूल्य केवल आठ आने रखा गया है।

नोट : प्रसारिका के पहले दो अंक ‘रेडियो संग्रह’ नाम से प्रकाशित हुए हैं।

पब्लिकेशन्स डिवीजन, ओल्ड सेक्रेटेरियट,
दिल्ली-८

सातवाँ वर्ष

Satvan Varsha
(Seventh year)

3651



310.58
Ind / M.I.B.

नवम्बर, १९५४

मूल्य—

१॥), ३ शि० ६ पेन्स, ५० सेंट

डाइरेक्टर, पब्लिकेशन्स डिवीजन, द्वारा प्रकाशित और एलबियन प्रेस,
कश्मीरी गेट दिल्ली द्वारा मुद्रित ।

CENTRAL ARCHAEOLOGICAL
LIBRARY, NEW DELHI.

Acc. No. 3651

Date 21. 10. 55


Call No. 210.58/Ind/M.9.B.

आमुख

‘सातवाँ वर्ष’ में केन्द्रीय और राज्य सरकारों की अप्रैल १९५३ और मार्च १९५४ के बीच होने वाली विशेष सफलताओं और कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया गया है। पहले भाग में केन्द्र के कार्यों और दूसरे भाग में राज्यों के कार्यों का विवरण दिया गया है।

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अनेक स्कीमों और कार्य सफल होने लगे हैं और उनकी पूर्ति सन्निकट है।


केन्द्र के कार्यों को चार शीर्षकों के अन्तर्गत रखा गया है: सामाजिक, आर्थिक, आन्तरिक और वंदेशिक। इस प्रकाशन का रूप व्यापक होने के कारण अनिवार्यतः विभिन्न विषयों को संक्षेप में ही दिया जा सका है।




विषय-सूची

केन्द्र

	पृष्ठ
सामाजिक	
शिक्षा	३
स्वास्थ्य	६
पुनर्वास	१५
श्रम	१६
आर्थिक	
वित्त	२७
सिंचाई और विद्युत	३७
सामूहिक योजना प्रशासन	४३
खाद्य और कृषि	४८
वाणिज्य और उद्योग	५२
प्राकृतिक साधन और वैज्ञानिक अनुसन्धान	५६
उत्पादन	६१
कार्य, गृह-निर्माण और सम्पूर्ति	६७
आन्तरिक	
गृह मन्त्रालय	७४
राज्य मन्त्रालय	७६
संचार	८४
परिवहन	९१
रेलें	९५
वैदेशिक	
अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन	९९
प्रतिरक्षा मन्त्रालय	१०७
सूचना एवं प्रसार मन्त्रालय	११२
राज्य	
‘क’ भाग	१२३
‘ख’ भाग	१६१
‘ग’ भाग	१८४



केन्द्र



१. सामाजिक

शिक्षा

हिन्दी का विकास

भारत सरकार ने २६ सितम्बर १९५३ को हुई हिन्दी शिक्षा समिति की तीसरी बैठक की सिफारिश पर भारतीय यूनियन के पूर्वी राज्यों में, जिनमें आसाम, मणिपुर, उड़ीसा, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल सम्मिलित हैं, हिन्दी प्रचार की योजना स्वीकार कर ली है। प्रामाणिक अंग्रेजी-हिन्दी शब्दकोष तैयार करने के लिए इलाहाबाद की हिन्दुस्तानी कल्चर सोसाइटी को ६०,००० रुपये की आर्थिक सहायता देना स्वीकृत हो चुका है। हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में सामान्य रूप से प्रचलित शब्दों का भी एक शब्दकोष तैयार किया जा रहा है।

चालू वर्ष में ऐसे केन्द्रों की संख्या तीन से बढ़कर आठ हो गई जहाँ कक्षाओं में हिन्दी के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। इन कक्षाओं में लगभग ६०० विद्यार्थी हैं। माध्यमिक स्कूलों में काम आने वाले गणित शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र तथा समाज विज्ञान के हिन्दी पारिभाषिक शब्दों की कार्यनिर्वाहक सूचियाँ प्रकाशित की गईं और राज्य सरकारों तथा विश्वविद्यालयों आदि को भेज दी गईं। हिन्दी के प्रचार के लिए, विशेषकर अहिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्रों में, पंचवर्षीय योजना में निविष्ट पाँच लाख रुपये के अलावा ३,९६,००० रुपये की और व्यवस्था रखी गई है।

विश्वविद्यालय तथा प्रौद्योगिक शिक्षा

डा० एस० एस० भटनागर की अध्यक्षता में नवम्बर १९५३ में विश्व-

विद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना हुई। आयोग एक विशेषज्ञ समिति के रूप में केन्द्रीय सरकार की विश्वविद्यालयों में सुविधाओं के समन्वय तथा स्तर कायम रखने से सम्बन्धित समस्याओं के विषय में परामर्श देगा। इसका एक महत्वपूर्ण कार्य विश्वविद्यालयों की वित्तीय आवश्यकताओं की जांच-पड़ताल करना तथा अनुदानों के लिए राशियों के निर्धारण में केन्द्रीय सरकार को सलाह-मश्विरा देना होगा।

विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिशों पर अमल किये जाने की प्रगति के पुनर्विलोकन के लिए केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की एक समिति नियुक्त की गयी। समिति ने प्राथमिकताओं की एक सूची तैयार की। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने फरवरी १९५४ की अपनी बैठक में इस सूची को अपनी स्वीकृति दी। मानव विद्याओं (ह्यूमैनिटीज़) के अध्ययन सम्बन्धी अनुसन्धान-छात्रवृत्तियों की योजना वाली संस्था का विशेष उल्लेख भी किया जा सकता है।

प्रौद्योगिक शिक्षा के क्षेत्र में अखिल भारत प्रौद्योगिक शिक्षा परिषद् के सुभाव पर १९४७-४८ में आरम्भ किया गया विकास-कार्यक्रम अब प्रायः पूरा होने की अवस्था में है। सात व्यक्तियों की समिति की सिफारिश पर परिषद् ने प्रौद्योगिक शिक्षा की सभी दृष्टि से उन्नति करने तथा उसके विस्तार की एक योजना तैयार की है। इस योजना के फलस्वरूप (क) स्नातकोत्तर अध्ययन की सुविधाओं, उच्च प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान का विकास होगा, (ख) पूर्व-स्नातक स्तर पर इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के शिक्षण की सुविधाओं में वृद्धि होगी, (ग) आंशिक समय के पाठ्यक्रमों, प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रमों, उद्योग-बंधों के साथ-साथ अध्ययन तथा अन्य प्रकार के शिक्षणों की सुविधाओं की व्यवस्था हो सकेगी तथा (घ) मुद्रण प्रौद्योगिकी, औद्योगिक प्रशासन, व्यवसाय-प्रबन्ध आदि के प्रशिक्षण की पर्याप्त सुविधाएं मिल सकेंगी।

खड़गपुर की भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था में १९५३-५४ में ७५० छात्र थे। १९५४-५५ में छात्रों की संख्या १,१०० हो जाने की आशा है। बंगलोर की भारतीय विज्ञान संस्था के विस्तार का कार्यक्रम, जिसमें पौने दो करोड़ रुपये व्यय होंगे, करीब-करीब पूरा हो चुका है।

कला और संस्कृति

सरकार कला और संस्कृति के विकास को और बराबर ध्यान देती आ रही है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक ट्रस्ट स्थापित करने के निर्णय के सम्बन्ध में राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी और राष्ट्रीय साहित्य अकादमी स्थापित की जा चुकी है। सरकार राष्ट्रीय ललित कला अकादमी की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव भी स्वीकार कर चुकी है। राष्ट्रीय कला भवन के लिए जयपुर हाउस प्राप्त कर लिया गया है।

बालकों द्वारा बनाये गये चित्रों और बाल कला-कृतियों की जनवरी १९५४ में नई दिल्ली में हुई अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी के लिए 'शंकर जी कलौ' को १२,००० रुपये दिये गये।

सरकार विभिन्न भारतीय भाषाओं के उच्चकोटि के ऐसे लेखकों तथा विद्वानों को वित्तीय सहायता देने का कार्यक्रम भी स्वीकार कर चुकी है, जिनको सहायता की आवश्यकता है।

अन्तर्सांस्कृतिक सम्बन्ध

चालू वर्ष में सांस्कृतिक सम्बन्ध के लिए व्यवस्था दो भिन्न-भिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत की गई थी : (१) सामान्य सांस्कृतिक कार्य, तथा (२) प्रधान मंत्री के अनुरोध पर वर्तमान आन्तरिक और बाह्य सांस्कृतिक कार्यों में वृद्धि करने के लिए व्यवस्था।

अमेरिका को भेजी गयी प्रदर्शनी कनाडा भी जा चुकी है। हमारे देश में रूस और अफगानिस्तान से सांस्कृतिक प्रतिनिधिमण्डल आये। भारतीय और जापानी बालकों द्वारा बनाये गये चित्रों का परस्पर विनिमय करने का विचार किया जा रहा है। चित्रों की एक प्रदर्शनी रूस और अन्य यूरोपीय देशों को भेजी गयी। भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् विदेशों के साथ विश्वविद्यालय के अध्यापकों के विनिमय का कार्यक्रम तथा विदेशों में कलाकार मण्डल भेजने का कार्यक्रम भी चालू रखेगा।

संशोधित छात्रवृत्ति योजना

संशोधित समुद्रपार छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत १९५३-५४ में २४ व्यक्ति चुने गये। १९५४-५५ में विश्वविद्यालयों तथा अन्य संस्थाओं से २५ अध्यापक और भेजने का विचार है। १९५४-५५ में इस सम्बन्ध में होने वाले व्यय के लिए १९५४-५५ के बजट में २,४५,७०० रुपये की व्यवस्था की गई है।

भारत-जर्मनी सहयोग योजना

१९५२-५३ में भारत सरकार ने भारत-जर्मनी औद्योगिक सहयोग योजना के अन्तर्गत जर्मन विश्वविद्यालयों तथा संस्थाओं में स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए ५० छात्र तथा जर्मन उद्योगों में प्रत्यक्ष प्रशिक्षण के लिए १०० छात्र भेजना स्वीकार किया। पहले ५० छात्रों की फीस माफ रहेगी, और अन्य १०० छात्र एप्रेंटिस के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इसके बदले में भारत सरकार ने भारतीय विश्वविद्यालयों तथा संस्थाओं में भारतीय भाषाओं, धर्म तथा दर्शन के अध्ययन के लिए दस जर्मन छात्रों को वृत्तियाँ दीं।

छात्रवृत्तियाँ

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और पिछड़ी जातियों के छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए १९५३-५४ के बजट में ४० लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। छात्रवृत्तियों के लिए बहुत अधिक संख्या में आये हुए प्रार्थना-पत्रों की दृष्टि से यह राशि अपर्याप्त पायी गयी और इसके अतिरिक्त २२ लाख रुपये की और व्यवस्था की गयी है।

फ्रांसीसी छात्रों को वृत्तियाँ

विदेशों में भारतीय छात्रों को अध्ययन के लिए कई विदेशी सरकारों द्वारा छात्रवृत्तियाँ दिए जाने की सद्भावना के बदले में भारत सरकार ने एक छात्रवृत्ति योजना बनाई है। तदनुसार भारत सरकार ने फ्रांसीसी छात्रों को छात्रवृत्तियाँ देने की एतदर्थ योजना को, जो १९४६-५० में स्वीकार की गयी थी, १९५३-५४ में फिर से चालू करने का निर्णय किया। इस योजना के अन्तर्गत भारतीय विश्वविद्यालयों में अध्यापन तथा अनुसन्धान के लिए फ्रांसीसी

नागरिकों को दो-दो वर्षों की छात्रवृत्तियाँ दी गई हैं। १९५३-५४ के लिए २८,५०० रुपये की व्यवस्था की गई थी और १९५४-५५ में २०,००० रुपये की व्यवस्था की गई है।

विचार-गोष्ठियाँ और सम्मेलन

संयुक्त राष्ट्रीय शिक्षा, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) के स्थायी भारतीय राष्ट्रीय आयोग का सर्वप्रथम सम्मेलन ६ जनवरी १९५४ से १४ जनवरी १९५४ तक नई दिल्ली में हुआ। सम्मेलन में अफगानिस्तान, मिस्र, इण्डोनेशिया, ईरान, जापान तथा अन्य देशों के राष्ट्रीय आयोगों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और यूनेस्को के कार्यक्रमों और नीतियों पर पुनर्विचार किया गया। सम्मेलन में यूनेस्को के कार्यक्रमों का पूर्वाकरण करने की महत्वपूर्ण सिफारिशें की गईं जिससे एशियाई और अफ्रीकी देशों की आवश्यकताएँ पूरी हो सकें।

यूनेस्को के सम्मेलन की १९५३ में हुई असाधारण बैठक में भारत की ओर से भाग लेने वाले प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व भारत के उपराष्ट्रपति डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया। भारत सरकार ने जुलाई १९५३ में जेनेवा में हुए १६ वें अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक शिक्षा सम्मेलन में भी भाग लिया। इस सम्मेलन में संसार के विभिन्न देशों की शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति पर विचार किया गया। सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों की शिक्षा-पद्धतियों की रचना, उनके पाठ्यक्रमों आदि पर विचार विनिमय हुआ।

सामान्य विकास

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बुनियादी (बेसिक) तथा सामाजिक शिक्षा योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए १,६८,७५,००० रुपये की व्यवस्था की गई है। सामाजिक शिक्षा के क्षेत्र में कई नई योजनाओं पर भी काम आरम्भ किया गया।

पाठ्यपुस्तक अनुसन्धान व्यूरो तथा शैक्षणिक और व्यावसायिक पथ-प्रदर्शन व्यूरो की केन्द्र और राज्यों में स्थापना भी नई योजना का अंग है।

श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में समाजकल्याण बोर्ड की स्थापना हुई। इसका काम है समाज कल्याण का काम करने वाली विभिन्न संस्थाओं के कार्यों में समन्वय करना और उन्हें संगठित करना तथा अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता देना। शारीरिक उन्नति की शिक्षा तथा नवयुवक कल्याण के लिये भी एक विस्तृत कार्यक्रम बनाया गया है, जो राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों तथा स्वयंसेवक संगठनों की सहायता से कार्यान्वित किया जायगा।

माध्यमिक शिक्षा आयोग की रिपोर्ट सितम्बर १९५३ में प्रकाशित हुई। आशा है कि कुछ और महत्वपूर्ण सुझावों को आगामी शिक्षा-वर्ष में कार्यान्वित किया जायगा।

फोर्ड प्रतिष्ठान के सहयोग से चार विदेशी और चार भारतीय शिक्षा-शास्त्रियों की एक मण्डली को भारत, यूरोप और अमेरिका की माध्यमिक शिक्षा प्रणालियों का विस्तृत और तुलनात्मक अध्ययन करने का काम सौंपा गया। इनके अध्ययन में विशेष ध्यान शिक्षकों के प्रशिक्षण की पद्धतियों और पाठ्यक्रमों के पुनर्गठन पर दिया जाना था।

माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में दूसरा महत्वपूर्ण कार्य हेडमास्टरों के विचारगोष्ठी अवकाश शिविर का लगना था। इस शिविर में २५ राज्यों के ५० हेडमास्टरों ने भाग लिया और अपने अपने स्कूलों के सुधार का कार्यक्रम बनाया। ट्रेनिंग कालेजों को विशिष्ट समस्याओं पर अनुसन्धान कार्य करने के लिये प्रोत्साहन देने का कार्यक्रम भी पूरा कर लिया गया है। इस कार्यक्रम को आगामी वर्ष में कार्यान्वित किया जायेगा।

शिक्षा मन्त्रालय द्वारा अनेक महत्वपूर्ण पुस्तकें प्रकाशित हुईं। माध्यमिक स्कूलों के लिए हिन्दी में पारिभाषिक शब्दों की कार्य-निर्वाहक सूचियों का भी उल्लेख किया जा सकता है।

शिक्षा संस्थाओं में दिखा मुना कर सिखाने की प्रणाली के अधिक से अधिक उपयोग को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से शिक्षा मन्त्रालय ने यूनेस्को के सहयोग से शिक्षण लेने वाले छात्रों के लिये तीन महीने के वर्ग मैसूर में मार्च

से मई १९५३ तक लगाये। १९५३-५४ के बजट में शिक्षा मन्त्रालय के बिल्ला मुनो कर सिखाने वाले विभाग के कार्यों के लिए ६५,००० रुपये की व्यवस्था की गयी थी।

भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार ने अभिलेख प्राप्त करने, छात्रों को अनुसन्धान की सुविधाएं देने तथा अभिलेखों के प्रशिक्षण की सुविधाओं की व्यवस्था करने में अच्छी प्रगति की। इस विभाग के लिये १९५३-५४ में ७,९३,७०० रुपये निर्धारित किये गये।

पुरातत्व विभाग ने इस वर्ष अपने कार्यों के लिये ४४,२६,००० रुपये की स्वीकृति दी। भाग 'ख' राज्यों के राष्ट्रीय महत्व के सभी स्मारक इस विभाग द्वारा प्राप्त कर लिये गये हैं और इसके लिये ६,९६,००० रुपये की लागत पर दो नये केन्द्र खोले गये हैं।

शरीर रचना शास्त्र विभाग ने दक्षिण बंगाल में अपने दो केन्द्रों में सामूहिक जीवन पर अपनी अन्तिम रिपोर्ट पूरी कर ली है। इस विभाग के लिए ७,१३,००० रुपये रखे गये हैं।

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य सेवाओं के डायरेक्टर जनरल का कार्यालय चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यों पर अपना नियन्त्रण रखता तथा इनके सम्बन्ध में स्वास्थ्य मन्त्रालय को आवश्यक परामर्श देता है।

केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद्

अगस्त १९५२ में एक केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् की स्थापना की गई। इस परिषद् में केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री और राज्यों के स्वास्थ्य मन्त्री होते हैं। केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री इस परिषद् का अध्यक्ष होता है। यह परिषद् स्वास्थ्य, चारों ओर के स्वस्थ वातावरण, पोषिकता, स्वास्थ्य शिक्षा के सभी पहलुओं से

सम्बन्धित विषयों पर विचार और सिफारिश करती तथा प्रशिक्षण और अनुसन्धान आदि की सुविधाओं को प्रोत्साहन देती है।

स्वास्थ्य मन्त्री का विवेकानुदान

अनुसन्धान कार्यों में संलग्न तथा चिकित्सा सम्बन्धी सहायता की व्यवस्था करने वाली संस्थाओं की सहायता के लिये प्रति वर्ष ३ लाख रुपयों की व्यवस्था की जाती है। चालू वर्ष में कोढ़ के अनुसन्धान कार्य, तपेदिक की चिकित्सा, अन्वों की सहायता, बालकल्याण, प्राइवेट चिकित्सा-संस्थाओं के लिये अस्पताल के उपकरणों तथा दवाओं की खरीद, प्राइवेट चिकित्सा संस्थाओं तथा कल्याण-केन्द्रों के लिये भवन निर्माण तथा चलते-फिरते दवाखानों की व्यवस्था आदि कार्यों के लिए सहायता दी गई।

स्वास्थ्य मन्त्री का कल्याण-कोष

इस कोष में से चिकित्सा तथा स्वास्थ्य संस्थाओं की स्थापना, वर्तमान चिकित्सा तथा स्वास्थ्य-संस्थाओं की सहायता देने तथा समाज-कल्याण के कार्यों को प्रोत्साहन देने में व्यय किया जाता है।

सरकारी नौकरों के लिए स्वास्थ्य-सेवा

सरकारी नौकरों के लिए अनुदायी स्वास्थ्य सेवा की एक योजना बनाई गयी है जिससे केन्द्रीय सरकार के सभी वर्गों के कर्मचारियों को चिकित्सा सम्बन्धी उचित सुविधाएँ दी जा सकें।

अस्पतालों का पुनर्गठन

रांची स्थित मानसिक रोग का अस्पताल अब से सीधे केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण और प्रबन्ध में रहेगा और १९५४-५५ के बजट में इसके लिए १५,१६,४०० रुपये की व्यवस्था रखी गयी है। अस्पताल के पुनर्गठन की योजना पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत रखी गयी है।

नई दिल्ली स्थित विलिंगडन अस्पताल तथा नर्सिंग होम १ जनवरी, १९५४ को नई दिल्ली म्युनिसिपल कमेट्री से भारत सरकार द्वारा अपने अधिकार में ले लिए गये। दोनों का विस्तार किये जाने की सम्भावना है।

सामाजिक

१ मार्च, १९५४ को भारत सरकार ने सफ़रजरंग अस्पताल भी अपनी देख रेख में ले लिया। इसके पहले यह अस्पताल दिल्ली राज्य सरकार के नियन्त्रण में इविन अस्पताल के एक भाग के रूप में चल रहा था। इस अस्पताल में एक गुप्त रोग-प्रशिक्षण केन्द्र तथा एक शरीर चिकित्सा प्रणाली विभाग (फीजियोथेरेपी) खोले जा रहे हैं।

बम्बई स्थित टाटा मेमोरियल अस्पताल के ले लिये जाने के प्रश्न का निर्णय होने तक भारत सरकार ने अस्पताल को १९५३-५४ से तीन वर्षों के लिए १,००,००० रुपये की सहायता देने का निर्णय किया है। अस्पताल की व्यवस्था एक ऐसी समिति करेगी जिस में भारत सरकार के दो प्रतिनिधि होंगे।

अखिल भारत मानसिक स्वास्थ्य संस्था

भारत सरकार ने १,८०,००० रुपये के अनावर्तक व्यय तथा १,३६,५०० रुपये के आवर्तक व्यय पर बंगलोर में एक अखिल भारत मानसिक स्वास्थ्य संस्था स्थापित करने का निर्णय किया है। मैसूर सरकार वर्तमान अस्पताल के भवनों के विस्तार तथा उपकरणों की खरीद में योग देगी। आशा है कि संस्था का कार्य शीघ्र ही आरम्भ हो जायगा।

अन्तर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस को अनुदाय

अन्तर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति के अनुरोध पर भारत का वार्षिक अनुदाय बढ़ाकर ७५,००० रुपये वार्षिक करने का निर्णय किया गया है। जेनेवा स्थित लीग ऑफ़ रेड क्रॉस सोसाइटीज़ द्वारा किये गये कार्य की प्रशंसा में भारत सरकार ने १९५२-५३ में ५०,००० रुपये का अनुदाय दिया।

स्वास्थ्य शिक्षा

सिनेमाओं, पत्रों तथा पुस्तिकाओं की सहायता से स्वास्थ्य शिक्षा की योजना द्वारा नागरिकों में सार्वजनिक और व्यक्तिगत सफाई की भावना पैदा करने का विचार किया जा रहा है।

स्थायी रूप से एक केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा व्यूरो की स्थापना करके स्वास्थ्य शिक्षा के कार्यक्रम का विस्तार करने का विचार है।

प्रशिक्षण और अनुसन्धान

विस्थापित लड़कियों और महिलाओं को उपयोगी धन्धों में लगाने के लिए उनके प्रशिक्षण की दृष्टि से पुनर्वास मन्त्रालय ने उन्हें दाइयों का प्रशिक्षण देने की एक योजना चालू की है। यह प्रशिक्षण फरीदाबाद तथा राजपुरा स्थित सहायता-शिविरों से सम्बद्धित अस्पतालों में तथा दिल्ली के लेडो हाडिग अस्पताल और सेंट स्टीफेंस अस्पताल में दिया जायेगा।

वल्लभभाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट

दिल्ली विश्वविद्यालय के अवस्थापित वल्लभभाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट में तपेदिक की बीमारी की चिकित्सा सम्बन्धी डिप्लोमा-कोर्स आरम्भ किया गया है। आर्थिक दृष्टि से इस संस्था की व्यवस्था भारत सरकार के ही नियन्त्रण में है।

नर्सिंग कालेज

१९५३ में कालेज में बी. एस. सी. (आनर्स) के लिए १९ छात्राएं और पोस्ट सर्टिफिकेट कोर्स के लिए १५ छात्राएं भरती की गईं। यह कालेज अन्ततः अखिल भारत चिकित्सा विज्ञान संस्था का ही एक अंग बन जायेगा।

भारत की मलेरिया निवारक संस्था

इस संस्था का एक मुख्य कार्य मलेरिया की रोक-थाम के विभिन्न पहलुओं पर अनुसन्धान करना है। चिकित्सा अधिकारियों का अध्ययन काल, जो पहले छः सप्ताह का था, अब १२ सप्ताह का कर दिया गया है। राज्य सरकारों द्वारा भेजे गये छात्र ही इस में अध्ययन करते हैं। विचाराधीन वर्ष में २२ चिकित्सा अधिकारियों (इनमें दो शिक्षार्थी विश्व स्वास्थ्य-संगठन की ओर से अफगानिस्तान के थे) तथा १३३ मलेरिया इन्स्पेक्टरों (नेपाल के ११ इन्स्पेक्टरों सहित) को प्रशिक्षण दिया गया।

भारतीय औषधि संस्कार ग्रंथ

भारतीय औषधि संस्कार ग्रंथ समिति का काल, जो २३ नवम्बर १९५३ तक का था, एक वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। कलकत्ता स्थित आर.

जी. कार मेडिकल कालेज के औषधि विज्ञान के अध्यापक डा. बी. एन. घोष इस समिति के नये अध्यक्ष नियुक्त किये गये ।

विश्व-स्वास्थ्य संगठन

भारत १९४८ में विश्व-स्वास्थ्य संगठन की स्थापना के समय से, उसका सदस्य रहा है । दक्षिण पूर्वी एशिया के लिये इसका प्रादेशिक कार्यालय नई दिल्ली में स्थापित किया गया है ।

१९५३ में विश्व-स्वास्थ्य संगठन ने इसके अथवा भारत सरकार द्वारा चालू की गई विभिन्न योजनाओं में लगे २८ भारतीय कर्मचारियों को वृत्तियां दीं ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ का अन्तर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष (यूनिसेफ)

यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र संघ का एक संगठन है । यह गर्भवती माताओं तथा बालकों के लिए स्वास्थ्य कार्यक्रमों की व्यवस्था करता है । सहायता साधारणतया सामानों के रूप में दी जाती है । भारत सरकार ने १९५३ में इस कोष में १५ लाख रुपये दिए और इतने ही रुपये वह चालू वर्ष में देना चाहती है ।

परिवार आयोजन

परिवार आयोजन के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक अध्ययन किया जा रहा है । इसके दो केन्द्र दिल्ली में तथा एक केन्द्र मैसूर राज्य में है । अध्ययन का परिणाम १९५४ में मिलने की आशा है ।

तपेदिक निरोध कार्य

बी. सी. जी. के टीके लगाने का कार्यक्रम, जो अन्तर्राष्ट्रीय तपेदिक निरोध आन्दोलन, विश्व-स्वास्थ्य संगठन और संयुक्तराष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष की सहायता से १९४८ में आरम्भ किया गया था, और अधिक विस्तृत कर दिया गया है । यह आन्दोलन २१ राज्यों तक फैला दिया गया है और ऐसी आशा है कि शीघ्र ही शेष राज्यों में भी पहुँच जायगा । दिसम्बर १९५३ के अन्त तक २ करोड़ ५६ लाख व्यक्तियों की परीक्षा की गयी और लगभग

८० लाख व्यक्तियों को बी. सी. जी. के टीके लगाये गये। इस आन्दोलन के विस्तार के साथ-साथ गुड्डडी स्थित प्रयोगशाला से विभिन्न राज्यों को टीके अधिक मात्रा में भेजने को कहा गया है। प्रयोगशाला से टीके मलाया, सिंगापुर, बर्मा और लंका भी भेजे जाते हैं। गुड्डडी में बी. सी. जी. को टीका प्रयोगशाला के लिए नये भवन का निर्माण किया जा रहा है। जुलाई १९५३ में मेहरोली में एक तपेदिक अस्पताल स्थापित किया गया और दूसरा अस्पताल स्थापित किया जाने वाला था।

आवश्यक कानून

धात्री विद्या, दन्त चिकित्सा और औषधि तैयार करने के व्यवसायों पर नियंत्रण रखने के लिए कानून बना दिया गया है। केन्द्रीय धात्री विद्या परिषद्, दन्त चिकित्सा परिषद् और औषधि विद्या परिषद् स्थापित की जा चुकी हैं।

१९५३ का औषधि और चामत्कारिक चिकित्सा विधेयक (आपत्तिजनक विज्ञापन) राज्य परिषद् में दिसम्बर १९५३ में प्रस्तुत किया गया और परिषद् द्वारा फरवरी १९५४ में पास किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य है औषधियों के विज्ञापनों पर नियन्त्रण तथा चामत्कारिक चिकित्सा उपायों के विज्ञापनों को रोकना।

संसद में प्रस्तुत १९५२ का खाद्य मिलावट विधेयक प्रवर समिति के सामने आ चुका है। इसमें निम्नलिखित व्यवस्थाएँ हैं—(१) एक केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला की स्थापना जिसके पास खाद्यों के नमूने विशेषज्ञों की सम्मति के लिए भेजे जायेंगे, (२) एक केन्द्रीय खाद्य स्तर समिति की स्थापना जिसमें केन्द्रीय और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे और ये प्रतिनिधि कानून के प्रशासन सम्बन्धी विषयों पर सलाह-मदिवरा देंगे और (३) खाद्य वस्तुओं तथा अन्य वस्तुओं के स्तर को नियन्त्रित करने से सम्बन्धित कानून बनाने का अधिकार केन्द्रीय सरकार को देना।

पुनर्वास

१९५१ की अखिल भारतीय जनगणना के अनुसार पश्चिम तथा पूर्व पाकिस्तान से भारत आने वाले कुल विस्थापित व्यक्तियों की संख्या ७२ लाख ६५ हजार है। तब से अब तक पूर्वी पाकिस्तान से ६ लाख ५५ हजार व्यक्ति भारत आ चुके हैं। इस प्रकार विस्थापित व्यक्तियों की संख्या ७८ लाख ५० हजार तक पहुँच गई है।

• देहातों में पुनर्वास

पश्चिम पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों में से किसान विस्थापित फिर से पूरे तौर पर बसाये जा चुके हैं। भूमि दिए जाने के अलावा जिन व्यक्तियों को आवश्यकता थी उन्हें बीज, बैल, औजार आदि खरीदने के लिए ऋण भी दिए गये हैं। १९५३-५४ के अन्त तक इस प्रकार ६ करोड़ १० लाख रुपये के ऋण वितरित किये जा चुके होंगे।

पूर्व पाकिस्तान से आये विस्थापित खेतिहर और सामान्य परिवारों की कुल संख्या २ लाख ६२ हजार है। ये सब परिवार पूर्वी प्रदेश के देहाती क्षेत्रों में बसाये जा चुके हैं। अनुमान है कि १९५३-५४ के अन्त तक मकानों के लिए ऋण, खेती के औजारों की खरीद आदि के लिए ६ करोड़ ६२ लाख रुपये उन्हें दिये जा चुकेंगे।

शहरी बस्ती

पश्चिम पाकिस्तान से आये लगभग २४,७०,००० विस्थापित व्यक्ति ३,७६,००० घरों में बसाये जा चुके हैं। उन्हें २७,००० निष्क्रमणार्थी दुकानें तथा २,००० औद्योगिक संस्थान भी आवंटित किये जा चुके हैं और विभिन्न कस्बों में ३२,००० नये दुकाने बनायी जा चुकी हैं।

पूर्व पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों को मकान बनाने के लिए सरकार की ओर से जमीन और ऋण दिये गये हैं। अक्टूबर १९५३ के अन्त तक २,५६,००० मकान या तो बनकर तैयार हो चुके थे या बनाये जा रहे थे।

अनुमान है कि १९५३-५४ के अन्त तक विभिन्न गृहनिर्माण योजनाओं पर सहायता और ऋण के रूप में १३ करोड़ ३४ लाख रुपये व्यय किये जा चुकेंगे ।

ऋण

विस्थापित व्यक्तियों को तीन प्रकार के ऋण दिये गये : (१) उन विस्थापित व्यक्तियों को राज्य सरकारों द्वारा दिये गये ऋण जो अपने निजी कारोबार स्थापित करना चाहते हैं; ये ऋण केवल नयी बस्तियों के निवासियों को ही दिये गये, (२) पुनर्वास-वित्त-प्रशासन द्वारा दिए गये ऋण, (३) नयी बस्तियों में नये उद्योगों की स्थापना के लिये उद्योगपतियों को दिये गये ऋण । इसके अतिरिक्त लाभदायक नौकरियाँ प्राप्त करने में सहायता देने के सम्बन्ध में उनमें से कुछ को सरकारी नौकरियाँ दिलवाई गयीं और कुछ को प्राइवेट नौकरियाँ, और शेष लोगों को सरकार द्वारा संगठित औद्योगिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण की योजनाओं से लाभ पहुँचा

शिक्षा

विस्थापित छात्रों को रियायतों और अनुदानों के रूप में सहायता दी गयी । नयी संस्थाओं की स्थापना द्वारा तथा वर्तमान संस्थाओं को सहायता देकर शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं का भी विस्तार किया गया । १९५३-५४ में पश्चिम पाकिस्तान से आये विस्थापित छात्रों की शिक्षा पर १ करोड़ रुपये और पूर्व पाकिस्तान से आये विस्थापित छात्रों की शिक्षा पर २८ लाख रुपये व्यय किये गये ।

सहायता

पश्चिम पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्ति

१९५०-५१ में सभी सहायता-शिविरों के बंद किये जाने के समय से केवल उन्हीं महिलाओं और बच्चों, बुढ़ों और अशक्त व्यक्तियों को सहायता दी जा रही है जिनकी देख भाल करने वाला कोई नहीं है । तपेदिक के रोगियों को आर्थिक सहायता दी जा रही है । कुछ बस्तियों में चिकित्सा सम्बन्धी सहायता की सुविधाएं भी दी गई हैं ।

निराश्रित महिलाओं, बच्चों, बुढ़ों और अशक्त व्यक्तियों को जो अशक्त-गृहों में रह रहे हैं और जिनकी क्षतिपूर्ति की मांगों की जांच हो चुकी है, क्षति-पूर्ति के मामले में प्राथमिकता दी जा रही है। उनसे कह दिया गया है कि वे अशक्त गृह में रह सकते हैं और उनके जीवन निर्वाह पर जो व्यय आयेगा, वह उनको दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की राशि में से काट लिया जायेगा। १९५३-५४ के अन्त तक क्षतिपूर्ति के रूप में ३ करोड़ रुपये दिये जा चुकेंगे।

पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्ति

पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापितों के लिये शिविर अभी भी चलाये जा रहे हैं। १९५३-५४ के प्रारम्भ में इन शिविरों में स्थायी रूप से रहने वालों के अतिरिक्त लगभग ८६,००० व्यक्ति थे। जनवरी १९५४ तक यह संख्या घट कर ७६,०७५ रह गई। ४०,००० निराश्रित महिलाओं, बच्चों, बुढ़ों और अशक्तों को भी सहायता दी जा रही है। १९५३-५४ में सहायता कार्य पर २ करोड़ ६० लाख रुपये व्यय किये जायेंगे।

जीवन-निर्वाह भत्ता

पश्चिम पाकिस्तान से आये लगभग १४,००० विस्थापित व्यक्तियों को जीवन-निर्वाह भत्ता दिया जा रहा है क्योंकि ये वृद्धावस्था, अशक्तता, बीमारी आदि के कारण रोजी नहीं कमा सकते और अब तक ये पश्चिम पाकिस्तान में स्थित शहरी चल सम्पत्ति से होने वाली आय पर आश्रित थे।

दिसम्बर १९५३ तक उनके जीवन-निर्वाह पर करीब १ करोड़ २० लाख रुपये व्यय हो चुके थे। ये व्यक्ति उस श्रेणी में आते हैं जिसे अन्तरिम क्षति-पूर्ति योजना के अन्तर्गत उच्च प्राथमिकता मिली हुई है। इनमें से कुछ सौ व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति का धन दिया जा चुका है और उनका भत्ता बन्द कर दिया गया है। जब शेष व्यक्तियों को भी क्षतिपूर्ति दी जा चुकेगी तो भत्ता देना समाप्त कर दिया जायगा।

क्षतिपूर्ति का भुगतान

पश्चिम पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों को, जिनके दावों की जांच की जा चुकी है, क्षतिपूर्ति की योजना को अन्तिम रूप तक नहीं दिया जा सकता जब तक यह मालूम न हो जाये कि निष्क्रमणार्थी सम्पत्ति के मामले में

पाकिस्तान के साथ समझौता हो भी सकता है या नहीं।

तबतक के लिए, कुछ विशेष प्रकार के विस्थापित व्यक्तियों के सम्बन्ध में एक अन्तरिम योजना स्वीकृत की जा चुकी है।

क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए एक विशेष व्यवस्था की गयी है। अन्तरिम क्षतिपूर्ति योजना के अन्तर्गत कुछ वर्गों के दावेदारों को अधिक प्राथमिकता दी गई है। योजना में उन लोगों को जो जीवन-निर्वाह खर्च पाते हैं, जो अशक्त-गृहों में रहते हैं और जो अशक्त-गृहों के बाहर निःशुल्क सहायता पाते हैं, १९५३-५४ में नकद रुपये दिये जाने की व्यवस्था की गई है। १,३०० से अधिक ऐसे व्यक्तियों को कुल ४२ लाख ५० हजार रुपये दिये जा चुके हैं। अन्तरिम क्षतिपूर्ति योजना के अन्तर्गत नकद रुपये दिये जाने के बदले में ६,००० मिट्टी के भोपड़ों का स्वामित्व उन भोपड़ों में रहने वालों को दे दिया गया है। इन भोपड़ों की लागत १८ लाख रुपये है। प्राथमिकता वाले १,८००० से अधिक दावेदार योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा बनायी गयी २७ नयी बस्तियों में रह रहे हैं। निवास स्थानों के श्रद्ध-स्थायी श्रावटन सम्बन्धी पहली कार्रवाई के रूप में सम्पत्तियों का मूल्यांकन किया गया है। निष्क्रमणार्थियों के मकानों या सरकार द्वारा बनवाए गये घरों में रहने वाले प्राथमिकता वाले दावेदारों को १ नवम्बर १९५३ से किराया देने से मुक्त कर दिया गया है।

पाकिस्तान के साथ समझौता-वार्ताएँ

कराची में जुलाई और अगस्त १९५३ में हुए विचार विनिमय के फल-स्वरूप चल सम्पत्ति समझौता की कई मदों को कार्यान्वित किये जाने का निर्णय हो चुका है। इस समझौते का सम्बन्ध है निष्क्रमणार्थियों के उन गृह तथा सम्पत्तियों के बेचने या हटाने से, जो या तो कस्टोडियन के अधिकार में हैं, या मित्रों के पास हैं या पुनर्वास के लिए ले ली गई हैं, अधिकार में की गई चल-सम्पत्ति को फिर से प्राप्त करने से, गाड़े हुए धन को हटाये जाने से, कस्टोडियन के पास रक्षित बिक्री की रकम तथा चल-सम्पत्ति के हस्तान्तरण से तथा पोस्ट आफिस सेविंग्स बैंक एकाउन्टों तथा पोस्टल पार्सलों के हस्तान्तरण से।

श्रम

कानून

इस वर्ष दो महत्वपूर्ण कानून पास हुए—औद्योगिक विवाद (संशोधन) कानून १९५३ और एम्प्लाइज प्राविडेन्ट फंड (संशोधन) कानून १९५३। पहले कानून में कारखाने के बन्द होने या छूटनी की अवस्था में मजदूरों को क्षतिपूर्ति देने की व्यवस्था है। कारखाने के बन्द होने के सम्बन्ध में कानून में जो व्यवस्थाएँ हैं, वे १ अप्रैल १९५४ से वागान उद्योग के लिए भी लागू कर दी गईं। एम्प्लाइज प्राविडेन्ट फंड (संशोधन) कानून १९५३ इसलिये बनाया गया कि जिससे उक्त कानून के कुछ दोषों और प्रशासन सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर किया जा सके।

श्रम कानूनों का कार्यान्वित किया जाना

एम्प्लाइज प्राविडेन्ट फंड योजना

एम्प्लाइज प्राविडेन्ट फंड कानून उन मजदूरों पर लागू होता है जो सीमेंट, सिगरेट, बिजली के सामान तथा यांत्रिक और सामान्य इंजीनियरिंग का सामान बनाने वाले उद्योगों, छपाई, कागज, वस्त्र उद्योग तथा लोहा एवं इस्पात उद्योग में लगे हों। कानून तभी लागू होगा जब किसी कारखाने में लगे मजदूरों की संख्या ५० या उससे अधिक हो। यह सरकारी कारखानों या स्थानीय संस्थाओं और उन संस्थाओं पर लागू नहीं होगा जिन्हें स्थापित हुए तीन वर्ष से कम समय हुआ है। विसम्बर १९५३ के अन्त तक उन कारखानों से, जिन पर यह कानून लागू होता है, कुल प्राविडेन्ट फंड ६ करोड़ ४६ लाख रुपये संग्रहीत हुआ। यह धन औद्योगिक गृह-निर्माण योजना के लिये व्यय किया जायेगा।

योजना को कार्यान्वित किए जाने के सम्बन्ध में पर्याप्त अनुभव प्राप्त कर लेने पर, इसे अन्य उद्योगों पर भी लागू किया जायेगा।

इस समय कोयला खान प्राविडेन्ट फंड और बोनस योजना में भाग लेने

वालों की संख्या ६,६३,३३२ है। ३१ अक्टूबर १९५३ तक १२,२८७ को ११,७८,४४१ रुपये प्राविडेंट फंड दिया गया।

७ मई, १९५३ को इम्प्लाइज स्टेट इंडियोरेंस योजना, १९४६, पंजाब के कई औद्योगिक क्षेत्रों में भी लागू की गई—अमृतसर, बटाला, लुधियाना, जालंधर, भिवानी, अम्बुल्लापुर—जगाधरी और अम्बाला। इस योजना के कलकत्ता शहर और हवड़ा जिले में कार्यान्वित किये जाने की तैयारियाँ की गई हैं। इसे नागपुर, कोयम्बटूर तथा मध्य भारत के कुछ कस्बों में भी लागू करने के सम्बन्ध में कार्रवाई की जा रही है।

खेतों में काम करने वाले मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरें निर्धारित की गयीं हैं जो बिहार राज्य के पटना डिबोजन, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, आजमगढ़, बाना, बाराबांकी, जौनपुर, रायबरेली, फैजाबाद, हमीरपुर, बलिया, गाजोपुर तथा जालौन जिलों के ५० या उससे अधिक एकड़ के फार्मों में काम करने वाले मजदूरों, अजमेर, बिलासपुर, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, पेप्सू, पंजाब, राजस्थान, मंसूर और त्रिपुरा के पूरे पूरे राज्यों, तथा विन्ध्य प्रदेश में सीधी जिले, पश्चिम बंगाल में दार्जीलिंग और जलपाईगुड़ी जिले, और आसाम में कछार जिले के लिये लागू होती हैं।

मद्रास गोदी कर्मचारी (नौकरी के नियम) योजना १९५२ के प्रशासनार्थ मद्रास गोदी श्रम बोर्ड जुलाई १९५३ में स्थापित किया गया।

औद्योगिक सम्बन्ध

जनवरी १९५३ से अक्टूबर १९५३ तक श्रम सम्बन्धी झगड़ों और काम के दिनों की हानि की संख्या क्रमशः ८१८ और २५,५३,५२६ थी।

कुल मिलाकर खान, बड़े बन्दरगाह, रेलवे, बैंकिंग तथा बीमा कम्पनी सम्बन्धी १८ औद्योगिक झगड़े धनबाद और कलकत्ता स्थित स्थायी ट्रिब्यूनलों के सामने रखे गये। इनके अलावा अन्य १२ झगड़े राज्य सरकारों के ट्रिब्यूनलों को तथा एक झगड़ा एतदर्थ ट्रिब्यूनल को सौंपा गया।

आसाम तथा पश्चिम बंगाल में कुछ चाय बागानों के बंद किये जाने से जो मजदूर बेकार हो गये थे, वे या तो नये बागों में लगा लिए गये या उन्हें कुछ दूसरा काम दिया गया ।

श्रम कल्याण

कोयला खान

कोयला खान श्रम कल्याण कोष के १९५३-५४ के बजट में सामान्य कल्याण के लिए ७८,००,००० रुपये के और गृह निर्माण के लिए २२,००,००० रुपये के व्यय की व्यवस्था है । सामान्य कल्याण के अन्तर्गत अधिकांश व्यय सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्रोत्साहन देने और चिकित्सा पर होगा । इसके अतिरिक्त कोयले की खानों में काम करने वाले मजदूरों के कल्याण के लिए निम्नलिखित योजनाएँ स्वीकृत की गई हैं :—

(१) ३,०२,००० रुपये के अनुमानित व्यय पर शिक्षा, मनोरंजन सम्बन्धी तथा अन्य सुविधाएँ देने वाले बहुदेशीय केन्द्र ।

(२) बिहार के कोयला खान क्षेत्र में चार महिला कल्याण केन्द्र और हैदराबाद के कोयला खान क्षेत्र में एक संयुक्त मातृमंगल शिशु कल्याण केन्द्र ।

(३) चाँदा तथा तलचर के कोयला खान क्षेत्रों में से प्रत्येक में एक-एक शिक्षा केन्द्र तथा बिहार के कोयला खान क्षेत्र के लिए छः शिक्षा केन्द्र ।

(४) भरिया, रानीगंज, तलचर तथा सम्बलपुर के कोयला खान क्षेत्रों की बहु-उद्देशीय संस्थाओं में ७०० रुपये प्रति सेट वाले दस रेडियो लगाये जायेंगे । इनके साथ-साथ लाउड स्पीकरों की भी व्यवस्था होगी । इसके अलावा चाँदा के कोयला खान क्षेत्रों के मजदूरों के लिए तीन रेडियो लगाये जायेंगे ।

(५) हैदराबाद की सस्टी कोयला खानों में काम करने वाले मजदूरों के यातायात के लिये ३,००० रुपये के व्यय पर एक खुली टुई मोटर खरीदी जायगी ।

(६) धनबाद स्थित केन्द्रीय अस्पताल के पुनर्वासि केन्द्र तथा पालना विभाग के ५० कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए दूसरा पाठ्यक्रम जिससे अशक्त मजदूरों को सहायता दी जा सके और उन्हें दूसरा काम लिखाया जा सके।

एक संशोधित गृह निर्माण योजना भी तैयार की गयी है जिसके अन्तर्गत कोयला खान के उन मालिकों को ऋण तथा सहायता दी जायगी जो मजदूरों के लिए मकान बनायेंगे।

अन्नक की खानें

अन्नक खान अन्न कल्याण कोष के कार्य-क्षेत्र में बिहार, आन्ध्र, राजस्थान और अजमेर के अन्नक खान क्षेत्र आते हैं। इस कोष के वार्षिक बजट में इन राज्यों में कल्याण-कार्य के लिये क्रमशः १३,६०,००० रुपये, ४,३३,००० रुपये, १,२६,००० रुपये तथा ४४,००० रुपये के व्यय की व्यवस्था है। बम्बई, मेसूर, तिरुवांकुर-कोचीन, मध्य भारत तथा मध्यप्रदेश के अन्नक खान क्षेत्रों में कल्याण कार्य आरम्भ करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। कोयला-खान के मजदूरों की भाँति अन्नक खान के मजदूरों को भी चिकित्सा, शिक्षा, मनोरंजन तथा मकान सम्बन्धी वैसे ही सुविधाएँ दी गई हैं।

सामान्य कल्याण-कार्य

१९५३-५४ में कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा संचालित अल्पकालीन समाज कल्याण कार्य के पाठ्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय और राज्य सरकारों के तीस अन्न-अधिकारियों को सामाजिक कार्य का प्रशिक्षण दिया गया। केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों के अन्तर्गत काम करने वाले सभी अन्न-अधिकारी एक केन्द्रीय समूह के अन्तर्गत आते हैं।

दक्षिण भारत में बागानों में मजदूरों के भरती किय जाने की कंगनी प्रथा उन्मूलन सम्बन्धी सर्व प्रथम उपाय के रूप में मद्रास, तिरुवांकुर-कोचीन, मेसूर और कुर्ग सरकारों से इस प्रथा की बुराइयों की रोकथाम के लिये कुछ उपाय करने की प्रार्थना की गयी है।

खान विधि, १९५२ की व्यवस्थाओं को लागू करने की कार्यवाहियों तथा

देखभाल के परिणाम स्वरूप हैदराबाद के कोयला खान क्षेत्रों तथा कोलार के स्वर्ण-खान क्षेत्रों में दुर्घटनाएं काफी कम हो गयीं।

खानों में ऐसी दुर्घटनाओं को जिनके फलस्वरूप मृत्यु हो जाए, रोकने के लिए प्रभावकारी उपाय किये गये। खान विधि, १९५२ के अन्तर्गत सभी प्रकार की खानों के लिए एक से नियमों को नियामाबली तैयार की गयी है।

कारखानों का निरीक्षण

विस्तृत टेक्निकल सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार ने चुने हुए उद्योगों में उत्पादन-क्षमता के और भुगतान की सुधरी हुई प्रणालियों के लागू किये जाने के लिए एक विशेषज्ञ मण्डली की सेवाएँ प्राप्त की हैं। पहले छः महीनों में विशेषज्ञ प्रबंधकों तथा मजदूर सभाओं के सामने यह सिद्ध कर सके कि थोड़े समय के प्रशिक्षण से भी कारखानों के कार्य तथा उत्पादन क्षेत्रों में काफी प्रगति हो सकती है।

बम्बई में एक केन्द्रीय श्रम-संस्था स्थापित की जाने वाली है। संस्था में एक सामाजिक-आर्थिक प्रयोगशाला के रूप में कार्य होगा और इसमें श्रम संबंधी समस्याओं के विषय में विशेष प्रशिक्षण दिया जायगा। इसके अतिरिक्त इस संस्था में उद्योग से सम्बन्धित सभी लोगों के लिये कल्याण-कार्य करने वाले प्रत्येक वर्ग को स्थान प्राप्त होगा।

कृषि-श्रम सम्बन्धी जाँच

कृषि-श्रम सम्बन्धी जाँच के प्रथम सोपान अर्थात् गांव के सामान्य पर्यवेक्षण की रिपोर्ट 'एग्रोकल्चरल वेजेज इन इण्डिया' शीर्षक लेख में प्रकाशित हुई है।

इसी सम्बन्ध में दूसरे और तीसरे सोपान अर्थात् परिवार सम्बन्धी सामान्य पर्यवेक्षण और परिवार सम्बन्धी विस्तृत पर्यवेक्षण की रिपोर्ट और राज्यों पर और आवश्यक आंकड़ा-रिपोर्टें भी प्रकाशित की जाने वाली हैं।

श्रम-सम्बन्धी जाँच

इस वर्ष 'भारत के जीवन निर्वाह-व्यय के सूचकांक' शीर्षक विषय पर एक विशेष लेख तैयार किया गया। काजू उद्योग में काम करने वाले मजदूरों की स्थिति, भारत में महिला-मजदूरों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति, तथा भवन और निर्माण उद्योग आदि की भी जाँच की गयी।

श्रम सम्मेलन

भारत सरकार अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-संगठन के कार्य में पूरी गति से भाग लेती रही। भारत सरकार ने जिन महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और बैठकों में अपने प्रतिनिधि मण्डल भेजे, उनमें से जून १९५३ में जेनेवा में हुए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के ३६ वें अधिवेशन; दिसम्बर १९५३ में टोकियो में हुए दूसरे एशियाई प्रादेशिक सम्मेलन; तथा अक्टूबर १९५३ में लंका में हुए एशियायी सामुद्रिक सम्मेलन का उल्लेख किया जा सकता है।

१९५३-५४ में हुए राष्ट्रीय श्रम-सम्मेलनों और श्रम समिति की बैठकों में जुलाई १९५३ में नई दिल्ली में हुआ स्थायी श्रम समिति का १३ वाँ अधिवेशन; जनवरी १९५४ में मैसूर में हुआ भारतीय श्रम सम्मेलन का १३ वाँ अधिवेशन; तथा फरवरी १९५४ में नई दिल्ली में हुई संयुक्त उद्योग एवं श्रम सलाहकारी बोर्ड की पाँचवीं बैठक सम्मिलित हैं।

टेबिनकल सहायता

इस वर्ष जो टेबिनकल सहायता मिली, उसमें विशेषज्ञों से मिला परामर्श, वृत्तियाँ तथा अनुसन्धान सम्बन्धी उपकरण सम्मिलित हैं।

विशेषज्ञों की सहायता

विभिन्न टेबिनकल सहायता कार्यक्रमों के अन्तर्गत श्रम मन्त्रालय की सहायता के लिए दस विदेशी विशेषज्ञ नियुक्त किये गये हैं। ये विशेषज्ञ औद्योगिक स्वच्छता, समाज-सुरक्षा तथा उत्पादन क्षमता सम्बन्धी अध्ययन आदि के विषय में कार्यक्रम तैयार करते हैं। इसके अलावा श्रम मन्त्रालय को दो विशेषज्ञ और दिये गये हैं जो बागानों के क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण को प्रोत्साहन देने

सम्बन्धी तथा उद्योग सम्बन्धी प्रशिक्षण की योजनाओं से सम्बन्धित हैं।

वृत्तियाँ

केन्द्रीय और राज्य सरकारों तथा उद्योग-मालिकों तथा मजदूरों के संगठनों के ३१ अधिकारी निम्न विषयों के प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजे गये : कम लागत के गृह-निर्माण, प्रौद्योगिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण, श्रम-सम्बन्ध, औद्योगिक स्वच्छता, श्रम सम्बन्धी आँकड़ों का संकलन आदि।

उपकरण

चतुर्थ सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त १,६५,००० रुपये के उपकरण, विशेषज्ञों की सहायता के ही एक अंग हैं।

प्रशिक्षण और नौकरी

पुनर्वास और नौकरी के डायरेक्टरेट जनरल के भविष्य के सम्बन्ध में शिवराव समिति की रिपोर्ट सरकार को दी जा चुकी है। इस वर्ष बिजनौर, बुलन्द शहर, इटावा, फतेहगढ़, लखीमपुर-खेरी, मथुरा, मिर्जापुर, मुजफ्फर नगर तथा सीतापुर के नौ कामदिलाऊ केन्द्र बन्द किये गये। डाल्टनगंज, लहरियासराय, विलिंग्डन द्वीप तथा थाना में चार नये कामदिलाऊ केन्द्र खोले गये। १९५३ के अन्त तक कुल मिलाकर १२६ कामदिलाऊ केन्द्र काम कर रहे थे। दिसम्बर १९५३ के अन्त में केन्द्रों के रजिस्ट्रों में ५,२२,३६० लोगों के नाम दर्ज थे जबकि १९५२ के अन्त में यह संख्या ४,३७,५७१ थी। १९५३ में लगभग ११,२१८ विस्थापित व्यक्तियों को नौकरी दिलाई गयी। छटनी किये गये ८,१०० सरकारी नौकरों को भी कामदिलाऊ दफ्तरों द्वारा काम दिलाया गया। इनमें से ४,१३७ व्यक्ति केन्द्रीय सरकार के भूतपूर्व नौकर थे और ३,९६३ राज्य सरकारों के भूतपूर्व नौकर थे। कामदिलाऊ दफ्तरों के द्वारा २८,०४० अनुसूचित जाति के तथा ३,२०३ अनुसूचित उपजातियों के प्राथियों को नौकरी दिलाई गयी और वर्ष के अन्त में ४७,४२८ अनुसूचित जाति के तथा ३,५६३ अनुसूचित उपजातियों के प्राथियों के नाम रजिस्टर में दर्ज थे जो काम की खोज में थे।

पुनर्वास और नौकरी के डायरेक्टरेट जनरल के कार्यालय में एम्प्लायमेंट

अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी। १६ अधिकारियों ने प्रारम्भिक प्रशिक्षण प्राप्त किया।

प्रशिक्षण केन्द्र

इण्डस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, दिल्ली; कलकत्ता का रोजर्स शौर्टहैंड स्कूल और महिलाओं के लिए मद्रास स्थित इण्डस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर १९५३ में बन्द कर दिये गये। दिसम्बर १९५३ के अन्त में कुल प्रशिक्षण केन्द्रों व संस्थाओं की संख्या ५६ थी; ३२ प्रौद्योगिक तथा २३ व्यावसायिक विषयों का प्रशिक्षण दिया गया।

विस्थापित व्यक्तियों को 'एप्रिन्टिसशिप' के रूप में प्रशिक्षण दिये जाने के कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में ५२ विस्थापित व्यक्तियों ने और पश्चिम बंगाल में ४८८ विस्थापित व्यक्तियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।

कोनी-बिलासपुर स्थित सेण्ट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में लगभग २०० व्यक्तियों ने इन्स्ट्रक्टरों का प्रशिक्षण प्राप्त किया।

२. आर्थिक

वित्त

वित्त-मन्त्रालय केन्द्रीय सरकार के वित्त की तथा देश के समस्त वित्तीय मामलों की व्यवस्था करता है। यह केन्द्रीय राजस्व की भी व्यवस्था करता है। केन्द्रीय सरकार के सभी प्रकार के व्यय का नियन्त्रण भी वित्त-मन्त्रालय ही करता है। इसके अलावा यह सरकार की कर तथा ऋण सम्बन्धी नीतियों का भी संचालन करता है। साथ ही साथ बैंकिंग तथा मुद्रा सम्बन्धी समस्याओं की देखभाल भी यही मन्त्रालय करता है और इससे यह आशा की जाती है कि यह देश के विदेशी विनिमय के उचित उपयोग की भी व्यवस्था करेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि केन्द्रीय मन्त्रालयों से निकट सम्पर्क होने के कारण इसका कार्य क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है।

वित्त-मन्त्रालय में दो विभाग हैं। एक विभाग राजस्व और व्यय की देखभाल करता है; दूसरा विभाग बजट और आर्थिक मामलों की व्यवस्था करता है।

राजस्व तथा व्यय विभाग तीन भागों में बँटा हुआ है : राजस्व विभाग जो 'सेन्ट्रल बोर्ड आफ रेवेन्यू' के नाम से विदित है, असैनिक-व्यय विभाग और प्रतिरक्षा-व्यय विभाग।

राजस्व-विभाग

यह विभाग परोक्ष तथा अपरोक्ष कर सम्बन्धी नीतियों की रचना करता

है और यही उनके प्रशासन के लिए उत्तरदायी है। एक कानून द्वारा, सीमा शुल्क और उत्पादन कर कानूनों के अन्तर्गत इसे अपील सुनने का भी अधिकार प्राप्त है। यह आयकर के उचित प्रशासन के लिए आदेश भी जारी करता है और इस क्षेत्र में इसका कार्य अधिकांशतया समन्वय करने का है। आयकर-कानून के अन्तर्गत इसे कुछ मौलिक और अपील सुनने के अधिकार प्राप्त हैं। भू-सम्पत्ति-कर कानून के प्रशासन का भार जो १५ अक्टूबर १८५३ से लागू हुआ है, आयकर विभाग पर है। भू-सम्पत्ति कर कानून, १८५३ के अन्तर्गत सेन्ट्रल बोर्ड आफ रेवेन्यू को अपील सुनने का भी अधिकार होगा और यह सम्पत्ति के मूल्यांकन और जिम्मेदारियों के निर्धारण सम्बन्धी अपीलों भी सुन सकेगा। बोर्ड के अपील सम्बन्धी आदेशों के फलस्वरूप उत्पन्न किसी भी कानूनी सवाल को यह हाईकोर्ट के पास भी भेज सकेगा।

आयकर विभाग के अधिकारियों को भू-सम्पत्ति कानून की व्यवस्थाएँ समझाने के लिए दिल्ली में एक कर्मचारी प्रशिक्षण-वर्ग चालू किया गया था। इसमें भारत के सभी क्षेत्रों से आये ४५ चुने हुए अधिकारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। क्योंकि हमारा भू-सम्पत्ति कर कानून ब्रिटेन के भू-सम्पत्ति कर कानून पर आधारित और करीब-करीब उस जैसा ही है, इसलिए भू-सम्पत्ति कर कानून के प्रशासन सम्बन्धी प्रशिक्षण के लिए कोलम्बो योजना के अन्तर्गत ६ अधिकारियों की ब्रिटेन भेजने का निर्णय किया गया है।

इस विभाग के मुख्य कार्यों का उल्लेख निम्नलिखित रूप से किया जा सकता है :—

आयकर

आयकर जांच कमीशन का काल ३१ दिसम्बर, १८५५ तक बढ़ा दिया गया है। ३१ दिसम्बर १८५३ तक कमीशन के सामने १,६६८ मामले पेश हुए। इनमें से १,०३१ मामलों का निबटारा हो चुका है और शेष मामलों की जांच पूरी की जा रही है। जिन मामलों का फैसला हो चुका है उनका सम्बन्ध आय के छिपाये जाने से था और इस प्रकार ४५ करोड़ रुपये की आय छिपाई गयी थी। इन आयों का कर निर्धारण और उन पर कर लेने का कार्य जारी है।

छिपाई हुई आय स्वयं अपनी इच्छा से स्वीकार किये जाने का कार्यक्रम जिसकी घोषणा मई १९५१ को की गयी थी, २२ अक्टूबर १९५१ तक जारी रहा। इसके फलस्वरूप अब तक ८० करोड़ रुपये की आय का पता लग चुका है। इससे राजस्व प्राप्त होने के अलावा, करदाता और आयकर विभाग के बीच अच्छे सम्बन्ध स्थापित हुए हैं।

केन्द्रीय उत्पादकर

जनवरी १९५३ से नवम्बर १९५३ तक सीमा शुल्क सम्बन्धी नियमों के भंग किये जाने के २१,०८२ मामलों का पता लगा। इस प्रकार इन मामलों में ६७,३६,३७१ रुपये का माल इधर-उधर किया गया।

चोरी से माल लाने-ले जाने पर रोक

स्थलीय और जलीय सीमाओं पर चोरी से माल लाने-ले जाने के काम को रोकने के उपाय किये गये और जहाँ आवश्यक हुआ, वहाँ ऐसे उपाय लागू किये गये। इस योजना के अन्तर्गत समुद्र में चलने वाले जहाजों और जोप गाड़ियों की सेवाएं शीघ्र ही उपलब्ध की जायेंगी। इनमें हथियारों और रेडियो की व्यवस्था रहेगी।

नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में 'स्वर्ण खोजक' नामक एक विद्युत यंत्र का आविष्कार किया गया है जिससे सोना चुराकर ले जाने वाले व्यक्तियों के पास से सोने का पता लगाया जा सकेगा। ऐसे दो यंत्रों का परीक्षण बम्बई तथा कलकत्ता के सीमा शुल्क कार्यालयों में किया जा रहा है।

आर्थिक विषय विभाग

इस विभाग को चार भागों में विभक्त किया गया है जो क्रमशः बजट, आंतरिक वित्त, योजना तथा बाह्य वित्त सम्बन्धी व्यवस्था करते हैं।

बजट विभाग

यह विभाग केन्द्रीय बजट तैयार करता है, पर इसमें रेलवे बजट सम्मिलित नहीं होता। प्रतिरक्षा सेवाओं के प्राक्कलनों की जांच और उनका संग्रह प्रतिरक्षा विभाग करता है। बजट विभाग ऋण तथा छोटी बचतें

जारी करने, सरकारी ऋण के (सरकार की ओर से जिसकी व्यवस्था रिजर्व बैंक करता है) प्रशासन तथा हिसाब और आय-व्यय निरीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था के लिए उत्तरदायी है। बजट विभाग संसद् के सामने आय-व्यय निरीक्षण की रिपोर्ट और विनियोग लाता भी प्रस्तुत करता है।

कर-जाँच कमिशन की स्थापना अप्रैल १९५३ में हुई। आशा है कि यह आयोग अपनी रिपोर्ट १९५४ के अन्त तक दे देगा।

आंतरिक वित्त विभाग

इस विभाग का सम्बन्ध मुद्रा और सिक्कों, रिजर्व बैंक और बैंकिंग, टकसाल के प्रशासन, बहुमूल्य धातुओं की जाँच करने वाली संस्थाओं और इण्डिया सिक्कोरिटो प्रेस, पुनर्वासि वित्त प्रशासन, औद्योगिक वित्त कारपोरेशन तथा राज्य-वित्तीय कारपोरेशनों से है। यह विभाग हिसाब किताब, कम्पनी कानून तथा बीमा सम्बन्धी समस्याओं का भी निबटारा करता है। इसके अतिरिक्त इसके और भी कई कार्य हैं।

(१) यह विभाग खेती सम्बन्धी कार्यों, कुटीर तथा छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए वित्त की व्यवस्था करता है।

(२) अधिक मूल्य के नोटों के न होने से वाणिज्य और उद्योग के क्षेत्र में होने वाली असुविधा को दूर करने की दृष्टि से इस विभाग ने शीघ्र ही १,००० रुपये, ५,००० रुपये और १०,००० रुपये के नोट फिर से चालू करने का निर्णय किया है। पुराने नोटों को जिनका मूल्य घटा दिया गया था, फिर से जारी नहीं किया जायगा और नये नोट जारी किये जायेंगे।

बैंकिंग कम्पनियों के ऋण-निस्तार सम्बन्धी कार्रवाइयों की जाँच-पड़ताल के लिए १९५२ में एक समिति नियुक्त की गयी थी। समिति के सुझाव पर बैंकिंग कम्पनी कानून संशोधित किया गया था। आशा है कि कानून द्वारा संशोधित प्रक्रिया के फलस्वरूप उन लोगों को जिन्हें भूतकाल में बैंकों के फेल होने से घाटा सहना पड़ा, कुछ सहायता मिल सकेगी।

देहाती क्षेत्रों में बैंकों की शाखाएँ

३० जून १९५३ को समाप्त होने वाले दो वर्षों में भारतीय इम्पीरियल बैंक ने विभिन्न देहाती क्षेत्रों में २७ शाखाएँ खोलों और नौ छोटे खजानों को शाखाओं में परिवर्तित कर दिया गया ।

पुनर्वास वित्त प्रशासन

पुनर्वास वित्त प्रशासन द्वारा परोक्ष रूप से दिए जाने वाले ऋण का अधिकतम परिमाण ७ करोड़ रुपये से साढ़े बारह करोड़ रुपये कर दिया गया है । ज्वाइंट स्टॉक बैंकों के माध्यम से विस्थापित व्यक्तियों में ऋण के रूप में वितरित किये जाने के लिए २ करोड़ रुपये सुरक्षित रखे गए हैं । पर यदि सब रुपये वितरित न किये जा सकें तो शेष राशि ऋण के इच्छुक लोगों को सीधे प्रशासन द्वारा दे दी जायेगी । ऋणों की अदायगी की अवधि १० वर्ष से बढ़ाकर १५ वर्ष कर दी गई है । ३१ जनवरी १९५४ तक प्रशासन के लिए ६५,७३२ प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए थे । इनमें से ६१,५५८ प्रार्थनापत्रों पर विचार किया जा चुका है और शेष प्रार्थनापत्रों की परीक्षा की जा रही है । कुल मिलाकर १५,५५४ व्यक्तियों को लगभग १२ करोड़ ५ लाख रुपये दिया जाना स्वीकृत हो चुका था, किन्तु इसमें से अभी तक केवल ७ करोड़ ५७ लाख रुपये ही वितरित किये गये हैं । अनुमान है कि स्वीकृत ऋणों से एक लाख विस्थापित व्यक्तियों को परोक्ष रूप से फिर से बसाया जा सकेगा और करीब २ लाख विस्थापितों को ऋण लेने वाले व्यक्तियों द्वारा आरम्भ किये गये औद्योगिक तथा वाणिज्य-व्यवसायों में काम बिलाकर अपरोक्ष रूप से बसाया जायगा ।

पूंजी सम्बन्धी नियंत्रण

१९५३ में २७२ प्रार्थियों ने ८६ करोड़ ८० लाख रुपये की पूंजी खड़ी करने की अनुमति मांगी । इनमें से औद्योगिक कम्पनियों की ओर से आये १२४ प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर लिए गये जिनमें ७१ करोड़ ४० लाख रुपये की पूंजी खड़ी करने की व्यवस्था है और सात प्रार्थनापत्र जिनमें ४६ लाख ७० हजार रुपये की पूंजी खड़ी करने की व्यवस्था थी, अस्वीकार कर दिए गये । इन सातों प्रार्थनापत्रों में बोनस शेर जारी करने की अनुमति मांगी गयी थी । इसके

अलावा १० करोड़ रुपये की पूंजी खड़ी करने के गैर-औद्योगिक कम्पनियों से आये प्रार्थनापत्र स्वीकृत हुए और ७ करोड़ ६० लाख रुपये की पूंजी सम्बन्धी ३३ प्रार्थना-पत्र अस्वीकृत हुए थे ।

इस वर्ष विदेशी व्यक्तियों और कम्पनियों के १२१ प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए । इन प्रार्थनापत्रों में कुल मिला कर साढ़े २० करोड़ रुपये की पूंजी लगाने की अनुमति मांगी गयी थी । इनमें से १०१ प्रार्थियों को इस देश में १७½ करोड़ रुपये की पूंजी लगाने की अनुमति दी गई और शेष प्रार्थियों को आवश्यक अनुमति नहीं दी गयी ।

योजना विभाग

इस वर्ष इस मन्त्रालय के योजना विभाग ने जिन बड़े-बड़े आर्थिक प्रश्नों पर विचार किया, उनमें से सबसे अधिक महत्वपूर्ण समस्या थी नई नौकरियों के लिए अवसर का अभाव । यह महसूस किया गया कि अर्थ-व्यवस्था में अपर्याप्त विनियोग ही बेरोजगारी का मुख्य कारण है । इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र में विकास-व्यय को दूर बढ़ाने का तथा पंचवर्षीय योजना में उचित रूप से संशोधन करने का निर्णय किया गया । इस प्रकार आय में वृद्धि होने से अधिक से अधिक लोग रोजगार से लग सकेंगे ।

अभाव-ग्रस्त क्षेत्रों के स्थायी सुधार के लिए अंतिम योजना में ४० करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है और इस राशि को उन विभिन्न राज्यों में बाँट दिया गया है, जिन पर देवी आपत्तियाँ आईं । प्रारूप योजना में अकाल सम्बन्धी आपत्तिकालीन सहायता-कार्य के लिए १५ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है । ४० करोड़ रुपये की व्यवस्था इससे अलग है । ये सहायताएं केन्द्रीय बजट का ही स्थायी अंग बन जाएँगी ।

बाह्य-वित्त-विभाग

यह विभाग विदेशों के साथ भारत के वित्तीय और आर्थिक सम्बन्धों की देखरेख करता है । यह विभाग विनियम-नियन्त्रण, वित्तीय समझौतों के कार्यान्वित किये जाने तथा विदेशों से लिये गये और विदेशों को दिए गये ऋणों के लिए भी उत्तरदायी है । आयात और निर्यात सम्बन्धी नीतियों के निर्धारण में

आर्थिक

यह विभाग वाणिज्य एवं उद्योग, खाद्य एवं कृषि और कार्य, गृह-निर्माण तथा पूर्ति मन्त्रालयों से निकट सहयोग पूर्वक कार्य करता है।

इस विभाग का अन्तर्राष्ट्रीय सहायता समन्वय विभाग पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित किये जाने में विदेशों तथा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से भारत को प्राप्त होनेवाली आर्थिक सहायता से सम्बन्धित मामलों की देखभाल करता है।

भारत में विदेशी पूंजी के प्रवाह को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से सरकार ने अपनी नीति अधिक उदार कर दी है पहले यह निर्णय किया गया था कि यदि भारत में पूंजी लगाने वाले विदेशी व्यक्ति चाहें तो उन्हें वह पूंजी वापस लेने की अनुमति दे दी जायेगी जो इस देश में जनवरी १९५० के बाव लगायी गयी है। किन्तु अब निर्णय यह किया गया है कि इन सुविधाओं का विस्तार इस प्रकार किया जाये कि पूंजी के मूल्य में होने वाली कोई भी वृद्धि इनके अन्तर्गत आ जाए।

१९५२ के अन्त में मित्र में पौंड के भारी अभाव के कारण पौंड के क्षेत्र के विरुद्ध आयात सम्बन्धी कड़ी रोक लगायी गयी थी। इससे मित्र को होने वाले भारतीय निर्यात के मूल्य पर बुरा प्रभाव पड़ा। देश के निर्यात की रक्षा के लिए ८ जुलाई १९५३ को एक व्यापार और भुगतान सम्बन्धी करार किया गया।

भुगतान पर रोक

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के समझौते के अनुच्छेद १४ के अन्तर्गत, जो भी सदस्य राष्ट्र १ मार्च १९५२ के बाव वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय लेनदेन के भुगतान पर रोक जारी रखना चाहे, उसे इस रोक को जारी रखने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के साथ समझौता करना पड़ेगा। यदि कोई भी देश इस रोक को एक साल से अधिक जारी रखना चाहे तो ऐसे समझौतों का नवकरण कराना पड़ेगा। इस व्यवस्था के अनुसार १९५३ के उतरार्द्ध में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के साथ परामर्श किया गया। भारत सरकार ने यह आवश्यक समझा कि पंचवर्षीय योजना के उचित रूप से कार्यान्वित किये जाने की दृष्टि से वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय लेनदेन के भुगतान पर विनियम-नियन्त्रण सम्बन्धी रोक अभी और

जारी रखी जाये। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष ने, बात चीत के बाद नवम्बर १९५३ में रोक एक वर्ष के लिए और जारी रखना स्वीकार कर लिया।

राष्ट्रमंडल के वित्त मन्त्रियों का एक सम्मेलन १९५४ में ८ जनवरी से १५ जनवरी तक सिडनी में हुआ। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व भारत के वित्त मन्त्री, कैनबेरा स्थित भारतीय हाई कमिशनर तथा एक अधिकारी-मंडल ने किया। सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों ने विश्व-व्यापार और बहुमार्गी भुगतानों के स्वतन्त्र प्रवाह की स्थिति पैदा करने के निश्चय को फिर दोहराया। पौंड मुद्रा को दृढ़ बनाना तथा इसकी परिवर्तनशीलता इस उद्देश्य की सबसे पहली आवश्यकताएँ हैं। इसी दृष्टि से सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों ने ऐसी नीतियों पर चलने का निश्चय किया जिससे ये उद्देश्य प्राप्त किये जा सकें। इसके परिणाम स्वरूप पौंड मुद्रा के क्षेत्र के देशों को अपने साधनों के शीघ्र विकास के लिए दृढ़ अर्थ-नीतियाँ बनानी और माननी पड़ेंगी और इनसे पौंड के सम्पूर्ण क्षेत्र के भुगतानों की स्थिति में सुधार हो सकेगा। भारत की पंचवर्षीय योजना का पौंड क्षेत्र के उद्घोषित उद्देश्यों के साथ पूरा सामंजस्य है।

दामोदर घाटी कारपोरेशन के उपयोग के लिए अन्तर्राष्ट्रीय बैंक सेगत वर्ष लिया गया १ करोड़ ६५ लाख डालर का ऋण घट कर १ करोड़ ५ लाख डालर रह गया है। अन्य योजनाओं में जिनके लिए बैंक से और ऋण मिलने की आशा है, ट्राम्बे में विद्युत-उत्पादन-केन्द्र तथा बम्बई राज्य में कोयना में जल-विद्युत-केन्द्र के निर्माण की व्यवस्था है। इन दो योजनाओं के विषय में बैंक को आवश्यक जानकारी करा दी गई है।

भारत-अमेरिका टेबिनकल सहयोग करार १९५२ के अन्तर्गत अमेरिकन सरकार ने ७ करोड़ ७१ लाख डालर की सहायता और देने का निर्णय किया है। इस में से १०० रेलइंजनों, ५००० मालगाड़ी के डिब्बों, २ लाख टन लोहा और इस्पात तथा सिंचाई तथा विद्युत योजनाओं के लिए उपकरणों के आयात के लिए ६ करोड़ ५ लाख रुपये सुरक्षित रखे गये हैं।

कोलम्बो योजना में भाग लेने वाली सरकारों ने भारत को इसके विकास-

आर्थिक

कार्यक्रम के लिए और अधिक सहायता देने का निर्णय किया । आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड से मिलने वाली सहायताओं पर अभी भी विचार-विमर्श चल रहा है । कनाडा से मिली सहायता का उपयोग रेल-इंजिनों, तार-उद्योग के लिए कच्चे माल का आयात तथा मयूराक्षी और उम्बू योजनाओं के लिए उपकरणों आदि के लिए किया जायेगा ।

फोर्ड-प्रतिष्ठान ने चालू वर्ष में १० लाख डालर देने का निर्णय किया है । यह धन अधिकांशतः समाज-शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा ग्राम-सफाई के प्रशिक्षण पर व्यय किया जायेगा ।

भारत ने नेपाल को २ करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देने का निर्णय किया है । इसका उपयोग सड़क सुधारने तथा छोटे सिंचाई कार्यों आदि के लिए किया जाएगा ।

टेक्निकल सहायता की योजनाएं धीरे-धीरे महत्वपूर्ण हो गई हैं । अब तक भारत को विदेशी सरकारों अथवा संस्थाओं से २७७ विशेषज्ञों की सेवाएं मिल चुकी हैं । इसी के साथ साथ ७२० भारतीय विशेष प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजे गये हैं ।

कोलम्बो योजना के अन्तर्गत भारत ने बदले में, दक्षिण और दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों को टेक्निकल सहायता दी है । इन देशों को ६ भारतीय विशेषज्ञ भेजे गये और इन देशों के २०७ व्यक्ति भारत में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं ।

इस वर्ष भारत सरकार ने पश्चिमी जर्मनी की सरकार का टेक्निकल सहायता का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है ।

राष्ट्रीय बचत संगठन

इस संगठन के अन्तर्गत मैसूर को छोड़ कर समस्त भारत आ जाता है । मैसूर राज्य की अपनी अलग बचत योजना है । छोटी बचत योजना के अन्तर्गत १९५२-५३ में ४० करोड़ १० लाख रुपये का शुद्ध संग्रह हुआ जबकि गत वर्ष

सातवाँ वर्ष

साढ़े अठतीस करोड़ रुपये का ही संग्रह हुआ था। संग्रह करने में कुल व्यय ०.८ प्रतिशत हुआ। इसमें कर्मचारियों का वेतन, प्रचार-व्यय तथा अधिकृत एजेन्टों का कमीशन सम्मिलित है।

योजना कमीशन की शिफारिश पर महिला समाज कार्यकर्त्रों तथा महिला-संगठनों की सेवाओं से व्यापक विस्तार का संग्रह-आन्दोलन आरम्भ किया गया। इस आन्दोलन का परिणाम उत्साहवर्धक रहा। १०० महिला तथा अन्य समाज सेवा संगठनों को एक वर्ष के लिए अधिकृत अभिकर्त्रियों के रूप में नियुक्त किया जायगा।

मध्य प्रदेश में ग्राम-पंचायतों के द्वारा देहाती क्षेत्रों में छोटी-बचत आन्दोलन को लोकप्रिय बनाने को एक योजना चालू की जा रही है। अन्ततः यह योजना भारत के सभी राज्यों में चालू की जायगी।

विभिन्न राष्ट्रीय पर्यवेक्षण

इस योजना के अन्तर्गत देश की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति के आँकड़ों का संग्रह किया जा रहा है। निम्न पर्यवेक्षण किये जा रहे हैं : (१) दिल्ली और अन्य स्थानों में प्रारम्भिक रोजगार सम्बन्धी पर्यवेक्षण, (२) बम्बई में विस्थापित व्यक्तियों सम्बन्धी पर्यवेक्षण, (३) फरीदाबाद का सामाजिक और आर्थिक पर्यवेक्षण, (४) चालूवर्ष १९५२ और वित्तीय वर्ष १९५२-५३ के लिए उत्पादन करने वाले उद्योगों का पर्यवेक्षण तथा (५) कर-जाँच कमीशन और प्रेस कमीशन की ओर से जाँच पड़ताल का कार्य।

सिंचाई और विद्युत

१९५२ में स्थापित इस मन्त्रालय का काम तेजी से आगे बढ़ा। हीराकुड बांध योजना सीधे इसके नियन्त्रण में कर दी गई है। भाग 'ख' और 'ग' के राज्यों की सिंचाई और विद्युत योजनाएं, जो पहले राज्य-मन्त्रालय के अधीन थीं, अब इस मन्त्रालय के अन्तर्गत आ गई हैं। यह मन्त्रालय नदी घाटी योजनाओं के बहुद्देशीय विकास, पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सभी योजनाओं, राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं की जांच पड़ताल, राज्य सरकारों को वित्तीय-सहायता देने तथा सिंचाई और विद्युत सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय भण्डों के निपटारे के लिए उत्तरदायी है। विद्युत सम्बन्धी कानून बनाने तथा अन्तर्राष्ट्रीय नदियों तथा नदी घाटियों के लिये भी यही मन्त्रालय उत्तरदायी है। इस मन्त्रालय का कार्य सुचारु रूप से चलाये जाने की दृष्टि से, इसे एक उच्च प्रशासन अधिकारी के नियन्त्रण में रखा गया है जो सचिव कहलाता है।

अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनादि

भू-यान्त्रिकी तथा नाव सम्बन्धी इंजीनियरिंग का तीसरा अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन अगस्त १९५३ में स्विट्जरलैंड में हुआ था। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व हीराकुड अनुसन्धान केन्द्र के डिप्टी डायरेक्टर ने किया। उन्होंने बड़े-बांध सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय आयोग की कार्यकारिणी समिति और उपसमिति की बैठकों में भी भाग लिया जो सितम्बर १९५३ में पेरिस में हुई। मन्त्रालय से सम्बद्ध मुख्य यान्त्रिक ने अगस्त १९५३ में मिनियापोलिस में हुई अन्तर्राष्ट्रीय जल-शक्ति अनुसन्धान संस्थान बैठकों में भाग लिया।

केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग

जल-विभाग

इस विभाग के सभी कार्यालयों का पुनर्संगठन किया गया है। प्रौद्योगिक मानव-शक्ति तथा विभिन्न नदी घाटी योजनाओं की अगले १०-१५ वर्ष की आवश्यकताओं के समन्वय की स्थिति का उचित रूप से अनुमान लगाने के लिए

सभी राज्य सरकारों से ठीक-ठीक आंकड़ों का संग्रह किया जा रहा है।

नदी घाटी योजनाओं के नमूनों तथा इन योजनाओं के कार्यों के विवरण वाले पोस्टरों को देश की विभिन्न प्रदर्शनियों में प्रदर्शित किया गया।

पूना-स्थित केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसन्धान केन्द्र ने विभिन्न योजनाओं के सम्बन्ध में कई उपयोगी प्रयोग किये हैं।

विद्युत विभाग

यह विभाग चतुर्मुखी समन्वय स्थापित करने की दृष्टि से विकास योजनाओं की जांच करता है। यह विभाग कोयना योजना, बम्बई के विद्युतीकरण, ट्राम्बे के विद्युतीकरण की योजना, दामोदर घाटी कारपोरेशन की विद्युत-व्यवस्था का कलकत्ता तथा पटना तक विस्तार करने जैसी बड़ी-बड़ी योजनाओं के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार और योजना कमिशन को परामर्श भी देता है। कमिशन विस्तृत जांच कर चुका है, डिजाइनें तैयार कर चुका है, कच्छ, विन्ध्य प्रदेश, सौराष्ट्र आदि की विद्युत योजनाओं का कार्यक्रम तैयार कर चुका है तथा दामोदर घाटी कारपोरेशन, भाखरा-नांगल और हीराकुड योजनाओं के सम्बन्ध में परामर्श दे चुका है। पेप्सू, राजस्थान, हैदराबाद तथा अन्य क्षेत्रों में बिजली का भार सम्बन्धी पर्यवेक्षण किया गया जिससे इसके विकास-कार्य का अनुमान लगाया जा सके। कमिशन के विद्युत-उत्पादन-केन्द्र-निर्माण विभाग ने इंदौर, नांगल, पोर्ट ब्लेयर, भावनगर, गोरखपुर, मुरादनगर, राजगंगपुर और दिल्ली में विद्युत-उत्पादक यन्त्र लगाने तथा उनकी सफाई आदि का कार्य किया।

दामोदर घाटी कारपोरेशन

दामोदर घाटी कारपोरेशन ने विभिन्न योजनाओं के सम्बन्ध में अच्छी प्रगति की है। तिलैया योजना का कार्य, जिसके अन्तर्गत पक्का बांध और जल विद्युत केन्द्र का निर्माण होना था, पूरा हो चुका है।

कोनार बांध में पानी इकट्ठा करना आरम्भ हो चुका है जिसका उपयोग बोकारो थर्मल केन्द्र में ठंडा करने की प्रक्रिया के लिए किया जायेगा। सिंचाई

के लिए पानी के उपयोग पर विचार किया जा रहा है। आशा है कि बांध-निर्माण सम्बन्धी कंकरीट का काम १९५४ के मानसून के पूर्व ही पूरा हो जायगा। केवल कुछ छुटपुट काम को छोड़ कर बोकारो थर्मल केन्द्र का काम करीब-करीब पूरा ही हो चुका है। ५०,००० किलोवाट के प्रत्येक एकक के हिसाब से तीन एककों का काम चालू हो चुका है।

विजली के प्रसार और वितरण के कार्य प्रोग्राम के अनुसार चल रहे हैं। २६८ मील की लम्बाई में विजली के तारों के बिछाये जाने का कार्य तथा १३ ग्रिड सब-स्टेशनों तथा रिसीविंग केन्द्रों का निर्माण भी हो चुका है। मैनन योजना में पानी का बहाव बदलने वाली सुरंग और गलियों का निर्माण हो चुका है और बांध का काम १९५४ के मध्य तक पूरा हो जाने की आशा है। आशा है बांध १९५४-५५ तक और जल विद्युत केन्द्र १९५५-५६ तक बन कर तैयार हो जायेंगे।

पांचेत पहाड़ी योजना के कार्य के सम्बन्ध में बहाव का रास्ता बदलने वाली नालियों की खुदाई और बांध का काम तेजी से चल रहा है। सिंचाई के बांध तथा नहर योजना सम्बन्धी प्रारम्भिक कार्य पूरा हो चुका है। बांध-निर्माण के सम्बन्ध में कंकरीट का काम और रेत भरने का काम तेजी से चल रहा है। आशा है योजना सम्बन्धी कार्य १९५७ तक पूरा हो जायगा।

विस्थापित व्यक्तियों को फिर से बसाने की दृष्टि से कारपोरेशन ने १९५३ में १०,७८७ एकड़ भूमि खरीदी। भूमि अधिकार कानून के अन्तर्गत ७,९२३ एकड़ भूमि के लिए नोटिस जारी कर दी गयी है और शेष कार्रवाई आगामी वर्ष में पूरी हो जायगी। दामोदर घाटी कारपोरेशन के विभिन्न कार्यों द्वारा विस्थापित व्यक्तियों को कुल मिलाकर २२,९१,८०० रुपये का नकद मुआविजा दिया गया है। ४,३१४ एकड़ भूमि मुआविजे के रूप में विस्थापित व्यक्तियों को दी गयी। अब तक विभिन्न योजनाओं द्वारा ३,६९५ परिवारों को फिर से बसाया जा चुका है।

हीराकुड बांध योजना

हीराकुड बांध योजना के कार्य का पहला भाग पूरा होने वाला है। इसमें

मुख्य बाँध का निर्माण, छोटे बाँध, चार एककों का एक विद्युत उत्पादक केन्द्र, ४०० मील की लम्बाई में बिजली के तार बिछाना तथा सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण आदि आते हैं। बाढ़ को रोकने के अलावा इस योजना की सहायता से सम्बलपुर, बोलनगर तथा पटना डिवीजनों की कुल मिलाकर ४,४८,६०० एकड़ भूमि को सिंचाई हो सकेगी और २,०८,५०० किलोवाट बिजली पैदा की जा सकेगी। जुलाई १९५६ तक बिजली और सिंचाई के लिए पानी की सुविधाएँ उपलब्ध होने लगेंगी।

भाखड़ा-नंगल योजना

भाखड़ा-नंगल योजना भारत की सबसे बड़ी बहु-उद्देशीय योजना है। इस योजना के अन्तर्गत बनने वाला ६८० फुट ऊँचा बाँध संसार का सबसे ऊँचा बाँध है। इसके अतिरिक्त इस योजना के अन्तर्गत ६५० मील लम्बी नहरें तथा २,००० मील से अधिक लम्बी सहायक नहरें आ जाती हैं। नंगल हाइडल नहर से सिंचाई और बिजली का निर्माण ये दोनों काम होंगे। इस नहर द्वारा भाखड़ा सिंचाई प्रणाली में पानी पहुँचाया जायगा तथा जल-विद्युत पैदा की जायेगी। भाखड़ा नहर और उसकी छोटी-बड़ी नालियाँ कुल मिलाकर २,८६० मील की लम्बाई में फैली होंगी और साथ ही दो विद्युत-उत्पादक केन्द्र भी होंगे।

तुंगभद्रा योजना

आंध्र राज्य की स्थापना के साथ-साथ आंध्र और मैसूर राज्यों के एक समान हितों की दृष्टि से तुंगभद्रा बोर्ड स्थापित किया गया। बोर्ड की स्थापना किसी भी एक राज्य से सम्बन्धित मामलों की देखभाल के लिए हुई थी; किन्तु बाद को एक ओर आंध्र और मैसूर सरकारों और दूसरी ओर हैदराबाद की सरकार के बीच हुए समझौते के फलस्वरूप बोर्ड को आंध्र, मैसूर और हैदराबाद-तीनों राज्यों के लिये एक से कार्यों या एक सी योजनाओं सम्बन्धी कार्यों के सम्बन्ध में सभी मामलों पर नियन्त्रण का अधिकार मिला। किन्तु हैदराबाद सरकार हैदराबाद राज्य में पड़ने या आने वाली योजनाओं के सम्बन्ध में निर्माण तथा संचालन कार्य, बोर्ड के नियंत्रण में स्वयं करती रहेगी। बोर्ड ने नित्य प्रति के कामकाज की देखभाल के लिए दो उपसमितियाँ बनाई गई हैं।

काकरापार बांध-नहर योजना

इस योजना के कार्य में सन्तोषजनक प्रगति हो रही है। ४०,००० एकड़ भूमि की सिंचाई की सुविधाएँ दी गई हैं। दिसम्बर १९५३ के अन्त तक इस योजना पर कुल ३ करोड़ ३४ लाख रुपये व्यय हुए।

कोसी योजना

जल-अन्तरिक्ष विद्या सम्बन्धी आँकड़ों के संकलन के लिये किए जाने वाले निरीक्षण के अलावा बेलका बांध सम्बन्धी जाँच-पड़ताल का कार्य जून १९५३ में पूरा हुआ। जाँच-पड़ताल के आधार पर तैयार किये गये नक्शों और प्रावकलों पर सलाहकार समिति के साथ विचार-विमर्श हुआ और बाढ़ को उनके सुभावों की केन्द्रीय जल एवं विद्युत आयोग द्वारा जाँच भी हुई। नवम्बर १९५३ में आयोग ने एक योजना-कार्यक्रम तैयार किया जिसमें तीन एकक सम्मिलित थे।

इस योजना पर एतदर्थ टेक्निकल सलाहकार समिति ने विचार किया। समिति ने इस योजना के कार्यान्वित किये जाने की सिफारिश की। यह कार्य बिहार सरकार के नियंत्रण में होगा और आवश्यक टेक्निकल सहायता केन्द्रीय सरकार देगी।

उकाई बांध योजना

विस्तृत जाँच पड़ताल के लिये एक विभाग खोला गया है जिसका प्रधान कार्यालय सूरत में है।

उड़ीसा राज्य योजनाएँ

टिकारपारा और नरज बांधों के लिये जो महानदी पर बनाये जायेंगे, जल विज्ञान तथा अन्तरिक्ष विज्ञान सम्बन्धी निरीक्षण किये जा रहे हैं।

नर्मदा घाटी योजना

बर्गी, तवा, पुनासा तथा भड़ौच योजनाओं के लिए जल-अन्तरिक्ष विज्ञान सम्बन्धी आँकड़ों का संकलन किया जा चुका है। तवा तथा पुनासा योजनाओं से

सम्बन्धित रिपोर्टों तथा प्राक्कलनों का परीक्षण किया जा रहा है ।

साबरमती योजना

जांच-कार्य पूरा हो चुका है और योजना सम्बन्धी रिपोर्ट विचाराधीन है ।

आसाम की योजनाएँ

कुछ महत्वपूर्ण नदियों के सम्बन्ध में जल विज्ञान और आन्तरिक विज्ञान सम्बन्धी आंकड़ों का संकलन किया जा रहा है ।

मध्यप्रदेश की योजनाएँ

ऊपरी महानदी (सटियारा) योजना सम्बन्धी रिपोर्ट का परीक्षण किया जा रहा है ।

दिल्ली-राज्य बिजली बोर्ड

बोर्ड के बिजली उत्पादन यंत्र की स्थापित क्षमता ५४,००० किलोवाट है । इस यंत्र से ३८,००० किलोवाट बिजली तो आसानी से पैदा की जा सकती है । अभी तक अधिकतम ३६,३५० किलोवाट बिजली पैदा की जा सकी है । इस प्रकार १,६५० किलोवाट बिजली कम पैदा हुई । आशा है कि १९५४ के अन्त तक नंगल से १०,००० किलोवाट बिजली मिलने से दिल्ली में बिजली की पूर्ति को स्थिति काफी सुधर जायेगी ।

कालकाजी, मालवीय नगर, किलोक्की और ओखला में बिजली लगाई जा रही है ।

कृष्णनगर, गाँधी नगर, आजाद नगर, मोती नगर, तिलक नगर, रमेश नगर, राजौरी गार्डन्स में बिजली लगाने का प्रश्न विचाराधीन है ।

१९५३ में ६,३४८ नये स्थानों को बिजली पहुँचाई गयी ।

सामूहिक योजना प्रशासन

सामूहिक विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा का उद्देश्य लोगों को अपना रहन-सहन उन्नत करने की प्रेरणा देना है। उन्हें योजना-कार्यों में भाग लेने तथा अपने-अपने क्षेत्रों में विकास-कार्यक्रम कार्यान्वित करने में प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इस उद्देश्य से योजना सलाहकार समितियाँ नियुक्त की गई हैं। इन समितियों के सदस्यों में राज्य विधान तथा जिला बोर्डों के सरकारी सदस्यों के अतिरिक्त पंचायतों तथा सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि भी हैं। राष्ट्रीय विस्तार सेवा-खंडों में भी ऐसी ही सलाहकार समितियाँ बनाई गई हैं। सामूहिक विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा को सहायता प्राप्त स्वयं-सहायता कार्यक्रम' कहा जाता है। सामूहिक-योजना के क्षेत्रों में विकास सम्बन्धी कार्यों में जनता का सहयोग एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है। ग्रामीणों द्वारा सहयोग स्वयं अपनी इच्छा से श्रम के रूप में दिया गया जब कि उन्होंने धन, सामान तथा भूमि के रूप में सहयोग दिया ही था। सितम्बर १९५३ को समाप्त होने वाले वर्ष में १९५२-५३ में आरम्भ की गयी सभी सामूहिक विकास योजनाओं में ग्रामीणों ने ७२ लाख ४० हजार रुपये के मूल्य की श्रम-सेवाएं दीं और ७४ लाख ६० हजार रुपये के मूल्य की भूमि, सामान, धन आदि दिया। इस प्रकार ग्रामीणों ने स्वयं अपनी इच्छा से १ करोड़ ४७ लाख रुपये के मूल्य की सहायता दी जब कि सरकार ने २ करोड़ ४५ लाख रुपये व्यय किए।

गत वर्ष प्रधान मन्त्री के जन्म दिन पर ग्रामीणों ने कुल मिला कर ४५ लाख रुपये के मूल्य की स्कूलों के लिए भूमि देने, पुस्तकालयों के लिए धन देने, खेल-कूद का सामान आदि देने के वचन दिए थे। उन्होंने ८३० स्कूल खोलने का वचन दिया। इसके लिए उन्होंने २,४६० एकड़ भूमि दी और ४ लाख रुपये नकद दिए।

गांवों में लोगों को सामूहिक योजना कार्यक्रम में सहयोग देने के लिए पंचायतों, सहकारी संस्थाओं, यूनियन बोर्डों जैसी स्थानीय संस्थाओं द्वारा

प्रोत्साहन दिया जाता है। कुछ क्षेत्रों में लोगों के सहयोग का संगठन एतदर्थ तथा अननुविहित आदि संस्थाओं जैसे मध्यप्रदेश में ग्राम विकास मंडलों, उड़ीसा में ग्राम-मंगल समितियों, मद्रास में ग्राम सेवा संघों तथा पश्चिमी बंगाल में पल्ली-उन्नयन समितियों ने किया। इन कार्यों में छात्रों तथा नेशनल केडेट कोर के छात्रों ने भी भाग लिया।

खंडों का आबंटन

१९५२-५३ के लिए विभिन्न राज्यों में कई पूर्ण सामूहिक योजनाएं और व्यक्तिगत विकास खंड आबंटित किये गये जो लगभग ५५ सामूहिक विकास योजनाओं के बराबर थे। ऐसी प्रत्येक पूर्ण सामूहिक योजना में तीन विकास खंड आते हैं जिसके अन्तर्गत ३०० गांव, २ लाख ६० हजार व्यक्तियों की जनसंख्या और ४५० से ५०० वर्गमील क्षेत्र आता है। एक विकास खंड में ६७,००० व्यक्तियों की जनसंख्या के १०० गांव आते हैं; और ऐसे तीन विकास खंडों को मिलाकर एक पूर्ण सामूहिक विकास योजना बनती है।

अक्तूबर १९५३ तक १६७ विकास खंडों में काम आरम्भ हो चुका था, जिनमें भारत-अमेरिका कार्य समझौता के अन्तर्गत १९५२-५३ के लिये आबंटित सभी सामूहिक योजनाएं और विकासखंड, उत्तर पूर्वी सीमान्त एजेन्सी के लिए एक विकास खंड और समझौते के बाहर आबंटित जम्मू तथा काश्मीर के लिए तीन खंड सम्मिलित हैं।

जनवरी १९५३ में सामूहिक योजना प्रशासन ने राज्य सरकारों से अनुरोध किया था कि वे प्राथमिकता की दृष्टि से यह बतायें कि १९५३-५४ में विकास कार्य के लिए कौन-कौन से क्षेत्र लेना चाहेंगे। राज्य सरकारों से प्रस्ताव मिलने पर केन्द्रीय समिति द्वारा मंसूर, अजमेर, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर और त्रिपुरा राज्यों को छोड़ कर अन्य सभी राज्यों के लिए ५२ अतिरिक्त सामूहिक विकास खंड निर्धारित किये गये थे। कार्य समझौता के पूरक के अलावा देहरी-गढ़वाल जिले का भिलंगना का एक विशालखंड उत्तर प्रदेश को आबंटित किया गया। इस समय ५१ खंडों में कार्य हो रहा है। राष्ट्रीय विस्तार सेवा का आरम्भ २ अक्तूबर, १९५३ को हुआ और १७२ राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों में काम शुरू हुआ। तब से २७ खंडों में काम और शुरू

किया जा चुका है। इस प्रकार, इस समय २१८ सामूहिक योजना खंडों के अतिरिक्त कुल मिलाकर १६६ राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों में काम हो रहा है। इनके अन्तर्गत ४३,३५० गांव आते हैं जिनकी कुल जनसंख्या ३ करोड़ ४५ लाख २० हजार है। दो सामूहिक योजना खंडों और ५३ राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों में अभी काम शुरू किया जाना शेष है जो १६५३-५४ के लिए आवंटित किये गये हैं।

आशा की जाती है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना काल (१९५१-५६) में सामूहिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के अन्तर्गत समस्त ग्रामीण जनसंख्या का चौथा भाग अथवा १,२०,००० गांव ले आये जायेंगे। जनसंख्या की दृष्टि से इन कार्यक्रमों के फलस्वरूप २६½ करोड़ की समस्त ग्रामीण जनसंख्या में से लगभग ७ करोड़ ४० लाख लोगों को लाभ पहुँचेंगा।

कार्य की प्रगति

सामूहिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषि-विकास को प्राथमिकता दी गयी है। बेकार और ऊसर पड़ी हुई भूमि को खेती योग्य बनाकर; कुओं को खुदाई, नलकूप लगाना, तालाबों का निर्माण आदि जैसी छोटी-छोटी योजनाओं की व्यवस्था करके; अच्छे बीजों की व्यवस्था करके; उर्वरकों की व्यवस्था तथा प्राकृतिक और गढ़े की खाद के उपयोग को लोकप्रिय बनाकर तथा परिष्कृत कृषि-विधियों के प्रचार द्वारा यह कार्य किया जा रहा है। इस प्रकार, समस्त देश के योजना क्षेत्रों में खाद के १,५०,४६४ गड्डे छोदे गये हैं, ७,०६,४७४ मन उर्वरक, २,२१,६६२ मन बीज तथा खेती के १०,००० औजार वितरित किये गये हैं और ५०८ प्रदर्शन-खेत बोये दिए गये हैं। १६,५१० एकड़ भूमि में फलों के वृक्ष लगाये गये हैं और १७,४२३ एकड़ भूमि में सब्जियाँ बोई गई हैं। इसके अलावा ६१,५४७ एकड़ भूमि को खेती-योग्य बनाया गया।

कुएँ तथा तालाब भी पर्याप्त संख्या में बनवाए गये या उनकी मरम्मत कराई गई। सितम्बर १९५३ में समाप्त होने वाले वर्ष में १,३१,३२३ एकड़ भूमि की सिंचाई के लिए पम्पिंग सेट लगवाए गये तथा कई अन्य उपाय भी किए गये।

कृषि का पशुपालन तथा मछली उद्योग से निकट का सम्बन्ध है। पशुओं की नस्ल अच्छी न होने की दृष्टि से उनकी नस्ल सुधारने तथा बीमारियों से रक्षा करने के विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं। सितम्बर १९५३ को समाप्त होने वाले वर्ष में २५६ प्रजनन और कृत्रिम रेतन केन्द्र खोले गये, ६६,८०३ बैलों को बधिया किया गया और ४४५ सांड बिये गये। १२,२३,३८७ पशुओं को टीके लगाये गये और ३,२५,७६१ पशुओं की विभिन्न रोगों के लिए चिकित्सा की गई। मुर्गियों की किस्म सुधारने के लिए ७,२०१ अच्छी मुर्गियाँ दी गईं। तालाबों में छोटी मछलियों को छोड़कर मछली-पालन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। साल भर में विभिन्न सामूहिक योजना क्षेत्रों में लगभग २२ लाख छोटी मछलियाँ बांटी गयीं।

सामूहिक योजना कार्यक्रम में वर्तमान ग्राम-उद्योगों का विकास तथा नये उद्योगों की स्थापना सम्मिलित है, जिससे बेरोजगार व्यक्तियों को काम दिया जा सके और उन लोगों को पूरा काम दिया जा सके जिन्हें विभिन्न कारणों से वर्ष में काफी समय तक बेकार रहना पड़ता है। श्रमों तथा सुधरे तरीकों के प्रशिक्षण की सुविधाओं के द्वारा वर्तमान कुटीर-उद्योगों की उन्नति की जा रही है। कई स्थानों में नये कुटीर-उद्योग स्थापित किये गये।

सामूहिक विकास कार्यक्रम में यातायात के विकास को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अब तक ३,५३३ मील लम्बी कच्ची सड़कें और १५३ मील लम्बी पक्की सड़कें बनवाई जा चुकी हैं।

उद्योगों को बढ़ावा देकर तथा यातायात के विकास द्वारा ग्रामों में जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने का विचार किया जा रहा है। यह स्वीकार किया जा चुका है कि ग्राम-जीवन को बदलने में ठोस प्रगति तब तक नहीं हो सकती जब तक ग्रामीणों की अन्य आवश्यकताओं की व्यवस्था नहीं की जाती। इसलिए चिकित्सा सम्बन्धी व्यवस्था, गृहनिर्माण सम्बन्धी पर्याप्त सुविधाओं तथा शिक्षा और समाज-कल्याण को प्रोत्साहन देने पर जोर दिया गया है। स्वास्थ्य और सफाई के क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण कार्य किये गये हैं और १५,१७४ पानी सुखाने के गड्ढे, २,१७५ देहाती टट्टियाँ तथा १,४४,७०१ गज नालियाँ बनाई गयीं। १,३५४ कुओं का निर्माण कराया गया और ८,८४३ कुओं का पुनरुद्धार किया गया।

आर्थिक

शिक्षा तथा समाज शिक्षा के क्षेत्र में १,४६४ नये स्कूल खोले गये तथा २६१ वर्तमान स्कूलों को बुनियादी स्कूलों में परिवर्तित किया गया, ३,७०७ प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र तथा ३,०१६ समाज-मनोरंजन केन्द्र स्थापित किये गये।

लगभग २,७४६ नये मकान बनवाए गये और १५,१२५ मकानों की मरम्मत आदि की गयी। सामूहिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सहकारी संस्थाओं के विकास पर बल दिया गया है और इस और १,०१६ सहकारी संस्थाओं की स्थापना और ऋण-संस्थाओं को बहुउद्देशीय संस्थाओं में परिवर्तित करके कुछ प्रगति की गयी।

प्रशिक्षण

सामूहिक योजना कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए अधिकाधिक प्रशिक्षण-प्राप्त व्यक्तियों, जैसे प्रशासन अधिकारियों, ग्राम सेवकों, कृषि-विस्तार निरीक्षकों, पशुरोगों के चिकित्सकों, सहकारी और पंचायत अधिकारियों, स्कूल अध्यापकों, समाज शिक्षा के व्यवस्थापकों, डाक्टरों, कम्पाउण्डरों, सफाई इन्स्पेक्टरों, स्वास्थ्य निरीक्षकों तथा इंजीनियरों आदि की आवश्यकता है। इस लिए ऐसे व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए नयी संस्थाओं की स्थापना अत्यन्त आवश्यक है और आज ३३ विस्तार सेवा प्रशिक्षण केन्द्र चालू हैं। जनवरी १९५४ तक ३,१७० ग्राम सेवक तथा ५५४ निरीक्षण-कर्मचारी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके थे, जब कि १,५८२ ग्राम-सेवक और १६४ निरीक्षण कर्मचारी अभी भी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। १ अप्रैल १९५३ को नीलोखेड़ी, हैदराबाद, गांधीग्राम, शांतिनिकेतन तथा इलाहाबाद में समाज शिक्षा तथा मुख्य शिक्षा व्यवस्थापकों के प्रशिक्षण के लिए पांच केन्द्र स्थापित किये गये। पहले चार केन्द्रों में समाज शिक्षा व्यवस्थापकों को तथा इलाहाबाद स्थित केन्द्र में मुख्य समाज शिक्षा व्यवस्थापकों को प्रशिक्षण दिया जायगा।

केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालय ने विस्तार सेवा प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए स्वास्थ्य इन्स्पेक्टरों तथा सामूहिक योजना क्षेत्रों के लिए स्वास्थ्य कर्मचारियों के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में नये कोर्स की व्यवस्था की।

खाद्य और कृषि

१९५२-५३ में खाद्य स्थिति में सामान्य रूप से प्रगति होती रही। इसी वर्ष ४ करोड़ ७६ लाख टन अनाज पैदा हुआ। स्वतन्त्रता मिलने के बाद से यह वार्षिक उपज सबसे अधिक रही। १९५३ में कुछ क्षेत्रों में धान वसूली का कार्यक्रम समाप्त कर दिया गया और कुछ क्षेत्रों में सरल बना दिया गया। अनाज के एक राज्य से दूसरे राज्य को आने-जाने पर प्रतिबन्ध अभी भी जारी है। गेहूँ की बिक्री के सम्बन्ध में मात्रा सम्बन्धी सभी रोक उठा ली गई है।

१ जनवरी, १९५४ को केवल सोराष्ट्र, मध्यभारत तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के ग्यारह जिलों से होने वाले निर्यात को छोड़ कर देश भर में मोटे अनाज पर से कंट्रोल उठा लिया गया। चने पर से भी कंट्रोल उठा लिया गया है। १९५३ में केवल २०.०३ लाख टन खाद्यान्न के आयात का था।

१९५४ के प्रारम्भ से जब केन्द्रीय और राज्य सरकारों के पास १४.४ लाख टन खाद्यान्न बच रहा, हम कुछ-कुछ आत्म-निर्भर हो चले हैं और सरकार ने १९५४ में होने वाले गेहूँ के आयात की मात्रा में काफी कमी कर दी है। देश में उत्पादित चावल देश की मांग के लिए काफी होना चाहिये। आयातों की सहायता से खाद्यान्न सुरक्षित रखा जा सकेगा।

सम्मिलित फसल-उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत, जिसमें खाद्यान्न, कपास, पटसन और चीनी आती है, १९५३-५४ में प्रगति सन्तोषजनक रूप से होती रही। १९५२-१९५३ के प्राक्कलनों से प्रकट होता है कि २० करोड़ एकड़ भूमि में अनाज बोया गया है। उत्पादन ४ करोड़ ७६ लाख टन हुआ।

१९५२-५३ में उत्पादन में वृद्धि

चावल	२७ लाख टन
गेहूँ	७ "
अन्य अन्न	१७ "
चना	५ "

‘अधिक अन्न उपजाओ’ आन्दोलन

छोटी सिचाई योजनाओं के कार्यक्रम को अधिक शीघ्रता से कार्यान्वित करने की दृष्टि से १९५५-५६ को समाप्त होने वाले तीन वर्षों के लिए १० करोड़ ६० प्रतिवर्ष की अतिरिक्त व्यवस्था की गयी है। सिन्धी के रासायनिक खाद के कारखाने तथा अन्य कारखानों से अब अमोनियम सल्फेट अपेक्षित मात्रा में मिल सकेगा। गत छः वर्षों में केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन करीब १० लाख एकड़ भूमि को खेती के योग्य बना चुका है। १९५३ में २,६०,००० एकड़ भूमि से अधिक खेती के योग्य बनाई गई। इस वर्ष आरम्भ की गयी धान की खेती की जापानी पद्धति के फलस्वरूप उत्साहवर्धक परिणाम हुआ है। गत वर्ष चालू बिघे गये जम्मू फार्म के अतिरिक्त १०,००० एकड़ भूमि के एक दूसरे क्षेत्र में (भोपाल में) मशीनों की सहायता से खेती की जाने लगी है। १९५३-५४ के ‘अधिक अन्न उपजाओ’ कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप उत्पादन में १३,५५,००० टन की वृद्धि हो जानी चाहिए थी।

कपास

‘अधिक कपास उपजाओ’ आन्दोलन के सम्बन्ध में ऋण के रूप में १९५३ में राज्य सरकारों को लगभग ५६,४८,००० रुपये दिये गये जबकि ११,५०,००० रुपये सहायता के रूप में भी दिये गये।

पटसन

पटसन की खेती को प्रोत्साहन देने की योजनाओं के सम्बन्ध में राज्यों को ८,६५,००० रुपये सहायता के रूप में दिये गये। १९५२-५३ में ४६ लाख गांठ से अधिक पटसन पैदा हुआ। १९५३-५४ में प्रतिकूल मौसम के कारण उत्पादन ३१,३०,००० गांठ ही हुआ। इस कमो का दूसरा कारण बोने की ऋतु में पटसन के मूल्य में भारी गिरावट का आना भी था। अब अच्छी किस्म के पटसन के उत्पादन पर अधिक जोर दिया जा रहा है।

चीनी

चीनी का सबसे अधिक उत्पादन १९५१-५२ में १४,९७,००० टन रहा। १९५२-५३ में यह उत्पादन १३ लाख टन ही रहा। इसका मुख्य कारण था,

गन्ने के उत्पादन में कमी। १९५२-५३ में १६,५६,००० टन चीनी की खपत हुई जबकि १९५१-५२ में ११,६३,००० टन चीनी की ही खपत हुई थी। घाटे की पूर्ति बची हुई चीनी और आयात से की गयी।

पशुपालन

रिन्डरपेस्ट रोग की रोकथाम के कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग १४,००० पशुओं के टीके लगाये गये। पशुओं के कृत्रिम रेतन के सम्बन्ध में अनुसन्धान कार्य को बढ़ाया गया। 'वाइरस वैक्सीन' के निर्माण के लिये १९५३ में भारतीय पशु रोग सम्बन्धी अनुसन्धान संस्था में एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केन्द्र खोला गया।

मछली पालन

देसी और समुद्री मछलियों के सम्बन्ध में विकास और अनुसन्धान के कार्यक्रम में १९५३ में अच्छी प्रगति हुई। नावों से प्राप्त होने वाले सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत तिरुवांकुर कोचीन में मछली-उद्योग के विकास के लिए एक सामूहिक योजना का कार्य आरम्भ किया गया है।

वन उद्योग

वर्ष में वन उद्योग तथा वनजन्य वस्तुओं सम्बन्धी अनुसन्धान कार्य जारी रखा गया। उत्तरी अंडमान के जंगलों के सम्बन्ध में खोज एवं शोध कार्य में संतोषजनक रूप से प्रगति हो रही है। इन जंगलों से १४,००० टन इमारती लकड़ी भारत ले आयी गई है। १९५३ के अन्त तक अंडमान में ५०० विस्थापित परिवार बसाये जा चुके थे।

कृषि सम्बन्धी अर्थ व्यवस्था

आर्थिक तथा आंकड़ा-संकलन डायरेक्टरेट ने कृषि सम्बन्धी आंकड़ों के संकलन के लिए अपने क्षेत्र में काफी वृद्धि कर ली है। जम्मू और काश्मीर को छोड़कर भारत में आज आंकड़ा-संकलन कार्य ७० करोड़ एकड़ भूमि में हो रहा है जबकि १९४६-४७ में यह कार्य ५५ करोड़ ६० लाख एकड़ भूमि में हो रहा था। इस डायरेक्टरेट की ओर से १९५३ में कई प्रकाशन हुए। विद्वद्विद्यालयों तथा अन्य अनुसन्धान संस्थाओं के सहयोग में कृषि-व्यवस्था सम्बन्धी अनुसन्धान

कार्य के लिए चार प्रादेशिक केन्द्र स्थापित करने का निर्णय किया गया है। इसके अलावा अनुसन्धान कार्य को बढ़ाने की दृष्टि से भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् ने कृषि अर्थ व्यवस्था सम्बन्धी एक समिति की रचना की है।

प्रशिक्षण

सहकारी विभागों तथा अन्य संस्थाओं के कर्मचारियों को प्रशिक्षण की सुविधाएं देने के लिए श्री. बी. एल. मेहता की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गयी है। सहकारी कृषि के सम्बन्ध में प्रयोग किये जाने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता दिए जाने के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है।

सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सों के लिए भारतीय कृषि-अनुसन्धान परिषद् द्वारा कृषि सम्बन्धी आंकड़ों के विषय का प्रशिक्षण भी दिया गया था। भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् ने कृषि तथा तत्सम्बन्धी अन्य विषयों के लिए १९५३-५४ में १२८ अनुसन्धान-योजनाओं का कार्य भी आरम्भ किया। एन० पी० ८०६ नामक एक नये प्रकार के गेहूँ का पता लगाया गया है जिसमें तीनों प्रकार के गेहूँ को लगने वाले घुन के प्रतिरोध की क्षमता है।

इस वर्ष विस्तार प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या ३४ तक पहुँच गई और ५४६ निरीक्षण कर्मचारियों तथा २,६४३ बहुदेशीय ग्राम कार्यकर्ताओं ने इन केन्द्रों में सामूहिक विकास कार्यों का प्रशिक्षण प्राप्त किया। १५ आदर्श विकास योजनाओं का काम भी शुरू कर दिया गया है। पूर्वस्नातकों और उत्तर-स्नातकों को कृषि और विस्तार कार्य का प्रशिक्षण देने के लिए तीन कृषि-कालजों में विस्तार विभाग खोले गये हैं। २१ विस्तार अधिकारियों की एक मंडली अमरीकी और जापानी विस्तार कार्य-प्रणालियों के अध्ययन के लिये अमेरिका और जापान गई।

खाद्य एवं कृषि संगठन का सदस्य होने के नाते भारत ने १९५३ में हुए सभी महत्वपूर्ण सम्मेलनों में भाग लिया। भारत-अमेरिका टेक्निकल सहयोग करार के अन्तर्गत कई कृषि-विकास योजनाओं को सहायता प्राप्त हुई। फोर्ड प्रतिष्ठान की सहायता से ग्राम-कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के एक कार्यक्रम की व्यवस्था की गयी।

वाणिज्य एवं उद्योग

सबसे अधिक औद्योगिक उत्पादन १९५३ में हुआ। इसी के परिणाम-स्वरूप सरकार के लिए कई कंट्रोल उठा लेना तथा इसके स्थान पर दीर्घकालीन विकास के कार्यक्रम पर ध्यान केन्द्रित करना संभव हो सका।

औद्योगिक उत्पादन का सामान्य सूचकांक जो १९५२ में १२८.७ था, १३४ तक चढ़ गया और देश में कपड़े तथा सीमेन्ट का महत्वपूर्ण उत्पादन हुआ। अल्युमिनियम कन्डक्टरों, ट्रांसफार्मरों, बाल-बेयरिंगों, पिस्टनों, लोको-मोटिव वायलरों, बाइसिकिल, सीने की सशीनों, लालटेनों, गंधक के तेजाब, वाइकोमेट्स, एमोनियम सल्फेट, सोडा ऐश, क्लोराइन, तथा कास्टिक सोडा जैसी वस्तुओं के उत्पादन में भी वृद्धि हुई। औषधियों, साइकिल के फ्रीह्वीलों और चैन तथा बेंटरियों आदि नई वस्तुओं का निर्माण हुआ।

यद्यपि कोरिया में युद्ध छिड़ने के तुरंत बाद की स्थिति के मुकाबले में आयात और निर्यात में कमी आई, पर व्यापार-सन्तुलन की स्थिति दृढ़ और सन्तोषजनक रही। अनुकूल व्यापार-सन्तुलन की सहायता से १९५३ के व्यापार में हुए घाटे की पूर्ति हो गई और पौंड पावने की सुरक्षित राशि में से कुछ भी निकाले बिना वर्तमान आमदनी में से विदेशी विनिमय की आवश्यकताओं को पूरा करना संभव हो सका।

इसके अलावा साल में कई नये व्यापार समझौते हुए या उनका नवकरण हुआ। इनमें जाफना तम्बाकू सम्बन्धी भारत-लंका समझौते, पटसन और कोयला सम्बन्धी भारत पाकिस्तान समझौते तथा रूस के साथ हुए व्यापार सम्बन्धी समझौते का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है।

निर्यात व्यापार जमाने के लिए विभिन्न उपायों पर तथा जहाँ आवश्यक हो वहाँ निर्यात-कर के पुनर्निर्धारण पर काफी जोर दिया गया है।

पटसन, चाय तथा सूती वस्त्र उद्योगों के सामने विदेशों में अपना माल बेचने के सम्बन्ध में जो कठिनाइयाँ थीं, उन्हें दूर किया गया। निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए सामुद्रिक शुल्क कानून में संशोधन किया गया। निर्यात-व्यापार को प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में मन्त्रालय में एक विशेष संगठन स्थापित किया गया है।

क्योंकि ये सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व के आधार पर चलते हैं, उनके विकास के सम्बन्ध में मन्त्रालय सीधे कुछ नहीं कर सकता। तो भी, उनके विकास की गति को तेज करने की दृष्टि से मन्त्रालय को उन नीतियों के परिणामों पर निर्भर रहना पड़ता है जिनके लिए वह उत्तरदायी है। नये उद्योगों की स्थापना के लिए मन्त्रालय ने कई बड़े निर्णय किये हैं।

प्रशुल्क कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर आटोमोबाइल उद्योग के विकास के लिए एक दीर्घ कालीन नीति की रचना की गयी है। साथ ही इंजीनियरिंग उद्योगों की क्षमता के सम्बन्ध में जांच पड़ताल करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति की भी स्थापना हुई है जिससे इन उद्योगों से पूरा-पूरा लाभ उठाया जा सके।

इसी प्रकार एक समिति ने, जिसके सदस्यों में प्रसिद्ध चिकित्सक भी हैं, फार्मसी उद्योग का अध्ययन कार्य अपने हाथ में लिया है।

उक्त कमीशन की सिफारिश पर प्रशुल्क लगाया जाकर उद्योगों की रक्षा की व्यवस्था की जा रही है। १९५३ में आयोग ने ११ उद्योगों के मामलों पर, जिन्हें संरक्षा पहले से ही प्राप्त होती आ रही है, विचार किया और संरक्षा के लिए दो नये प्रार्थनापत्रों के सम्बन्ध में जांच पड़ताल की। इसके अलावा कमीशन ने इस्पात, सीमेंट तथा टीन की चादरों के उचित मूल्यों के सम्बन्ध में रिपोर्ट दी।

औद्योगिक विकास की एक मुख्य कठिनाई कोयले की कमी है। इसलिए मन्त्रालय ने एक औद्योगिक विकास कारपोरेशन स्थापित करने का विचार किया है जो देश में नये उद्योगों की स्थापना के सम्बन्ध में उत्साह से काम

लेगा। मन्त्रालय ने ऋणों के रूप में सरकार द्वारा सीधी वित्तीय सहायता दिये जाने के प्रश्न की भी जांच पड़ताल की है। बहुत से मामलों में ये ऋण अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुए हैं। उदाहरण के लिए धुनाई के यंत्र बनाने वाले एक उद्योग को बंद होने से बचा लिया गया और आज वह उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण यंत्र तैयार करके दे रहा है।

१९५३ में संसद ने उद्योग विकास और नियमन कानून को व्यापक बनाया जिससे इसके अन्तर्गत कई नये उद्योग सम्मिलित कर दिए गये और सरकार के औद्योगिक संस्थाओं के संचालन और नियन्त्रण सम्बन्धी अधिकारों को अधिक व्यापक रूप दिया गया। कानून के अन्तर्गत स्थापित लाइसेंस देने वाली कमेटी ने नये उद्योगों की स्थापना तथा वर्तमान उद्योगों के विस्तार सम्बन्धी २५१ प्रार्थनापत्रों पर विचार किया। १५२ मामलों में आवश्यक अनुमति दी गई।

सूती वस्त्र उद्योग का उत्पादन-स्तर अच्छा रहा। देश और विदेश के उपभोक्ताओं की सहायताार्थ, अधिक से अधिक कपड़े का अधिक से अधिक उपयोग करने की दृष्टि से सरकार ने बढ़िया कपड़े पर उत्पादन कर कम कर दिया और मध्यम प्रकार के कपड़े पर से निर्यात कर हटा लिया है। हाथ करघा-उद्योग में अब सूत का अभाव नहीं रह गया है और इस उद्योग को और अधिक प्रोत्साहन देने के लिए मिलों द्वारा धोतियों और साड़ियों के उत्पादन पर कुछ रोकें लगा दी गयीं हैं। कपड़े पर से मूल्य नियन्त्रण तथा वितरण सम्बन्धी रोक पूरी तरह से हटा ली गयी है।

यद्यपि एक बड़े कारखाने में श्रम सम्बन्धी झगड़े के कारण १९५३ के पूर्वार्द्ध में इस्पात-उद्योग का उत्पादन कम रहा, पर वर्ष के अन्तिम भाग में उत्पादन १९५२ के औसत से अधिक रहा। समुद्र पार देशों से इस्पात अब अधिक मात्रा में प्राप्त किया जा सकता है। लोहे की छड़ों और छोटे-छोटे सामान के अधिक मात्रा में मुलभ होने के कारण इन पर वितरण सम्बन्धी रोक करीब-करीब उठा-सी ली गई है। जबकि इस्पात का मूल्य तो लगभग एक सा ही कायम रहा, कुछ विभिन्न प्रकार के तारों और तारों से बनी वस्तुओं के मूल्य में कमी अवश्य आई।

आर्थिक

निर्यात उद्योगों में, पटसन उद्योग पर कर कम कर दिये गये। चाय उद्योग ने, जिसमें १९५२ के अंत में काफी गिरावट आई, १९५३ में महत्वपूर्ण प्रगति की और इस वर्ष इसका निर्यात सबसे अधिक रहा।

छोटे पैमाने के उद्योगों की सहायता के लिए भी विशेष प्रयास किये गये। इनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण हाथ करघा उद्योग है। सूती वस्त्र की मिलों द्वारा उत्पादित कपड़े पर चुंगी लगाकर एक विशेष कोष का निर्माण किया गया और इस कोष का महत्वपूर्ण भाग हाथ करघा उद्योग के विकास में लगाया गया। दस्तकारियों तथा अन्य छोटे पैमाने के उद्योगों को राज्य सरकारों से मिलने वाले ऋणों और अनुदानों के द्वारा काफी सहायता प्राप्त हुई। ग्राम उद्योगों के विकास का कार्यक्रम अखिल भारतीय खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड की देखरेख में भी चलाया जा रहा है। अखिल भारतीय हस्तकला-उद्योग बोर्ड, दस्तकारियों से बनी वस्तुओं के सम्बन्ध में डिजाइन तैयार करने तथा बिक्री की व्यवस्था करने में लगा हुआ है। कुछ चुने हुए क्षेत्रों में फोर्ड प्रतिष्ठान के तत्वाधान में एक अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ-मंडली छोटे पैमाने के उद्योगों के सम्बन्ध में पर्यवेक्षण कर रही है जिससे इन उद्योगों को आर्थिक दृष्टि से जली-भाँति खड़ा किया जा सके।

भारत की फर्में द्वारा विदेशों की फर्मों को रायल्टियों और टेक्निकल शुल्क के रूप में किए जाने वाले भुगतानों के सम्बन्ध में आँकड़ों का संगठन किया जा रहा है।

चाय, कहवा तथा रबर के जैसे बागान उद्योगों की विशेष समस्याओं के अध्ययनार्थ एक विशेषज्ञ-समिति नियुक्त की जायेगी।

प्राकृतिक साधन और वैज्ञानिक अनुसन्धान

इस मन्त्रालय का सम्बन्ध वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान से है। यह मन्त्रालय वैज्ञानिक-पर्यवेक्षण का कार्य तथा खान-उद्योगों को देखभाल करता है। आणविक अनुसन्धान सम्बन्धी कार्य भी इसी का उत्तरदायित्व है।

१९५३-५४ में वैज्ञानिक अनुसन्धान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं स्थापित की जा चुकी हैं और तीन और अनुसन्धान-संस्थाओं—भावनगर स्थित केन्द्रीय नमक अनुसन्धान संस्था, पिलानी स्थित केन्द्रीय विद्युत-अनुसन्धान संस्था तथा कलकत्ता स्थित यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसन्धान संस्था—की रचना की जा रही है। उद्योग सम्बन्धी विभिन्न समस्याओं पर अनुसन्धान इन राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में किया जा रहा है। उदाहरण के लिए नई दिल्ली की राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में अप्लाइड मेकैनिक्स, थर्मिस्ट्रिक्स, ताप और विद्युतशास्त्र, औद्योगिक भौतिकशास्त्र, तथा विश्लेषणात्मक रसायन शास्त्र के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किये जा रहे हैं। इस प्रयोगशाला में कई नये यंत्रों का आविष्कार किया गया है। मैसूर स्थित केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसन्धान संस्था में सब्जियों तथा फलों को सुरक्षित रखने की नई प्रक्रियाओं का विकास किया जा रहा है। इस संस्था में मूंगफली का दूध और दही और कृत्रिम चावल भी तैयार किया गया है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला में रोठों और शिकाकाई में से रस और रद्दी तम्बाकू में से निकोटीन सल्फेट निकालने के भी नये आविष्कार किये गये हैं।

वैज्ञानिक अनुसन्धान के लाभ लोगों के लिए उपलब्ध करने की दृष्टि से एक राष्ट्रीय अनुसन्धान विकास करपोरेशन स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय अनुसन्धान प्रयोगशालाओं द्वारा आविष्कृत आविष्कारों और प्रक्रियाओं को औद्योगिक कार्यों के लिए तथा सामान्य जनता के लिए उपलब्ध करने का कार्य यह कारपोरेशन करेगा।

विज्ञान मंदिर

वैज्ञानिक केन्द्र ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्थापित किये जायेंगे। ये केन्द्र स्वास्थ्य तथा कृषि सम्बन्धी समस्याओं को हल करेंगे। ये विज्ञान मंदिर वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद के नियन्त्रण में रहेंगे। इनका मुख्य कार्य मिट्टी तथा पानी सम्बन्धी विश्लेषणात्मक कार्य करना तथा वैज्ञानिक जानकारी का प्रसार करना रहेगा। इन केन्द्रों में रोग-निदान-प्रयोगशालाएँ भी होंगी जो रोगों के प्रतिरोधात्मक उपायों के सम्बन्ध में सार्वजनिक स्वास्थ्य-अधिकारियों को सहायता देंगी। पौधों के रोग सम्बन्धी उपचार की जानकारी भी इन्हीं केन्द्रों द्वारा कराई जायगी। सर्वप्रथम विज्ञान मंदिर का उद्घाटन दिल्ली राज्य के कपशेरा गाँव के निकट १६ अगस्त, १९५३ को प्रधान मंत्री ने किया।

भारतीय खान-ब्यूरो

खान-उद्योग को टेक्निकल विषयों के सम्बन्ध में सलाह देने वाले ब्यूरो का विस्तार करने का विचार किया जा रहा है। भारतीय उद्योग की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक विस्तृत योजना पर कार्य आरम्भ किया गया है। हमारे देश के उद्योग को तांबे, सीसे, जस्ते आदि की सबसे अधिक आवश्यकता है। कूड़े के ढेर से मैंगनीज निकालने का प्रयास सफल रहा और मैंगनीज अलग करने का एक बड़ा कारखाना मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। ब्यूरो द्वारा एक ऐसा उपयोगी यंत्र तैयार किया गया है जिसकी सहायता से अधिक रेत मिश्रित मैंगनीज में से शुद्ध मैंगनीज अलग किया जा सकेगा। बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में तीसरी श्रेणी की सोने की खानों तथा उड़ीसा में क्योंभर में ४० मील की स्वरण-पट्टी का पता अभी हाल में ही लगा है।

खानों से वैज्ञानिक ढंग से खनिज पदार्थ निकालने तथा कम से कम क्षय होने देने के लिए एक विस्तृत कार्यक्रम पर अमल किया गया है। निरीक्षण-टोली ने विभिन्न राज्यों की मैंगनीज, इल्मेनाइट, क्रोमाइट, ऐस्बेस्टोस, सोने, सीसे, तांबे, लोहे, चीनी मिट्टी तथा फीरोजे की खानों का भी पर्यवेक्षण किया गया और उनका वैज्ञानिक ढंग से विकास करने की एक विस्तृत योजना तैयार की गयी है।

धनबाद स्थित खान सम्बन्धी भारतीय संस्था के लिए एक लाख रुपये के नये उपकरण और यंत्र खरीदे गये हैं। १९५३ में खान सम्बन्धी इंजीनियरिंग के ३१ और भूगर्भशास्त्र के ६ छात्रों को "एसोशिएटशिप" का डिप्लोमा मिला।

तेल सम्बन्धी शोध-कार्य

भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों का वायु-चुम्बकीय पर्यवेक्षण करने का कार्य "दि स्टैंडर्ड बैकूअम आयल कम्पनी" को सौंपा था। इसके परिणामस्वरूप तेल प्राप्त करने के स्थानों का पता लगा है। भारत सरकार और उपरोक्त कम्पनी के बीच हुए एक समझौते में संयुक्त रूप से तेल निकालने तथा पेट्रोल और तत्सम्बन्धी द्रव्यों के निर्माण की व्यवस्था रखी गई है।

आसाम आयल कम्पनी लिमिटेड भी ऊपरी आसाम का वायु चुम्बकीय पर्यवेक्षण कर रही है।

भारत का भूगर्भविज्ञान सम्बन्धी पर्यवेक्षण

भूगर्भविज्ञान सम्बन्धी कारखाने में औजारों तथा अन्य उपकरणों के सम्बन्ध में उपयोगी कार्य किया गया है। इस कारखाने में कई औजारों का निर्माण हुआ है।

भारत का पर्यवेक्षण

भारत-पर्यवेक्षण विभाग एक विशेष संगठन है जो विभिन्न प्रकार के आधुनिकतम नक्शे तैयार करता है। देहरादून और कलकत्ता में इसका अपना प्रेस है जहाँ नागरिक प्रशासन और प्रतिरक्षा-सेवाओं दोनों के लिए नक्शे तैयार किये जाते हैं। इस विभाग के अधिकारियों को देहरादून स्थित पर्यवेक्षण प्रशिक्षण स्कूल में प्रशिक्षण दिया जाता है।

१९५१ में पर्यवेक्षण प्राथमिकता समिति ने निर्णय किया कि केवल हिमालय प्रवेश को छोड़कर समस्त भारत का पर्यवेक्षण एक मील के पैमाने के अनुसार किया जाये। समिति ने यह भी निश्चय किया कि पर्यवेक्षण पर प्रत्येक २५ वर्षों में एक बार पुनर्विचार किया जाये।

योजना कमीशन ने इस विभाग का विस्तार-कार्यक्रम स्वीकार कर लिया है जो पर्यवेक्षण प्राथमिकता समिति की सिफारिशों पर आधारित है। इस योजना को कार्यान्वित किया जाना शीघ्र ही आरम्भ होगा। इसके अन्तर्गत ३२ लाख रुपये के व्यय से भारत का पर्यवेक्षण सम्बन्धी प्रस्ताव सम्मिलित है। साज-सामान टेक्निकल सहयोग प्रशासन से प्राप्त किया जायगा। तथ्यों के संकलन तथा नक्शों के तैयार किये जाने और छपाये जाने के उपयोगी कार्य के अलावा इस विभाग ने हिन्दी में भारत के चार विभिन्न राजनीतिक और प्राकृतिक नक्षों

शन का निश्चय किया है। हिन्दी का टाइप और अधिक सुलभ होने पर अन्य नक्षों भी तैयार किये जायेंगे। इन साल इस विभाग ने कुल मिलाकर ३६ पर्यवेक्षण कार्य किये। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण पर्यवेक्षण निम्नलिखित हैं—आसाम की कोपिलो घाटी का पर्यवेक्षण; एबरेस्ट शिखर की ऊँचाई का पुनर्निर्धारण तथा कोसी सिंचाई योजना, चम्बल जल-विद्युत् योजना तथा भाखरा नंगल और तुंगभद्रा योजनाओं सम्बन्धी पर्यवेक्षण।

भारत का प्राणिविद्या सम्बन्धी पर्यवेक्षण

भारतीय अजायबघर के सार्वजनिक कक्षों में प्रदर्शित वस्तुओं को फिर से सजाया गया तथा उन्हें साफ किया गया और उनकी मरम्मत की गयी है। इन की एक सूची भी तैयार की गयी है।

१९५३ में पर्यवेक्षण के लिए ६ टोलियां भेजी गयीं। सौराष्ट्र में समुद्री जीव जन्तुओं का; सिक्किम में पक्षियों का तथा तिस्ता घाटी, मणिपुर और पंचमढ़ी में पहाड़ी सोतों में पाये जाने वाले जीव-जन्तुओं का पर्यवेक्षण किया गया।

विभिन्न वर्गों के जीव-जन्तुओं के बारे में भी अनुसन्धान कार्य किया गया। टेक्निकल कर्मचारियों ने प्रकाशन के लिए अनुसन्धान कार्य सम्बन्धी ३३ निबन्ध दिये। कृमि-जीवी कीड़ों के सम्बन्ध में भी काफी अनुसन्धान कार्य किया गया है। अन्य प्रकार के कीड़ों पर भी कई निबन्ध प्रकाशित किये जा रहे हैं।

राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान उद्यान

राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान उद्यानों को लगाने के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद ने लखनऊ स्थित सिकन्दरबाग ले लिया है। अब तक एक बीजों का अजायबघर और एक बागबानी प्रयोगशाला स्थापित किये जा चुके हैं। बागबानी सम्बन्धी विभिन्न समस्याओं पर अनुसन्धान कार्य किया जा रहा है और भूमि के छोटे-छोटे टुकड़ों में बोये जाने के लिए ५०० से अधिक औषधीय पौधे छांटे जा चुके हैं।

कृत्रिम वर्षा

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद की सहायता से हाल के वर्षों में कृत्रिम वर्षा के सम्बन्ध में कई प्रयोग किये गये। इस सम्बन्ध में नयी दिल्ली की राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में और प्रयोग किये जा रहे हैं। कृत्रिम-वर्षा की विधि का प्रशिक्षण लेने के लिए वैज्ञानिक अधिकारी आस्ट्रेलिया भी भेजे जायेंगे।

आणविक शक्ति आयोग

भारत में आणविक शक्ति आयोग शान्तिपूर्ण कार्यों के लिए आणविक शक्ति के उपयोग का विकास करने की दृष्टि से स्थापित किया गया था। अब तक आयोग का मुख्य कार्य रेडियो सक्रिय खनिज पदार्थों के लिए देश के पर्यवेक्षण तथा अणु-भेदन सम्बन्धी वैज्ञानिक और टैक्निकल समस्याओं के अनुसन्धान को प्रोत्साहन देने का रहा है।

आयोग के आणविक शक्ति के विकास सम्बन्धी कार्यक्रम में एक मध्यम शक्ति के आणविक रिएक्टर की स्थापना की व्यवस्था है। आणविक शक्ति सम्बन्धी एक संस्था ट्राम्बे में खोली जा रही है।

अन्य देशों के रिएक्टरों के अध्ययनार्थ एक रिएक्टर की रचना की गयी है। यह दल भारत के सर्व प्रथम रिएक्टर का निर्माण करेगा।

आणविक शक्ति आयोग में दो नये विभाग खोले गये हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य सम्बन्धी विभाग रेडिएशन के खतरों से मजदूरों की रक्षा करने के लिये उत्तरदायी होगा। यह विभाग विस्फोट तथा रेडियो सक्रिय-रश्मियों के परिणामस्वरूप फैलने वाली बीमारियों की चिकित्सा और उनसे बचाव सम्बन्धी अनुसन्धान-कार्य भी करेगा। जीवविद्या विभाग रेडिएशन के परिणामों तथा जीवविद्या सम्बन्धी पहलुओं के अध्ययन के लिए मुख्यतः एक अनुसन्धान संगठन के रूप में कार्य करेगा।

अनुसन्धान सम्बन्धी योजनाएँ

विभिन्न प्रकार के अनुसन्धान-कार्यों का विकास करने के लिये वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसन्धान परिषद विश्वविद्यालयों तथा अन्य अनुसन्धान संस्थाओं को सहायताएँ दे रही है। विभिन्न स्थानों पर १०० से अधिक अनुसन्धान योजनाओं पर कार्य हो रहा है।

उत्पादन

लोहा तथा इस्पात यन्त्र

इस्पात के उत्पादन में ठोस प्रगति करने के प्रश्न पर कई वर्षों से विचार किया जा रहा है। इसी सिलसिले में १५ अगस्त १९५३ को बोन में एक प्रसिद्ध जर्मन संस्था क्रप्स डेमाग के साथ एक समझौता हुआ। इस समझौते के अन्तर्गत ५ लाख टन इग्नाट इस्पात तैयार करने की क्षमता वाले एक कारखाने के निर्माण की व्यवस्था है। “क्रप्स डेमाग” नामक संस्था टेक्निकल सहायता तथा भारतीय कर्मचारियों को प्रशिक्षण देगी। यह संस्था ७१ करोड़ २५ लाख रुपये की पूंजी भी लगायेगी। आशा है यह कारखाना चार वर्षों में काम करने लगेगा। टेक्निकल सलाहकारों को २ करोड़ १० लाख रुपये की निश्चित फीस अथवा अनुमानित व्यय का लगभग तीन प्रतिशत मिलेगा।

एक सौ करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी के साथ हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड

नाम की एक नयी प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी की रचना की गयी है। नया यन्त्र इसी के नियन्त्रण में होगा तथा यही उसका संचालन करेगा। भारत सरकार तथा जर्मन संस्था के बीच शेषों का अनुपात ४:१ होगा। पूंजीगत विनियोग का, चाहे वह देश में हो अथवा विदेश में, अधिक भाग ऋणों के रूप में होगा। जर्मन विशेषज्ञों की सिफारिश के अनुसार यह कारखाना उड़ीसा में रुरकेला में खोला जायेगा।

विशाखापट्टनम् शिपयार्ड

शिपयार्ड के विकास के लिए १ करोड़ ८० लाख रुपये के व्यय का कार्यक्रम तैयार किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शिपयार्ड के विस्तार की योजना है जिससे साल भर में ६ से लेकर ८ जहाजों का निर्माण किया जा सके। यदि आवश्यक हुआ तो इसका इतना विस्तार भी किया जा सकेगा कि साल में १२ जहाज तैयार किये जा सक। इस योजना पर काम किया जा रहा है। शिपयार्ड में समुद्री इंजिन, बायलरों तथा अन्य सहायक यंत्रों के निर्माण के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है।

१९५३-५४ में "जल" की किस्म के आठ-आठ हजार डी० डब्ल्यू० टी० के दो जहाज तैयार करके समुद्र में उतारे गये और "मैयर" किस्म के सात-सात हजार डी० डब्ल्यू० टी० के डीजेल इंजिन से चलने वाले तीन जहाजों के लिए कोल बिछाई गयी। भारतीय जहाजरानी कम्पनियों, जलसेना तथा प्रकाशगृह विभाग के साथ जहाजों के सम्बन्ध में ठेके हुए हैं। फालतू मजदूरों की छंटनी के फलस्वरूप दस लाख रुपये वार्षिक की बचत हुई।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को विशाखापट्टनम् में एक गोदी के निर्माण का कार्य सौंपा गया है। आशा है इसका निर्माण कार्य १९५४-५५ में शुरू हो जायेगा।

सिंद्री फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड

१६ जनवरी, १९५२ से ३१ मार्च, १९५३ तक इस कम्पनी को २ करोड़ ७१ लाख रुपये का सकल लाभ हुआ। १९५३ में २,६५,७०४ टन अमोनियम

सल्फेट का उत्पादन हुआ जब कि १९५२ में १,७२,५१६ टन अमोनियम सल्फेट का ही उत्पादन हुआ था।

आयरन आक्साइड केटेलिस्ट का आयात बंद करने के उद्देश्य से साढ़े तीन लाख रुपये के व्यय पर एक केटेलिस्ट कारखाना स्थापित किया जा चुका है। इसका नक्शा भारतीय इंजीनियरों द्वारा तैयार किया गया था। इन्हीं के द्वारा निर्मित इस कारखाने में काम शुरू हो चुका है। सिंद्री में उत्पादित केटेलिस्ट के उत्पादन पर २,५०० रुपये प्रतिटन व्यय हुए जबकि आयात किये गये केटेलिस्ट का मूल्य १०,००० रुपये प्रतिटन तक होता था।

सिंद्री के कोक-ओवेन यंत्र का निर्माण कार्य जो १९५२ के मध्य में शुरू हुआ था, अब पूरा होने वाला है। इस कारखाने में उत्पादन-कार्य अगस्त १९५४ के मध्य से शुरू होने वाला है।

भारत को एसोशिएटेड सीमेन्ट कम्पनियों द्वारा आरम्भ किये गये सीमेन्ट के एक कारखाने का निर्माण-कार्य संतोष जनक रूप से और कार्यक्रमानुसार चल रहा है। सिंद्री के कारखाने के विस्तार का भी विचार किया जा रहा है जिससे इसमें फालतू गैस की सहायता से “गूरिया” और “अमोनियम नाइट्रेट” जैसे नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का उत्पादन किया जा सके।

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड

डाक और तार विभाग की आवश्यकताओं को पूरी करने की दृष्टि से इस कारखाने की योजना तैयार की गई है। वर्तमान समय में डाक और तार विभाग को अपनी आवश्यकताओं के लिए आयातों पर निर्भर रहना पड़ता है। इस कारखाने में प्रतिवर्ष लगभग ४७० मील लम्बे केबल तैयार करने का विचार है। यह योजना अब पूरी होने वाली ही है।

केबल ड्रम्स के उत्पादन के लिए ड्रमशाप दिसम्बर १९५३ के मध्य में बनकर तैयार हो चुका था और तभी से रुसमें काम भी शुरू हो चुका था। इन्सुलेटिंग, ट्रिबल्टिंग तथा स्ट्रेन्डिंग कारखानों में उत्पादन परीक्षण की स्थिति में शुरू हो चुका है।

तेल शोधक कारखाने

इस सम्बन्ध में पहले-पहल उत्पादन-कार्य स्टैंडर्ड बैकुअम रिफाइनरी में आरंभ

होगा और आशा है कि इसका कार्य कार्यक्रम से ६ मास पूर्व जुलाई १९५४ में शुरू हो जायगा। बर्मा शेल रिफाइनरी अपना उत्पादन कार्य १९५६ के आरम्भ में शुरू करने वाली थी किन्तु अब इसका कार्य १९५५ की प्रथम तिमाही में शुरू हो जाने की सम्भावना है। दोनों तेल शोधक कारखानों में प्रतिवर्ष कुल ३२ लाख टन कच्चा तेल साफ किया जा सकेगा।

भारत सरकार ने विशाखापट्टनम् में तीसरा तेल शोधक कारखाना खोलने का काल्टेक्स (भारत) लिमिटेड का प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिया है। इस कारखाने में प्रतिवर्ष ५ लाख टन कच्चा तेल साफ किया जा सकेगा।

हिन्दुस्तान हाउसिंग फ़ैक्टरी लिमिटेड

हिन्दुस्तान हाउसिंग फ़ैक्टरी पुनर्व्यवस्थित की गई तथा इसे ऐसे साज-सामान से सुसज्जित किया गया है कि इसमें छत के पटाव के लिए कंकरीट के चौखटों, कंकरीट के दबाए गये चौखटों, लकड़ी के काम तथा कृत्रिम इस्पात का उत्पादन किया जा सके।

राष्ट्रीय औजार उद्योग

कलकत्ता स्थित राष्ट्रीय औजार उद्योग का १ करोड़ ८२ लाख रुपये के व्यय पर पुनर्संगठन किया जा रहा है और नयी इमारतों, नये उपकरणों तथा यंत्रों के लिए व्यवस्था की गई है। १९५३-५४ के प्रथम ६ महीनों के लिए अनुमान लगाया गया है कि १२ लाख ६ हजार रुपये के मूल्य का मरम्मत सहित उत्पादन किया जा सकेगा। इस उद्योग में ऊँचाई तथा कोण नापने के यंत्रों, ऊँचे तापमान के थर्मामीटरों, आदि जैसी वस्तुओं का भी निर्माण किया जा रहा है। छात्रों को औजार प्रौद्योगिकी सम्बन्धी प्रशिक्षण देने के लिए शिक्षा मन्त्रालय ने उद्योग के लिए सात छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की है।

पेनिसिलीन उद्योग

विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा "यूनिसेफ" की सहायता से एक पेनिसिलीन उद्योग स्थापित किया जा रहा है। उद्योग के लिए इमारतों का निर्माण करने तथा यंत्र और मशीनों की खरीद का कार्य शुरू हो चुका है।

हिन्दुस्तान यंत्र औजार उद्योग

कुछ विशय टेक्निकल कठिनाइयों के कारण यंत्र औजार उद्योग का उत्पादन कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रारम्भ नहीं किया जा सका । इन कठिनाइयों पर अब विजय पा ली गई है और परिवर्द्धित कार्यक्रम के अनुसार उत्पादन कार्य १९५४ के मध्य में शुरू हो जाने की आशा थी ।

डी. डी. टी. उद्योग

“यूनिसेफ” तथा “उन्टा” की सहायता से भारत सरकार दिल्ली में एक डी. डी. टी. उद्योग स्थापित कर रही है जिसमें प्रतिवर्ष ७०० टन डी. डी. टी. उत्पादित की जा सकेगी । इमारतों के निर्माण, सेवाओं तथा कार्यकारी पूंजी के सम्बन्ध में सरकार २२ लाख ४५ हजार रुपये देगी । “यूनिसेफ” तथा “उन्टा” यन्त्र तथा उपकरणों की खरीद और टेक्निकल सहायता के लिए साढ़े तीन लाख रुपये देंगे

उद्योग की मुख्य इमारत का निर्माण कार्य नवम्बर १९५३ के प्रारम्भ में शुरू हुआ था ।

नाहन फ़ाउन्ड्री लिमिटेड

नाहन फ़ाउन्ड्री (हिमाचल प्रदेश) एक छोटी किन्तु उपयोगी संस्था है । यह आजकल भारत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण में है । इसमें ४० लाख रुपये की पूंजी लगी हुई है । इस फ़ाउन्ड्री में गन्ने के कोल्हू, खांड पकाने के लिये कड़ाइयों तथा गुड़ बनाने से सम्बन्धित अन्य उपकरणों का निर्माण होता है । हाल ही में सेन्ट्रीफ्यूगल पम्पों (बिजली तथा बलों की सहायता से चलने वाले), धान कूटने की मशीनों तथा अनाज अलग करने की मशीनों का भी निर्माण शुरू हो चुका है ।

मिलावटी तेल

बकिंग अर्काट की लिग्नाइट की खानों के सम्बन्ध में हाल में हुई जांच-पड़ताल से मिलावटी तेल के निर्माण की सम्भावनाओं का संकेत मिलता है । बताया जाता है कि अमेरिका और जर्मनी में निर्माण विधि विषयक काफी प्रगति हुई है । सरकार लिग्नाइट की उपयोगिता के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय

सातवाँ वर्ष

स्थिति की फर्मों से नयी रिपोर्टें प्राप्त करने का विचार कर रही है।

कोयला

धस्तु-नियन्त्रण समिति ने कोयले पर कंट्रोल जारी रखने की सिफारिश की है। १९५३ में भारत में ३ करोड़ ५८ लाख टन और ३ करोड़ ७ लाख टन कोयला क्रमशः निकाला और भेजा गया जबकि १९५२ में ये संख्याएं क्रमशः ३ करोड़ ६२ लाख टन और ३ करोड़ ११ लाख टन थीं। १९५३ में बंगाल और बिहार की कोयले की खानों का उत्पादन कम रहा और निर्यात में कमी आने के कारण १९५३ में कोयला भेजा भी कम गया। १९५३ में १९ लाख ६० हजार टन कोयला बाहर भेजा गया जबकि १९५२ में ३३ लाख टन कोयला बाहर भेजा गया था।

कोयले की खानों में जमीन के नीचे आग लगाने की रोक-थाम के लिये रक्षात्मक कार्यों का निर्माण किया जा रहा है।

उत्पादन मन्त्रालय के नियन्त्रण में रहने वाली रेलवे की कोयले की खानों से १९५२-५३ में ६१ लाख रुपये का शुद्ध लाभ हुआ।

सरकार ने बोकारो और कारगाली की रेलवे की कोयला-खानों में ठेके पर कोयला निकालने की प्रथा समाप्त कर देने का निर्णय किया है

नमक

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निर्धारित ८३७ लाख मन नमक का लक्ष्य आगे बढ़ चुका है और १९५३ के लिये ८६० लाख मन नमक का लक्ष्य रखा गया था। विदेशों को कुल ७१ लाख मन नमक भेजा गया। इस प्रकार नमक के निर्यात में वृद्धि हुई। देश में नमक के मत्त में कुछ कमी आई।

१९५३ का नमक कानून २ जनवरी १९५४ से लागू हुआ। सरकारी कारखानों में तैयार हुए नमक पर साढ़े तीन आने प्रतिमन तथा निजी रूप से उत्पादित नमक पर दो आने प्रतिमन के हिसाब से कर लगाया है। इन करों से प्राप्त होने वाले धन का उपयोग अनुसन्धान केन्द्रों तथा आदर्श फार्मों की

आर्थिक

स्थापना तथा श्रम-कल्याण और उद्योग के विकास के लिए किया जायगा।

१९५३ में नमक में उसमें ६३.५ से ६४ प्रतिशत सोडियम क्लोराइड का होना मान्य ठहराया गया था। १९५४ में यह ६४ प्रतिशत कर दिया गया। मद्रास तथा उड़ीसा में तीन परीक्षण प्रयोगशालाएं और स्थापित की गयीं। पहाड़ से निकलने वाले नमक के विकास के लिए मण्डी योजना प्रगति कर रही है। टेक्निकल कठिनाइयों की दृष्टि से कोर ड्रिलिंग के कार्यक्रम को परिचालित किया गया।

लाइसेंस लिए बिना छोटे पैमाने पर नमक-उत्पादन के सम्बन्ध में सरकार ने १ मार्च, १९५५ से ऐसे क्षेत्र में और कमी कर दी है। लाइसेंस लिए बिना अब ढाई एकड़ के क्षेत्र में ही नमक का उत्पादन किया जा सकेगा। १० एकड़ सम्बन्धी रियायत एक साल के लिए और जारी रहेगी जिससे ऐसे उत्पादन क्षेत्रों में हिसाब किताब साफ किया जा सके।

नमक सम्बन्धी स्थिति सन्तोषप्रद होने की दृष्टि से यह निर्णय किया गया है कि सरकार निजी उद्योगों में २० प्रतिशत के स्थान पर १० प्रतिशत नमक ही सुरक्षित रखे।

कार्य, गृह-निर्माण एवं सम्पूर्ति

गृह-निर्माण

सरकारी सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह-निर्माण योजना के अन्तर्गत जनवरी १९५४ के अंत तक १६,००० मकानों के निर्माण के लिए ऋणों के रूप में ४०३.६८ लाख रुपये तथा सहायता के रूप में ३६६.५३ लाख रुपये की स्वीकृति दी जा चुकी थी। इनमें से २४,००० मकान राज्य सरकारों को तथा शेष ५,००० मकान व्यक्तिगत मालिकों को बनवाने थे। नवम्बर १९५३ के अंत तक ५,००० मकान बनाए जा चुके थे। योजना के अन्तर्गत औद्योगिक

मजदूरों की सहकारी-संस्थाओं को ऋणों के रूप में दिये जाने वाले धन की मात्रा स्वीकृत व्यय के ३७½ प्रतिशत से बढ़ाकर ५० प्रतिशत कर दी गयी है जिससे उन्हें गृह-निर्माण के लिए अधिक प्रोत्साहन मिल सके। औद्योगिक मजदूरों की सहकारी संस्थाओं की ३५ योजनाएं विचाराधीन हैं। इस वर्ष से आगे के लिए व्यवस्था ऐसी की गयी है कि अमुक अनुपात में मकान दो-दो कमरे वाले होंगे।

ग्रामीण क्षेत्रों में गृह-निर्माण के सम्बन्ध में “अपनी सहायता आप करो” का सिद्धान्त मानने का विचार किया जा रहा है। मन्त्रालय में एक “ग्रामीण भवन-निर्माण एकक” स्थापित किया गया है ताकि देश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए आदर्श मकानों की योजनाएं बनाई जा सकें। योजनाएं सामूहिक योजना प्रशासन को सौंप दी जायेंगी, जो ग्रामीणों को प्रोत्साहित करेगा।

योजना कमिशन के परामर्श से मन्त्रालय स्थानीय संस्थाओं तथा राज्य सरकारों को सहायता देने के प्रश्न पर विचार कर रहा है ताकि गन्दी बस्तियों के सुधार या उनकी सफाई की योजनाएं कार्यान्वित की जा सकें।

बहुत बड़ी संख्या में गृह-निर्माण के सम्बन्ध में मुख्य कठिनाई निर्माण व्यय की अधिकता की है। इसीलिए सरकार की गृह-निर्माण सम्बन्धी नीति में सबसे अधिक जोर निर्माण-व्यय में कमी करने पर दिया गया है ताकि विशेषकर कम आय वाले लोगों के लिए गृह-निर्माण का कार्य उनके सामर्थ्य के अन्दर हो। इस कार्य को राष्ट्रीय भवन-निर्माण संगठन नामक एक विशेष संस्था को सौंप देने का निर्णय किया गया है। यह संस्था शीघ्र ही स्थापित की जायगी।

दिल्ली में कम लागत के गृह-निर्माण की अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी, गृह-निर्माण और समाज-सुधार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय विचार-गोष्ठी तथा अन्तर्राष्ट्रीय गृह-निर्माण एवं नगर-योजना महासंघ (फेडरेशन) के प्रादेशिक सम्मेलन के आयोजन किये गये जिससे अनुभव के पारस्परिक विनिमय को प्रोत्साहन मिल सके और भारत के तथा विदेशों के स्थापितियों और इंजीनियरों द्वारा निर्मित कम लागत के मकानों के नमूनों का जनता के सामने प्रदर्शन किया जा सके।

आर्थिक

केन्द्रीय सार्वजनिक-निर्माण विभाग

यह विभाग विस्थापित व्यक्तियों के लिए अब तक २७,५०० मकान तथा २,६०० दुकानें बनवा चुका है और २,४०० मकानों और २५० दुकानों का निर्माण हो रहा है। १९५४-५५ में और मकानों तथा दुकानों का निर्माण होगा।

१९५३-५४ में दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए २,००० क्वार्टरों तथा हवाई अड्डों के पास ५०० क्वार्टरों का निर्माण हुआ।

पूना में पेनिसिलीन फैक्टरी, बंगलौर में यंत्र सम्बन्धी औजारों की फैक्टरी तथा रूपनारायणपुर में टेलीफोन केबल फैक्टरी का निर्माण-कार्य प्रायः पूरा होने को है। दिल्ली में डी० डी० टी० की फैक्टरी का निर्माण-कार्य भी आरम्भ हो चुका है। कलकत्ता के सामुद्रिक इंजीनियरिंग कालेज की इमारत बन कर तैयार हो चुकी है तथा दिल्ली स्थित टेक्निकल संस्था की इमारतें बन कर तैयार होने वाली हैं।

बम्बई तथा जालन्धर में आकाशवाणी के ट्रान्समीटर की इमारतें तैयार हो चुकी हैं तथा अहमदाबाद में तत्सम्बन्धी इमारत बनाई जा रही है।

दिल्ली और बम्बई में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के लिए तथा दिल्ली अहमदाबाद और पूना में आयकर और केन्द्रीय उत्पादन कर के कार्यालयों के लिए इमारतों का निर्माण कार्य संतोषजनक रूप से प्रगति कर रहा है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय और दिल्ली राज्य के जिला न्यायालयों के लिए भी भवन-निर्माण कार्य आरम्भ हो चुका है।

कलकत्ता, सिकन्दराबाद तथा सैफाबाद के टेलीफोन एक्सचेंजों तथा जबलपुर स्थित प्रशिक्षण केन्द्र के लिए इमारतें साल भर में बनकर तैयार हो जायेंगी।

नागपुर हवाई अड्डे पर टर्मिनल बिल्डिंग बन कर तैयार हो चुकी है।

दम-दम हवाई अड्डे का ७,००० फुट लम्बा नया पक्का फर्श तैयार हो चुका है। इस फर्श पर आधुनिक ढंग की प्रकाश सम्बन्धी सुविधाओं को भी व्यवस्था तेजी से की जा रही है।

उड्डयन सम्बन्धी आधुनिक आवश्यकताओं के अनुसार सान्ताक्रुज हवाई अड्डे के पक्के फर्श का विस्तार कर लिया गया है और हवाई अड्डे पर टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण तेजी से हो रहा है।

आगरा-बम्बई सड़क पर पड़ने वाली चम्बल नदी पर एक पुल शीघ्र ही बनाया जायगा, जब कि कलकत्ता-बम्बई सड़क पर पड़ने वाली वेंतरणी और ब्राह्मणी नदियों के पुल का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है।

स्टेशनरी तथा प्रिन्टिंग विभाग

यह विभाग यथासंभव देश में बनी वस्तुओं को ही खरीदने का प्रयास करता है। कुटीर तथा छोटे पैमाने के उद्योगों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से सरकार के काम में आने वाली स्टेशनरी तथा स्याही सोखने के लिए हाथ कागज का उपयोग करने का निर्णय किया गया।

भारत सरकार के मुद्रणालयों के पुनर्संगठन और विस्तार का कार्य स्वीकृत योजनाओं के अनुसार चला। शिमला स्थित भारत सरकार के मुद्रणालय तथा दिल्ली के यूनाइटेड प्रेस के लिए फरीदाबाद में सर्वथा उपयोगी भवन-निर्माण का प्रारम्भिक कार्य पूरा हो चुका है। इन दोनों मुद्रणालयों को मिलाकर एक मुद्रणालय बना दिया जायगा। पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आयोजित नासिक में भारत सरकार के नये मुद्रणालय के सम्बन्ध में निर्माण-कार्य संतोषजनक रूप से चल रहा है।

इस विभाग से कई महत्वपूर्ण प्रकाशनों के मुद्रण के लिए कहा गया। इस सम्बन्ध में 'गांधी-चित्रावली' तथा रेलवे शताब्दी और टेलीग्राफ शताब्दी अंकों का विशेष उल्लेख किया जा सकता है।

कोलम्बो योजना से अन्तर्गत १९५२ में ब्रिटेन से प्राप्त टेक्निकल सलाह-

आर्थिक

कार टक्कनकल मामलों, विशेषकर भारत सरकार के मुद्रणालयों के पुनर्संगठन और विस्तार संबन्धित मामलों में सलाहमशविरा बेता रहा ।

मजदूरों के लिए गृह-निर्माण को और भी विशेष ध्यान दिया गया । इस सम्बन्ध में नई दिल्ली स्थित भारत सरकार के मुद्रणालय के कर्मचारियों के लिए ८० क्वार्टर बनाने का निर्णय किया गया ।

संपूर्ति और बिक्री

क्रय

कार्य, गृह-निर्माण एवं संपूर्ति मन्त्रालय के क्रय-संगठनों ने अप्रैल १९५३ से दिसम्बर १९५३ तक के समय में भारत में तथा विदेशों में कुल ६३ करोड़ ७० लाख रुपये का क्रय किया । इसमें से ३९ करोड़ ४० लाख रुपये के मूल्य का क्रय नई दिल्ली स्थित संपूर्ति और बिक्री के डायरेक्टरेट जनरल के १४ करोड़ १० लाख रुपये के मूल्य का क्रय लंदन स्थित इण्डिया स्टोर विभाग के डायरेक्टर-जनरल के तथा १० करोड़ २० लाख रुपये के मूल्य का क्रय वाशिंगटन स्थित इण्डियन सप्लाय मिशन के माध्यम से हुआ । (१० करोड़ २० लाख रुपये की राशि में ४ करोड़ ७० लाख रुपये के मूल्य का खाद्य-क्रय सम्मिलित है ।)

बंबई में वारिणज्य और उद्योग मन्त्रालय के टेक्सटाइल कमिशनर ने अप्रैल १९५३ से अक्टूबर १९५३ तक के समय में ३ करोड़ ५ लाख रुपये के मूल्य का सूती वस्त्र खरीदा । १ नवम्बर १९५३ को पूर्ति एवं बिक्री के डायरेक्टरेट जनरल के अन्तर्गत टेक्सटाइल कमिशनर का क्रय-संगठन कार्य, गृह-निर्माण एवं संपूर्ति मन्त्रालय के अधिकार में कर दिया गया ।

पेट्रोलियम की वस्तुओं, इस्पात, सोसा, तांबे के केबल, तांबे के तार तथा टोन आदि को छोड़ कर अन्य वस्तुओं का मूल्य गिरने लगा । धातुओं के मूल्य में औसतन ४० प्रतिशत तथा अन्य वस्तुओं के मूल्य में २० से २५ प्रतिशत गिरावट आई ।

कुटीर तथा छोटे पैमाने के उद्योगों को प्रोत्साहन देने तथा खादी के

अधिक उपयोग की दृष्टि से अखिल भारत खादी ग्राम-उद्योग बोर्ड की सलाह से सरकार की आवश्यकताओं के लिए खादी के प्रयोग के सम्बन्ध में विशेष उपाय किये गये हैं। मार्च १९५३ से लेकर अबतक २ लाख रुपये की खादी का आर्डर दिया जा चुका है। खादी के उत्पादन के विकास के लिए भी विभिन्न उपाय किये जा चुके हैं और आशा है कि सरकारी आवश्यकताओं के लिए खादी का प्रयोग अधिक से अधिक होता जायेगा। यथासंभव क्रय भारत में ही किया जा रहा है।

वर्तमान संगठन तथा आवश्यक वस्तुओं के क्रय के सम्बन्ध में अपनाए जाने वाले तरीकों में सुधार करने की दृष्टि से भारत सरकार ने एक स्टोर्स-क्रय-समिति नियुक्त की है। इसकी सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है। यही समिति लंदन तथा वाशिंगटन की समितियों की सिफारिशों की भी जांच कर रही है।

सरकार के क्रय-संगठन में एक निरीक्षण-विभाग भी है जिसमें टेक्निकल कर्मचारी सरकारी काम के लिए रखे गये सामान का निरीक्षण करते हैं। अप्रैल १९५३ से अक्टूबर १९५३ तक ४६ करोड़ ५० लाख रुपये के मूल्य के सामान का निरीक्षण किया गया।

अलीपुर स्थित सरकारी-परीक्षण-गृह सरकारी विभागों, व्यक्तियों, फर्मों तथा सार्वजनिक संस्थाओं की ओर से सामानों का परीक्षण करता रहा। यह परीक्षण सम्बन्धी प्रमाणपत्र देता तथा टेक्निकल सहायता एवं सूचना आदि भी देता है।

बिक्री

युद्ध-काल में खरीदे गये सामान में से जो कुछ फालतू बचा हुआ था, उसे बेच दिया गया है। नवम्बर १९५३ में १६ लाख रुपये के मूल्य की सशस्त्र गाड़ियां संपूर्ण एवं बिक्री के डायरेक्टरेट-जनरल द्वारा देश में सब से अधिक मूल्य देने वाले को ३३ लाख रुपये में बेच दी गईं।

आर्थिक

विस्फोटक पदार्थ सम्बन्धी विभाग

१९५३ में १९४० के विस्फोटक पदार्थ नियमों के अन्तर्गत ३,२६६ लाइसेंस तथा पेट्रोलियम और केल्शियम कारबाइड नियमों तथा सिनेमेटोग्राफ फिल्म नियमों के अन्तर्गत ८,१८१ लाइसेंस दिये गये। विस्फोटक पदार्थों तथा पेट्रोलियम का कारोबार करने वाली लाइसेंस प्राप्त महत्वपूर्ण संस्थाओं से अधिकांश का निरीक्षण किया गया और विस्फोटक पदार्थों के रखने उठाये जाने के कारण हुई कई दुर्घटनाओं की जांच पड़ताल की गयी। विभिन्न राज्य सरकारों से परीक्षण के लिए कई प्रकार के विस्फोटक पदार्थों के नमूने प्राप्त हुए। इस विभाग न स्थापित की जाने वाली एक तेल शोधक कम्पनी की विभिन्न इकाइयों सम्बन्धी विस्तृत योजनाओं की जांच-पड़ताल की और उन्हें स्वीकार किया। यह कम्पनी बनाई जा रही है।

खानों तथा पत्थर की खानों में भूमि-विस्फोट के लिए इस वर्ष ब्रिटेन से २ करोड़ रुपये के विस्फोटक पदार्थों का आयात किया गया। भूमि-विस्फोट सम्बन्धी विस्फोटक पदार्थों के निर्माण के लिए भारत में एक कारखाना खोले जाने के सम्बन्ध में सरकार ने इम्पोरियल केमिकल इन्डस्ट्रीज के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं।

पेट्रोलियम विभाग

ईरान से पेट्रोलियम की वस्तुएं प्राप्त किये जा सकने के कारण ये वस्तुएं बहुत दूर से मंगानी पड़ती हैं। इसके फलस्वरूप सभी चीजों का मूल्य बढ़ा हुआ है। सामुद्रिक भाइयों में कमी आने तथा भारत से कम दूरी पर पेट्रोलियम की वस्तुएं सुलभ हो जाने के परिणामस्वरूप २ दिसम्बर, १९५३ से इनके मूल्य गिरने लगे हैं।

अगले वित्तीय वर्ष में ३० लाख टन की क्षमता की आयोजित तेल शोधक कम्पनियों का उत्पादन-कार्य आरम्भ हो जाने के फलस्वरूप पेट्रोलियम की वस्तुएं अधिक मात्रा में उपलब्ध हो सकेंगी। ऊपरी आसाम के नहर करइया क्षेत्र में तेल का पता लग जाने की दृष्टि से आशा है कि पेट्रोलियम की वस्तुओं का उत्पादन देश में ही होने लगेगा और इस सम्बन्ध में स्थिति सुधर जायगी।

३. आन्तरिक

गृह-मंत्रालय

इस मन्त्रालय के जिम्मे दो मुख्य कार्य हैं : सार्वजनिक सेवाएं और सार्वजनिक सुरक्षा। सेवाओं में भरती करना, अनुशासन बनाए रखना तथा सेवा सम्बन्धी नियम बनाना इसके मुख्य उत्तरदायित्व हैं। अखिल भारतीय सेवाओं का संचालन संयुक्त रूप से केन्द्रीय और राज्य सरकारें करती हैं।

सार्वजनिक सुरक्षा सम्बन्धी मामलों के विषय में १९५१ के भाग "ग" राज्य कानून के पास होने तक केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्रों में शान्ति तथा व्यवस्था बनाये रखने का उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार का था ; किन्तु भाग "ग" राज्य कानून पास हो जाने के समय से अब बहुत कुछ उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर आ गया है। भाग "क" और "ख" के राज्य अपने-अपने क्षेत्रों के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं। इस प्रकार केन्द्रीय-सरकार का काम अब मुख्य रूप से समन्वय तथा सलाह-मशिवरा देने का रह गया है।

केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्र

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह को बसाने की पंचवर्षीय योजना संतोषजनक रूप से कार्यान्वित की जा रही है और आशा है कि मानसून के पहले ही द्वीपसमूह में ४०० कृषक परिवारों को बसा दिया जायेगा। पूर्वी बंगाल से आये ९७ विस्थापित कृषक परिवारों का कार्य, जिन्हें द्वीपसमूह में १९५३ में बसाया गया था, सुचारु रूप से चल रहा है।

आन्तरिक

अंडमान के जंगल गन्ना, बांस, नारियल, ताड़ की पत्तियों, आदि जैसी छोटी-छोटी वन-जन्य वस्तुओं से भरे पड़े हैं। इन वस्तुओं का कुटीर उद्योगों द्वारा उपयोग किये जाने के लिए एक संगठन की रचना की जा चुकी है। १९५३-५४ के बजट में अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के विकास के लिए १,७५,६५,००० रुपये सुरक्षित रखे गये थे।

अनुसूचित जातियाँ तथा जन-जातियाँ

अनुसूचित जातियों तथा जन जातियों के कल्याण के लिए तथा अनुसूचित क्षेत्रों के विकास के लिए भाग "क" और "ख" के राज्यों के लिए २,४७,०२,००० रुपये और भाग "ग" के राज्यों के लिए २७,०३,००० रुपये स्वीकृत किये जा चुके हैं। १९५४-५५ के बजट प्रावकलों में भाग "क" और "ख" के राज्यों के लिए ३ करोड़ ५६ लाख रुपयों की तथा भाग "ग" के राज्यों के लिए साढ़े ३३ लाख ५० हजार रुपयों की व्यवस्था की गयी है। अनुसूचित जन जातियों के अलावा पिछड़ी जातियों की स्थिति सुधारने के लिए पंचवर्षीय योजना में ४ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। अनुसूचित जातियों, पहले की जरायम पेशा जातियों तथा पिछड़ी जातियों की कल्याण सम्बन्धी योजनाओं के लिए १९५४-५५ के बजट में सवा करोड़ रुपये की सहायता देना निश्चित हुआ था।

पिछड़ी जातियों सम्बन्धी कमीशन

पिछड़ी जातियों सम्बन्धी कमीशन अब तक १२ राज्यों की छानबीन कर चुका है। इसने सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी जातियों की स्थिति की जांच पड़ताल उनके क्षेत्रों में जाकर की। आशा है कि कमीशन का कार्य इस वर्ष के अंत तक पूरा हो जायगा।

आंध्र राज्य

१९५३ में आन्ध्र-राज्य कानून पास होने के परिणामस्वरूप नये आन्ध्र राज्य का जन्म १ अक्तूबर, १९५३ को हुआ। भाग "क" के एक राज्य के रूप में इसका शासन एक लोकप्रिय मन्त्रिमंडल करता है।

सातवाँ वर्ष

राज्य-पुनर्संगठन सम्बन्धी कमीशन

राज्यों के पुनर्संगठन के लिए भारत सरकार ने श्री सैयद फजल अली की अध्यक्षता में एक कमीशन नियुक्त किया है। कमीशन ने लोकप्रिय संगठनों से गवाही लेना आरम्भ करके अपना कार्य शुरू कर दिया है।

नजरबन्दी कानून

इस सम्बन्ध में विभिन्न राज्य सरकारों से युक्तिसंगत आंकड़ों का संकलन किया गया और उन्हें दिसम्बर १९५३ में एक रिपोर्ट के रूप में संसद में प्रस्तुत किया गया। संसद के दोनों सदनों ने इस आशय के प्रस्ताव स्वीकार किए कि १९५० के नजरबन्दी कानून को ३१ दिसम्बर १९५४ तक लागू रखना पूरी तरह से न्यायोचित है।

प्रेस (आपत्तिजनक सामग्री) कानून

१९५१ का यह कानून ३१ जनवरी १९५४ को समाप्त हो जाने वाला था किन्तु इसमें की गयी व्यवस्थाएँ अन्य किसी कानून में नहीं हैं, इसलिए १९५३ का प्रेस (आपत्तिजनक सामग्री) संशोधन विधेयक १५ दिसम्बर १९५३ को संसद में पेश किया गया। इस विधेयक द्वारा उल्लिखित कानून की अवधि दो वर्षों के लिए और बढ़ा दी गयी तथा उसमें कई अविवादास्पद संशोधन भी किए गये। अन्य कार्यों के भार के कारण विधेयक पर बहस न की जा सकी और इसलिए संशोधन विधेयक के आधार पर एक अध्यादेश लागू कर दिया गया।

पुलिस विभाग

आसाम, कुर्ग तथा दिल्ली को छोड़कर अन्य सभी राज्यों के पुलिस बलों में कुछ कमी की गई।

भारतीय अस्त्र कानून

भारतीय अस्त्र कानून तथा इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के कुछ अधिकार, जम्मू और काश्मीर को छोड़कर, भाग 'ख' के राज्य सरकारों का दिये गये। उचित रूप से संगठित राइफल-क्लबों की

स्थापना को प्रोत्साहन दिया गया तथा राज्य सरकारों को सलाह दी गई कि वे इन सब क्लबों से अपने को ग्रहमदाबाद स्थित अखिल भारतीय संस्था 'नेशनल राइफल एसोसिएशन' से सम्बद्ध करने की सिफारिश करें। राइफल क्लबों को यथा संभव सरकारी फंक्शनों में बनी बारूद दिये जाने का भी निर्णय किया जा चुका है। यह बारूद उसी दर पर दी जायगी जिस दर पर प्रतिरक्षा सेवाओं के अधिकारियों को दी जाती है।

जेल तथा सुधार सम्बन्धी कार्य

बम्बई की टाटा समाज-विज्ञान संस्था में जेल अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करने तथा विभिन्न राज्य सरकारों को अपराध-विज्ञान आदि विषयों के सम्बन्ध में परामर्श देने की दृष्टि से १९५२-५३ में संयुक्त राष्ट्रसंघ से अपराध विज्ञान-विशेषज्ञ डा० वाल्टर सी० रैक्लेस की सेवाएं प्राप्त की गयीं। अपनी अवधि की समाप्ति पर डा० वाल्टर सी० रैक्लेस ने संयुक्त राष्ट्र संघ को "भारत में जेल सम्बन्धी प्रशासन" पर अपनी रिपोर्ट दी। मन्त्रालय इस रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुसार काम करने का विचार कर रहा है।

पाकिस्तानी नागरिकों को बसाना

अनिश्चित काल के लिए भारत वापस आने के इच्छुक पाकिस्तानी नागरिकों से अपेक्षा की जाती है कि वे ऐसा दीर्घकालीन पासपोर्टों के आधार पर करें। पाकिस्तान स्थित भारतीय हाई-कमिशनर को ऐसे पासपोर्ट देने का अधिकार केन्द्रीय सरकार ने सम्बन्धित विभिन्न राज्य सरकारों की सलाह से दिया है। १९५३ में हुए भारत-पाकिस्तान सम्मेलन के बाद यह निर्णय किया गया कि विभाजित परिवारों के फिर से एक होने की सुविधाएं दी जायें।

अखिल भारतीय सेवाएं

१९५२-५३ की रिपोर्ट में यह बताया गया था कि भाग 'क' के सभी राज्यों के लिए भारतीय शासन सेवा सम्बन्धी क्रमानुसार सूची स्वीकृति के लिए 'यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन' के पास भेज दी गई है। भाग 'ख' के राज्यों के सम्बन्ध में भारतीय शासन सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा की सूचियाँ अंतिम रूप से तैयार किये जाने के कार्य में काफी प्रगति हुई है। अखिल भारतीय सेवा कानून के अन्तर्गत नियम बनाने का काम १९५३ में शुरू किया गया था।

केन्द्रीय सेवाएं

केन्द्रीय सचिवालय की प्रथम श्रेणी से तृतीय श्रेणी तक की सेवाओं सम्बन्धी विधान अब पूरा हो चुका है। सभी विभागों में काम करने वाले कर्मचारी इन्हीं श्रेणियों में आते हैं। वर्तमान अधिकारियों में से यूनिन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा पर्याप्त संख्या में अधिकारी योग्य पाये गये। इस प्रकार अन्य अधिकारियों को नियुक्ति का भ्रंशट अब नहीं रहा। यह निर्णय किया गया है कि यूनिन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा योग्य ठहराई गई विभागेतर महिलाओं को भी इन सेवाओं के लिए नियुक्ति दी जाये। तीनों श्रेणियों की सेवाओं की स्थायी नियुक्तियों के अलावा तीसरी श्रेणी की सेवाओं के लिए नियमित अस्थायी नियुक्तियों की भी व्यवस्था की गई है।

चतुर्थ श्रेणी

चतुर्थ श्रेणी की सेवाओं के लिए स्थायी नियुक्तियों के लिए १,८०० स्थान तथा नियमित अस्थायी नियुक्तियों के लिए १,२०० स्थान निर्धारित हैं। स्थायी नियुक्तियों के स्थानों में से १,७६४ स्थानों पर नियुक्तियाँ हो चुकी हैं और नियमित अस्थायी नियुक्तियों के लिए १,००० नाम प्रकाशित किये जा चुके हैं।

केन्द्रीय सचिवालय-स्टेनोग्राफर सेवा

विचाराधीन वर्ष में तीसरी श्रेणी के १३८ स्टेनोग्राफरों की नियुक्तियों की सम्पुष्टि की गयी। अब तक कुल ५२१ नियुक्तियों की सम्पुष्टि हो चुकी है। अधिकृत स्थायी नियुक्तियों की संख्या ६०४ है। प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के लिए योग्य व्यक्तियों की सूची यूनिन पब्लिक सर्विस कमीशन के पास योग्यता-नुसार श्रेणीकरण के लिए भेजी जा चुकी है।

राज्य मन्त्रालय

राज्य मन्त्रालय अन्य मन्त्रालयों की सलाह से भाग "ख" के राज्यों की प्रशासकीय, वित्तीय और आर्थिक समस्याओं की देखभाल करता है। यह भाग "ग" भाग के राज्यों—हिमाचल प्रदेश, विन्धप्रदेश, भोपाल, त्रिपुरा, मणिपुर, कच्छ और बिलासपुर—सम्बन्धी मामलों की भी देखभाल करता है।

पेप्सू में राष्ट्रपति का शासन

४ मार्च १९५३ की घोषणा द्वारा राष्ट्रपति ने पटियाला तथा पूर्वी पंजाब राज्य संघ के प्रशासन का भार स्वयं अपने ऊपर लिया। राज्य का प्रशासन वर्ष भर केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण में रहा। इस समय में शान्ति एवं व्यवस्था पुनः स्थापित की गयी, ग्राम-सुधार किए गये, सेवाओं का पुनर्स्थापन किया गया, पेप्सू तथा पंजाब के लिए भारतीय शासन सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा की संयुक्त रूप से व्यवस्था की गई तथा जिलों का पुनर्स्थापन किया गया। विकास सम्बन्धी सभी कार्य-क्षेत्रों में अच्छी प्रगति हुई।

१९५३ के पेप्सू विधान मंडल (अधिकार प्रदाता) कानून की धारा ३ के अन्तर्गत मिले अधिकारों के अनुसार चलते हुए राष्ट्रपति ने राज्य में कई उपयोगी विधान लागू किए।

राष्ट्रपति की घोषणा २६ मार्च, १९५४ को समाप्त हुई। ७ मार्च १९५४ तक ग्राम चुनाव पूरा करने के सम्बन्ध में प्रबन्ध किये गये। फरवरी १९५४ के उत्तरार्द्ध के पहले चुनाव संभव नहीं हो सका, क्योंकि राज्य विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन सम्बन्धी परिसीमन कमीशन का आदेश सितम्बर के अन्त में प्रकाशित हुआ और इस आदेश के अनुसार मतदाताओं की सूचियाँ १५ दिसम्बर, १९५३ को ही तैयार हो पाईं। कर्नल रघुबीरसिंह के मुख्य मंत्रित्व में नये मंत्रिमंडल ने ८ मार्च १९५४ को शपथ ग्रहण की।

तिरुवांकुर-कोचीन

२३ सितम्बर, १९५३ को तिरुवांकुर-कोचीन मंत्रिमंडल द्वारा रखे गये विश्वास के प्रस्ताव के गिर जाने पर राज्य के राजप्रमुख ने राज्य विधान मंडल भंग करके नये चुनाव का आदेश दिया। नये चुनावों की समाप्ति तक पुराने मंत्रिमंडल से बने रहने का अनुरोध किया गया। चुनाव के परिणामस्वरूप किसी भी दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त न होने की अवस्था में राजप्रमुख ने प्रमुख-दलों के नेताओं के साथ परामर्श करने के बाद श्री पत्तुम थानु पिल्लई से मंत्रिमंडल बनाने के लिए कहा। श्री पिल्लई ने १६ मार्च, १९५४ को मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली।

भाग "ग" के राज्यों का शासन (संशोधन) कानून

१९५१ का भाग "ग" राज्य शासन-कानून ६ सितम्बर, १९५१ को लागू हुआ। भाग "ग" के कुछ राज्यों में विधान सभाओं तथा मन्त्रिपरिषदों की स्थापना के सम्बन्ध में कानून की व्यवस्थाएँ मार्च १९५२ में लागू हुईं। अजमेर, भोपाल, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश तथा विन्ध्य प्रदेश के राज्यों में प्राप्त भाग "ग" राज्य-सरकार कानून सम्बन्धी अनुभव के प्रकाश में कानून में संशोधन करना आवश्यक समझा गया जिससे उसमें निम्नलिखित विषय सम्बन्धी व्यवस्थाएँ की जा सकें।

(१) सम्बन्धित राज्य की विधान सभा में राज्य के आय-व्यय के लेखे पर आडिटर जनरल और कम्प्ट्रोलर की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए;

(२) कानून की धारा ३३ को संशोधित किया जाय जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि यद्यपि राज्य विधान सभाओं में विधेयक तो हिन्दी में प्रस्तुत किये जा सकते हैं और उनके अधीन नियम और आदेश हिन्दी अथवा प्रादेशिक भाषा में जारी किये जा सकते हैं, पर अधिकृत लेखन कार्य भाग "क" और "ख" के राज्यों की भाँति अंग्रेजी में ही हो;

(३) कानून की धारा ३६ का संशोधन इसकी ओर संकेत करने के लिए किया जाये कि भाग "ग" राज्यों के संगठित कोष में केन्द्र द्वारा दिए गए

अहम भी सम्मिलित रहेंगे जिससे राज्य अपने पूंजीगत बजट बना सके;

(४) राष्ट्रपति को चुनाव कमीशन के परामर्श से राज्य विधान सभा के किसी भी सदस्य को अयोग्य घोषित करने के प्रश्न पर निर्णय करने के अधिकार की व्यवस्था की जाये;

(५) कानून की धारा २२ का संशोधन किया जाये जिससे राज्य विधान मंडल २६ जनवरी, १९५० से १ अप्रैल, १९५२ तक के समय में राज्य तथा तत्सम्बन्धी सूची में सम्मिलित विषय के सम्बन्ध में संसद द्वारा पास किये गये कानूनों में संशोधन कर सके; और

(६) प्रत्येक राज्य के लिए 'आकस्मिक कोष' की स्थापना की जाये।

इन व्यवस्थाओं से सम्बन्धित एक विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पास किया गया और भाग 'ग' राज्य शासन (संशोधन) कानून १ अप्रैल, १९५४ को लागू हुआ।

बिलासपुर

बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश में मिला देने का निर्णय किया गया है। इसलिए हिमाचल प्रदेश का लेफ्टिनेंट गवर्नर बिलासपुर का चीफ कमिशनर भी नियुक्त किया गया। इस परिवर्तन के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विभागों के प्रधानों के अधिकार में बिलासपुर के भी तत्सम्बन्धी विभाग कर दिये गये। बिलासपुर के हिमाचल प्रदेश में पूर्ण रूप से मिला दिये जाने के पूर्व दोनों राज्यों के प्रशासन में एक प्रकार से एकरूपता ला दी गई है।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश

१९५३ का उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (भाग "ख" के राज्य) आदेश राष्ट्रपति द्वारा २६ दिसम्बर, १९५३ को जारी किया गया था। इस आदेश में जो राज्य सरकारों तथा राजप्रमुख के परामर्श से जारी किया गया था, भाग "ख" के राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की पेन्शन, छुट्टी, उनके भत्तों तथा यात्रा-भत्तों के सम्बन्ध में व्यवस्थाएं दी गई हैं। इस आदेश के

अन्तर्गत वे न्यायाधीश भी आ जायेंगे जो एक निर्दिष्ट समय के लिए इन उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश अथवा सामान्य न्यायाधीश रहे तथा जो आदेश जारी होने की तिथि के पहले अवकाश प्राप्त कर चुके हैं।

भाग 'ख' और 'ग' राज्यों में काश्तकारी-कानून-सुधार

हैदराबाद, विन्ध्य प्रदेश, भोपाल और हिमाचल प्रदेश में काश्तकारी कानून में सुधार किये गये। विन्ध्य प्रदेश और भोपाल में कानून द्वारा जागीरों का उन्मूलन हो गया है जिसके अंतर्गत वर्तमान काश्तकारों को स्वन्ववाधिकार और जागीरदारों को मुआविले का भुगतान भी शामिल है। इन उपायों को योजना कमीशन के साथ परामर्श-पूर्वक किया गया है और ये पंचवर्षीय योजना की मुख्य सिफारिशों के अनुकूल हैं।

सलाहकार-परिषद

'ग' भाग शासन अधिनियम १९५१ की धारा ४२ के अनुसार त्रिपुरा और मणिपुर में सलाहकार परिषदें बनाई गईं। त्रिपुरा की सलाहकार-परिषद में तीन गैर सरकारी सदस्य हैं और मणिपुर की परिषद में पाँच।

सीमा का समन्वय

राजस्थान और बम्बई, तिरुवांकुर-कोचीन और मद्रास तथा बिहार और उड़ीसा के मध्य सीमा-समन्वय सम्बन्धी कई प्रश्न उठे, जिन पर अब राज्य-पुनर्गठन कमीशन विचार करेगा।

'ख' भाग के राज्यों को विशेष सहायता

राजस्थान, मध्यभारत, सौराष्ट्र और पेंसू के साथ किये गये संघीय वित्तीय एकीकरण सम्बन्धी समझौतों की शर्त के अनुसार भारत सरकार ने इन चार राज्यों को १९५१-५२ में ३ करोड़ रुपये देना निश्चित किया है। यह रुपये केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत राष्ट्रीय योजनाओं पर व्यय हुआ है। इन योजनाओं में सिंचाई के साधन, देहात में जल व्यवस्था, और सड़कों और पुलों का निर्माण शामिल हैं।

इन चारों राज्यों को उक्त समझौतों की शर्त के अनुसार और अधिक

सहायता देने के सम्बन्ध में विचार करने के लिए भारत सरकार ने श्री० एन० वी० गाडगिल की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है, जो इन राज्यों की खास-खास आवश्यकताओं की जांच करेगी।

सरकार ने कमेटी की सिफारिशों को यह समझकर स्वीकार कर लिया है कि राज्य सरकारें भी उन सिफारिशों को कार्यान्वित करेंगी जो कमेटी ने प्रशासनिक और आयोजनात्मक शासन-यन्त्र के सुधार की दृष्टि से की हैं। इस निश्चय के कारण उस विशेष सहायता के अतिरिक्त जो कि इन राज्यों को दी जा चुकी हैं, राज्यों की पंचवर्षीय योजनाओं के लिए दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता में से ४ करोड़ २० की सहायता सीधे अनुदान के रूप में दी जायगी, ऋणों के रूप में नहीं। यह चार करोड़ रुपये की रकम राज्यों में इस प्रकार वितरित होगी :—

	लाख रुपये
सौराष्ट्र	१००
मध्यभारत	१००
राजस्थान	१५०
पेप्सू	५०

प्रशासनिक इमारतों, सड़कों और गांवों में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था के लिए, आगामी दो वर्षों में इन राज्यों को ४ करोड़ रुपये तदर्थ अनुदान के रूप में और दिये जाएंगे। यह तदर्थ अनुदान इस प्रकार वितरित होगा—

	लाख रुपये
सौराष्ट्र	६०
मध्यभारत	१००
राजस्थान	१५०
पेप्सू	६०

उपर्युक्त उद्देश्यों की सिद्धि के लिए १९५४-५५ के केन्द्रीय बजट में क्रमशः २२५ लाख और १५० लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। शेष रुपया इन राज्यों को आवश्यकतानुसार दिया जायगा।

‘ग’ भाग के राज्यों को अनुदान

भोपाल, हिमाचल प्रदेश, और विन्ध्य प्रदेश की अपनी अलग एकीकृत निधियां हैं, परन्तु केन्द्रीय सरकार के राजस्व से वार्षिक अनुदान भी इन निधियों को मिलता है।

कच्छ, मणिपुर और त्रिपुरा की अपनी अलग स्वीकृत निधियां नहीं हैं, उनका राजस्व और अन्य आय केन्द्रीय राजस्व में जमा होती हैं और उनके व्यय की व्यवस्था केन्द्रीय बजट में की जाती है।

केन्द्र और ‘ग’ भाग के राज्य

यह निश्चय हो चुका है कि भारत सरकार के मन्त्रालय ‘ग’ भाग के राज्यों के अपने प्रशासनाधीन विषयों को संभालें और राज्यमन्त्रालय शान्ति और व्यवस्था, शासकों के अधिकार और विशेषाधिकार तथा भारत सरकार अथवा राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजे गये विधेयकों की जांच-पड़ताल, राज्य की आन्तरिक समस्याओं के सुलझाने आदि का कार्य करे। राज्य-मन्त्रालय ‘ग’ भाग के राज्यों के बजटों की जांच-पड़ताल भी करता है।

संचार

नागरिक हवाई यात्रा

देश के वायु परिवहन उद्योग को आर्थिक दृष्टि से सुबढ़ बनाने के लिये, उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और १५ जुलाई, १९५३ को दो वायु निगम बनाये गये (१) एअर इण्डिया इन्टरनेशनल और (२) इण्डियन एअरलाइन्स कारपोरेशन। इन निगमों ने १ अगस्त, १९५३ को ६ अनुसूचित वायु परिवहन कम्पनियों का काम अपने हाथ में ले लिया।

एअर इण्डिया इन्टरनेशनल ने ब्रिटेन और नैरोबी की सेवाएँ जारी रखीं।

आन्तरिक

३ अक्तूबर, १९५३ से नैरोबी वाली सेवा की गति बढ़ाकर पखवाड़े में ३ बार से सप्ताह में २ बार कर दी गई। ब्रिटेन वाली सेवा की गति भी बढ़ा दी गई और सप्ताह में ३ बार से ४ बार कर दी गई। इसके अलावा एअर इण्डिया इन्टरनेशनल ने १९५४ के मध्य तक बैंकाक और मनीला, हांगकांग होकर टोकियो को और सिंगापुर होकर जकार्ता को नई सेवा जारी करने की योजना बनाई है।

इण्डियन एअरलाइन्स कारपोरेशन अपने डकोटा हवाई जहाजों के स्थान पर नयी किस्म के हवाई जहाज रखना चाहता है और इसके लिये १९५४-५५ के बजट में आवश्यक व्यवस्था हो गई है।

७ नवम्बर, १९५३ को पाकिस्तान से बातचीत करने के बाद इण्डियन एअरलाइन्स ने अमृतसर-लाहौर-काबुल-कंधार मार्ग पर दिल्ली से अफगानिस्तान को नई सेवा जारी की। पहले बम्बई से काबुल तक एक सेवा थी, जो कराची, जहोवन, और कंधार के टेढ़े-मेढ़े मार्ग से जाती थी।

इस वर्ष वायु-सेवाओं के संचालन के लिये भूमि सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था में विशेष सुधार हुआ। समुचित वायु यातायात नियन्त्रण तथा तार-टेलीफोन संचार सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था के लिये कूचबिहार और बलूरघाट के हवाई स्टेशन पश्चिमी बंगाल की सरकार से ले लिये गये।

उमडम में एक दूसरा रन-वे और डब्ल्यू. टी. स्टेशन बन कर तैयार हो गया। सान्ता क्रूज के रन-वे और बढ़ा दिये गये तथा पालम में वर्तमान टैक्सी-मार्ग चौड़ा कर दिया गया और एक नया मार्ग और बनाया गया।

इलाहाबाद में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केन्द्र ने व्यापारिक विमान-चालकों, नाविकों, भूमि-यन्त्रशास्त्रियों, वायु यातायात नियन्त्रण अफसरों और रेडियो आपरेटरों तथा टेक्निशियनों को प्रशिक्षण दिया। इनके अलावा वायु-संचार-संगठन के कर्मचारियों के लिये प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया। कोलम्बो योजना के अनुसार नागरिक उड्डयन के विभिन्न विषयों

सातवाँ वर्ष

के प्रशिक्षण के लिये केन्द्र में १६ स्थान दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के नागरिकों के लिये सुरक्षित रखे जाते हैं।

जयपुर में राजस्थान ग्लाइंग क्लब नामक एक नये उड़्डयन क्लब को सहायता दी गई। दस क्लब वहाँ पहले से ही विद्यमान थे। १९५३-५४ में इन उड़्डयन क्लबों ने कुल मिला कर १२७ "क" श्रेणी के और ३६ "ख" श्रेणी के विमान चालकों को प्रशिक्षण दिया। पूना और दिल्ली के दोनों ग्लाइडिंग क्लबों को सरकारी सहायता मिलती रहती है और उन्होंने ७१ ग्लाइडर चालकों को प्रशिक्षण दिया। उड़्डयन और ग्लाइडिंग क्लबों को कुल १४.८ लाख रुपये की सहायता दी गई।

सरकारी सहायता के बावजूद, पूना का भारतीय ग्लाइडिंग संघ आर्थिक कठिनाइयों में फँसता जा रहा है। अब सरकार ने उसे अपने अधिकार में लेने का निश्चय कर लिया है।

मौसम सूचना

भारतीय मौसम सूचना विभाग सैनिक और असैनिक हवाई यात्रा, नाविक और व्यापारिक जहाजरानी, बन्दरगाह, कृषि, वनों, सिंचाई और बिजली योजनाओं, सार्वजनिक निर्माण कार्यों, रेलों, सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाओं और जनसाधारण के लिये मौसम सम्बन्धी सूचनाएँ देता है।

खास तौर से किसानों के लिये आकाशवाणी के केन्द्रों से विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं में मौसम सम्बन्धी सूचनाएँ दी जाती हैं। ये सूचनाएँ अखबारों में भी छपती हैं और रुपया भेजनेवाले लोगों को तार द्वारा भी भेजी जाती हैं। उत्तर भारत में एक वेधशाला की स्थापना के लिये स्थान चुनने के लिये उज्जैन में २ साल तक निरीक्षण परिस्थितियों के देखने का प्रबन्ध किया जा चुका है।

रेडियो वायु-ज्ञान केन्द्रों की स्थापना की योजना पर विचार हो रहा है। ये केन्द्र अधिक ऊँचाई पर और वर्षा के दिनों में ऊपर की हवाओं का अध्ययन किया करेंगे। हवाई जहाजों को आधी-तूफान की सूचना देने के लिये देश के

अन्दर खास-खास अन्तर्राष्ट्रीय हवाईअड्डों पर रडार यन्त्र लगाने पर भी विचार हो रहा है।

आसाम और उत्तरपूर्वी सीमा प्रदेश में मौसम-सूचना-संगठन को दृढ़ बनाने के उपाय किये जा रहे हैं।

समुद्रपार संचार

पंचवर्षीय विकास योजना के अन्तर्गत समुद्रपार संचार सेवा के लिये नयी योजनायें आरम्भ की जा रही हैं। कलकत्ता में प्रसारण और संग्रहण केन्द्रों की स्थापना के लिये जमीन प्राप्त कर ली गई है और निर्माण कार्य शुरू हो गया है। ब्रिटेन और लन्दन से मिले हुए अन्य देशों को जानेवाले प्रादेशिक विदेशी तारों के प्रेषण के लिये कलकत्ता में एक नमूने का केन्द्र मार्च १९५३ में खोला गया। जब यह केन्द्र पूर्णतया विकसित हो जायगा, तो यह अमेरिका के लिये एक सीधी टेलीफोन सेवा और पूर्व तथा सुदूरपूर्व के देशों के लिये सीधी तार और टेलीफोन सेवाओं की व्यवस्था कर सकेगा।

कलकत्ता और लन्दन के बीच एक सीधी बेतार के तार की सेवा १२ मार्च, १९५३ को और भारत तथा पूर्वी अफ्रीका (नैरोबी) के बीच एक सीधी रेडियो टेलीफोन सेवा १८ अगस्त, १९५३ को स्थापित हुई। भारत और हांगकांग तथा भारत और स्विट्जरलैंड के बीच एक-एक सीधी रेडियो टेलीफोन सेवा क्रमशः २३ दिसम्बर, १९५३ और १ मार्च, १९५४ को आरम्भ हुई।

इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड

पंचवर्षीय योजना में इस कारखाने के लिए उत्पादन का लक्ष्य इस प्रकार निश्चित किया गया था—टेलीफोन-२५,०००, एक्सचेंज लाइनें—२०,०००। यह लक्ष्य पूरा हो चुका है। योजना-काल के लिये नये लक्ष्य इस प्रकार हैं:—टेलीफोन-६०,०००, एक्सचेंज लाइनें—४०,०००। शेअर पूंजी को २.५ करोड़ रुपये से बढ़ाकर ४ करोड़ रुपये कर देने का विचार है।

यह कारखाना कण्डेसर्स को छोड़कर टेलीफोन यन्त्र के शेष सब भाग तैयार करता है। आशा है, कण्डेसर्स भी शीघ्र ही तैयार होने लगेंगे। कारखाने

सातवाँ वर्ष

में स्वचालित एक्सचेंज सामग्री और प्रसारण सामग्री भी तैयार होती है। एक मार्ग वाले टेलीफोन का सामान तो अब भी तैयार होता है, १९५४-५५ में तीन मार्ग वाले टेलीफोन का सामान भी बनने लगेगा।

बेतार के तार के आयोजन और एकीकरण का संगठन

यह संगठन बेतार के तार के संचालन के आयोजन और एकीकरण के लिये १९५२ में स्थापित हुआ था। १९५३ में उन योजनाओं के अनुसार, जो १९५१ में जेनेवा में असाधारण प्रशासनिक रेडियो सम्मेलन में स्वीकृत हुई थीं, नाविक और वैज्ञानिक गति-तीव्रता में पर्याप्त वृद्धि हुई। भारत में बेतार के तार के ऐसे संचालन-कार्य, जिनसे भूमध्यसागर और दक्षिण-पूर्वी एशिया के प्रदेशों में वैमानिक सेवाओं के लिए एकाग्रता पैदा हो सकती थी, बन्द कर दिये गये और इस प्रकार उन प्रदेशों की गति-तीव्रता की योजनाओं की पूर्ति में सहायता की गई। वायरलेस आपरेटरों के लिए ३ परीक्षाओं की व्यवस्था की गई। संगठन की अधीनता में मानीटरिंग (monitoring) सम्बन्धी कुछ सुविधायें भी उपस्थित की गई हैं और उन बहुत सी टैक्निकल जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिये, जो अन्तर्राष्ट्रीय तार टेलीफोन संचार समझौता तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय करारों पर हस्ताक्षर करने के कारण भारत पर आ पड़ी है, देश-देश में बहुत से मानीटरिंग केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं।

डाकखाने

अक्टूबर १९५४ में पहली भारतीय डाक टिकट को जारी हुए परे १०० वर्ष हो जायेंगे। इस अवसर पर एक अन्तर्राष्ट्रीय टिकट-संग्रह और डाक प्रदर्शनी होगी तथा कुछ विशेष प्रकार की टिकटें और उन भारतीय डाक टिकटों की उन्हीं रंगों की प्रतिकृतियों का एक स्मारक अलबम जारी किया जायगा, जो विगत १०० वर्षों में इस्तेमाल होती रही हैं। भारतीय डाकखानों और डाक टिकटों का इतिहास भी प्रकाशित किया जायगा। इस शताब्दी-समारोह में कई विदेशी डाक-प्रशासन भाग लेंगे।

२,००० या २,००० से अधिक आबादी वाले गांवों में डाकखाने स्थापित करने का कार्यक्रम ३१ मार्च, १९५३ तक पूरा हो गया। १ अप्रैल, १९५३ से गांवों में डाकखाने स्थापित करने की एक नई नीति पर अमल हो रहा है।

इसके अनुसार ऐसे ग्राम-समूहों में डाकखाना स्थापित किया जाता है, जिसकी आबादी २,००० या २,००० से अधिक होती है। इसमें इस बात का भी ध्यान रखा जा सकता है कि डाकखाना किसी गांव से कितनी दूर है। १ अप्रैल, १९५३ से दिसम्बर, १९५३ तक १,३७२ नये डाकखाने स्थापित किये गये।

इस वर्ष तीन बार स्मारक-टिकटें जारी की गई : (१) रेलवे-शताब्दी के अवसर पर (२) २९ मई, १९५३ को एवरेस्ट-विजय के उपलक्ष्य में और (३) नवम्बर, १९५३ में भारतीय तार शताब्दी के अवसर पर।

तार

दिसम्बर, १९५३ तक १५० संयुक्त तारघर खोले गये, जिससे भारत में तारघरों की कुल संख्या ८,६२० हो गई। जिले के समस्त मुख्य नगरों में तार-सुविधायें प्रदान की जायेंगी।

विभिन्न नगरों के मध्य अधिक सीधा सम्पर्क हो जाने के कारण, अधिक व्यस्त शाखाओं पर बी. एफ. टी. लग जाने के कारण, सभी मुख्य सर्किटों पर टेलीप्रिन्टर लग जाने के कारण तथा टेलीप्रिन्टरों की सफाई का कार्यक्रम जारी हो जाने के कारण तार-सेवा की कुशलता बहुत बढ़ गई।

आशा की जाती है कि फीता-प्रणाली से तार भेजने में देरी न हुआ करेगी। इस प्रणाली के लिये सामान मंगा लिया गया है और बम्बई के केन्द्रीय तारघर में लगा दिया गया है। नई दिल्ली, कलकत्ता तथा अन्य मुख्य नगरों में भी इस पद्धति को जारी करने पर विचार हो रहा है।

हिन्दी लिपि में भारतीय भाषा-तार-सेवा और भी कई जगह जारी की गई और अब ५२५ तारघरों में उपलब्ध है। थोड़ी दूरी वाले ट्रंक टेलीफोन सर्किटों में इस सेवा को 'फोनोकम' द्वारा और भी स्थानों में जारी करने की व्यवस्था की जा रही है। भारतीय भाषाओं में इस वर्ष १८,९३९ तार भेजे गये, जबकि गत वर्ष कुल ७,८०१ ही भेजे गये थे। विभाग ने जो हिन्दी टेलीप्रिन्टर तैयार किया था, वह सफल सिद्ध हुआ है, परन्तु उसकी गति अंग्रेजी के टेलीप्रिन्टर की अपेक्षा कम है।

टेलीफोन

जनवरी से दिसम्बर, १९५३ तक ४८ नये टेलीफोन-एक्सचेंज खोले गये और नए एक्सचेंज जम्मू और काश्मीर राज्य में १६ सितम्बर, १९५३ को अधिकाधिक में लिये गये। २१ हजार से भी अधिक नये टेलीफोन लगाये गये। ३१ दिसम्बर, १९५३ को टेलीफोनों की कुल संख्या २,१८,००० से अधिक थी। १९५३ में ४१६ सार्वजनिक 'काल आफिस' खोले गये, जिससे ३१ दिसम्बर, १९५३ को उनकी संख्या कुल ३,२५८ हो गई। यह निश्चय किया गया है कि समस्त जिला-नगरों में ट्रंक-टेलीफोन की व्यवस्था की जाय।

१९५३-५४ में लगभग १३० लाख ट्रंक-काल हुए, जबकि अविभाजित भारत में १९३८-३९ में केवल २२,५०,००० ही ट्रंक-काल हुए थे। पिछले वर्ष, बड़े हुए काम को देखते हुए १४ अतिरिक्त ट्रंक लाइनों, १४ सिगिल-चैनल कैरियर, १३ यूचैनल कैरियर और २ ट्वैल्व-चैनल कैरियर विभिन्न भागों पर लगाये गये।

कलकत्ता में केन्द्रीय, जोड़ासां को और एवेन्यू के स्वचालित एक्सचेंजों के स्थापित होने से भारत में पहली सीधी एक्सचेंज प्रणाली आरम्भ हुई। कलकत्ता में और भी एक्सचेंज योजनानुसार बन रहे हैं।

१६ नवम्बर, १९५३ को भारत सरकार ने राष्ट्रीय टेलीफोन-संचार-विकास और गवेषणा-परामर्श-समिति नाम की एक समिति बनाई, जिसमें उच्च-कोटि के वैज्ञानिक रखे गये।

डाक की दरें

१९४८-४९ से डाक विभाग में अधिक घाटा होते रहने के कारण अप्रैल और मई, १९५३ में डाक की कुछ दरें बढ़ानी पड़ीं। इस वृद्धि से १९५३-५४ के अनुमानित घाटे में काफी कमी हुई। फिर भी यह समझा जा रहा है कि गांवों में डाक-सुविधायें बढ़ाने के कार्यक्रम तथा अन्य अलाभजनक कार्यों के आरम्भ के कारण घाटा फिर बढ़ जायगा।

परिवहन

बन्दरगाह

कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और कोचीन के बड़े बन्दरगाहों को सुधारने के लिए कई योजनाएँ बनाई गई हैं और निर्माण-कार्य पर लगभग ३६२.२० लाख रुपया व्यय भी हो चुका है। इस व्यय की पूर्ति के लिये केन्द्रीय सरकार ने १६५ लाख रुपया कर्ज दिया है। कांडला में बन्दरगाह का निर्माण सितम्बर, १९५३ में आरम्भ हुआ था। इस पर अनुमानतः ६.६५ करोड़ रुपया व्यय होगा।

बम्बई बन्दरगाह पर नये मैरीन आइल टर्मिनल का निर्माण हो रहा है। इस पर लगभग ७ करोड़ रुपया व्यय होगा। इस योजना के लिए सरकार ने ३ करोड़ रुपया कर्ज दिया है।

देश के खास-खास छोटे बन्दरगाहों को सुधारने का कार्यक्रम भी बना लिया गया है और उसके अनुसार कई तटवर्ती राज्यों में काम हो रहा है। इन राज्यों को २२.६३ लाख रुपये की सहायता दी जा चुकी है, पंचवर्षीय योजना की अवधि में केन्द्र की ओर से इन्हें कुल ८० लाख रुपये की सहायता दी जायगी।

अन्तर्देशीय जल-परिवहन

भारत में ५,५०० मील से भी अधिक लम्बा जल-मार्ग नौकानयन के योग्य है। मुख्य जलमार्ग इस प्रकार हैं—गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियाँ, गोदावरी, कृष्णा, और तिरुवांकुर-कोचीन के सामुद्रिक जलमार्ग और नहरें। मद्रास और आन्ध्र राज्यों में बकिंघम नहर और पश्चिमी समुद्र तट की नहरें और उड़ीसा में महानदी की नहरें भी उत्तम जलमार्ग हैं। नई ब्रह्मदेशीय नदी घाटी योजनाओं में नौकानयन योग्य जलमार्गों की भी योजनाएँ शामिल हैं। राज्य-सरकारों में प्रभावपूर्ण सामंजस्य के लिये अन्तराज्यीय संगठनों की आवश्यकता है। गंगा-ब्रह्मपुत्र-जल-परिवहन-बोर्ड ने इस दिशा में कार्य भी आरम्भ कर दिया है।

सड़क-परिवहन

पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित करने से उत्पन्न होने वाली परिवहन सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयोजन के कुछ पहलुओं पर सलाह देने के लिये योजना कमीशन, परिवहन, रेलवे, उत्पादन, व्यापार और उद्योग, खाद्य और कृषि तथा श्रम मन्त्रालयों के प्रतिनिधियों का एक गवेषणा-बल बनाया गया है।

दिल्ली-परिवहन-सेवा (डी० टी० एस०)

दिल्ली-सड़क-परिवहन-प्राधिकार-जांच-समिति की सिफारिशों के अनुसार कार्य करने से बस-सेवा में काफी सुधार हुआ है। ८८ पुरानी बसें रद्दी करार दे दी गईं, ६४ नई बसें चालू की गईं, और मार्च, १९५४ तक ७० बसें और चालू हो जायेंगी। इस प्रकार बसों की कुल संख्या ३१६ हो जायगी। बस-यात्रियों के लिये ४१ सुरक्षा-स्थान बनाने की स्वीकृति मिल गई है और २ डिपो और एक केन्द्रीय कारखाना शीघ्र ही बनकर तैयार होने वाले हैं; इन पर लगभग २० लाख रु० खर्च होगा। ७० नई डीज़ल बसें खरीदने और कारखाना तथा डिपो बनाने के लिए प्राधिकार को ४५ लाख रुपये कर्ज दिया गया है। १९५४ में प्राधिकार को लगभग २.९७ लाख रुपये का लाभ होगा, जबकि पिछले साल ३.९९ लाख रुपये का लाभ हुआ था।

जहाजरानी

इस साल पुराने जहाजों की कीमतें गिरने लगीं और भारतीय जहाजी कम्पनियों ने बाहर से पुराने जहाज खरीद कर अपने जहाजों की संख्या बढ़ा ली। १९५३ के अन्त में कुल भारतीय जहाजों का टन भार ४,३३,००० जी० आर० टी० था। परन्तु जहाजों की संख्या उतनी नहीं बढ़ी, जितनी कि योजना कमीशन के कार्यक्रम में बनाई गई थी। इसलिये सरकार ने भारतीय जहाजी कम्पनियों के लिये कर्ज की शर्तों को अधिक उदार बनाना स्वीकार कर लिया है।

देश का समस्त तटीय व्यापार उन जहाजों द्वारा हुआ जो भारतीय कम्पनियों के अपने थे या किराये पर लिये गये थे। साल में २५ लाख टन माल तट पर एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाया गया, जिसमें कोयला १२ लाख

टन और नमक ३ लाख टन था। तटीय जहाजों के खरीदने के लिये कर्ज देने के वास्ते इस वर्ष के बजट में एक करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

भारतीय जहाजी कम्पनियों को १९५२-५३ में समुद्र पार के व्यापार में ८.२५ करोड़ रुपया भाड़ा प्राप्त हुआ, जबकि पिछले वर्ष ७.६२ करोड़ रुपया ही प्राप्त हुआ था।

इस वर्ष, समुद्रपार व्यापार के लिये जहाज खरीदने के वास्ते २॥ प्रति-शत व्याज पर कर्ज देने के हेतु भी २ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड में ८,००० डी० डब्ल्यू० टी० के दो जहाज तैयार हुए और ५ तैयार हो रहे हैं।

ईस्टर्न शिपिंग कारपोरेशन विशाखापत्तनम् शिपयार्ड में आठ-आठ हजार टन के दो जहाज बना रहा है।

भारतीय व्यापारिक बेड़े के लिए नाविकों के प्रशिक्षण में काफी प्रगति हुई। लगभग एक हजार लड़के नाविक-प्रशिक्षण-जहाजों-‘भद्रा’ और ‘भेखला’ से पास होकर निकले। ये जहाज क्रमशः कलकत्ता और विशाखापत्तनम् में खड़े हैं। इन सब लड़कों को अब काम मिल गया है।

भारत में पहला रडार-प्रशिक्षण-केन्द्र नाविक और इंजीनियरिंग कालेज के तत्वाधान में अक्टूबर, १९५३ में खुला।

नाविक इंजीनियरिंग के प्रशिक्षण की नई योजना के अनुसार १९४६ में ४६ नौसिखुओं का जो पहला दल भर्ती किया गया था, वह १९५३ में नाविक इंजीनियरिंग कालेज से प्रशिक्षण प्राप्त करके निकला। २८ और शिक्षार्थियों ने ‘डफरिन’ से ‘क’ भाग पास किया। इस प्रकार इस वर्ष सरकार द्वारा प्रशिक्षित कुल लड़कों की संख्या ७४ हो गई।

प्रकाश-स्तम्भ विकास

प्रकाशस्तम्भ-विभाग अब परिवहन-मंत्रालय के अधीन एक स्वतन्त्र एकक के रूप में कार्य कर रहा है। यह जहाजरानी के प्रधान निदेशक के कार्यालय से १ जुलाई, १९५३ को पृथक् हुआ था। प्रकाशस्तम्भों के विकास-व्यय और नाविक उपकरणों के सुधार-व्यय की पूर्ति के लिये जून, १९५३ में जहाजों पर प्रकाश-शुल्क बढ़ा दिया गया।

वेनगुर्ला राबस लाइटहाउस और ब्राइटर लाइट हाउस के लिये दो मोटरबोटें बनाई गई हैं। पैरोटन, डोलिफ़्रन्स नौज, कोर्लईफोर्ट और भटकल में नये स्तम्भ और कर्मचारियों के लिये मकान बनाये जा रहे हैं।

भारत के समुद्रतट पर प्रकाश की देखभाल करने के लिये विभाग ने ५०,००० पौंड का एक पुराना जहाज खरीदा है।

कांडला बन्दरगाह में नौका-मार्ग के निदेशन और प्रकाशन के लिये जो योजना बनाई गई थी, उसमें काफी प्रगति हो चुकी है।

पर्यटकों का आगमन

१९५३ में विदेशों से पर्यटन के लिये आने वाले यात्रियों की संख्या २८,०६० थी। इनमें ६,२०६ अमेरिकी थे। श्रीनगर और बनारस में नये यात्री-सूचना दफ्तर खोले गये हैं और अब भारत में ऐसे दफ्तरों की संख्या सात हो गई है। एक दफ्तर भारत के बाहर भी है। सीमा-संबन्धी नियम, विज्ञ और सीमा-शुल्क सम्बन्धी नियम अधिक सरल बना दिये गये हैं। पर्यटकों की सुविधा के लिये बहुत-सी प्रकाशन-सामग्री तैयार की गई और विदेशों तथा भारत में वितरित की गई है। इस सामग्री में पुस्तक-पुस्तिकाएं, फोल्डर, पोस्टर, कलेंडर, चित्र-कार्ड, माडेल और फिल्म हैं।

सड़क-विकास

दिसम्बर, १९५३ तक राष्ट्रीय राजमार्गों का २६३ मील लम्बा हिस्सा

और १६ बड़े पुल बन कर तैयार हुए । वर्तमान राजमार्गों का १,८०० मील लम्बा हिस्सा सुधारा गया ।

‘ग’ भाग के राज्यों में तथा उत्तर-पूर्वी सीमा एजेन्सी में १,११३ मील लम्बी सड़क बनाई गई और ४०३ मील लम्बी वर्तमान सड़क सुधारी गई । इसमें आसाम को त्रिपुरा से मिलाने वाली १३४ मील लम्बी नई अग्रतला-आसाम सीमा-सड़क भी है ।

रेलें

विकास-कार्य

चुनार-रावर्ट्सगंज, चंडीगढ़ का वैकल्पिक मार्ग, राजकोट बाहर राजकोट जंक्शन, पिह्जि-नडियाद और सांगानेर शहर-तोड़ा रायसिंह विस्तार का एक भाग पूरा हो गया है और यातायात के लिये खुल गया है ।

नीचे लिखे रेल-मार्ग, जो तोड़ दिये गये थे, १९५३-५४ में फिर बना दिये गये :— बाबिली-सालूर, शोरानूर-नीलाम्बर, वसाद-कथाना, बालामऊ-माधोगंज, मदुरा-उसीलमपट्टी, नगरौटा-जोगेन्द्र नगर और भागलपुर-मन्दार पहाड़ी शाखाएँ ।

पुनरुत्स्थापन की गति बढ़ाने के लिये बहुत से इंजन बाहर से मंगाये जा रहे हैं । परन्तु सरकार की नीति यह है कि यथाशक्ति देशी साधनों का ही उपयोग किया जाय । आगामी चार वर्षों में, चित्तरंजन रेल-इंजन कारखाने का वार्षिक उत्पादन-लक्ष्य १२० से बढ़ाकर १५० और तत्पश्चात् २०० औसत दर्जे के इंजनों का कर दिया जायगा । इसी प्रकार टाटा लोकोमोटिव एंड इंजीनियरिंग कम्पनी भी १९५४-५५ में अपने ५० इंजन प्रतिवर्ष के उत्पादन-लक्ष्य को प्राप्त कर लेगी, ऐसी आशा है । यह कम्पनी अब तक कुल ५० इंजन तैयार कर चुकी है ।

यात्री-गाड़ी के डिब्बे बाहर से न मँगाने की नीति पर अमल हो रहा है और हिन्दुस्तान एअरक्राफ्ट लिमिटेड तथा रेल-कारखानों की क्षमता बढ़ा दी गई है ।

संचालन

१९५३-५४ में रेलों के समय-पालन में और भी सुधार हुआ । सब रेलों के साधन प्रयाग कुम्भ मेले के प्रबन्ध के लिये एकीकृत किये गये । मेले को लाने के लिये ३७४ और ले जाने के लिये ३४४ स्पेशल गाड़ियां छोड़ी गईं । इसके अलावा मेला-क्षेत्र में ५१० शटल गाड़ियां चलाई गईं । रेलवे-कुशलता-विभाग ने लगभग सभी रेलों की संचालन और संगठन सम्बन्धी समस्याओं पर विस्तृत अनुसन्धान किया है । माल के स्थानान्तरण की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिये परिवहन क्षमता बढ़ाने के उपाय किये गये जिनमें डिब्बों और इंजनों की संख्या, मार्ग और गोदाम की क्षमता तथा माल के चढ़ाने-उतारने की सुविधाओं में वृद्धि शामिल है ।

यात्रियों के लिये सुविधा

छोटे स्टेशनों पर यात्री-सुविधाओं में अच्छे प्लेटफार्मों, प्रतीक्षालय, प्रकाश पुल आदि की व्यवस्था शामिल है । प्रथम श्रेणी के समाप्त हो जाने से निम्न श्रेणी के लिये स्थान बढ़ाना संभव हो गया है । तीसरे दर्जे के जो नये डिब्बे बने हैं, उनमें चौड़ी सीटें हैं, पंखे हैं, प्रकाश है और अच्छे शौचालय हैं । सवारी गाड़ियों में भीड़भाड़ कम करने का भी प्रयत्न किया गया । अप्रैल से नवम्बर, १९५३ तक १६० नई गाड़ियां चालू की गईं और १२६ गाड़ियों के मार्ग बढ़ाये गये । १९४६-५० की तुलना में सवारी गाड़ी की मील-संख्या बढ़ी लाइन पर २० प्रतिशत और छोटी लाइन पर ३० प्रतिशत बढ़ी ।

यात्री-मुख-सुविधा व्यवस्था सम्बन्धी कार्य के समीकरण के लिये सब रेलों पर अफसर नियुक्त किये जायेंगे । ये अफसर प्रत्येक रेल के विभिन्न विभागों के मध्य सामंजस्य स्थापित करेंगे जिससे कि काम में शीघ्रता की जा सके । वे वर्तमान परिस्थितियों का पता लगाने के लिये रेलों के विभिन्न खंडों का निरीक्षण करेंगे और जहां भी कोई खराबी पाई जायेगी, वहां वे उचित कार्यवाही करेंगे ।

आन्तरिक

हिन्दी पत्रव्यवहार के काम के लिये रेलवे-बोर्ड के दफ्तर में एक हिन्दी विभाग खोला गया है और रेल-विभाग में प्रयुक्त होने वाले शब्दों के निश्चित हिन्दी पर्याय तैयार किये गये हैं। यह भी निश्चय हुआ है कि रेलवे का अखिल भारतीय टाइमटेबिल हिन्दी में प्रकाशित किया जाय। रेल-कर्मचारियों की भर्ती को आसान बनाने की दृष्टि से दो और रेलवे सेवा कमीशन बनाये गये हैं—एक इलाहाबाद में और दूसरा मद्रास में।

रेलवे भ्रष्टाचार का जांच के लिय आचार्य कृपलानी की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की गई है।

यद्यपि किराया-भाड़ा घटाना सम्भव नहीं हो सका, फिर भी कई प्रकार की रियायतें दी गई हैं। इनमें ये रियायतें शामिल हैं:— १,५०० मील से अधिक दूरी के लिये तीन-चौथाई किराये पर सकूलर टूअर टिकटें, विद्यार्थियों के लिये ४५ दिन की राउंड टूअर टिकटें, गैर-सर्वजन क्षेत्रों में विद्यार्थियों के लिये मासिक टिकटें, एक ओर के ड्योढ़े किराये पर पहाड़ी स्थानों के लिये वापसी टिकटें आदि।

रेलवे कर्मचारी

रेल-कर्मचारियों के हितों का भी ध्यान रखा गया है। कुछ क्वार्टरों में आराम की चीजें बढ़ाई जा रही हैं और १९५४-५५ के अन्त तक १८,४३२ नये क्वार्टर बनकर तैयार होने वाले ह। तपेदिक के रोगियों के लिये, हर मण्डल में, उपयुक्त स्थास्थयवर्धक स्थानों में इमारतें बनाने का निश्चय किया गया है।

इस वर्ष, श्रमिकों और प्रबन्धकों के सम्बन्ध अच्छे रहे। दोनों रेल फेडरेशन मिलकर एक नया संगठन बन गया है जिसका नाम नेशनल फेडरेशन आफ इण्डियन रेलवेमैन हैं।

पंचवर्षीय योजना

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत रेलों के लिये ४०० करोड़ रुपये की राशि निश्चित की गई है। १३१.०४ करोड़ रुपये पहले दो वर्षों में खर्च हो गये हैं

सातवाँ वर्ष

और ७७.८८ करोड़ रुपये चालू वर्ष में खर्च किये जायेंगे। योजना के शेष वर्षों में कारखानों पर व्यय बढ़ाने के लिये तथा इंजन और डिब्बे प्राप्त करने के लिये प्रबन्ध किया जा चुका है।

समूहीकरण

पुनः समूहीकृत रेलों के संचालन से यू-सर्विस में सुविधा हो गई है। उपयुक्त स्थानों पर इंजन एकीकृत किये जाने लगे हैं, छोटे-छोटे शेड बन्द किये जा रहे हैं और इंजनों तथा डिब्बों का अधिक अच्छा उपयोग होने लगा है।

प्रायोगिक प्रशिक्षण

सवारी गाड़ी के डिब्बे बनाने के प्रशिक्षण के लिये पेराम्बूर में एक टेकनीकल स्कूल खोल दिया गया है। इस स्कूल में ३०० प्रशिक्षार्थी एक साथ प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।

४. वैदेशिक

अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

संयुक्त राष्ट्र संघीय महासभा के १५ सितम्बर, १९५३ को प्रारम्भ हुए आठवें अधिवेशन के अवसर पर भारतीय प्रतिनिधि मंडल की नेता श्रीमती विजयलक्ष्मी महासभा की अध्यक्ष चुनी गई।

अधिवेशन-काल में कोरियाई प्रश्न यद्यपि पृष्ठभूमि में रहा, पर हमारे संरक्षक दल की सराहना संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अन्यत्र अनेक स्थानों में की गई। दक्षिण अफ्रीका संघ में भारतीय उद्भव के लोगों के प्रति होने वाले व्यवहार की ओर एतदर्थ राजनीतिक समिति का ध्यान गया। समिति द्वारा स्वीकृत एक प्रस्ताव में महासभा के अगले अधिवेशन के सम्मुख रखे जाने के हेतु प्रस्तावों की रचना के लिए स्थापित सद्भावना-समिति को जारी रखने की व्यवस्था रखी गयी।

टोगोलैंड के ट्रस्ट-प्रदेशों के सम्बन्ध में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने इस बात की आवश्यकता पर जोर दिया कि इन प्रदेशों के अस्तित्व में कोई भी परिवर्तन करने के पूर्व इनके निवासियों की इच्छाओं का पता लगा लिया जाना चाहिये। निशस्त्रीकरण तथा अणुबम के उपयोग पर रोक लगाने से सम्बन्धित प्रश्न पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्थापित आयोग ने बहुत थोड़ी प्रगति की। इस मामले में सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों का सहयोग आवश्यक था, इसलिये भारतीय दल ने आयोग की एक ऐसी उपसमिति बनाने तथा उसकी निजी बैठक बुलाने का सुझाव दिया जिसमें तत्सम्बन्धी राष्ट्र हों। इन सुझावों को महासभा द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव में स्थान दिया गया।

भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने अर्द्ध-विकसित क्षेत्रों के आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने से सम्बन्धित प्रस्तावों का भी हृदय से समर्थन किया। मंडल ने यह स्पष्ट रूप से बता दिया कि भारत किसी भी प्रकार की बेगार को स्वीकार नहीं कर सकता।

भारत अर्थ-समाज परिषद का सदस्य बना रहा और महासभा द्वारा इसे तीन वर्षों के लिये ट्रस्टोशिप परिषद का भी सदस्य चुन लिया गया। यूनेस्को के विगत सम्मेलन में यूनेस्को द्वारा स्वीकृत एक प्रस्ताव जनवरी, १९५३ में दिल्ली में गान्धीवादी विचारधारा और पद्धति सम्बन्धी गोष्ठी के प्रतिवेदन के आधार पर तैयार हुआ।

भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने खाद्य एवं कृषि संगठन में भी एक प्रस्ताव रखा जिसमें आपत्तिकाल में अकाल सम्बन्धी सहायता की व्यवस्था रखी गयी। यद्यपि बचतवाले देशों की आवश्यक वित्त देने की अनिच्छा के कारण इस योजना को स्वीकार नहीं किया गया, पर यह सिद्धान्त तो मान ही लिया गया कि खाद्य एवं कृषि संगठन अन्तर्राष्ट्रीय सहायता के संगठन की दृष्टि से अन्य सदस्य-राष्ट्रों का साथ देगा।

भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र संघ के निम्नलिखित संगठनों के कार्यों में भाग लेती आ रही है : विश्व स्वास्थ्य संगठन, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, अन्तर्राष्ट्रीय टेली-संचार संगठन, विश्व डाक यूनियन, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और पुनर्निर्माण तथा विकास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय बैंक। १९५३ में भारत अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की परिषद और खाद्य एवं कृषि संगठन का फिर से सदस्य निर्वाचित हुआ और इसे यूनीसेफ, मानव अधिकार कमीशन, समाज-कमीशन, आंकड़ा-संकलन सम्बन्धी कमीशन, नार्कोटिक औषधियाँ कमीशन, परिवहन और संचार कमीशन, तथा वित्त कमीशन में भी प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ।

कोलम्बो योजना

भारत को अधिक विकसित देशों जैसे कनाडा, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड से आर्थिक तथा टेक्निकल सहायता प्राप्त हुई तथा दक्षिण एशिया

बैदेशिक

के अन्य सदस्य-राष्ट्रों को भारत ने सहायता दी। इस सहायता का एक अंग है भारत में टेकनिकल प्रशिक्षण के लिए छात्रवृत्तियाँ देना।

विदेशों से सहायता

भारत को टेकनिकल सहयोग प्रशासन सम्बन्धी करार के अन्तर्गत अमेरिका से आर्थिक और टेकनिकल सहायता मिल रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ, भारत सरकार तथा नावों के बीच हुए एक त्रिदलीय सम्झौते के अन्तर्गत भारत को नावों से भी आर्थिक और टेकनिकल सहायता मिली है।

भारत के पड़ोसी राष्ट्र

नव बर्मा भूमि राष्ट्रीयकरण विधेयक पर विचार-विमर्श के लिये एक भारतीय दल दिसम्बर, १९५३ में रंगून गया और बर्मा के अधिकारियों ने भारत सरकार के दृष्टिकोण पर विचार करने का वचन दिया है। मार्च और अप्रैल, १९५३ में भारत और बर्मा के प्रधान मंत्रियों ने भारत-बर्मा सीमा के दोनों ओर के जनजातीय क्षेत्रों का संयुक्त रूप से भ्रमण किया। बर्मा प्रदेश में चीनी राष्ट्रवादी सेना की कार्रवाइयों के सम्बन्ध में भारत सरकार ने बर्मा द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ से की गयी शिकायत का भी समर्थन किया।

भारत और लंका के प्रधान मंत्रियों ने जनवरी १९५४ में नई दिल्ली में भेंट की और लंका में भारतीयों के प्रवेश की समस्या के सम्बन्ध में एक समझौता हुआ।

नेपाल के साथ हमारे सम्बन्ध मंत्रीपूर्ण रहे तथा भारत ने नेपाल को वित्तीय और टेकनिकल सहायता दी। एक उच्च भारतीय अधिकारी नेपाल में टेकनिकल मिशन का डायरेक्टर नियुक्त किया गया। भारत में गोरखाओं की भर्ती करने वाले ब्रिटिश कार्यालय इस वर्ष बन्द हो गये।

भारत-पाकिस्तान के सम्बन्धों के विषय में सभी झगड़ों के निपटारे के तथा दोनों के एक समान हितों के लिये सहयोग की भावना पैदा करने के प्रयत्न किए गए। जुलाई और अगस्त, १९५३ में हुए सम्मेलनों के फलस्वरूप विभिन्न समस्याओं के सम्बन्ध में समझौते हुए। चल सम्पत्ति सम्बन्धी समझौतों की

सम्पुष्टि दोनों सरकारों ने की और जनवरी, १९५४ में उनको कार्यान्वित करने के आदेश जारी किये गये। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण प्रश्नों के निपटारे की दृष्टि से दोनों देशों की सरकारों ने अपने-अपने मंत्रालयों को इस सम्बन्ध में बातचीत करने के निर्देश दिये। दोनों देशों के प्रधान मंत्रियों की इन बातचीतों की प्रगति से अवगत रखने के लिये दोनों सरकारों ने एक अधिकारी-समिति स्थापित की।

पूर्वी क्षेत्र से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं पर विचार-विमर्श के लिये ३० सितम्बर, १९५३ से २ अक्तूबर, १९५३ तक कलकत्ता में एक भारत-पाकिस्तान सम्मेलन हुआ। इस अवसर पर कूच बिहार और पूर्वी बंगाल की बस्तियों के विनिमय, सीमा निर्धारित करने तथा पूर्वी क्षेत्र के सीमा सम्बन्धी झगड़ों के निपटारे, आने जाने की स्वतंत्रता, सीमाओं पर होने वाले व्यापार तथा अप्रैल, १९५० में हुए प्रधान मंत्रियों के समझौते के फलस्वरूप उत्पन्न महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार विमर्श हुआ। अगस्त, १९५३ में नई दिल्ली में अपनी वार्ता समाप्त करने पर भारत तथा पाकिस्तान के प्रधान मंत्रियों ने एक संयुक्त विज्ञप्ति में यह दृढ़ विचार व्यक्त किया कि काश्मीर का प्रश्न वहाँ के निवासियों की इच्छानुसार हल किया जायेगा।

अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को सैनिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में हुई बातचीत से एक नयी स्थिति पैदा हुई, जिसका प्रभाव काश्मीर के प्रश्न पर तो पड़ा ही, पर साथ ही साथ दोनों देशों के बीच के अन्य प्रश्नों पर भी पड़ा। बातचीत का परिणाम यह हुआ कि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच एक सैनिक-सहायता का समझौता हो गया जिसके कारण भारत-पाकिस्तान-सम्बन्धों में जटिलता आ गई।

भारत सरकार ने एक अधिकारी सिक्किम राज्य को दिया जो वहाँ योजना अधिकारी के रूप में काम करेगा। इसके अतिरिक्त अन्य प्रश्नों पर सलाह देने के लिए सिक्किम राज्य को समय-समय पर और भी अधिकारी दिये गये।

भारत में विदेशी उपनिवेश

फ्रांसीसी सरकार ने भारत का इस आशय का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया कि जनमत लिये बिना ही पांडिचेरी, कारीकल, माही और यनाम के भारत को हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में बातचीत आरम्भ की जाए। उनका कहना यह है कि फ्रांसीसी संविधान इस बात की अनुमति नहीं देता।

भारत स्थित पुर्तगाली बस्तियों के सम्बन्ध में पुर्तगाली सरकार द्वारा भारत सरकार के प्रस्तावों पर विचार विमर्श करना अस्वीकार किये जाने के परिणामस्वरूप लिस्बन स्थित हमारा राजदूतावास ११ जून, १९५३ को बंद कर दिया गया।

दक्षिण-पूर्व एशिया

भारत और इण्डोनेशिया के बीच मित्रता की एक संधि १७ जून, १९५३ को संयुक्तराष्ट्र संघ के सचिवालय में पंजीकृत की गयी।

आजाद हिन्द फौज तथा इण्डियन इन्डिपेन्डेन्स लीग की सम्पत्ति, जो अब मलय के शत्रु-सम्पत्ति-संरक्षक के अधिकार में है, दो तथा एक के अनुपात में भारत और पाकिस्तान के बीच बांट दी जाएगी। मलय की सरकार ने मलय में भारतीय मजदूरों को बसाने के लिये दो योजनाएँ तैयार की हैं।

मध्यपूर्व

मध्यपूर्वी देशों तथा भारत के बीच प्रतिनिधि मंडलों के विनिमय से इन देशों के साथ भारत के सम्बन्ध बृद्ध हो गये। साथ ही निम्नलिखित संधियाँ और समझौते भी हुए :

१. भारत और इराक के बीच मित्रता की संधि सम्बन्धी स्वीकृति-पत्रों का विनिमय २८ अप्रैल, १९५३ को हुआ और ६ मार्च, १९५३ को व्यापार सम्बन्धी समझौते पर हस्ताक्षर हुए।

सातवाँ वर्ष

२. भारत तथा तुर्की के बीच एक व्यापार सम्बन्धी समझौते पर नयी दिल्ली में ४ जून, १९५३ को हस्ताक्षर हुए ।

३. भारत तथा मिस्र के बीच व्यापार तथा भुगतान सम्बन्धी एक समझौते पर काहिरा में ८ जुलाई, १९५३ को हस्ताक्षर हुए ।

सूडान को स्वशासन देने तथा उसके आत्मनिर्णय से सम्बन्धित आंग्ल-मिस्री समझौते में १७ सदस्यों के मिले जुले चुनाव कमीशन की स्थापना की व्यवस्था की गयी जिसका अध्यक्ष एक भारतीय हो । ब्रिटिश और मिस्री सरकारों के अनुरोध पर सूडान में नये चुनावों की व्यवस्था करने के लिये मुख्य चुनाव आयुक्त श्री सुकुमार सेन की सेवाएं उधार दी गईं । भारत सरकार ने भारतीयों तथा भारत के व्यापारिक हितों की देखभाल करने के लिए खारतूम में एक सम्पर्क-अधिकारी नियुक्त करने का निर्णय किया है ।

सुदूरपूर्व

भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ में चीनी गणराज्य को प्रतिनिधित्व दिलाने के अपने प्रयत्न जारी रखे । तिब्बत के सम्बन्ध में समान हितों के प्रश्न पर विचार-विमर्श करने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल पेंकिंग गया और चीन के तिब्बती प्रदेश के सम्बन्ध में भारत और चीन के बीच एक सन्धि पर हस्ताक्षर हुए ।

भारत कोरिया में युद्ध बन्द कराने का प्रयत्न जन १९५३ से कर रहा था । जब दोनों पक्ष युद्ध-बन्दियों की वापसी के प्रश्न पर सहमत हुए, तो युद्ध-बन्दी समझौते के अन्तर्गत कुछ विशेष दायित्व ग्रहण करने के लिये दोनों ओर की सेनाओं ने भारत को आमन्त्रित किया । तदनुसार तटस्थ-राष्ट्र युद्ध-बन्दी वापसी कमीशन के अध्यक्ष तथा कार्यकारी प्रतिनिधि (एजेन्ट) के पदों पर भारतीय नियुक्त किये गये । भारत ने समझौते में निदिष्ट समय के लिये युद्ध-बन्दियों की देखभाल के लिये एक संरक्षक दल भी भेजा । तटस्थ राष्ट्र युद्ध-बन्दी वापसी कमीशन में भारत का प्रतिनिधित्व लेफ्टिनेन्ट जनरल के० एस० थिमैया ने किया । दक्षिणी शिविर के उन युद्धबन्दियों को, जिन्होंने अपने देश वापस जाना पसन्द नहीं किया, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुपुर्व कर दिया

बंदेशिक

गया और उत्तरी शिविर के युद्धबन्दी चीनी और उत्तरी कोरियाई रेडक्रास द्वारा चीन और उत्तरी कोरिया के सुपुर्द कर दिये गये । तटस्थ राष्ट्रों को जाने की इच्छा प्रकट करने वाले ८८ युद्धबन्दीयों को भारत ले आया गया और उनके मामले संयुक्त राष्ट्र संघ के महामन्त्री के पास भेज दिये गये ।

जापानी सरकार के निमन्त्रण पर तीन संसद सदस्यों का एक सद्भावना भंडल विगत सितम्बर महीने में तीन सप्ताह तक जापान का भ्रमण करता रहा । भारत और जापान के बीच हुई शान्ति सन्धि के अनुसार भारत तथा जापान स्थित जापानी और भारतीय सम्पत्ति सम्बन्धी कोषों के सम्बन्ध में विचार विमर्श हुआ ।

अफ्रीका

ब्रिटिश पूर्वी अफ्रीका में संकटकालीन स्थिति के सम्बन्ध में भारत सरकार ने हिंसा की निंदा करते हुए यह विचार प्रकट किया कि केवल दमन से कोई समस्या हल नहीं होती । उसके विचार में किक्वू द्वारा हिंसात्मक कार्य किये जाने के मुख्य कारण का पता लगाकर उनकी कठिनाइयों तथा उनके कष्टों का निवारण किया जाना चाहिए । सरकार ने केंनिया निवासी भारतीयों से वहाँ के राष्ट्रीय दलों के साथ सहयोग करने पर जोर दिया जिससे उनके तथा वहाँ के निवासियों के बीच जातिगत मित्रता की भावना पैदा हो ।

इथियोपिया

इथियोपिया की सरकार के अनुरोध पर इथियोपिया में भारतीय कृषकों के स्थायी रूप से बसाये जाने की योजना के अन्तर्गत आठ भारतीय कृषक परिवारों का पहला जत्था अप्रैल, १९५३ में इथियोपिया पहुँचा । प्रत्येक परिवार को ६६ एकड़ भूमि दी गयी है ।

मध्य अफ्रीका

ब्रिटिश मध्य अफ्रीका के तीन प्रदेशों—न्यासलैंड, उत्तरी रोडेशिया और दक्षिणी रोडेशिया को मिलाकर एक प्रदेश बनाने की योजना के प्रति भारत सरकार को काफी बिलचस्पी थी और उसने यह विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त किया कि ऐसा उन प्रदेशों के अफ्रीकियों का इच्छानुसार ही किया जाना

चाहिये। अफ्रीकियों के विरोध के बावजूद जब नवम्बर, १९५३ में ऐसा संयुक्त प्रदेश बना दिया गया, तब भारत सरकार ने इस प्रदेश के गैर-यूरोपीय लोगों, विशेषकर भारतीयों की अयोग्यताओं के दूर किये जाने का अनुरोध किया।

पश्चिमी अफ्रीका

१९५३ के उत्तरार्द्ध में एक भारतीय राजदूतावास की स्थापना करके भारत ने पश्चिमी अफ्रीका के साथ सम्बन्ध स्थापित किये। गोलडकोस्ट तथा नाईजीरिया के लिए एक कमिश्नर नियुक्त किया गया जिसका प्रधान कार्यालय अकरा में है। इन दोनों प्रदेशों में गैरे लोगों तथा आदिवासियों के बीच जातिगत मतभेद या तनाव न होने के कारण अफ्रीकी नेताओं के लिये स्वशासन की स्थापना करने के सम्बन्ध में सहयोग से काम करना संभव हो सका।

दक्षिणी-प्रशान्त प्रदेश

कोलम्बो योजना के अन्तर्गत भारत को आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैण्ड की सरकारों से आर्थिक और टेकनिकल सहायता मिलती रही।

आस्ट्रेलिया के विदेश मन्त्री श्री आर० जी० केसी तथा न्यूजीलैण्ड के स्वास्थ्य मन्त्री श्री मार्शल ने कोलम्बो योजना की राष्ट्रमण्डलीय सलाहकार समिति के अक्तूबर, १९५३ में नई दिल्ली में हुए पांचवें अधिवेशन में भाग लिया।

भारत सरकार की सांस्कृतिक छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत फिजी के कुछ भारतीय छात्र प्रतिवर्ष भारत आते हैं।

यूरोप

ऋणों का निपटारा करने के लिये इटली और नीदरलैंड की सरकारों के साथ बातचीत की गयी। रूस, बल्गेरिया तथा चेकोस्लोवाकिया के साथ व्यापारिक समझौते हुए। पश्चिम जर्मनी, नार्वे तथा पोलैण्ड के साथ हुए व्यापारिक समझौते की अवधि बढ़ाई गयी। जिब्राल्टर स्थित भारतीय सौदागरों की कठिनाइयों के सम्बन्ध में जाँच पड़ताल की गयी।

वैदेशिक

अमेरिका

भारत के उपराष्ट्रपति डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने मई, जून और जुलाई, १९५३ में यूरोप, अमेरिका तथा कनाडा की यात्रा की।

उप-विदेश मन्त्री श्री अनिल कुमार चन्दा ने भी अमेरिका तथा कनाडा की यात्राएं कीं।

अमेरिका के कई कांग्रेसमेंनों तथा सेनेटरों ने भारतयात्रा की। भारत और अमेरिका के बीच १९४६ में हुए द्विराष्ट्रीय वायुमार्ग सम्बन्धी समझौते की अवधि समाप्त होने की नोटिस १४ जनवरी, १९५४ को दी गयी। आशा है कि अमेरिका के साथ एक दूसरा समझौता होगा जिसमें भारत के हित सुरक्षित किये जायेंगे।

लैटिन अमेरिका

भारत और लैटिन अमेरिका के देशों के बीच जातिगत प्रश्नों पर संयुक्त राष्ट्र संघ में बहुत काफी सहयोग दिखाई पड़ा।

ब्रिटिश वेस्ट इण्डीज

भारत की नीति विदेशस्थित भारतीयों को बहु-जाति अथवा बहु-उद्देशीय संस्थाओं के निर्माण के लिये प्रोत्साहन देने की है। इसी के साथ-साथ वेस्ट इण्डीज में फैले हुए भारतीय उद्भव के लोगों तथा भारत के बीच स्थापित सम्बन्ध दृढ़ किये जा रहे हैं।

प्रतिरक्षा मन्त्रालय

शान्ति का उद्देश्य

स्वतंत्रता के सातवें वर्ष की प्रतिरक्षा सेवाओं की गतिविधियों के सम्बन्ध

में सबसे अधिक उल्लेख कोरिया में भारत द्वारा किये गये शान्ति के प्रयासों का किया जाना चाहिए। यह उद्देश्य महत्वपूर्ण तथा विलक्षण इसलिए है कि यह पहला ही अवसर था जब शान्ति की स्थापना के लिए एक देश की सेवाएं दूसरे देश के लिये प्राप्त की गईं।

कोरिया के युद्ध-बन्धियों की समस्या हल करने के लिए स्थापित तटस्थ राष्ट्र (युद्धबन्दी) वापसी कमीशन का अध्यक्ष-पद ग्रहण करने का अनुरोध भारत से किया गया। अपने देशों को वापस न जाने वाले युद्धबन्धियों पर निगरानी रखने तथा उनके संरक्षण के लिए भी भारत से संरक्षक-दल भेजने का अनुरोध किया गया। तटस्थ राष्ट्र (युद्धबन्दी) वापसी कमीशन के अध्यक्ष लेफ्टिनेन्ट जनरल के० एस० थिमेया से सम्बद्ध कर्मचारी-मंडल के अलावा ६,००० अधिकारियों तथा सैनिकों का एक दल भी कोरिया भेजा गया। संरक्षक दल के कमाण्डर के पद पर मेजर जनरल एस० पी० पी० थोरट को नियुक्त किया गया।

कोरिया पहुँचने की तिथि से वापसी की तिथि तक इन लोगों ने विकट कठिनाइयों का सामना करते हुए अपना काम लगन से तथा बिना किसी पक्षपात के किया। वे लोग कोरिया के कठोर शीत के अभ्यस्त नहीं थे। युद्धबन्धियों के व्यवहार से उनके धैर्य की परीक्षा हुई।

लोगों की सहायता

देश में प्रतिरक्षा सेवाएं दिन प्रतिदिन लोकप्रिय और शक्तिशाली होती गयीं। वर्ष में सैनिकों ने लोगों को संकट में सहायता पहुँचाई और राष्ट्रनिर्माण सम्बन्धी कार्यों में भाग लिया। इन्होंने 'अधिक अन्न उपजाओ' तथा 'वन महोत्सव' जैसे आन्दोलनों में महत्वपूर्ण योग दिया। सैनिकों ने ऊसर पड़ी हुई ६,००० एकड़ भूमि में खेती करना आरम्भ किया और २,००० टन से अधिक अन्न पैदा किया। लोगों को चिकित्सा सम्बन्धी सहायता पहुँचाने के उपाय किये गये और प्रतिरक्षा सेवाओं का फालतू सामान विभिन्न राज्यों में वितरित किया गया। कुछ केन्द्रों में लोगों को निःशुल्क उपचार की भी सुविधाएं दी गईं।

स्थल, जल तथा वायु सेना के सैनिकों ने तो लोगों की सेवाएं की हीं,

पर जनता ने भी सैनिकों तथा सशस्त्र सेनाओं के लिये जारी किये गये कोषों में दिल खोलकर सहायता पहुँचाई। उदाहरणार्थ, कोरिया स्थित सेनाओं के लिए धन तथा भेंट की वस्तुओं का संग्रह करने में जनता ने अत्यन्त उत्साह का परिचय दिया।

प्रशिक्षण

प्रशिक्षण के सम्बन्ध में स्थल-सेना पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। जल सेना तथा वायु सेना भी इस दिशा में अच्छी प्रगति कर रही है। प्रतिरक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षण-संस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण संस्था देहरादून स्थित राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी है जो शीघ्र ही पूना के निकट खडकवासला में लेजाई जायगी। सशस्त्र सेनाओं की इस सर्वप्रथम संस्था में प्रशिक्षण के लिए शिक्षार्थियों के चुनाव में पूरा-पूरा ध्यान रखा जाता है। चुनाव का तरीका परिवर्द्धित किया जा चुका है। प्रशिक्षण पाने वाले शिक्षार्थियों का ठीक चुनाव करने तथा उनके गुणों का विकास करने के लिए प्रोत्साहन तथा अवसर देने के उद्देश्य से सरकार ने पंडित हृदयनाथ कुंजरू की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की है।

दूसरी महत्वपूर्ण संस्था, जहाँ अन्तर्सेवा के आधार पर प्रशिक्षण दिया जाता है, बेलिंगटन स्थित कर्मचारियों का कालेज है। अन्तर्सेवा सहयोग को, जिसका श्रीगणेश राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी में हुआ था, इस संस्था में अधिक दृढ़ बनाया जा रहा है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी, कर्मचारियों के कालेज तथा अन्य कई वायु-सेना अकादमियों को पड़ोसी राष्ट्रों से बहुत प्रशंसा प्राप्त हुई है और इन संस्थाओं में इन पड़ोसी राष्ट्रों के शिक्षार्थी भी प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं।

प्रतिरक्षा-उत्पादन

प्रशिक्षण की भांति प्रतिरक्षा सेवाओं को मिलने वाले अस्त्र-शस्त्रों तथा उपकरणों की मात्रा तथा उनकी किस्म का प्रश्न भी बड़े महत्व का है। अब बहुत कुछ स्वदेशी सामान ही प्रयोग में आने लगा है जबकि पहले इनका विदेशों से आयात होता था। देश के प्रतिरक्षा-उद्योग की प्रगति के सम्बन्ध में दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटीं। पहली तो यह कि इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की स्थापना के लिए एक फ्रांसीसी फर्म के साथ ठेका हुआ और १९५६-५७ से इलेक्ट्रॉनिक रेडियो तथा रडार सम्बन्धी उपकरणों का उत्पादन देश में ही शुरू होने की

आशा है। दूसरी घटना यह है कि हिन्दुस्तान एअरक्राफ्ट लिमिटेड में एच० टी०-२ ट्रेनर एअरक्राफ्ट का उत्पादन आरम्भ हुआ।

प्रतिरक्षा विज्ञान

प्रतिरक्षा-विज्ञान-संगठन का और अधिक विस्तार हुआ। अस्त्र-शास्त्र सम्बन्धी अध्ययनशाला तीव्रगति से प्रगति कर रही है। इसकी स्थापना पिछले साल हुई थी।

लोगों को सैनिक प्रशिक्षण

लोगों के लिए सैनिक प्रशिक्षण का क्षेत्र द्दितृत कर दिया गया है। सैनिक प्रशिक्षण देने वाले संगठन अभी तक दो ही थे—क्षेत्रीय सेना और नेशनल केडेट कोर। क्षेत्रीय सेना १८ से ३५ वर्ष तक की आयु के नागरिकों के लिए थी और नेशनल केडेट कोर स्कूलों और कालेजों के छात्रों के लिए। किन्तु इन संगठनों से भारत की विशाल जनसंख्या का काम नहीं चलता। इसलिए सहायक क्षेत्रीय सेना की रचना का निर्णय किया गया जो अब सहायक क्षेत्रीय बल और सहायक केडेट कोर कहलाते हैं। इन दोनों का उद्देश्य स्वेच्छा से सदस्यों की भरती करना है। सहायक केडेट कोर उन बालक-बालिकाओं को प्रारम्भिक सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर देता है जो नेशनल केडेट कोर में प्रवेश न पा सके हों। इसी प्रकार सहायक क्षेत्रीय बल के परिणाम-स्वरूप देहाती और शहरी क्षेत्रों के १८ से ४० वर्ष तक की आयु के लोगों को सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर मिलता है। इन दोनों संगठनों का काम बड़े सुन्दर ढंग से आरम्भ हुआ और दोनों ही लोकप्रिय बन गये।

अपने प्रशिक्षण-कार्यक्रम में समाज सेवा को भी सम्मिलित करने के कारण नेशनल केडेट कोर की प्रतिष्ठा और बढ़ गई है। देश में संगठित सभी शिविरों में नेशनल केडेट कोर के शिक्षार्थियों ने सड़कें तथा मकान बनाए, नालियां साफ कीं, बांधों की मरम्मत की, लोगों को चिकित्सा सम्बन्धी सहायता पहुंचाई और राष्ट्रीय उत्थान में विभिन्न प्रकार से सहयोग दिया। इस सब के फलस्वरूप उन्हें श्रम के महत्व तथा सहयोग से किये जाने वाले कार्यों का ज्ञान हुआ।

क्षेत्रीय सेना की शक्ति में वृद्धि हुई। इसका शीघ्र विकास करने की

दृष्टि से सरकार एक कानून बनाना चाहती है जिसके फलस्वरूप सरकारी कर्मचारियों तथा अन्य कर्मचारियों के लिए इस सेना में भरती होना अनिवार्य हो जायगा।

भारतीय जल-सेना

इस वर्ष में सामुद्रिक उद्भयन का उद्घाटन किया गया और कोचीन में "गरुड" नामक भारतीय समुद्री हवाई अड्डा स्थापित हुआ। वर्ष की अन्य सफलताओं में प्रशिक्षण सम्बन्धी सुविधाओं का संगठन और विकास; टैंकर और "हन्ट" वर्ग के तीन विध्वंसक जहाजों का प्राप्त किया जाना तथा कुछ उच्चतम पदों पर भारतीयों की नियुक्ति किया जाना है। ब्रिटिश एंडमिरल्टी से एक क्रूजर भी खरीदा गया।

कोचीन में छोटे जहाजों की मरम्मत की एक छोटी संस्था खोली गई है। ऐसी ही संस्था विशाखापत्तनम् में खोलने तथा बम्बई की समुद्री गोदी के विस्तार की योजनाएं भी बनाई गई हैं।

जलसेना अब अपने अधिकारियों तथा सैनिकों को प्रशिक्षण दे सकती है। टेकनिकल प्रशिक्षण के सम्बन्ध में कुछ प्रशिक्षण अभी भी ब्रिटेन में लेना पड़ता है। भारत में प्रशिक्षण सम्बन्धी संस्थाओं के विकास में काफी प्रगति हुई है। १९५४ के अन्त तक कुछ स्कूलों के भी खुलने की आशा है। जहाजों पर प्रशिक्षण सम्बन्धी सुविधाओं को उन्नत करने के लिए विभिन्न प्रस्तावों पर अमल किये जाने की आशा है। जलसेना के जहाजों ने प्रशिक्षण सम्बन्धी कई अभ्यास किये जिनमें नवनिर्मित जहाजों बड़े ने भी भाग लिया।

जल सेना के मुख्याध्यक्ष तथा उपसेनापति के पद पर अब एक भारतीय ही नियुक्त है। जिन अन्य पदों पर भारतीय नियुक्त हैं, वे हैं—जलसेना सचिव, कमोडोर इन्चार्ज। अन्य सभी प्रशासन सम्बन्धी कमानों के पदों पर भारतीय जलसेना के अधिकारी ही हैं। सामुद्रिक सेना विज्ञान तथा सामुद्रिक पर्यवेक्षण-कार्य के विकास में जल सेना ने अच्छी प्रगति की है।

भारतीय वायु-सेना

राष्ट्र की स्वतन्त्रता का सातवाँ वर्ष भारतीय वायु सेना के विकास, राष्ट्रीयकरण तथा आधुनिकीकरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

इस वर्ष पहली अप्रैल को भारतीय वायुसेना ने अपने इक्कीस वर्ष पूरे किये। उसी दिन एअर-मार्शल एस० मुकजी ने सर्वप्रथम भारतीय वायु-सेना-पति के रूप में भारतीय वायुसेना की कमान संभाली। राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद ने राष्ट्र के प्रति इसकी सेवाओं की मान्यता में "प्रेसिडेन्ट का कलर" देकर वायुसेना का सम्मान किया। भारतीय वायुसेना के सभी कार्यकारी पदों पर अब भारतीय अधिकारी ही हैं।

विचाराधीन वर्ष में भारतीय वायुसेना ने आसाम के दुर्गम उत्तर-पूर्वी सीमान्त प्रदेश तथा शेष भारत के बीच यातायात व्यवस्था कायम रखी।

विभाजन के तुरन्त बाद आरम्भ हुए योजना कार्य प्रगति पर हैं। आधुनिक ढंग के स्थायी केन्द्रों, कारखानों तथा निवास-क्षेत्रों का निर्माण किया जा रहा है। नये प्रकार के उपकरण आदि प्राप्त किये गये। विमान-चालकों को सैनिक उड्डयन के आधुनिक तरीकों के अनुकूल उपयोगी बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

२८ मार्च, १९५४ को इतिहास में पहली बार, भारतीय वायु सेना ने जनता के लिये सैनिक कार्यवाही के जीवित प्रदर्शन किये।

सूचना एवं प्रसार मन्त्रालय

आकाशवाणी

१९५३-५४ में प्रसारण के विकास के लिए जो कार्य किय गये उनमें से

उल्लेखनीय ये हैं—नये ट्रांसमीटरों का लगाया जाना, अच्छे संगीत-कार्यक्रम, प्रसारण सम्बन्धी नीतियों की रचना में स्वर-परीक्षण सलाहकार समिति का अधिक सहयोग, देहात में रेडियो कार्यक्रम सुने जाने की जांच-पड़ताल, समाचार-सेवाओं में महत्वपूर्ण वृद्धि तथा एक प्रतिलेखन एकक का उद्घाटन।

नागपुर तथा गौहाटी में १० किलोवाट के मीडियम-वेव ट्रांसमीटर यंत्र लगाये जाने से इन केन्द्रों की, सम्प्रेषण-क्षमता में वृद्धि हुई। बम्बई में ५० किलोवाट का मीडियम वेव ट्रांसमीटर लगाने का कार्य करीब-करीब पूरा होने वाला है। ऐसे ही ट्रांसमीटरों के लिए अहमदाबाद और जालंधर में इमारतें तैयार की जा रही हैं। २ अक्टूबर १९५३ को पूना में एक नया केन्द्र स्थापित किया गया। शास्त्रीय संगीत को लोकप्रिय बनाने की दृष्टि से हिन्दुस्तानी और कर्नाटक संगीत के प्रसिद्ध कलाकारों को राष्ट्रीय कार्यक्रम में भग्न लेने के लिए बुलाया गया। हल्के-फुल्के संगीत के लिए, आठ केन्द्रों में इकाइयां स्थापित की गयीं।

अंग्रेजी में वार्ता का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम आरम्भ किया गया और इसमें विभिन्न जीवन-क्षेत्रों के प्रसिद्ध व्यक्तियों ने वार्ताएं प्रसारित कीं। ऐसा ही एक कार्यक्रम हिन्दी में भी चालू करने का विचार है। केन्द्रीय कार्यक्रम सलाहकार समिति, संगीत-सलाहकार बोर्ड और केन्द्रीय हिन्दी सलाहकार समिति के कई सुझावों को कार्यान्वित किया जा रहा है। संगीत स्वरपरीक्षण समितियों ने विभिन्न केन्द्रों का दौरा किया और २,६०० कलाकारों का संगीत सुना। अंग्रेजी और हिन्दी के समाचार पढ़ने वालों तथा एनाउंसरों के परीक्षण के लिए भी कई केन्द्रों में ऐसी ही समितियां बनाई गयीं।

आकाशवाणी श्रोता-अनुसन्धान एककों ने देहाती कार्यक्रम के सुने जाने के सम्बन्ध में जांच पड़ताल की।

समाचार-सेवा विभाग द्वारा प्रसारित किये जाने वाले समाचारों की संख्या ७३ तक पहुँच चुकी है। ये समाचार ३१ भारतीय और विदेशी भाषाओं में प्रसारित किये जाते हैं। अफ्रीका के श्रोताओं के लिए स्वाहिली भाषा में १० मिनट का एक बुलेटिन मई १९५३ में शुरू किया गया।

सातवाँ वर्ष

अनुसन्धान विभाग ने अवतरण-केन्द्रों में विविध प्रकार के अवतरणों में प्रयुक्त किये जाने के लिये एक नये प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक-डाइवर्सिटी-स्विच का डिजाइन अन्तिम रूप से तैयार कर लिया है।

अप्रैल १९५३ में नई दिल्ली के ब्राडकास्टिंग हाउस के निकट एक प्रोसेसिंग प्लांट लगाया गया। एक प्रतिलेखन-सेवा के संगठन का प्रस्ताव विचाराधीन है जो आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों तथा विदेशी केन्द्रों में वितरित किये जाने के लिए चुने हुए कार्यक्रमों के रिकार्डों को तैयार करने का कार्य करेगा।

एक व्यापारिक संस्था ने महात्मा गांधी के प्रार्थना प्रवचनों के रिकार्डों की प्रक्रिया का काम अपने ऊपर लिया है।

प्रेस इन्फार्मेशन ब्यूरो

प्रेस इन्फार्मेशन ब्यूरो समाचारों, चित्रों और लेखों द्वारा भारत तथा संसार के समाचार पत्रों को सरकार की गतिविधि सम्बन्धी अधिकृत जानकारी देता है। यह सरकार को जनता के दृष्टिकोण से भी अवगत कराता रहता है। इस प्रकार ब्यूरो सरकार और समाचार पत्रों के बीच सम्बन्ध कायम करता है।

अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू, गुजराती, तमिल, बंगला और मराठी-इन सात भाषाओं की समाचार-सेवाएँ २,३०० से भी अधिक भारतीय पत्रों और पत्रिकाओं से सम्बन्धित हैं। ये ७५ भारतीय समाचार-पत्रों ३९ विदेशी समाचार-पत्रों, ६ भारतीय तथा २४ विदेशी समाचार समितियों, लेख-अभिषेकों तथा ब्राडकास्टिंग संस्थाओं के प्रमाणित १२० भारतीय और विदेशी सम्वाददाताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति भी करती हैं। तेलुगु तथा कन्नड़ में सूचना सेवाओं के आरम्भ किये जाने के प्रस्ताव इस वर्ष स्वीकार किये गये।

ब्यूरो के फोटो-विभाग की ओर से समाचारपत्रों तथा पत्रिकाओं को समाचार-चित्र दिये जाते हैं। ये फोटो नियमित रूप से ३० अंग्रेजी तथा ५० भारतीय भाषाओं के समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं को तथा ४७ साप्ताहिक पत्रों और पत्रिकाओं को दिये जाते हैं। १९५३ में विदेशों में वितरण के लिए

ब्यूरो ने विदेश मन्त्रालय को भी ६५,४३५ फोटो दिए ।

ब्यूरो की शाखाएँ कलकत्ता, बम्बई, मद्रास तथा जालंधर में हैं । जालंधर की शाखा १९५३ में खुली थी । उसी वर्ष ब्यूरो ने ८,३७० प्रेस समाचार तथा २३४ सरकारी प्रशासन, प्रशासन सम्बन्धी रिपोर्ट और सचित्र निबन्ध वितरित किये ।

१९५३-५४ में ईरान, आस्ट्रेलिया तथा मिस्र से एक-एक पत्र-प्रतिनिधि-मंडल भारत आया । ब्यूरो ने देश के विभिन्न भागों में चालू बड़ी-बड़ी विकास-योजनाओं के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने में इन प्रतिनिधि मंडलों को सहायता पहुँचाई । इन प्रतिनिधि मंडलों के अलावा, विदेशों के ८० संवाद दाताओं, संपादकों तथा प्रसारकों ने भारत का दौरा किया और ब्यूरो ने उन्हें आवश्यक सुविधाएँ दीं ।

भारत में कई अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए और ब्यूरो ने उनके लिए प्रेस सम्बन्धी-सुविधाओं तथा फोटो की व्यवस्था की । केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की गतिविधि जैसे विशेष कार्यक्रमों के प्रचार का कार्य भी ब्यूरो ने किया । ये कार्यक्रम पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में योजना कमीशन के तत्वावधान में आरम्भ किये गये ।

ब्यूरो का प्रतिरक्षा-विभाग सशस्त्र सेनाओं तथा प्रतिरक्षा मन्त्रालय के कार्यों के सम्बन्ध में जानकारी देने तथा सशस्त्र सेनाओं के लिए सूचना सेवाओं का संगठन करने का काम करता ।

६०० प्रेस समाचारों के अलावा प्रतिरक्षा-विभाग ने १५० से अधिक सचित्र लेख प्रकाशित किए । सेना दिवस, नौसेना दिवस, वायुसेना दिवस तथा नेशनल क्रेडिट कोर दिवस सम्बन्धी विशेष प्रबन्ध किये गये थे ।

सूचना-चित्रों के निर्माण में प्रतिरक्षा विभाग ने फिल्म स्टुडियो की सहायता की ।

प्रतिरक्षा विभाग सचित्र साप्ताहिक 'सैनिक समाचार' के प्रकाशन में तथा आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र से हिन्दुस्तानी में प्रसारित किये जाने वाले दैनिक सेना सम्बन्धी कार्यक्रम की भी व्यवस्था करने में सहायता देता है। 'सैनिक समाचार' नौ भाषाओं में प्रकाशित होता है।

जब कि देशी और विदेशी समाचार-पत्रों ने कोरिया स्थित भारतीय संरक्षक दल के कार्यों में अपनी दिलचस्पी दिखाई, तटस्थ राष्ट्र वापसी कमीशन से सम्बद्ध मुख्य जन सम्पर्क अधिकारी से मिलने वाली रिपोर्टें प्रतिरक्षा विभाग द्वारा प्रकाशित की गई थीं।

प्रकाशन विभाग

प्रकाशन विभाग देश में और विदेश में प्रचार कार्य के लिए पम्फलेटों और पत्रिकाओं के प्रकाशन, वितरण तथा उनकी बिक्री के लिए उत्तरदायी है। विदेशों में प्रचार-कार्य का उद्देश्य है अन्य देशों में भारत की स्थिति प्रस्तुत करना जिससे उन देशों में भारत की प्रगतियों की प्रशंसा हो सके और उसकी समस्याओं को ठीक से समझा जा सके। देश में प्रचार-कार्य करने का उद्देश्य है देश तथा सरकार की कार्यवाहियों के विषय में अधिकृत जानकारी देना। यह विभाग प्रचार सम्बन्धी साहित्य के निर्माण के सम्बन्ध में विभिन्न मन्त्रालयों को सलाह देता है। विगत वर्ष में पंचवर्षीय योजना के प्रचार-कार्यक्रम के कारण इस विभाग का उत्तरदायित्व बहुत बढ़ गया है। योजना के विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धित पम्फलेट अंग्रेजी और हिन्दी के साथ-साथ अन्य प्रादेशिक भाषाओं में भी निकालने का निर्णय किया गया है। प्रति वर्ष औसतन २४-२४ पृष्ठ के ३१८ पम्फलेट निकाले जायेंगे। १४ भाषाओं में १० पम्फलेट, नौ भाषाओं में १८ पम्फलेट और दो भाषाओं में ८ पम्फलेट निकाले जायेंगे। मार्च १९५३ से अप्रैल १९५४ तक पंचवर्षीय योजना और सामूहिक योजना कार्यक्रम सम्बन्धी ४४ पम्फलेट निकाले गये। इनके अलावा विभिन्न विषयों पर अंग्रेजी तथा हिन्दी में ३८ पम्फलेट प्रकाशित किये गये। अप्रैल १९५४ में अंग्रेजी, हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाओं के ६१ पम्फलेट प्रेस में थे।

इस वर्ष अंग्रेजी तथा हिन्दी में क्रमशः 'ए० आई० आर सेलेक्शन्स' तथा 'रेडियो-संग्रह' (जिसका नाम अब 'प्रसारिका' रख दिया गया है) पत्रिकाओं

का प्रकाशन आरम्भ किया गया। यह विभाग केन्द्रीय समाज-कल्याण बोर्ड के मासिक मुखपत्र "समाज-कल्याण" (सोशल वेलफेयर) के प्रकाशन और वितरण का भी काम करता है। इस वर्ष के महत्वपूर्ण प्रकाशनों में 'इण्डिया-ए रेफरेन्स एनुअल, १९५३' का प्रकाशन भी हुआ। यह पुस्तक प्रतिवर्ष प्रकाशित की जायगी और इसके लिये सामग्री का संकलन सूचना मन्त्रालय का 'रिसर्च एण्ड रेफरेन्स डिवीजन' करता है। 'इण्डिया-ए रेफरेन्स एनुअल, १९५४' का भी प्रकाशन हो चुका है। 'जवाहर लाल नेहरू के भाषण' में १९४६ से १९५३ तक के प्रधानमन्त्री के भाषणों का संग्रह है। "महात्मा गांधी-एन एलबम" इस वर्ष का एक अन्य महत्वपूर्ण प्रकाशन है जिसमें गांधी जी के जीवन सम्बन्धी चित्रों का संग्रह है।

यह विभाग निम्नलिखित पत्रिकाएं प्रकाशित करता रहा—विदेशों में प्रचार के लिए अंग्रेजी की द्विमासिक पत्रिका 'मार्च आफ इण्डिया', काश्मीर और उसके निवासी तथा संस्कृति पर अंग्रेजी की मासिक पत्रिका 'काश्मीर', हिन्दी तथा उर्दू की मासिक पत्रिका 'आजकल' जिसका उद्देश्य देश के विभिन्न सांस्कृतिक प्रदेशों के बीच सद्भावना पैदा करना है, बच्चों के लिए हिन्दी की मासिक पत्रिका 'बाल भारती' तथा सामूहिक योजना प्रशासन का मासिक मुखपत्र 'कुरुक्षेत्र'।

बित्री, प्रचार तथा विज्ञापनों के द्वारा प्रकाशनों को लोकप्रिय बनाने के सम्बन्ध में प्रयास किये गये। देश के विभिन्न भागों में एक हजार से अधिक एजेंटों का जाल बिछा हुआ है। रेलवे शताब्दी प्रदर्शनी, कोलम्बो योजना प्रदर्शनी, कल्याणी के कांग्रेस अधिवेशन की प्रदर्शनी, कुम्भ मेले तथा कम लागत के गृह-निर्माण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी तथा अन्य प्रसिद्ध-प्रसिद्ध प्रदर्शनियों में इन प्रकाशनों की बित्री तथा प्रदर्शन के आयोजन किये गये। प्रकाशनों को लोकप्रिय बनाने में विदेश स्थित भारतीय राजदूतावासों से भी सहयोग लिया जा रहा है। विचाराधीन वर्ष में ४१ बाहरी देशों को पत्रिकाएं तथा पैम्फलेट भेजे गये।

फिल्म डिवीजन

इस डिवीजन ने १९५३-५४ में ४३ सूचना-चित्र प्रसारित किये तथा

सातवाँ वर्ष

प्रति सप्ताह एक की गति से न्यूजरीले तैयार कीं। विदेशों की गैर-व्यापारिक प्रदर्शनियों के लिए प्रत्येक महीने में एक-एक विशेष संग्रह तैयार किया गया। वर्ष भर में फिल्मस डिवीजन द्वारा तैयार की गई डाक्युमेन्टरी फिल्में २२ अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म-महोत्सवों आदि में प्रदर्शित की गईं। फिल्मस डिवीजन से डाक्युमेन्टरी फिल्में विदेश स्थित ४७ भारतीय राजदूतावासों को भेजी जाती हैं।

फिल्मों की जांच का केन्द्रीय बोर्ड

इस बोर्ड ने २,३६१ फिल्मों की जांच की जिनमें से बोर्ड के निर्णय के विरुद्ध आई अपीलों के सम्बन्ध में १६ फिल्में केन्द्रीय सरकार के सुपुर्व की गईं।

रिसर्च एण्ड रेफरेन्स डिवीजन

यह डिवीजन मन्त्रालय के अन्य विभागों को विभिन्न विषयों पर शोध सम्बन्धी सामग्री देता है। यह डिवीजन समाचारों का एक विस्तृत सूचनांक तैयार कर रहा है। १९५३ और १९५४ के 'इण्डिया-ए रेफरेन्स एनुअल' का संकलन कार्य भी इसी डिवीजन ने किया। जनवरी १९५४ से यह डिवीजन भारतीय तथा विदेशी मामलों का पाक्षिक सर्वेक्षण तैयार कर रहा है।

विज्ञापन विभाग

यह विभाग रेलवे मन्त्रालय को छोड़ भारत सरकार के अन्य सभी मन्त्रालयों की ओर से विज्ञापन निकलवाने का काम करता है। १९५३-५४ में इस विभाग ने पंचवर्षीय योजना, सामूहिक योजनाओं, पर्यटन, छोटी बचत योजनाओं तथा कम-लागत पर गृह निर्माण सम्बन्धी विज्ञापन निकलवाये।

पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी

संयुक्त प्रचार कार्यक्रम

सितम्बर १९५३ के अन्त में संसद ने पंचवर्षीय योजना और सामूहिक योजनाओं सम्बन्धी प्रचार-कार्य के लिए तथा साथ ही साथ बुनियादी और समाज शिक्षा के लिए ३८ लाख रुपये के एक पूरक अनुदान पर अपनी स्वीकृति दी। देहाती क्षेत्रों में श्रव्य-दृश्य प्रचार कार्य के लिए प्रदर्शनी विभाग और

प्रचार-एककों का निर्माण किया गया और उनको सभी प्रकार की सुविधायें भी दी गईं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं की फिल्मों, लोकप्रिय पैम्फलेट, फोल्डर तथा पोस्टर भी आते हैं।

अक्टूबर १९५३ में जब नई दिल्ली में कोलम्बो योजना सलाहकार समिति की बैठक हुई, तब योजना के प्रचार के लिए प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया। इसके अलावा जयपुर, हैदराबाद, जोधपुर, त्रिवेन्द्रम, बाहजपुर तथा पटियाला में भी योजना सम्बन्धी सामग्री का प्रदर्शन किया गया।

इलाहाबाद में कुम्भ मेले के अवसर पर सात फिल्म केन्द्रों में डाक्युमेन्टरी फिल्मों दिखाई गईं तथा आकाशवाणी के इलाहाबाद केन्द्र से प्रसारित किये गये विशेष कार्यक्रमों के सुनने की सुविधाओं की व्यवस्था की गई।

फिल्म डिवीजन के लिए सात अतिरिक्त एककों की स्वीकृति दी जा चुकी है जो प्रति वर्ष ३२ फिल्में तैयार करेंगे। ये फिल्में अंग्रेजी, हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाओं में तैयार की जायेगी।



राज्य



खाद्य और कृषि

आसाम

कृषि विभाग ने फसल, खाद, भूमि तथा पौधों विषयक अनेक प्रयोग किये जिनके परिणाम प्रदर्शनों और भाषणों द्वारा जनता के सामने रखे गये। विभाग ने दिमोरिया और हजारि में विकास-केन्द्र भी स्थापित किये। २४० नवयुवकों की एक भूमिसेना सड़कों तथा नहरों के निर्माण के लिए बनायी गई।

धान उगाने की जापानी प्रणाली को प्रदर्शनों द्वारा प्रोत्साहित किया गया। विभागीय कर्मचारियों की टेकनीकल सहायता की व्यवस्था के साथ-साथ अच्छे बीज, अच्छे पौधे, खाद तथा औजार भी दिये गये। पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ३४५ लाख रुपये के व्यय से २,२५,००० टन अतिरिक्त अनाज के उत्पादन का जो लक्ष्य बनाया गया था उसके स्थान पर दो वर्षों की अवधि में ७७.६२ लाख रुपयों के व्यय से १,३६,७६० टन अतिरिक्त अन्न पैदा किया गया।

बिहार

सन् १९५३ की अन्न स्थिति निश्चित रूप से सुधार की सूचना दे रही थी किन्तु दुर्भाग्य से उत्तरी एवं दक्षिण बिहार के कुछ भागों की बाढ़ों ने फसलों को हानि पहुँचायी। जहाँ धान के बीज बाढ़ द्वारा बह नहीं गये वहाँ बताया जाता है कि पिछले दशक में कभी भी इतनी अच्छी फसल नहीं हुई। फलस्वरूप राज्य भर में धान की कीमतें कम रहीं।

कृषि अनुसन्धान का कार्य अधिक तीव्र कर दिया गया और धान तथा गेहूँ की वे जातियाँ खोजी गयीं जो बाढ़ को सहन कर सकती हों और साथ ही जल्दी पक जाती हों। जापानी प्रणाली द्वारा धान की खेती का भी प्रदर्शनों द्वारा प्रचार किया गया और देखा गया कि इससे एक एकड़ भूमि में ५० मन तक धान उपजता है।

टेकनीकल शिक्षा प्राप्त किये हुए व्यक्तियों की उत्तरोत्तर आवश्यकता देखकर बिहार कृषि महाविद्यालय में अनेक विद्यार्थियों को भर्ती किया गया। ग्राम सेवकों और सामूहिक विकास योजना खंडों तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षणार्थ चार नये कृषि स्कूल खोले गये।

अधिक एवं सुचारु रूप से सिंचाई की सुविधाएं दी गयीं। सिंचाई की २६ मध्यम योजनाएं और २३७ छोटी योजनाएं कृषि विभाग द्वारा पूरी की गयीं तथा ५०० नये कूप खोदे गये। राजस्व विभाग ने भी १६ लाख रुपये की लागत से १,००० छोटी योजनाएं पूरी कीं।

सन् १९५३ में सिंचाई की दस बड़ी योजनाएं तथा २६ नाली और तटीय बांध योजनाएं पूरी की गयीं। पहले के द्वारा १.११ लाख एकड़ के लिए सिंचाई की सुविधा दी गयी तथा दूसरे के द्वारा १५.८१ लाख एकड़ को लाभ मिला। रामेश्वर सामूहिक योजना खंड के अन्तर्गत मयूराक्षी लेपट बैंक केनाल स्कीम पर ८१.१ लाख रुपये व्यय होने का अनुमान लगाया है जिसमें से ४३ लाख रुपया पश्चिम बंगाल की सरकार देगी। ३५० बिजली के कूप लगाने का कार्य प्रगति पर है।

त्रिवेणी नहर के विस्तार के लिए १.१२ करोड़ रुपये का तख्तीना तैयार किया गया है। यह कार्य गंडक योजना के अंतर्गत होगा तथा शीघ्र प्रारम्भ होगा। कोसी बांध पर ३७.५ करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे जिसमें से २ करोड़ रुपये सन् १९५४-५५ में खर्च होंगे।

बम्बई

कृषि विभाग द्वारा उत्तम बीजों के विविध प्रकार तैयार किये गये हैं। पैदावार की वृद्धि के लिए ६३,००० बंगाली मन उत्तम बीज तथा ८,००० टन

मिश्र खाद सन् १९५४ की फरवरी तक किसानों में वितरित की गयी। गांवों और कस्बों में कम्पोस्ट खाद बनाने के तरीकों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

सिंचाई की और अधिक सुविधा दी जा सके इसके लिए ६,००० नये कूपें बनवाये गये तथा १३,००० पुराने कूपों की मरम्मत की गयी। नये कूपों के निर्माण के लिए ८,६२,००० रुपया कर्ज के रूप में दिया जा चुका है। कूपों में पानी बढ़ाने के लिए छेद करने वाली मशीनों द्वारा उन्हें गहरा किया जा रहा है।

लगभग ३,५०० एकड़ भूमि की चकबंदी की जा चुकी है तथा २,५८,००० एकड़ क्षेत्र में खाइयाँ और लघु बांध बनाये गये हैं।

पशु विभाग द्वारा कई गांवों में पशु-चिकित्सालय खोले गये हैं, साथ ही बम्बई पशु-चिकित्सा कालेज का विस्तार किया गया है जिससे अधिक लोगों को शिक्षा दी जा सके। साथ ही सीरा और वैबसीम के लिए एक केन्द्र खोलने की योजना है और एक पशु-प्रजनन केन्द्र भी स्थापित किया जाना है।

अनाज का कंट्रोल धीरे-धीरे कम किया जा रहा है। चावल की प्राप्ति के कारण पोहे और कुरमरे बनाने वालों पर से नियंत्रण हटा दिया गया है।

मध्य प्रदेश

भारत में धान की खेती की जापानी प्रणाली मार्च सन्- १९५३ से प्रारम्भ की गयी है और पंचवार में प्रति एकड़ ५८ मन की वृद्धि हुई है। यह संख्या सानान्य उपज से ढाई गुना है।

५,४०० ग्रामों की ३१ लाख एकड़ भूमि के ५६ खंडों में ‘अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन’ का प्रदर्शन आयोजित किया गया।

इस वर्ष २२२ नये कूपें बने और १३६ की मरम्मत की गयी। अच्छे बीज और खाद तथा २५१ रहट वितरित किये गये।

प्रदर्शन कर्त्ताओं से विभिन्न कार्य करवाने के लिए ४७ ओवरसियरों तथा ५० कामदारों को पशुशास्त्र की आठ माह की शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य की चार माह की शिक्षा दी गयी। अचलपुर और बेंतूल के फारमों में कृषि सम्बन्धी शिक्षा का आयोजन ३२ स्टाक सुपरवाइजरों तथा ३७ स्टाकमैनों के लिए किया गया है। राज्य के ट्रैक्टर यूनिट ने अभी तक ४२,७८३ एकड़ की जुताई की है।

खरीफ की फसल (अर्थात् नवम्बर ५३ से १३ अप्रैल ५४ तक) से १,५६,७०० टन चावल की उगाही की गयी जब कि गत वर्ष २,३१,७४२ टन की उगाही हुई थी।

सिंचाई की ६ बड़ी योजनाओं में से पाँच का कार्य गाँगुलपाड़ा, गोंदिल, डुकड़ीखेड़ा, सम्पना और सरोधा में प्रारम्भ किया जा चुका है। सिंचाई की सत्रह माध्यमिक योजनाओं में अच्छी प्रगति हुई है तथा ४७ ग्राम बांधों के कार्य पूरे हो चुके हैं।

पशुधन को बढ़ाने के लिये १० नये केन्द्र-ग्राम खोले गये तथा एक कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र की स्थापना हुई। छत की बीमारी से पशुओं को बचाने के लिये सुई लगाने का कार्य बड़े पैमाने पर किया गया। गाँवों में २० नये पशु-चिकित्सालय खोले गये।

मछली-उत्पादन को बढ़ाने के लिए ४० तालाबों में स्वस्थ तथा ताजी मछलियाँ एकत्र की गयीं। एक मुर्गीपालन गृह नागपुर में स्थापित किया गया तथा गाँवों में ३७ छोटे केन्द्र खोले गये। अचलपुर में रुई सम्बन्धी शोध-कार्य के लिये एक केन्द्र की स्थापना की गई।

राज्य भर में उपज की वृद्धि के फलस्वरूप अन्न-स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार हुआ। आध्र राज्य के निर्माण से यह आवश्यक हो गया कि चावल तथा धान के क्षेत्रों का पुनर्गठन हो।

किसानों को उत्तम बीज, तथा विकसित औजार वितरित किये गये। फसल

को पशुओं और कीड़ों से बचाने के लिये पीड़ित क्षेत्रों के किसानों को कुल लागत के ५० प्रतिशत मूल्य में तथा अन्य किसानों को ७५ प्रतिशत मूल्य में दवाइयाँ आदि दी गई। कृषि विभाग के धान सम्बन्धी नये अनुसन्धानों के अनुसार धान की खेती वाली भूमि का ६० प्रतिशत भाग अभी तक बोया जा चुका है। इसमें भी १० से २० प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है।

‘अधिक अन्न उपजाओ’ योजना में इस वर्ष ४२४ सिंचाई की छोटी योजनाएं ४०.४ लाख रुपये की लागत से पूरी होंगी। अभी तक ७७ पूरी हो चुकी हैं और शेष ३४७ निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। मलमपुष्पा बांध तथा लोअर भवानी बांध से सिंचाई के लिए पानी इस वर्ष दिया गया।

गत वर्ष की अपेक्षा संपूर्ण धान क्षेत्र में तथा चावल की फसल में १२.३ प्रतिशत तथा ३७.७ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। धानोत्पादन की जापानी प्रणाली का १२,८६३ एकड़ में प्रयोग किया गया और उत्साहजनक फल प्राप्त हुए हैं।

उड़ीसा

हीराकुड बांध का कार्य योजनानुसार चल रहा है। हीराकुड द्वीप तथा कलारीकुड द्वीप को मिलाने के लिये एक स्थायी पुल निर्मित हो चुका है। नदी के दायें बायें दोनों ओर के बांध बन चुके हैं। सन् १९५३ तक हीराकुड बांध योजना में २८ करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं। मचकुण्ड बांध का निर्माण लगभग समाप्ति पर है।

भूमि फिर से सुधारी जा रही है। मार्च १९५४ तक १८,००० एकड़ भूमि साफ की जा चुकी है तथा १०,००० भूमि खेती के योग्य बन चुकी है।

सुन्दरगढ़ जिले के रुरकेला में पांच लाख टन की शक्ति का लोहे तथा इस्पात का एक प्लांट लगाया जायगा। हीराकुड बांध के निकट जोड़ा-पूर्व में फेरो-मैंगनीज का एक प्लांट स्थापित किया गया है।

सरकार ने ४०६ छोटी सिंचाई योजनाओं के लिए १७,८२,७६५ रुपये मंजूर किये हैं जिसमें अनेक पहाड़ी धाराओं पर बांध बनाने की योजना है।

इनके पूरा हो जाने पर लगभग १,२८,७४२ एकड़ क्षेत्र की सिंचाई संभव हो सकेगी तथा बंजड़ घरती का अधिकांश भाग कृषि के योग्य बनाया जा सकेगा।

राज्य में कृषि के लिये रुपया देने वाली ४,८५६ संस्थाएं हैं जो कि किसानों को रुपया उधार देती हैं। ७६ दूसरी ऐसी हैं जो कि किसानों को रुपया तो उधार नहीं देतीं परन्तु उपज की बिक्री आदि कई कार्य करती हैं।

राज्य में ५० सहकारी संस्थाएं हैं जो सहकारी कृषि करती हैं, तथा विशेष प्रकार की सहकारी संस्थाएं भी हैं जैसे—गन्ना उपजाने वालों की, आलू वालों की, मूंगफली वालों की, तम्बाकू वालों की और जूट वालों की। इनके सदस्यों की संख्या ७१७४ है। उपज की बिक्री आदि के लिए २० सहकारी संस्थाएं हैं।

मछली उत्पादन के लिए तीन प्रकार की सहकारी संस्थाएं हैं जैसे—(१) दी इनलैंड कोआपरेटिव फिशरीज, (२) दी मेरीन कोआपरेटिव फिशरीज और (३) दी चिल्कालेक कोआपरेटिव फिशरीज।

पंजाब

काइतकारों को बेदखल किये जाने से रोकने के लिये सरकार ने अनेक सुविधाएं दी हैं तथा कार्रवाइयां भी की हैं।

व्यापारिक फसल में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। अमेरिकन रुई वाले क्षेत्र में सन् १९४७-४८ के ४०,००० एकड़ में २,८०,००० एकड़ की वृद्धि सन् १९५३-५४ में हुई। जापानी प्रणाली के अनुसार धान की पैदावार में प्रति एकड़ महत्वपूर्ण प्रगति हुई। यह विचार है कि इस वर्ष १,५०,००० एकड़ भूमि पर इस प्रणाली द्वारा खेती की जाय।

सरकार द्वारा दिये गये कर्ज से १,४०० कूएं खोदे गये। लोगों के द्वारा बिना किसी सहायता के और भी १,५०० कूएं खोदे गए। कृषि विभाग ने ५०० पम्पिंग सेट वितरित किये तथा ४०० क्यूओं में बोरिंग की।

राज्य न केवल अन्न में आत्मनिर्भर हुआ है बल्कि बाहर भी बहुत कुछ भेज सका है। जनवरी-दिसम्बर १९५३ के बीच ३७,३६६ टन गेहूँ, ८१०३ टन जौ, १७३७ टन चना, ८०० टन ज्वार और ६६,४७४ टन चावल दूसरे राज्यों को भेजा गया। अन्न वितरण एवं मूल्यों पर से सब नियंत्रण उठा लिये गये।

उत्तर प्रदेश

धान उगाने की जापानी प्रणाली एक वर्ष पूर्व कार्य में लाई गई और ३५,००० एकड़ से ८,६०० टन अतिरिक्त अन्न प्राप्त हुआ।

लगभग ५६० नये बिजली के कूएँ एवं ४२५ मील लम्बी नहरें बनाई गईं। फ्रांस की एक फर्म से करार के अनुसार १५० ट्यूब-वेल १९५३ के टेकनीकल सहयोग प्रशासन कार्यक्रम के अन्तर्गत बनाये गये।

कृषि-विकास योजना के अन्तर्गत गणतन्त्र दिवस पर ३० राष्ट्रीय विस्तार सेवा विकास खंड शुरू किये गये। प्रत्येक खण्ड में १०० गांव हैं जिनकी आबादी लगभग ६६,००० है। यह सेवा उत्तर प्रदेश के ४० खंडों में फैली हुई है। इस सम्बन्ध में १६,००० कार्यकर्त्ताओं के शिक्षण के लिये एक पंचवर्षीय कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है।

राजस्थान के बढ़ते हुए महसूल को रोकने के लिये सीमा पर वन उगाये जाने के हेतु १० लाख रुपये व्यय किये जायेंगे। चारे और चरागाहों की स्थिति सुधारने के लिये राज्य में प्रयोग भी किये जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश चकबन्दी विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति ६ मार्च १९५४ को प्राप्त हुई। इसके द्वारा न केवल कृषि उत्पादन में ही वृद्धि होगी बल्कि किसानों के भूमि सम्बन्धी पारस्परिक झगड़े भी कम हो जायेंगे।

यह तय हुआ है कि भूतपूर्व जमींदारों को मुआवजे के रूप में हस्तान्तर योग्य बांड दिये जायें। जमींदारी उन्मूलन के बाद ३१ मार्च १९५४ को कोई आफ वार्ड्स तोड़ दिया गया।

बाढ़ निरोधक उपाय के रूप में लखनऊ में प्रत्येक वर्ष जुलाई से सितम्बर

सातवाँ वर्ष

तक एक केन्द्रीय चेतावनी कार्यालय खोला जायेगा। यह कार्यालय बाढ़ नियन्त्रण सम्बन्धी सभी निरोधक और सहायता कार्यों के लिये उत्तदायी होगा।

पश्चिम बंगाल

चावल एक जिले से दूसरे जिले में ले जाये जाने पर जो रोक लगायी गयी थी वह हटा दी गयी। इसके फलस्वरूप चावल का वितरण उचित रूप से हुआ और मूल्यों में कमी आई। १८ जनवरी १९५४ को गेहूँ पर से नियंत्रण उठा लिया गया।

३६६ टन धान के परिष्कृत बीजों के वितरण से २३७६ टन उत्पादन अधिक हुआ। परिष्कृत बीज, संतुलित उर्वरक तथा अन्य खाद के प्रयोग से आलू की खेती में भी उन्नति हुई। पटसन की खेती ५,३४,७०० एकड़ भूमि में की गयी और प्रति एकड़ १४,६८,४०० गांठ पटसन पैदा हुआ।

राज्य में लगभग १,१०,२४,३०४ पशु हैं। प्रजनन प्रादि के लिए हरियाने के सांड प्राप्त किये गये। देहाती क्षेत्रों में पहली बार कृत्रिम रेतन का प्रयोग किया गया। फल स्वरूप सितम्बर १९५३ तक २२२० गायें फलायी गयीं। लगभग ६१,८३६ एकड़ भूमि में धान की खेती की जापानी प्रणाली अपनायी गयी और ११,७२,००० मन चावल पैदा हुआ जो कि राज्य के पूर्व-उत्पादन से दुगुना है।

शिन्हा

आसाम

२.८३ करोड़ रुपये में से, जो राज्य की कुल आय है, १६.७ प्रतिशत शिक्षा के लिए रखी गयी है। बजट में भी विश्वविद्यालय तथा माध्यमिक शिक्षा के लिए व्यवस्था की गयी है।

हिन्दी की शिक्षा १३० अन्य हाई स्कूलों तथा मिडिल स्कूलों में आरम्भ की गयी है। कुछ राजकीय हाई स्कूलों में आदिवासियों की बोलियों के शिक्षण का भी प्रबन्ध किया गया है। प्राथमिक शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन यह हुआ कि प्राथमिक और बुनियादी शिक्षा को मिला दिया गया है।

राज्य में ८४२ समाज शिक्षण केन्द्र हैं। विभिन्न संस्थाओं द्वारा संचालित ये ग्रामीण पुस्तकालय तथा केन्द्र सामाजिक उत्थान तथा मनोरंजन में लगे हैं।

प्रौद्योगिक तथा व्यावसायिक शिक्षा की प्रगति भी संतोषजनक है। जोरहाट का ‘वी प्रिंस आफ वेल्स’ टेकनिकल स्कूल, इन्जीनियरिंग और टेक्नोलोजी के कालेज में परिवर्तित कर दिया जायगा। इस कालेज में तथा गौहाटी के आसाम सिविल इन्जीनियरिंग इन्स्टीट्यूट में नेशनल सर्टिफिकेट-कोर्स जारी किया जायगा।

आसाम के इतिहास और संस्कृत में शोधकार्य के हेतु शिलांग की इतिहास समिति को सन् १९५३ में आर्थिक सहायता दी गयी। आसाम साहित्य सभा को एक ग्रन्थ प्रकाशित करने के लिए आर्थिक सहायता दी गयी है—जिसमें उन ऐतिहासिक लेखों की सूची होगी जो समय समय पर विभिन्न पत्रों में प्रकाशित होते रहे हैं।

बिहार

शिक्षा पर सन् १९५३-५४ में ५ करोड़ रुपये व्यय हुए जब कि सन् १९३८-३९ में ७० लाख रुपये और सन् १९४८ में १.२५ करोड़ रुपये ही व्यय हुए थे।

राज्य सरकार ने प्रारम्भिक शिक्षा के प्रसार एवं सुधार के लिए एक योजना तैयार की है और ५१ लाख रुपये से वह सन् १९५३-५४ में कार्यान्वित की जायगी। अभी तक ५,००० नये शिक्षक तथा ८,२५० पुरे समय के लिये समाज शिक्षण निर्देशक नियुक्त किये गये हैं।

स्वायत्त शासन कानून में सुधार किया गया है जिसके द्वारा सरकार

प्रारम्भिक शिक्षा पर अब अधिक नियन्त्रण रख सकेगी।

वर्तमान प्रारम्भिक स्कूल बुनियादी स्कूलों में परिणत कर दिये जायेंगे। ५ लाख रुपये से हाईस्कूलों में व्यवसायों और दस्तकारियों की शिक्षा दी जायगी।

सरकार की इस योजना के अनुरूप कि प्रत्येक जिले में लड़कियों के लिए एक हाई स्कूल तथा प्रत्येक सब डिवीजनल हेडक्वार्टर में लड़कियों के लिए एक मिडिल स्कूल हो, १४ हाई स्कूलों और ३६ मिडिल स्कूलों की स्थापना हो चुकी है।

तुर्की-वंशाली क्षेत्र में कई सामूहिक केन्द्र, बुनियादी स्कूल, ट्रेनिंग स्कूल, पुस्तकालय आदि स्थापित किये जा चुके हैं।

बम्बई

सात से ग्यारह वर्ष तक के बालकों के लिए प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य होने के कारण पहली अप्रैल १९५३ को १४,१०८ प्रारम्भिक स्कूल थे, जिनमें विद्यार्थियों की संख्या १२,५४,०७८ थी। सरकार ने ५०,००,००० रुपये स्कूल भवनों के निर्माणार्थ कर्ज के रूप में स्वीकृत किया। ग्रंजुएटों के लिये स्वीकृत तीन बुनियादी प्रशिक्षण केन्द्रों के पाठ्यक्रम में बुनियादी शिक्षा का प्रशिक्षण भी सम्मिलित है। प्रौढ़ों की निरक्षरता दूर करने के लिए सरकार ने समाज-शिक्षण की एक योजना बनायी है जो तीन प्रादेशिक समाज-शिक्षण समितियों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। हरिजनों के लिए दो सौ समाज शिक्षण केन्द्र खोले गये हैं, जिनमें २५,००० रुपये की आवश्यक सामग्री भी सन् १९५३-५४ में दी गयी है। गांवों में वाचनालय खोलने की योजना को भी सरकार ने स्वीकार कर लिया है। वर्तमान वाचनालयों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता १८ रुपये से ७५ रुपये कर दी गयी है। सन् १९५३-५४ में ४,००० पुस्तकालयों को सहायता दी गयी।

माध्यमिक स्कूलों का पाठ्यक्रम संशोधित किया गया तथा उन्हें सरकारी सहायता यथावत् मिलती रही। विश्वविद्यालयों की शिक्षार्थ ६६,८२,७००

‘क’ भाग

रुपयों की व्यवस्था सन् १९५३-५४ में रखी गयी। शोध कार्य के लिए सुविधाएं बढ़ा दी गयीं।

अनुसूचित जातियों तथा जन जातियों के लिए वे सब सुविधाएं उपलब्ध की गयीं जो कि पिछड़े वर्गों को दी जाती हैं।

टेकनीकल शिक्षा के लिए गैर-सरकारी संस्थाओं को उनके वार्षिक व्यय का ५० प्रतिशत तक सहायता के रूप में दिया गया। गवर्नमेंट एग्जेंट्स स्कीम के अंतर्गत ५५ छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों की ट्रेनिंग के लिए चुना गया। टेकनीकल संस्थाओं के छात्रों को छात्रवृत्ति तथा दूसरी सुविधाएं भी दी गयीं।

मध्य प्रदेश

सन् १९५३ में प्रारम्भिक शिक्षा पर २०९ लाख रुपये व्यय किये गये। स्कूलों की संख्या १०,९५३ तक पहुँची जिनमें ७३५०८७ विद्यार्थी थे। १,२०९ गावों में तथा ४९ म्युनिसिपल क्षेत्रों में प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य है। राज्य में ७७ नामल स्कूल हैं जहाँ प्रतिवर्ष १,३६० शिक्षक ट्रेनिंग पाते हैं। ७७ इंडियन मिडिल स्कूलों को सोनियर बेसिक स्कूलों में परिणत किया गया, साथ ही यह भी प्रयास किया जा रहा है कि नामल स्कूलों में बुनियादी शिक्षा की ट्रेनिंग दी जा सके। इंडियन इंग्लिश मिडिल स्कूलों तथा हाई स्कूलों की संख्या ५७५ हो गयी जिसमें २८९ हाई स्कूल हैं तथा १,४७,९८५ छात्र शिक्षा पाते हैं। सन् १९५४ में हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा के लिए २०,१८३ छात्र बैठे। लगभग ३८४ ट्रेण्ड शिक्षक प्रतिवर्ष ट्रेनिंग स्कूलों से पास होते हैं।

प्रधान मन्त्री के जन्म-दिवस के उपलक्ष्य में मध्यप्रदेश-वासियों ने ८५ स्कूलों के निर्माण का वचन प्रधान मंत्री को दिया। ग्रामीणों ने स्कूल की इमारतों के लिए ३९३ एकड़ भूमि प्रदान की। ३१ मार्च सन् १९५४ को राज्य में ११,३५३ प्रारम्भिक स्कूल थे।

मद्रास

इस वर्ष प्रारम्भिक स्कूलों में १७,३७,८४० छात्र तथा ९,९०,६१५ छात्राएं थीं। राज्य में कुल ६८९ बुनियादी स्कूल हैं जिनमें ५७,२१० छात्र

सातवां वर्ष

और ३५,१३६ छात्राएं हैं। छात्रों के लिये राज्य में ८०४ माध्यमिक स्कूल तथा छात्राश्रमों के लिए २०४ स्कूल हैं। सिर्फ इण्डियन सेकेन्डरी स्कूल ही छात्रों के लिए ७७६ हैं और छात्राश्रमों के लिये १७७ हैं जिनमें ३,८४,०३१ छात्र तथा १,०६,०६३ छात्राएं हैं। राज्य की साक्षरता १६.३ प्रतिशत है। आशा है कि शिक्षा पर अवशिष्ट मद्रास राज्य ८५४ लाख रुपयों से भी अधिक व्यय करेगा।

उड़ीसा

इस वर्ष के भीतर ५०० लोअर प्राइमरी स्कूल तथा ६० बेसिक जूनियर स्कूलों की स्थापना की गयी। ३२ लोअर प्राइमरी स्कूल अपर प्राइमरी स्कूलों में परिणत किये गये। एक शिक्षक वाले प्राइमरी स्कूलों में लगभग ३०० और अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की गयी। इस वर्ष के अन्त तक १२०० नये लोअर प्राइमरी स्कूल शिक्षितों को काम दिलाने वाली योजना के अन्तर्गत खोले गये।

अनिवार्य शिक्षा की योजना राज्य में अन्य पांच स्थानों पर प्रारम्भ की गयी, जैसे अथगड़ (नगर) बारीपाड़ा (नगर), अंगुल (नगर) सुन्दर गढ़ (नगर) और अथमल्लिक थाना। पचास नये स्कूल खोले गये और २६६ नये शिक्षकों की नियुक्ति की गयी। सात नये एलीमेन्ट्री ट्रेनिंग स्कूल तथा दो घनते-फिरते प्रशिक्षण बस बनाये गये।

पहली मार्च १९५३ से प्रारम्भिक स्कूल के शिक्षकों के वेतन में ४ रुपये की वृद्धि की गयी। सरकार ने यह भी निश्चय किया कि प्रारम्भिक स्कूलों के सभी अध्यापकों को कान्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फण्ड का लाभ दिया जाय।

जहां तक माध्यमिक शिक्षा का प्रश्न है, स्कूलों की संख्या २०० से २०६ हुई। मिडिल इंगलिश स्कूलों की संख्या ५५८ से ५७० हुई। साधारण सरकारी सहायता के अलावा ४.२४ लाख रुपयों की सहायता स्कूल की इमारतों तथा साज-सज्जा के लिए दी गयी।

वैज्ञानिक अनुसन्धान बोर्ड को २६,५६० रुपयों की सहायता दी गयी जिसके द्वारा राज्य के विभिन्न लोगों द्वारा शोध-कार्य चलता रहे। उच्चशिक्षा

के लिये छात्रवृत्तियों की संख्या ११ से २२ कर दी गयी। ३१३६ प्रौढ़ों को साक्षर बनाया गया जो १५० समाज शिक्षण केन्द्रों के प्रयत्नों का फल है।

पंजाब

छात्र और छात्राओं के लिये सन् १९५२ की ४१९१ प्राइमरी स्कूलों की संख्या १९५३ में ५४१६ हो गयी। सन् १९५३ में छात्रों के ३०० प्राइमरी स्कूलों में चार कक्षाओं के अलावा एक कक्षा और बढ़ायी गयी।

सरकार ने कांगड़ा के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को लाहुल और स्पीती में चार प्राइमरी स्कूल खोलने के लिये सहायता दी।

शिक्षितों में बेरोजगारी दूर करने के लिए एक शिक्षक वाले १६०० प्राइमरी स्कूल इस आर्थिक वर्ष में खोले जायेंगे।

बुनियादी स्कूलों में नये कला-कौशल जैसे कृषि, बागवानी, कताई और बुनाई का कार्य प्रारम्भ किये गये हैं। बढ़ती हुई आवश्यकता की पूर्ति के लिए राज्य भर में सात आपत-कालीन ट्रेनिङ्ग केन्द्र स्थापित किये गये हैं।

चंडीगढ़ में एक डिग्री कालेज खोला गया है। फीस आदि में हरिजनों, पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों तथा ज़रायम पेशा जातियों के छात्रों के लिए रियायत दी गयी है।

उत्तर प्रदेश

सरकार ने यह निश्चय किया है कि बेहताओं के प्राइमरी तथा जूनियर हाईस्कूलों को समाज विस्तार सेवा केन्द्रों में परिवर्तित कर दिया जाय। इन स्कूलों में कृषि अनिवार्य विषय होगा। प्रत्येक स्कूल के साथ एक कृषि-फार्म रहेगा। इस प्रकार ये स्कूल सब लोगों को सामूहिक कार्य की प्रेरणा देकर गांव की भलाई कर सकेंगे।

देवनागरी सम्मेलन में होने वाले लिपि सम्बन्धी निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक कार्यवाही की गयी है। प्रकाशकों तथा मुद्रकों से

सातवाँ वर्ष

अनुरोध किया गया है कि वे परिवर्द्धित रूप को स्वीकार करें। विद्वानों एवं लेखकों को हिन्दी में अच्छे ग्रन्थ निर्माण करने के लिये प्रोत्साहन के रूप में सरकार ने निर्णय किया है कि महत्वपूर्ण कृतियों को पुरस्कृत किया जाय।

सरकार ने डिस्ट्रिक्ट बोर्डों की ३२८६००० रुपयों की विशेष अनावर्तक सहायता मंजूर कर दी है ताकि शिक्षकों का बकाया वेतन आदि चुकाया जा सके।

पश्चिम बंगाल

स्कूलों के विद्यार्थियों की संख्या अब १५ लाख है। अब तक १४०० शिक्षकों को बुनियादी शिक्षा की ट्रेनिंग दी जा चुकी है। ७६४६० वयस्कों से भी अधिक साक्षरता एवं समाज शिक्षण केन्द्रों में उपस्थित होते हैं। ७०० से अधिक केन्द्रों को सरकार चलाती है। विश्वविद्यालयों की तथा टेकनिकल शिक्षा पर सरकार काफी पैसा व्यय करती है।

सरकार ने वह योजना पास कर दी है जिसके अनुसार १०००० प्राइमरी स्कूल खोले जायेंगे। इसे कार्यान्वित करने के लिए २५०० प्राइमरी स्कूल खोले जा रहे हैं।

सार्वजनिक स्वास्थ्य

आसाम

काला-आजार की रोकथाम तथा दवाई के लिये गारो पहाड़ी के फूल-बाड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य चिकित्सालय में ३० रोगियों के लिए एक कुटिया बनाई जा रही है।

देहातों में 'हुक वर्म' को न फलने देने के लिए सात चलते-फिरते एकक कार्य करते हैं। जनता के सभी वर्गों से खूब सहयोग मिल रहा है।

स्वायत्त पहाड़ी जिलों, आदिवासी क्षेत्रों तथा मैदानों में स्वास्थ्य सुधार योजनाओं को विकसित करना सरकार ने स्वीकार कर लिया है।

मौजूदा दवाखानों में सुधार किये जा रहे हैं तथा चलते-फिरते संपूर्ण विकसित दवाखाने प्रचार यूनिटों के साथ व्यवस्थित किये जा रहे हैं।

स्वास्थ्य-सुधार किस प्रकार किया जा सकता है, इस बात का प्रचार जनता तक प्रदर्शनियों एवं मेलों के माध्यम से किया गया है। मलेरिया विरोधी योजना चलायी गयी तथा बड़े पैमाने पर बी० सी० जी के टीके लगाने का कार्य किया गया। १६२६८२ लोगों की यक्ष्मा की परीक्षा की गयी और ८६४४३ व्यक्तियों को टीके लगाये गये। देहातों में पांच नये शिशु कल्याण-गृह खोले गये। कई नये बाड़ों के बन जाने से तथा बाहर के लोगों के लिए दवाखाने की नयी इमारत बन जाने से नर्सों को बढ़ाना आवश्यक हो रहा है। इसलिए नई नर्सों को ट्रेनिंग देने की स्कीम बनाई गई है। शिक्षकों तथा साज-सज्जा की व्यवस्था यूनीसेफ करेगा। लोकल बोर्ड के पांच अस्पतालों को नये नये औजार, साज-सामान देकर उनका प्रांतीयकरण किया गया। इसके अलावा दस आयुर्वेदीय दवाखाने तथा दस एलोपैथिक डिस्पेन्सरियां सरकारी सहायता से चलायी जा रही हैं।

बिहार

पटना अस्पताल का ‘दि राजेन्द्र सजिकल ब्लॉक’, जिसमें कि २५० पलंग रहेंगे तथा जिसमें नये से नये सजिकल यूनिट रहेंगे और जो कि पूर्व में अद्वितीय होगा, लगभग पूरा हो रहा है। पटना में ही क्षूत की बीमारियों के लिए ५० पलंगों वाला एक अस्पताल खोला गया है। पटना के क्षय सम्बन्धी प्रदर्शन केन्द्र में दर्शकों को तपेदिक के बारे में जानकारी करायी जाती है। इतकी सैनीटोरियम में ४८ पलंगों वाला क्षय का एक विभाग खोला गया। डूंगरी (रांची) स्थित रामकृष्ण मिशन टी० बी० सैनीटोरियम को सरकार ने २.२५ लाख रुपये देना स्वीकार कर लिया है।

कोसी और कपला क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुधार का कार्य उन्नत हुआ है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अस्पतालों को राज्य सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है।

नये अस्पताल तथा स्वास्थ्य-केन्द्र खोले जा रहे हैं। सराय केला और खरसावन के अस्पताल अब बड़े पैमाने के कर दिये गये हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा यूनीसेफ की सहायता से कई मातृ-गृहों तथा शिशु-गृहों का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। राष्ट्रीय मलेरिया निरोधक कार्यक्रम कई कन्ट्रोल यूनितों के साथ शुरू हो गया है। आठ टीमों की अतिरिक्त सहायता के साथ बृहद्रूप में बी० सी० जी० के टीके भी लगाये गये हैं। कोढ़ को न बढ़ने देने के लिए पूर्वप्रयत्न किये गये हैं तथा छोटी माता या छूत को अन्य बीमारियों की रोकथाम के लिए भी किये गये प्रयत्न सुचारु रहे हैं।

बम्बई

पूना के अस्पताल में १०० पलंग और बढ़ा दिये गये लेकिन सन् १९५४-५५ में १०० पलंग और भी बढ़ा दिये जायेंगे। पूरे राज्य भर में बी० सी० जी० के टीके लगाये गये हैं। इसके अतिरिक्त पांच टीमें और मंजूर की गयी जब कि १९५४-५५ के लिए अभी आठ टीमें और मंजूर करनी हैं। अस्पतालों तथा आयुर्वेदीय संस्थाओं को सहायता, अनुदान आदि दिया जा रहा है। दक्षिण भाग में चलती-फिरती आप्पेलमिक यूनित ने सन् १९५३-५४ के बीच अत्यन्त उपयोगी कार्य किये हैं जिनकी ग्रामीणों ने बहुत सराहना की है।

पूना और अहमदाबाद के मेडिकल कालेजों की इमारतें तैयार हो गई हैं तथा कालेज इन नयी इमारतों में चले गये हैं। सन् १९५४-५५ में इन कालेजों की प्रवेश संख्या १०० तक बढ़ा दी जायगी।

औंध में १२५ पलंगों वाला क्षय अस्पताल खोला गया है। जब धन प्राप्त हो सकेगा तो पलंगों की संख्या ३०० कर दी जायगी। क्षय के दूसरे अस्पताल के लिए स्थान अभी विचाराधीन है।

केडगांव में कुष्ठरोगियों की बस्ती की स्थापना के लिए सन् १९५४-५५ के बजट में १४४००० रुपये की व्यवस्था रखी गयी है।

‘क’ भाग

३ जून सन् १९५३ को राज्य-व्यापी मलेरिया निरोध आयोजन का कार्य प्रारम्भ किया गया। २७००० ग्रामों के लगभग ३५ लाख घरों में दो-दो बार डी० डी० टी० छिड़का गया।

चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य की कुल २३ यूनिटें राज्य में कार्य कर रही हैं। सुदूर देहातों में ये मातृ-गृह, शिशु-गृह की सेवाएं भी प्रस्तुत करते हैं।

मध्य प्रदेश

नागपुर मेडिकल कालेज भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद के कर-कमलों से २० मार्च १९५३ को हुआ। कालेज से संलग्न इस अस्पताल में ६४८ पलंगों का प्रबन्ध है जो कि आधुनिक प्रकार के शस्त्र, यंत्र तथा साज-सज्जा से युक्त है, साथ ही ‘एक्स-रे’ का बहुत बड़ा यंत्र भी है।

रायपुर स्थित आयुर्वेदीय स्कूल के विकास के साथ एक आयुर्वेदीय फार्मसी स्थापित की गयी है और १९१ सरकारी सहायता-प्राप्त तथा १६९ बिना सहायता प्राप्त आयुर्वेदीय दवाखानें चालू किये जा चुके हैं। अकोला, निमाड तथा बिलासपुर के अस्पतालों को अब बड़ा कर उनका प्राप्तीयकरण कर दिया गया है।

छिंदवाड़ा में १०० पलंगों का क्षय का एक अस्पताल खोला गया है जिसके ५० पलंग गरीबों के लिए ही सुरक्षित रखे गये हैं। बुलडाना में २५ पलंगों का क्षय का दूसरा अस्पताल निर्मित हो रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य के अन्य दूसरे अस्पतालों में २१२ पलंगों का प्रबन्ध और भी किया गया है।

नागपुर, जबलपुर और छिंदवाड़ा की इन तीन बी० सी० जी० की टीमों के अतिरिक्त रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग की टीमों ने भी अत्यन्त उपयोगी कार्य किये। फरवरी १९५३ में बी० सी० जी० के टीके लगाने का काम बृहत्-रूप में प्रारम्भ किया गया।

मद्रास

राष्ट्रीय मलेरिया-निरोध कार्यक्रम के अनुसार राज्य को दो कन्ट्रोल यूनिटों की सहायता मिली। सरकार द्वारा ५४ ऐन्टी फाइलेरिया योजनाओं के लिए भी ग्रांट मिली है।

सामूहिक विकास योजना के कार्यकर्ताओं के शिक्षण के हेतु एक अखिल भारतीय शिक्षण-केन्द्र स्थापित किया गया। उबत केन्द्र में देहातों की सफाई तथा ग्राम सेवा की बातों की शिक्षा दी जाती है। इस केन्द्र की स्थापना फोर्ड प्रतिष्ठान की सहायता से हुई है।

म्यूनीसिपैलिटी के आठ क्षेत्रों में जल-वितरण की नयी स्कीमों को कार्यान्वित किया जा रहा है तथा १२ क्षेत्रों में सुधार किये जा रहे हैं। देहातों में जल-वितरण-कार्य २५०० कूएँ बनाने से पूरा होगा, और ये कूएँ आगामी तीन वर्षों में बनाए जाएंगे।

इस वर्ष मद्रास जनरल अस्पताल ने अपनी शती मनायी। जनरल अस्पताल की वर्तमान चार सजिकल एवं मेडिकल यूनिटों की संख्या में एक की और वृद्धि कर दी जायगी।

कैंसर के रोगियों के पल्लों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। क्षय के अस्पताल भी तंजौर जिले के सांगीपत्ती दक्षिण कन्नड के मुडेशेडु और मलावार के पेरीयारम में खोल दिये गये हैं।

मद्रास के सरकारी महिला एवं शिशु अस्पताल का प्रजनन विज्ञान विभाग, स्टेनली मेडिकल कालेज का शरीर रचना-विभाग और जनरल अस्पताल के धीन-व्याधि विभाग के स्तर ऊँचे कर दिये गये हैं जिससे वे स्नातकोत्तर शिक्षण के लिए अखिल भारतीय केन्द्र बन सकें। सफाई तथा जन-स्वास्थ्य की उचित शिक्षा दी जा सके इसके लिए मद्रास मेडिकल कालेज में एक नया हाइजीन ब्लाक खोला गया है। निकट भविष्य में ही मदुराई में भी एक मेडिकल कालेज खोलने का विचार है।

उड़ीसा

मलेरिया निरोध के लिए अत्यन्त सतर्कता बरती गयी और राज्य के मलेरिया क्षेत्रों पर २३३२०० रुपये व्यय किये गये। ४०८०० रुपये फाइलेरिया के रोगियों पर व्यय किये गये।

क्षय की रोकथाम के हेतु बी० सी० जी० का कार्य शुरू किया गया और १६११४२ रुपये व्यय किये गये।

“कुष्ठमार्गदर्शक योजना” के अन्तर्गत कुष्ठ-सुधार के लिए २२५८८४ रुपये खर्च किये गये।

सिद्धेश्वर, जलतुर, दहया, नचुनी और प्रीतिपुर में नये दवाखाने खोले गये। कटक के श्रीराम चौधरी भंज मेडिकल कालेज अस्पताल में १४ पलंग और बढ़ा दिये गये।

धेनकनाल की भुवन डिसपेन्सरी में आठ पलंग और बढ़ाकर उसे अस्पताल में परिणत कर दिया गया है। भुवनेश्वर के प्रसूतिगृह को बढ़ाकर प्रसूतिगृह एवं शिशु रक्षण केन्द्र कर दिया गया है, तथा कटक जिले के इन्दुपुर में एक नया प्रसूतिगृह खोला गया है।

कटक के एस० सी० बी० मेडिकल कालेज का स्तर अब एम० बी० बी० एस० कालेज का कर दिया गया है तथा उसे उत्कल विश्वविद्यालय तथा मेडिकल कौंसिल आफ इंडिया ने मान्यता दे दी है।

बहरामपुर के मिडवाइफरी ट्रेनिंग स्कूल का स्तर उच्च कर दिया गया है तथा वृत्तियों की संख्या ८ से २० कर दी गयी है।

दाइयों की शिक्षण-योजना तथा सरकारी सहायता प्राप्त प्रसूति-गृहों की स्थापना-योजनाएँ स्वीकृत कर ली गयी हैं।

सातवां वर्ष

क्षय-रोगियों को ३००० रुपयों तक की आर्थिक सहायता दी गयी है।

‘अन्धेपन की रोक’ पर भाषणों के लिए सन् १९५३-५४ में १३५० रुपये का वार्षिक व्यय तीन वर्ष तक के लिए स्वीकार किया गया है। ये भाषण हाई स्कूलों तथा मेडिकल स्कूलों में दिये जा रहे हैं।

देहात के शिक्षकों की सहायता से पुरी में ६१० रुपयों के व्यय से औषधि-पेटियाँ के पांच केन्द्र स्थापित किये गये हैं।

पंजाब

जुलाई १९५३ में राज्य के १३ जिलों में से ६ जिलों में १४ लाख लोगों को मलेरिया से बचाने का व्यवस्थित कार्य किया गया। इस कार्य की वृद्धि के लिए चालू वर्ष में मलेरिया यूनितों की संख्या ७ कर दी गयी। १०७३६१० लोगों की परीक्षा की गयी तथा ३३३६६६ व्यक्तियों को बी० सी० जी० के टोके लगाये गये।

कांगडा जिले में ‘गाइटर’ की रोकथाम तथा दवाई के लिए ‘आयोडाइज्ड साल्ट्स’ का एक बहुत बड़ा कारखाना स्थापित किया गया। विश्व-स्वास्थ्य संगठन तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा भी सहायता प्रदान की जायेगी। नारी स्वास्थ्य निरोक्षिकाओं की कमी को दूर करने के लिए अमृतसर में एक शिक्षण-शाला प्रारम्भ की जा रही है।

सन् १९५३-५४ के बीच अस्पतालों और दवाखानों की संख्या ६११ पहुँच गई तथा पलंगों की संख्या ८३७६। कई अस्पताल आधुनिक किये जा रहे हैं तथा रोपड़, रोहतक, और सोनीपत के अस्पतालों को उच्चस्तरीय कर दिया गया है। दो लाख अतिरिक्त रुपये अस्पतालों की दवाइयों के लिए निर्धारित किये गये हैं।

२० आयुर्वेदीय तथा यूनानी औषधालय खोलने की योजना है तथा रोहतक जिले में एक आयुर्वेदीय महाविद्यालय भी स्थापित किया जायेगा।

कारखाने के ३५००० कर्मचारियों को कर्मचारियों की राज्य बीमा-योजना द्वारा लाभ दिया जाता है।

उत्तर प्रदेश

राज्य सरकार ने देहातों में १० एलोपैथी तथा १५ आयुर्वेदीय और यूनानी औषधालय खोलने की स्वीकृति दे दी है। दाइयों के प्रशिक्षण के लिए ६ केन्द्र स्थापित हो चुके हैं। ६५०० से अधिक गांवों में जिनकी आबादी ३३ लाख से अधिक है, मलेरिया निरोध का कार्य किया गया। प्रयाग के कुम्भ मेले के अवसर पर, जिसमें कि देश के लाखों लोग आये थे, चिकित्सा तथा जन-स्वास्थ्य विभाग की सतर्कता के कारण कोई भी संक्रामक रोग का आक्रमण न हो सका।

पश्चिम बंगाल

बंगाल में स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक व्यक्ति पर २ रु० २ आ० १० पाई व्यय किया गया, जो कि भारत में सबसे अधिक है।

राज्य के सब अस्पतालों के पलंगों की संख्या २०३३४ है तथा देहातों में भी दवा-दारू सहायता का प्रबन्ध है। क्षय रोगियों के पलंग की १६४० की ६५६ की संख्या सन् १९५४ में २३३० कर दी गयी है। टी० बी० क्लीनिकों की संख्या १५ से २५ कर दी गयी है, प्रसूति के लिए ११०७ पलंगों से बढ़ा कर ३०६३ पलंग कर दिये गये हैं। कुष्ठ और गुप्त रोगों के रोगियों के पलंगों की सन् १९४७ की ७४४ तथा ८० की क्रमशः संख्या को ६३३ और ११० क्रमशः कर दिया गया है।

मलेरिया निरोध कार्य तथा बी० सी० जी० योजना में संतोषजनक उन्नति हुई है। देहातों में पीने के जल की वितरण-व्यवस्था कर दी गयी है। तथा २७८०६ बिजली के कुएं लगाये गये हैं। स्वास्थ्य सम्बन्धी बहुमुखी कार्य-क्षमता एवं सतर्कता के कारण सन् १९५३ में १०.३ मृत्यु-अनुपात रहा जब कि सन् १९४८ में वह १८.१ था।

श्रम

आसाम

सन् १९२६ के भारतीय ट्रेड यूनियन कानून के अनुसार राज्य में १६ ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड किये गये तथा स्थायी आदेशों के २२ सेट सन् १९४६ के औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) कानून के अन्तर्गत प्रमाणित किये गये। कारखानों के ६५ भगड़े शान्ति के साथ सुलभाए गये। ३२ भगड़े, जो, कि सुलभाये न जा सके, सन् १९४७ के औद्योगिक विवाद कानून के अनुसार निर्मित औद्योगिक अदालतों या ट्रिब्यूनलों को सौंपे गये।

चाय-बागानों की बेकारी में उल्लेखनीय कमी हुई। बन्द हो जाने वाले ८५ चाय बागानों में से ७४ में फिर से काम शुरू हुआ। इस लिए सन् १९५२ के ४८४३३ श्रमिकों में से ३५६८४ को फिर से काम दिया गया। शेष रहे श्रमिकों को या तो दूसरे चायबागानों में काम दिलवाया गया या फिर सड़क बनाने में लगा दिया गया या, दूसरे सार्वजनिक निर्माण-कार्यों में काम दिलवा दिया गया।

श्रमिकों के कल्याण के पन्द्रह केन्द्र खोले गये तथा और केन्द्रों की इमारतें लगभग तैयार हो गयी हैं।

औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत विभिन्न श्रमिक संस्थाओं को ६५००० रुपये कर्ज दिये गये जिसमें श्रमिकों के लिए मकान बनाये जा सकें। अभी तक ३६०१ मकान बन चुके हैं।

बिहार

राज्य के कारखानों की श्रम-स्थिति सन्तोषजनक रही। सैकड़ों भगड़े या तो मध्यस्थता के द्वारा तय किये गये या फिर सरकार द्वारा स्थापित समझौते संगठनों द्वारा मालिकों की बिहार औद्योगिक आवास-योजना के अन्तर्गत कर्ज दिये गये। कर्ज की रकम पर ३ प्रतिशत व्याज लिया जायेगा तथा मूलधन २५

वर्षों में प्राप्त किया जायेगा। अब तक ४० लाख रुपये का कर्ज दिया जा चुका है।

सन् १९५४ में कर्मचारियों की राज्य बीमा योजना शुरू करने का विचार है। एक कारपोरेशन बनाया जायगा जो कि शक्तिचालित तथा लगातार चलने वाली फैक्टरियों में, जहाँ प्रतिदिन औसतन २० या अधिक व्यक्ति काम पर लगाये जाते हैं, काम करने वाले श्रमिकों को चिकित्सा और बीमारी सम्बन्धी सुविधायें, आश्रित सम्बन्धी लाभ, प्रसूति भत्ता और अपंगता के कारण मिलने वाली पेंशनों को दिलवाने के लिए उत्तरदायी होगा।

अनुसूचित कारखानों में न्यूनतम वेतन निर्धारित कर दिया गया है। शाहबाद, गया और पटना जिलों में खेतिहर मजदूरों का भी न्यूनतम वेतन निर्धारित हो चुका है।

प्रमाणित मजदूर संघों की संख्या जो सन् १९४६-४७ में ६१ थी, बढ़ कर सन् १९५२-५३ में ४१६ हो गयी है। चूंकि कई विरोधी मजदूर संघ अपने को मजदूरों का प्रतिनिधि कहते हैं, इसलिए राज्य सरकार ने श्रम सलाहकार बोर्ड की सहमति से ही उनका प्रतिनिधि स्वरूप स्वीकार करना तय किया है।

बम्बई

फरवरी १९५४ में समाप्त होने वाले पिछले ११ महीनों में सन् १९५२-१९५३ के मुकाबले में बम्बई, अहमदाबाद, शोलापुर और जलगांव के मजदूरों के जीवन-यापन के स्तर-अंक क्रमशः २१, ११, १२ और २७ तक बढ़ गये हैं।

प्रमाणित कारखानों की संख्या ८,८१० है तथा प्रतिदिन कार्य करने वाले श्रमिकों की संख्या औसत ७,२७,६५३ है। सन् १९५३ में लगभग ३०,३६४ दुर्घटनाएँ घटीं।

सातवाँ वर्ष

सन् १९५३ के बम्बई के श्रम-कल्याण निधि कानून के अनुसार बम्बई श्रम कल्याण बोर्ड का निर्माण हुआ तथा राज्य सरकार द्वारा निर्मित सारे सुरक्षा केन्द्र जुलाई १९५३ में उस बोर्ड को सौंप दिये गये ।

ट्रेड-यूनियनों की संख्या १९५३-५४ में ७१२ से बढ़कर ८१२ हो गई है । अप्रैल १९५३ से फरवरी १९५४ के बीच ५२६ भगड़ों का निबटारा या तो बम्बई स्थित औद्योगिक अदालत द्वारा हुआ या फिर औद्योगिक ट्रिब्यूनल्स के द्वारा ।

सन् १९५३ में मंजूरी भुगतान (बंबई संशोधन) कानून, बम्बई श्रम कल्याण निधि कानून, और बम्बई औद्योगिक सम्बन्ध (संशोधन) कानून जैसे कुछ महत्वपूर्ण कानून पास किये गये ।

मध्य प्रदेश

सूती मिलों के श्रमिकों द्वारा सन् १९५०-५१ और १९५१-५२ के लिए बोनस की मांग का मामला पंच-निर्णयार्थ भेजा गया तथा निर्णय श्रमिकों के पक्ष में हुआ ।

दूसरे कारखानों में लेबर अफसरों ने ५५ भगड़े सुलभाये तथा ४०० भगड़ों की जाँच की । सन् १९५३-५४ में १७ मजदूर संघ प्रमाणित हुए ।

दुकान संस्थान कानून के अन्तर्गत, जो राज्य के २२ नगरों में लागू था, ८,०६६ रजिस्ट्रेशन और नवीकरण हुए । इस वर्ष ४३४ मालिकों पर मुकदमे चलाये गये जिनमें से २६५ को सजा तथा जुर्माना हुआ ।

अनेक कारखानों में सुरक्षा योजना आरम्भ की गयी तथा बडनेरा और हिंगनघाट में सुरक्षा केन्द्र खोले गये । नागपुर, जबलपुर और अकोला में राज्य सरकार ने तीन सुरक्षा केन्द्र खोले । श्रमिकों को श्रम कानून तथा मजदूर संगठन की गतिविधियों से अवगत कराने के लिये सरकार ने नागपुर में एक शिक्षण-केन्द्र प्रारम्भ किया है । ६५ श्रमिकों में से ६ महिलाएं भी इस केन्द्र में प्रविष्ट हुई हैं ।

भारत सरकार द्वारा स्वीकृत योजना के अनुरूप ‘राज्य आवास बोर्ड’ श्रमिकों के लिये जबलपुर में १०० क्वार्टर बन चुके हैं तथा नागपुर में ४५० क्वार्टर पूरे होने को हैं। अचलपुर में ५० क्वार्टरों का निर्माण प्रारम्भ हो चुका है।

मद्रास

अविभाजित मद्रास राज्य में आर्थिक वर्ष के आरम्भ में ७,५२२ कारखाने फैक्टरी कानून के अन्तर्गत आये। अवशिष्ट मद्रास राज्य में मार्च १९५४ में कारखानों की संख्या ६,९०७ थी। सन् १९५३ की जनवरी से अगस्त तक अविभाजित मद्रास सरकार के श्रम विभाग द्वारा ५,७१५ भगड़ों की जांच की गयी। अवशिष्ट मद्रास राज्य द्वारा सन् १९५३ के अक्टूबर और नवम्बर में उनमें से १,०६३ पर निर्णय लिये गये।

अविभाजित मद्रास राज्य में ७२० मजदूर संगठन थे। अवशिष्ट मद्रास राज्य में अब संगठनों की कुल संख्या ५६४ है। कर्मचारियों की राज्य बीमा योजना का एक प्रादेशिक कार्यालय कोयम्बटूर में स्थापित कर दिया गया है जो कि अपने आस पास के क्षेत्रों में भी कार्य करता है। शीघ्र ही उसका कार्य-वृत्त दूसरे कारखानों तक कर दिया जायगा।

उड़ीसा

सन् १९५३ का औद्योगिक विवाद (संशोधन) कानून तथा सन् १९५३ का उड़ीसा प्रसूति सुविधा कानून स्वीकृत हो गये हैं। पहला कानून तो उन श्रमिकों के लिये है जो या तो काम से हटा या अलग कर दिये जाते हैं, तथा दूसरा महिला श्रमिकों को प्रसूति भत्ता के देने के लिये है। चावल, आटा, दाल की मिलों, तम्बाकू के निर्माताओं तथा मोटर सवियों के श्रमिकों का न्यूनतम वेतन निर्धारित कर दिया गया है।

एक श्रम सलाहकार बोर्ड बना दिया गया है जो श्रम सम्बन्धी समस्याओं पर विचार कर सके।

१२ नये मजदूर संगठन प्रमाणित हुए हैं तथा इस प्रकार उनकी कुल

सातवां वर्ष

संख्या ८१ हो गई है। चांदबली, बालासोर, रूपसा तथा भरसूगुडा में चार कल्याण केन्द्र स्थापित हुए हैं।

सरकारी सहायता प्राप्त आवास योजना के अन्तर्गत राज्यसरकार से मेसर्स उड़ीसा सीमेन्ट लिमिटेड, मेसर्स उड़ीसा टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, मेसर्स जयपुर शुगर कम्पनी लिमिटेड और मेसर्स डान एण्ड कम्पनी ने सहायता के लिए प्रार्थना की है।

कुल छः कारखानों ने कर्मचारियों की राज्य बीमा योजना से लाभ उठाया है।

होराकुंड बांध योजना के तैयार हो जाने के बाद आशा की जाती है कि मचकुंड पन-बिजली योजना तथा हरकेला का "हिन्दुस्तान स्टील प्लान्ट" आदि कई औद्योगिक छोटे-बड़े केन्द्र पनपेंगे।

सन् १९५३-५४ में ४१२ दुर्घटनाएं हुईं। इनकी जांच पड़ताल हुई तथा भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाएं कम हों इसके लिये सतर्कता बरती गयी एवं कार्यवाही भी की गयी। गंबी गटरों, पीकवानों, शौचालयों, मूत्रालयों, बिजली तथा पीने के जल के वितरण आदि की आवश्यकता पर जोर डाला गया तथा कुछ दिशाओं में प्रभावकारी उन्नति हुई।

पंजाब

श्रमिकों के लिए एक कमरे वाले मकानों की योजना कार्यान्वित की गयी। श्रमृतसर में ऐसे २०० मकान निर्मित हुए तथा शीघ्र ही १०० और बनाये जायेंगे। इस योजना के अनुसार जलन्धर में १००, लुधियाने में १२४, बटाला में ५० तथा अम्बुल्लापुर में १०० मकान बनेंगे।

औद्योगिक महत्व के अनेक स्थानों पर श्रम विभाग कल्याण केन्द्र चला रहा है। श्रमृतसर, बटाला, लुधियाना, जलन्धर, अम्बाला छावनी, अम्बुल्लापुर और बालमपुर में ये केन्द्र स्थित हैं। श्रमिकों को तथा उनके परिवारों को ये कल्याण केन्द्र शिक्षा एवं मनोरंजन दोनों के साधन प्रस्तुत करते हैं।

पंजाब के चाय बागान तथा चाय फैक्टरियों में काम करने वाले श्रमिकों को भी ये केन्द्र शिक्षा के साधन प्रस्तुत करते हैं।

उत्तर प्रदेश

न्यूनतम वेतन कानून कृषि सम्बन्धी कार्यों पर लागू किया जायगा तथा उन क्षेत्रों तथा फार्मों पर भी जहाँ कम वेतन है और जो फार्म ५० एकड़ के या अधिक के हैं।

कुल २,७७६ मकान श्रमिकों के लिए बनाये गये हैं जिनमें से २,२१६ कानपुर में और ५६० लखनऊ में बने हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा स्थानिक विकास बोर्ड की ओर से कानपुर में ३,७५० आवास बनाये जा रहे हैं। ७,४०० आवासों के निर्माण का कार्य शीघ्र आरम्भ होगा जिनमें से ३,४०० कानपुर में बनेंगे और शेष आगरा, बनारस, इलाहाबाद, फीरोजाबाद, मिर्जापुर और सहारनपुर में बनेंगे। कानपुर की गंदी बस्ती साफ की जायगी और ५,००० आवास उस स्थान पर बनेंगे।

कर्मचारियों की राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत २,४०० अस्थायी अपंग श्रमिकों के अधिकारपत्र प्राप्त हुए और सन् १९५४ के प्रारम्भिक तीन माहों में २,१०० से अधिक श्रमिकों को पैसा दिया गया। बीमारी की सुविधा के सम्बन्ध में ४२,४०० अधिकार पत्रों से भी अधिक आये और लगभग १,६४,००० व्यक्ति अस्पताल गये।

कानपुर की दो नयी श्रमिक बस्तियों में दो नये कल्याण केन्द्र खोले गये। लखनऊ के ऐशबाग स्थित गवर्नमेंट प्रेस में काम करने वाले ३०० श्रमिकों के लिए एक कल्याण केन्द्र वहाँ भी खोलने का विचार है।

पश्चिम बंगाल

विभिन्न स्थानों पर २७ कल्याणकेन्द्र हैं जो कि मालिकों द्वारा प्रस्तुत मनोरंजन में सहायता करते हैं। इनमें १२ केन्द्रों के साथ छोटे अस्पताल दवा-बारू के लिए जुड़े हुए हैं।

सन् १९५२ के कर्मचारियों के प्राविडेंट फण्ड कानून तथा सन् १९४७ के कर्मचारियों के राज्य बीमा कानून को कार्यान्वित करने के लिए प्रादेशिक कार्यालय खोले गये हैं ।

उद्योग-धंधे

आसाम

कुटीर और घरेलू उद्योग-धन्धों के लिए अलग एक विभाग बना दिया गया है । ५०,००० रुपयों तक का अनुदान एवं सहायता उद्योग धंधों के पांच स्कूलों को दी गई है ताकि वे कारीगरों को काम सिखा सकें । १,२६,६०० रुपये का कर्ज देना स्वीकार कर लिया गया है जिसमें वर्तमान कुटीर-उद्योग-केन्द्रों को उन्नत किया जा सके और कुछ नये केन्द्र स्थापित किये जा सकें । सन् १९५४-५५ में २ लाख रुपये इस प्रकार के कर्ज के लिए सुरक्षित हैं ।

रेशम और करघा उद्योग आसाम के प्रमुख कुटीर उद्योग हैं । सरकार इन दोनों को उन्नत तथा व्यापक करने के लिए कार्य कर रही है । करघा उद्योग में समय और श्रम को बचत के लिये यंत्रों के प्रयोग कर रही है । इसके शिक्षण तथा उत्पादन की विन्की के लिए भी सहायता दी जा रही है । रेशम के कीड़ों के पालन, रेशम के थानों को तह करने तथा कताई के सम्बन्ध में प्रदर्शन किये जा रहे हैं, साथ ही विभाग इसके शिक्षण का भी आयोजन कर रहा है । टीटावर में 'सेरीकल्चर' के सम्बन्ध में शोध-कार्य के लिए एक केन्द्र खोला गया है जिसकी लागत १,३०,००० रुपये होगी जिसे केन्द्रीय रेशम बोर्ड और राज्य सरकार बराबर-बराबर धन देगी ।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने विभिन्न योजनाओं के विकास के लिए २,१५,००० रुपयों का अतिरिक्त अनुदान देना स्वीकार किया है ।

बिहार

बिहार के कुटीर उद्योग के उत्थान के लिए राज्य सरकार ने एक यथार्थ-वादी योजना बनायी है। एक राज्य-वित्त-कारपोरेशन की २ करोड़ रुपयों से स्थापना का निर्णय हुआ जिसमें छोटे बड़े उद्योगों की सहायता की जा सके।

कुटीर उद्योगों को कर्ज दिया जा सके इसके लिए ४ लाख रुपय स्वीकार किये गये हैं। सरकार ने १ लाख रुपया सहायता के रूप में दिया है।

राज्य में गन्ना बोने वाले चार लाख किसान हैं और दस हजार के लग-भग शक्कर के कारखानों के श्रमिक हैं। गन्ने की किस्म को अच्छा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। गन्ने वाले क्षेत्रों में ३०० बिजली के कुएं लगाये जायेंगे जिसमें से १८७ लगा दिये गये हैं। पूसा में शक्कर से सम्बन्धित शोध-कार्य के लिए एक प्रमुख कार्यालय तथा पटना में उप-कार्यालय सरकार द्वारा खोले गये हैं।

गन्ना पैदा करने वालों को उनकी अपनी सहकारी संस्थाओं द्वारा गन्ने की किस्म को अच्छी बनाने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

गन्ने की खेती का क्षेत्रफल सन् १९४६-४७ के ३.६५ लाख एकड़ से बढ़कर सन् १९५२-५३ में ४.०१ लाख एकड़ हो गया। १९४६-४७ में ४०.३६ लाख मन के मुकाबले लगभग ७४.३३ लाख मन चीनी सन् १९५२-५३ में तैयार की गयी।

बम्बई

अगस्त १९५३ से अप्रैल १९५४ तक विभिन्न प्रकार के उद्योग-धंधों को १,२६,००० रुपये कर्ज के रूप में दिये गये। दिसम्बर सन् १९५३ में बम्बई राज्य वित्तीय कारपोरेशन की स्थापना के बाद १०,००० रुपये से अधिक की मांग वाले प्रार्थना-पत्र-कारपोरेशन के पास भेजे जाते हैं।

सातवाँ वर्ष

केन्द्रीय स्टोर खरीद संगठन बराबर स्वदेशी तथा कुटीर उद्योग के माल को क्रय करके प्रोत्साहित करता है ।

जून १९५३ के अन्त तक कुटीर उद्योगों की १,३०७ प्राथमिक सहकारी संस्थाएँ थीं तथा १८ जिला औद्योगिक सहकारी एसोसियेशन थे । इन संस्थाओं की संख्या सन् १९४७ में ४०,०४५ से अब १,४७, ७०४ हो गयी है ।

मध्य प्रदेश

राज्य की औद्योगिक उन्नति में 'बलारपुर पेपर एण्ड स्ट्रॉ बोर्ड मिल्स' का २१ नवम्बर १९५३ में खुलना एक महत्वपूर्ण घटना है । मिल की वार्षिक उत्पादन शक्ति ७,५०० टन कार्पाज की है । भारत की सर्वप्रथम अखबारों का कार्पाज मिल 'नेपामिल' का निर्माण कार्य अब समाप्ति पर है । इसकी उत्पादन-शक्ति १०० टन न्यूज़ प्रिन्ट प्रतिदिन होगी ।

मद्रास

मद्रास शहर में तथा उसके पास के क्षेत्र में अनेक उद्योग-धंधे पनप रहे हैं । मोटर और ट्रक निर्माण के लिए दो कारखाने तथा एक कारखाना साइकिलों के लिए मद्रास में स्थापित हुए हैं । तिरुनेलवेली में प्रतिदिन ५ टन कास्टिक सोडा बनाने वाला एक कारखाना खुला है । मद्रास के निकट ही चीनी के लिए भारी मशीनें बनाने तथा सीमेन्ट आदि दूसरे कारखानों के निर्माण के लिए कारखाने खुले हैं ।

दक्षिण अरकाट जिले के नेवेली में लिगनाइट पड़ताल योजना ने अच्छी उन्नति की है । चतुर्थ बिन्दु कार्यक्रम के अनुसार एक अमेरिकन विशेषज्ञ की सेवाएं ली गयी हैं ।

कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए किनारे वाली धोतियों तथा रंगीन साड़ियों को बनाने का काम एक दम करधों के लिए ही छोड़ दिया गया है । सन् १९५२ की उत्पादन संख्या का ६० प्रतिशत ही धोती बनानेवाली मिलों को धोती बनाने के लिए रखा गया है । 'हैण्डलूम सेस फण्ड' से ६८,३८, ६७७ रुपये करघा उद्योग के लिए दिया गया है ।

नाबुवत्तम की सरकारी कुर्नेन फैक्टरी में सन् १९५३-५४ में २०,००० पौण्ड बिनाइन सल्फेट बनायी गयी थी। कोयम्बटूर जिले के अनमलाइ में दूसरी कुर्नेन फैक्टरी बनायी जा रही है। उसके बन जाने पर राज्य में सल्फेट का उत्पादन १ लाख पौण्ड हो जायेगा।

उड़ीसा

सन् १९५३-५४ में स्थापित बृहत् कारखाने में श्री दुर्गा ग्लास वर्क्स लिमिटेड उल्लेखनीय है जो कि ७०० टन शीशे के बर्तन और बोतलें बनाती है। ‘कलिंग ट्यूब्स लिमिटेड’ स्टील पाइप का निर्माण करती है। ‘जयपुर मॅंगनीज सिंडीकेट’ द्वारा एक ‘फ़ेरो मॅंगनीज प्लान्ट’ स्थापित किया जायेगा।

ब्रजराजनगर में ‘दि ओरिएण्ट पेपर मिल्स लिमिटेड’ तथा बाजगंगपुर में ‘उड़ीसा सोमेन्ट लिमिटेड’ कारखाने खोलने के प्रयास किये जा रहे हैं।

‘कलिंग ट्यूब्स लिमिटेड,’ ‘वी टीटागढ़ पेपर मिल्स कम्पनी,’ ‘दि नेशनल फाउन्ड्री एण्ड रोलिंग मिल्स’ आदि बड़े कारखानों में अच्छी प्रगति हुई है।

पहले के देशी राजाओं के शासन काल के कारखाने जो कि सभी बन्द कर दिये गये थे, अब फिर खोले जा रहे हैं। ये ‘मयूरभंज ग्लास वर्क्स लिमिटेड’ और ‘मयूरभंज स्पिनग वीविंग मिल्स लिमिटेड’ आदि हैं।

छोटे कुटीर उद्योग-धंधों के विकास के लिए कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना की जा चुकी है। अनेक नयी योजनाएं इन उद्योगों के लिए बनायी गयी हैं जैसे बुनाई, बड़ईगिरी, लुहारी, ताले बनाना, कटलरी का सामान तथा साइकिल के पुर्जे आदि। चटाइयां बनाना, कुम्हारी, चमड़े का काम, मधुमक्खी-पालन आदि धंधों के लिए भी योजनाएं बनायी गयी हैं। केन्द्रीय सरकार द्वारा १० लाख रुपये तक की सहायता से कटक स्थित ‘उड़ीसा स्कूल आफ इंजीनियरिंग’ का स्तर उच्च बनाया जाने का विचार है तथा उसमें ‘ग्राल इंडिया सर्टिफिकेट कोर्स’ भी होगा। ४० सरकारी सुविधा प्राप्त तथा २३ सामान्य विद्यार्थी राज्य के बाहर टेक्निक शिक्षण के लिए भेजे गये। २६ विद्यार्थियों को

सातवाँ वर्ष

बिना व्याज के कर्ज दिया गया जिससे वे भारत में या विदेश में शिक्षित होकर आयें।

टेकनीकल व्यक्तियों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पशु चिकित्सा विभाग के २१ छात्र और कृषि विभाग के ४ छात्र टेकनीकल शिक्षा के लिए कर्ज के रूप में वृत्तियां देकर भेजे गये।

कारखानों को १० लाख रुपये सरकारी सहायता के रूप में दिये गये।

पंजाब

कारखानों की संख्या १,७०० से बढ़कर १,९०० हुई। हिसार में रुई की कटाई के लिए दो मिलें तथा फरीदाबाद में साइकिलों के लिए एक फैक्टरी के लिए भारत सरकार ने प्रमाणपत्र दे दिये हैं। टेकनीकल शिक्षण के लिए औद्योगिक स्कूल तथा इंस्टीट्यूट्स खोले गये। सन् १९५३-५४ के बीच कुल ९६५ छात्र और १,१३७ छात्राएँ शिक्षा ले रही हैं, ४३६ वे छात्र इसमें शामिल नहीं हैं जो प्रदर्शन-पाठियों में हैं।

१६ महत्वपूर्ण स्थानों पर दस्तकारी, घरेलू उद्योग धंध आदि सिखाने वाले केन्द्रों में शरणाथियों को कार्य सिखाया जा रहा है। इन केन्द्रों में अब तक १,३१५ व्यक्तियों ने शिक्षा प्राप्त की। राज्य के १४ कार्य केन्द्रों में १८,९८२ रुपये का सामान तैयार किया गया।

१,३७,५०० रुपये कर्ज के रूप में तथा ३८,७९० सरकारी सहायता के रूप में कुटीर तथा करघा उद्योग को दिये गये। सामूहिक विकास योजना के अन्तर्गत ९,२०,००० रुपये कर्ज रूप में दिये गये। करघा उद्योग की समस्याओं से सरकार को अवगत कराने के लिए एक बोर्ड की अभी अभी स्थापना की गयी है।

उत्तर प्रदेश

कुटीर उद्योगों के डाइरेक्टर ने तय किया है कि शिक्षित बेकार युवकों को कुटीर उद्योगों के सम्बन्ध में ट्रेनिंग दी जाये और इस सम्बन्ध में कई योजनाएं बनायी हैं। लखनऊ में सिलाई का एक केन्द्र स्थापित किया गया है।

अन्य शिक्षण योजनाएँ लखनऊ के व्यावसायिक संस्थान तथा कानपुर के सरकारी टेक्सटाइल इन्स्टीट्यूट में चल रही हैं।

छोटे कुटीर उद्योगों की सहाय्यतार्थ कम तथा अधिक अवधि वाले कर्ज देने के लिए एक औद्योगिक वित्त कारपोरेशन की स्थापना की जायेगी। ५० उत्पादन-केन्द्र खोलने का विचार है जिनमें से ४० ने काम करना शुरू कर दिया है। कुटीर उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए सहकारी संस्थाएँ बनायी जा रही हैं।

चमड़ा कमाने और मृत पशुओं की खाल आदि का उपयोग करने के वर्तमान छः केन्द्रों के अतिरिक्त नौ केन्द्र और खोलने का निश्चय किया गया है। ये केन्द्र उद्योग का विकास कुटीर उद्योग के रूप में करेंगे।

इस वर्ष के मध्य तक सरकारी सीमेंट फैक्टरी अपना कार्य प्रारम्भ कर देगी।

पहाड़ों में अनेक छोटे-छोटे पन-बिजली केन्द्र खोले जा रहे हैं। टनकपुर और रामनगर में बिजली आ गयी है तथा ज्योलीकोट, गरुड़ और बागेश्वर में भी निकट भविष्य में बिजली आ जायेगी।

पश्चिम बंगाल

सन् १९५४ की मार्च तक लगभग १३,००० व्यक्तियों को छाता बनाना, बर्तन बनाना, साबुन बनाना, टैनरी, बुनाई, रेशम उद्योग आदि की शिक्षा दी जा चुकी है। मधुमक्खी पालन, तथा चटाई बनाना आदि का काम भी हाथ में लिया गया है।

जून १९५३ में औद्योगिक सहकारी समितियों की संख्या ६०० तथा सदस्य संख्या ७६,७०१ थी। उनकी चालू पूँजी २७.६८ लाख रुपये थी और माल की बिक्री से उन्हें २१.८ लाख रुपये की प्राप्ति हुई। आठ रेशम पालन केन्द्रों और २३ समितियों में ८०० व्यक्ति कार्य करते हैं।

नामक के मामले में राज्य आत्म-निर्भर हो सके, इसके लिये सरकार

द्वारा कोनटाई के समुद्र-तट पर नमक का बहुत बड़ा कारखाना खोला जाने वाला है।

पुनर्वास

आसाम

३,४०,००० विस्थापितों में से लगभग १,५५,००० व्यक्तियों को सन् १९५३ के अन्त तक पुनः बसा दिया गया तथा एक लाख के लगभग विस्थापित स्वयं बस गये।

१५०० के लगभग पीड़ित महिलाओं तथा बच्चों के लालन-पालन का भार स्थायी तौर से सरकार ने अपने कंधों पर ले लिया है। इनके लिए तीन भवन निर्मित किये जाने का विचार है। एक तो नौगाँव में तथा शेष दो कछार जिले में। उनकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति की जायेगी जिसमें बच्चों की शिक्षा तथा कला और दस्तकारी का शिक्षण भी है। इसके द्वारा वे स्वावलम्बी होकर आत्म-निर्भर तो हो ही जायेंगे, साथ ही वे समाज के उपयोगी सदस्यों की भाँति भी रह सकेंगे।

आर्थिक अनुदानों के अलावा छात्रवृत्ति तथा पुस्तकों के लिए भी आर्थिक सहायता दी गई है।

चाय बागानों की बढ़ती भूमि को सरकार ने ६,००० विस्थापित परिवारों को पुनः बसाने के लिए ले लिया है।

१,२०० विस्थापित परिवारों के लिए गृह-निर्माण की योजना चल रही है। अगस्त १९५३ से दिसम्बर १९५३ के बीच में १,१७८ किसान परिवारों को तथा १,६५४ गैर किसान परिवारों को कर्ज दिया गया।

बिहार

राज्य में विस्थापितों की कुल संख्या ८६ हजार है। पश्चिम पाकिस्तान से आये हुए विस्थापितों को पुनः बसा दिया गया है। उन्हें मकानों, गुमटियों तथा दुकानों के साथ कर्ज भी किया गया है।

पूर्वी पाकिस्तान से आए हुए ५०,००० विस्थापितों में से ३८,७०५ पुनः बसा दिये गये हैं। पूर्णिया जिले के १६ ग्रामों में पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए किसानों को बसा दिया गया है। रांची और पूर्णिया में विधवाओं, अनाथों तथा अपंगों के लिए आश्रम खोले गये हैं। सन् १९५२-५३ तक पुनर्वास योजना पर २ करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं।

बम्बई

उल्हास नगर, शारदा नगर तथा वालिडवाड़े में विधवाओं, अनाथों एवं अपंगों के लिए आश्रम खोले गये हैं। इनमें रहने वालों को उनकी रुचि एवं गति के अनुसार ही वस्तुकारों का काम सिखाया जायेगा।

राजकीय गृह-निर्माण योजना के कार्य में संतोषजनक प्रगति रही है। सन् १९५२-५३ के अंत तक गृह-निर्माण योजना पर ६.१२ करोड़ रुपये (जिनमें सहकारी संस्थाओं का कर्ज भी सम्मिलित है) व्यय किये जा चुके हैं।

सन् १९५२-५३ के अंत तक कल्याण तथा अहमदाबाद के वस्तुकारी शिक्षण केन्द्रों में लगभग ४,००० विस्थापितों को शिक्षण दिया जा चुका है।

खेतिहरों की वस्तियों की योजना के अन्तर्गत १,४०० परिवार अभी तक बसाये जा चुके हैं। व्यवसाय या व्यापार के इच्छुक विस्थापितों के लिए भारत सरकार ने ७ लाख रुपये कर्ज के रूप में देना स्वीकार कर लिया है।

प्रारम्भिक, माध्यमिक स्कूलों तथा कालेजों में पढ़ने वाले विस्थापित छात्रों को छात्रवृत्ति, आर्थिक अनुदान एवं कर्ज आदि की सहायता की गयी है। सन् १९५३-५४ में यह ६ लाख रुपये की थी।

मध्य-प्रदेश

लगभग ४०६ विस्थापितों को राज्य की सहायता प्राप्त हुई। इस संख्या में विधवाएँ, परिवार हीन स्त्रियाँ तथा उनके बच्चे, अनाथ, वृद्ध आदि हैं।

कटनी, रायपुर, चकराभाटा, और टिल्डा में इनके लिए बस्तियाँ बनाने की योजना तैयार हो गयी है। विस्थापितों को दुकानें बनाने के लिए कर्ज दिया गया है साथ ही उन्हें नये मकानों में अस्थायी आवासों में तथा किराये के मकानों में आवास सुविधाएँ दी गयी हैं।

पंजाब

सरकार न उन विस्थापितों के लिए एक योजना मुआवजा देने के लिए बनायी है जिनकी सम्पत्ति पाकिस्तान में थी।

चंडीगढ़ तथा दूसरे स्थानों पर गृहनिर्माण के लिए सरकार ने ६५ लाख का कर्ज विस्थापितों को देना स्वीकार किया है। कम आय के लोगों को स्थान-स्थान पर सस्ते मकानों की सुविधाएँ मिलें, इसके लिये भी योजना तैयार है। इस प्रकार के २,२०० मकान बन रहे हैं तथा ३,००० मकानों को बनाने के लिए स्कीम तैयार हो रही है। लगभग १६,००० मिट्टी की भोपिड़ियाँ, उनमें रहने वालों को स्थायी रूप से दे दी गयी हैं। रोहतक में एक अनाज मंडी तैयार हो गयी है तथा बजाजखाने का निर्माण चल रहा है। अमृतसर, पठानकोट तथा लुधियाने में दूकान के लिए नये-नये स्थान दिये गये हैं।

नीलोखेड़ी की 'पुनर्वास बस्ती' भारत सरकार के हाथों से अब पंजाब सरकार के हाथों में आ गयी है।

भूमि-बाँटने का कार्य पंजाब में पूरा हो गया है तथा अधिकांश लोग बस गये हैं।

उत्तर प्रदेश

नैनीताल जिले में रुद्रपुर के नई बस्तियों वाले क्षेत्र में पूर्वी पाकिस्तान

से आये हुए २६७ परिवार इस वर्ष बसाये गये। इन परिवारों को आवास सुविधा, खेती के लिए प्रतिव्यक्ति आठ एकड़ भूमि तथा खेती के औजार आदि खरीदने के लिए आर्थिक सहायता दी गयी है।

पूर्वी पाकिस्तान से आयी हुई महिलाओं को, जिन्होंने दस्तकारी की शिक्षा प्राप्त की है, पुनः बसाने के लिए इलाहाबाद तथा लखनऊ में दो केन्द्र खोले जाने वाले हैं। देहरादून में “बापू वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट” को चलाने के लिए भारत सरकार ने १.५० लाख का अनुदान देना स्वीकार कर लिया है।

आगे का अध्ययन जारी रख सकने के लिए अनेक विस्थापित छात्रों को आर्थिक सहायताएँ दी जा रही हैं।

यह भी निश्चय हुआ है कि शरणार्थियों को निष्क्रान्त बगीचे तथा खेती की धरती उनके दावों की जाँच करने के बाद दे दी जाय। ३०० रुपये या उससे कम के जो कर्ज वारिण्य, उद्योग आदि के लिए छोटे शहरी कर्ज योजना के अन्तर्गत दिये गये हैं, या जो अन्य कर्ज भारत में उन विस्थापितों को शिक्षा के लिए दिये गये हैं जिनके कोई भी दावे विस्थापित व्यक्ति (दावे) कानून, १९५० के अन्तर्गत नहीं हैं, उन सभी कर्जों की वापसी रोक दी जायगी।

पश्चिम बंगाल

२५,८५,२७७ शरणार्थियों में से १४,७६,६४० के लगभग दिसम्बर १९५३ तक फिर से बसा दिये गये। शिविरों तथा बस्तियों में शरणार्थियों की कुल संख्या इस प्रकार थी। स्थानान्तरण शिविर २३,६०७, साधारण शिविर २५,८८१ शिविर बस्तियां ५,६६७ और काम करने की जगहों के शिविर १०,२१४ इसके अलावा ३४,६०० परिवारहीन महिलाएँ, बच्चे, बूढ़े तथा अपंग स्थायी शिविरों में हैं।

लगभग ६,००५ शरणार्थी परिवार राजकीय भूमि पर बस गये हैं तथा १३,१८७ कृषि भूमि पर और ३८,६११ या तो बंजर या फिर अप्रयुक्त भूमि पर बस गये हैं। अपने स्कान बनाने के लिए उन्हें कर्ज तथा इमारती सामान

दिया गया है। लगभग १५,६७६ शरणार्थी परिवार, जो कि शिल्पियों के थे, गांवों में बसाये गये हैं तथा सरकार ने उन्हें कर्ज देकर पुनः बसने में सहायता की है। ५६,२६१ कृषि-क्षेत्रों तथा ८७,०६० अकृषि-क्षेत्रों पर शरणार्थियों ने या तो मालिकों से सीधा संपर्क स्थापित करके या फिर राजकीय सहायता से अधिकार प्राप्त किया है। शरणार्थियों के लिए सरकार ने ५,६८७ मकान बनाये हैं। अध्ययन की सहायितों देने के विचार से सरकार ने कालेजों को ७,३०,६०६ रुपये तथा माध्यमिक स्कूलों को ३३,३८,७१३ रुपये का अनुदान एवं कर्ज दे रखा है। दस्तकारी का काम तथा टैकनीकल शिक्षण पुरुषों को दिया जा रहा है तथा महिलाओं को विभिन्न कला और शिल्प में दक्ष किया जा रहा है।

खाद्य और कृषि

हैदराबाद

१९५३-५४ में खाद्य की स्थिति अधिकाधिक सुधरती गयी। अनाज पर से कंट्रोल हटा लेना सफल रहा और हैदराबाद राज्य पड़ोसी राज्यों को निर्यात के लिए ३५,००० टन ज्वार और ६,००० टन रागी दे सका।

वर्ष की एक महत्वपूर्ण घटना थी, तुंगभद्रा बांध का पूरा हो जाना। इस बांध से ४,५०,००० एकड़ खेत और १,३५,००० एकड़ चरती और जंगल की सिंचाई के लिये पानी दिया जा सकेगा। बांध पर और नहर के चार-भरना नीचे १,००,००० किलोवाट जलविद्युत पैदा करने की योजना है।

हाल में एक काश्तकारी कानून बनाया गया है जिससे जमीन जोतने वाले को जमीन की मिलकियत मिल जायगी। इस कानून से किसान को बहुत सी सुविधाएँ और लाभ प्राप्त हुए हैं, जैसे बेदखली से बचाव, खरीद का अधिकार और समुचित लगान इत्यादि। जापानी ढंग से धान की खेती करने से इस वर्ष उपज में वृद्धि हुई और प्रति एकड़ १०,८७२ पौंड धान पैदा हुआ। किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए कर्ज दिये गये हैं। मध्यम दर्जे की सभी सिंचाई योजनाओं में अच्छी प्रगति हुई है।

आर्थिक सहायता की बदौलत किसानों ने राज्य में किसानों की पैदावार में ५,६०,००० टन की वृद्धि कर दिखाई।

जम्मू-काश्मीर

अन्न की वसुली का तरीका, जो मुजवाजा कहलाता था और जिसमें किसान को लगभग सारी पैदावार दे देनी पड़ती थी, मिटा दिया गया है।

भारत सरकार की सहायता से अनाज का समुचित भण्डार तैयार कर लिया गया है, और राज्य सरकार खेती और नहरों के निर्माण को अपने कार्यक्रम में सबसे पहला स्थान दे रही है।

मध्य भारत

काफी अधिक नयी जमीन तोड़ ली गयी है, कोई ५,००० नए कुएं बनाए गए हैं और पुराने कुओं की मरम्मत की जा रही है।

धान की खेती का जापानी तरीका अपनाया गया है और जहां पहले साधारण रूप से कोई १५ मन प्रति एकड़ धान पैदा होता था, वहां एक जगह १२० मन प्रति एकड़ हुआ जो कि एक अभूतपूर्व बात है।

फसलों को कीड़ों और रोगों से बचाने के लिये दवा छिड़कने के केन्द्र खोल दिये गये हैं। गन्ना, लम्बे रेशे की कपास, धान और वालों की किस्म सुधारने के लिए पड़ताल की जा रही है।

मालगुजारी की सब जगह एक-सौ व्यवस्था लागू कर दी गई है। जब मध्यभारत राज्य बना था तो पट्टेदारी की व्यवस्था कुछ रैयतवाड़ी और कुछ जमींदारी ढंग की थी। अब जमींदारी और जागीरदारी दोनों ही मिटा दी गयी हैं। जमीन जोतने वालों को पट्टेदारी के पूरे अधिकार दिये जा रहे हैं। मध्यभारत और राजस्थान की सरकारों ने चम्बल नदी का उपयोग करने की एक योजना शुरू कर दी है जिसमें भारत सरकार उनकी सहायता कर रही है। इस पर ४६ करोड़ ३० लाख रुपया खर्च होने का अनुमान है। इससे १२,००,००० एकड़ भूमि सिंची जा सकेगी और २,००,००० किलोवाट बिजली पैदा होगी।

‘ख’ भाग

कोलार की सोने की खानों के क्षेत्र में और बंगलोर, मंसूर और दावन गिरि नगरों में कानून द्वारा जो राशन व्यवस्था जारी थी, समाप्त कर दी गयी।

‘अधिक अन्न उपजाओ’ आन्दोलन में २४ बड़े और १,१५६ छोटे तालाब गहरे किये गये हैं और सुधारे गये हैं।

जापानी ढंग से धान की खेती करने वालों को २०,००० टन अमोनियम सल्फेट इस शर्त पर बांटा गया कि कुछ ही समय बाद वे उसका दाम चुका देंगे।

पेप्सू

अला मिलकियत उन्मूलन कानून, पट्टेदारों को मिलकियत देने वाला कानून और पट्टेदारी और खेती की भूमि का कानून १९५३-५४ में लागू हुए। इन कानूनों का उद्देश्य पट्टेदारों की दशा सुधारना है। उन्हें बेदखली से बचाया जायगा और जिस जमीन पर वे खेती करते हैं उसे खरीद सकने का अधिकार दिया जायगा। इस वर्ष चकबन्दी और भूमि सम्बन्धी कागजों के कार्यालयों को मिलाकर एक कर दिया गया है जिससे कि कार्य-कुशलता बढ़ जाय।

राजस्थान

पिछले तीन सालों से किसी न किसी क्षेत्र में अभाव का कष्ट चला आ रहा है। इससे सहायता के हिसाब में भारी खर्च करना पड़ा है।

१९५३-५४ में, सहायता के लिये ४७,८९,००० रुपये देने के अलावा सरकार ने ६३,००,००० रुपया तकावी कर्ज दिया। केन्द्र सरकार ने भी ४७,६३,०००, रुपया कर्ज के और ४,३३,००० रुपया अनुदान के रूप में दिया है।

सौराष्ट्र

भूमि के सम्बन्ध में दो महत्वपूर्ण कानून बनाये गये हैं : पहले कानून से किसानों की पैदावार बढ़ाने में मदद मिलेगी और दूसरे से जमीन जोतने वाले

को जमीन पर स्वामित्व का अधिकार मिल जायगा।

राज्य की १३ सिंचाई योजनाओं में से रंगोला, सूरजवाडी और भीमदाद, पिछले साल पूरी हो गयी थीं। चालू वर्ष में ब्रह्माण्डी और गिर की सिंचाई योजनाएं पूरी कर दी गयीं। ससोई, मालन, पना, और मोज की सिंचाई योजनाओं में बांध बनाये जा चुके हैं और नहरें बनाई जा रही हैं। मध्यम और छोटे दर्जे की २२ सिंचाई योजनाओं पर भी काम शुरू हो गया है।

माल इलाके की पानी पहुँचाने की कई योजनाएं पूरी हो गई हैं और सुभाष पाटन को पीने का साफ पानी पहुँचाने की एक और योजना लागू हो गई है।

तिरुवांकुर-कोचीन

केन्द्र द्वारा और अधिक चावल मिलने की बदौलत १९५३-५४ में जनता को और चावल देना और चावल की ग्राम बाजार दर घटाना सम्भव हो सका है।

जहाँ तक बड़ी-बड़ी सिंचाई-योजनाओं का सवाल है, दक्षिण की पेरिचनी योजना पूरी हो गई है। अन्य ५ योजनाएं अर्थात् नैयर, कुट्टनाद, पोचि, चडक्कनचेरि और चलकुडि भी सन्तोष जनक प्रगति कर रही हैं।

पानी उलीच कर सिंचाई करने के कोई ३७ केन्द्र २४,००० एकड़ की सिंचाई कर रहे हैं। उस १,००,००० एकड़ भूमि में से पानी निकालने के लिए जो डूबी पड़ी है, बिजली पहुँचाई जा रही है।

जहाँ तक घनी खेती का सवाल है हड्डी, मूंगफली की खली, सुपर फास्फेट, राक फास्फेट इत्यादि प्रभावशाली खादें बाँटने की भारी कोशिश की जा रही है। हर साल कोई १६,००० टन खाद, जो ५,००,००० रुपये की होती है, किसानों को फसल की जमानत पर कर्ज के रूप में दी जा रही है। अच्छी तरह खाद देने से धान की पैदावार में १५,००० टन की वृद्धि हुई है।

१९५३-५४ में राज्य भर में प्रचलित किया गया कि किसान धान कि खेती का जापानी ढंग अपनाएँ।

शिक्षा

हैदराबाद

पिछले दो वर्षों में ४,२०० प्रारम्भिक स्कूल खोले गए। विद्यार्थियों की संख्या में २ लाख से भी अधिक की वृद्धि हुई है।

२८,००० प्रौढ़ों को शिक्षा देने के लिए बुनियादी शिक्षा के ५०० केन्द्र खोले गए हैं।

जम्मू और काश्मीर

सब कक्षाओं में शिक्षा बिना शुल्क के देने की व्यवस्था कर दी गई है। अबुल्ला सरकार ने गैर-सरकारी शिक्षालयों के जो अनुदान बन्द कर दिए थे, उन्हें फिर जारी कर दिया गया है। जिन दिनों अनुदान बन्द रहा उन दिनों का बकाया अनुदान भी चुकता किया जायगा। अनेक नए गैर सरकारी शिक्षालयों को भी धन दिए गए हैं। लड़कों और लड़कियों के लिए बहुत से स्कूल और इनके अलावा ६ कालेज भी चालू वर्ष में खोले जा रहे हैं। आधुनिक आर्थिक और सामाजिक प्रवृत्तियों को दृष्टि में रख कर सब कक्षाओं में शिक्षा की नए सिरे से व्यवस्था करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक समिति नियुक्त की गई है। जम्मू में स्त्रियों के एक शिक्षालय को सरकार ने अपने अधिकार में लेकर स्त्रियों का डिग्री कालेज बना दिया है।

डोगरी, काश्मीरी और लद्दाखी आदि प्रादेशिक भाषाओं के विकास के उपाय खोजने के लिए समितियाँ बना दी गई हैं ताकि आगे चल कर प्रारम्भिक शिक्षा विद्यार्थी की मातृ-भाषा में ही दी जा सके।

सातवाँ वर्ष

कोई २५० प्रारम्भिक स्कूल खोले जा रहे हैं। इतमें अध्यापकों को पहले से ऊँचे वेतन दिए जाएँगे। १९५४-५५ में शिक्षा पर ७० लाख रुपया खर्च किया जायगा।

मध्य भारत

राज्य में ६०१८ शिक्षालय हैं और सरकार की कुल ग्रामदानी का लगभग छठा हिस्सा शिक्षा पर खर्च किया जाता है। इस वर्ष १५ करोड़ रुपए से ऊपर के बजट में २,४३,५५,२४० रुपया शिक्षा के लिए निर्धारित किया गया है।

अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा की योजना १० और कस्बों में तथा ६०० से ऊपर गांवों में भी लागू कर दी गई है। सब प्रारम्भिक स्कूलों को बुनियादी स्कूलों में धीरे-धीरे बदल देने की योजना को भी सरकार कार्य रूप दे रही है। कोई ६० प्रारम्भिक स्कूल इस प्रकार बदले भी जा चुके हैं। अध्यापकों को सिखाने के लिए ४ बुनियादी ट्रेनिंग स्कूल खोले गए हैं। राज्य के विभिन्न स्कूलों और कालेजों में विद्यार्थियों को सैनिक शिक्षा दी जा रही है।

बच्चों की शिक्षा के लिए मोंटिसरी पद्धति के आधार पर २५ शिशु मन्दिर खोले गए हैं।

पिछले वर्ष ४६० स्कूली इमारतों के निर्माण के लिए सरकार ने ७,८०,००० रुपया वितरित किया।

मंसूर

मंसूर की नयी धंधे सिखाने वाली संस्था इस वर्ष से काम करने लगेगी। ग्राम क्षेत्रों में २०० प्रारम्भिक स्कूल और ५० समाज शिक्षा केन्द्र खोले जायेंगे।

बिलारी जिले के सात ताल्लुके मंसूर राज्य में मिला दिए जाने के कारण ४७२ निम्न प्रारम्भिक स्कूल, २६ उच्च प्रारम्भिक स्कूल, १६ हाई स्कूल और ३८ प्रौढ़ साक्षरता स्कूल मंसूर राज्य के शिक्षा विभाग के अधीन आ गए हैं।

मंसूर सुधार समिति की शिफारिश पर मिडिल स्कूल और अपर प्राइमरी पब्लिक परीक्षाएं समाप्त कर दी गई हैं।

टेकनिकल शिक्षा संचालक का नया पद स्थापित किया गया है।

पेप्सू

१९५३-५४ में २ अध्यापकों वाले २१४ और १ अध्यापक वाले ६६६ प्रारम्भिक स्कूल खोले गए। प्रारम्भिक स्कूलों की कुल संख्या अब १,८३४ है, अर्थात् वर्ष के आरम्भ में जितनी थी उससे लगभग दुगुनी। स्कूलों को साज-सामान और फर्नीचर खरीदने के लिए आर्थिक सहायता दी गई है।

भादसों और घुरी के सामूहिक विकास क्षेत्रों में छोटे बुनियादी स्कूल खोले जा रहे हैं। बुनियादी शिक्षा सीखे हुए अध्यापकों की कमी नाभा में सरकारी बेसिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुल जाने से दूर हो जायगी ऐसी आशा है। १५ हाई स्कूलों को अतिरिक्त अध्यापकों और फर्नीचर की व्यवस्था की गई है, इन पर ६७,००० रुपया खर्च किया जा रहा है।

ग्राम क्षेत्रों में प्रारम्भिक स्कूल खोलने के लिए ६१ इमारतें बनाई गई हैं। हर इमारत की आधी लागत सरकार ने और आधी गांव वालों ने दी है।

राजस्थान

टेकनिकल और व्यावसायिक शिक्षा देने के लिए इस समय १८ कालेज खोले गए हैं। इनके अलावा कोटा, सवाई-माधोपुर और उदयपुर में तीन कृषि कूलजिनमें शिक्षा का समुचित साज-सामान है।

सरकार माध्यमिक शिक्षा की अपनी योजनाओं को शक्ति दे रही है। राज्य में सामाजिक और प्रौढ़ शिक्षा का प्रचार किया जा रहा है। रात्रि-कक्षाओं और लघुकालीन ट्रेनिंग कैंम्पों का भी आयोजन हो रहा है।

सौराष्ट्र

शिक्षा के सभी क्षेत्रों में प्रगति हुई है। १९५३-५४ में ४५० प्रारम्भिक

स्कूल खोले गए और ६० नई इमारतें बनाई गईं। माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए ऐसे स्कूल खोले गए हैं जिनमें अनेक प्रकार की शिक्षा दी जाती है। ५०० प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खोले गए हैं जिनमें से हर एक में छोटा-सा पुस्तकालय और वाचनालय है।

ऊँचे दर्जे की टेक्नीकल शिक्षा देने के लिए मोरवी इंजीनियरिंग कालेज को डिग्री कालेज बना दिया गया है।

तिरुवांकुर-कोचीन

राज्य में ५३.७६ प्रतिशत साक्षरता है। कुल आबादी में १७ लाख से अधिक स्कूल जाने वाले बच्चे हैं। ५ से १० वर्ष की आयु के कुल बच्चों का ६५ प्रतिशत भाग स्कूल में पढ़ता है। कालेजों में विद्यार्थियों की कुल संख्या २५ हजार है। डाक्टरी, इंजीनियरिंग और अन्य टेक्नीकल शिक्षा के कालेजों को मिलाकर कुल ४५ कालेज, ५५२ हाई स्कूल, ७६२ मिडिल स्कूल ४१३३ प्रारम्भिक स्कूल और कोई १७० विशेष स्कूल हैं। ३६ नए प्रारम्भिक स्कूल, २० मिडिल स्कूल, ६ हाई स्कूल, और दो अध्यापक ट्रेनिंग स्कूल, भी खोले जायेंगे। वर्तमान टेक्नीकल शिक्षालयों में से ४ का केन्द्रीय सरकार की योजना के अनुसार विकास किया जायगा। संविधान के निर्देशक सिद्धान्तों को कार्य रूप देने के उद्देश्य से सरकार ने १९५४-५५ के स्कूली वर्ष से मिडिल स्कूल की पहली दो कक्षाओं की फीस माफ कर दी।

समाज शिक्षा में ६० समाज शिक्षा केन्द्र तिरुवनंतपुरम् के प्रौढ़ शिक्षा ट्रेनिंग केन्द्र से सीखे हुए संचालकों के अधीन उपयोगी काम कर रहे हैं।

लाउडस्पीकर और सिनेमा से शिक्षा देने वाली दो टोलियां बनाई गई हैं जिनमें से एक चलती-फिरती टोली है और दूसरी का कार्यालय ट्रेनिंग केन्द्र में है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य

हैदराबाद

सरकार ने जच्चा-बच्चा के हित की एक योजना मंजूर की है जिस पर ४.५ लाख रुपया सालाना खर्च होने का अनुमान है।

अस्पतालों में तपेदिक के मरीजों के लिए यथेष्ट जगह न होने के कारण हैदराबाद और सिकंदराबाद के शहरों में यह आन्दोलन चलाया गया है कि मरीजों का इलाज घर पर ही किया जाय।

हैदराबाद सरकार भारत सरकार की राष्ट्रीय मलेरिया-निरोध योजना में भी सक्रिय योग दे रही है।

जम्मू और काश्मीर

राज्य की डाक्टरी-व्यवस्था का बहुत काफी विस्तार किया गया है और दवाओं तथा अन्य डाक्टरी सामान के लिए उदारता के अनुदान दिए गए हैं। विभिन्न डाक्टरी संस्थाओं में कर्मचारी भी बढ़ा दिए गए हैं। तपेदिक के मरीजों के लिए बतों में एक चिकित्सालय खोला गया है और जम्मू और श्रीनगर के क्षय अस्पतालों में और अधिक मरीजों के लिए जगह की जा रही है।

ग्यारह यूनानी और आयुर्वेदिक औषधालय खोले गए हैं। श्रीनगर के मुख्य अस्पताल को अमीराकदल से कर्णनगर ले जाने के कारण अमीराकदल के निवासी डाक्टरी सहायता की सुविधाओं से वंचित हो गये हैं। इसलिए वहाँ के पुराने अस्पताल के भवन में एक औषधालय खोल दिया गया है।

स्ट्रैप्टोमाइसिन आदि दवाएं खरीदने के लिए सामान्य अनुदानों के अतिरिक्त ७५,००० रुपये का एक विशेष अनुदान दिया गया है। बी. सी. जी. आन्दोलन तेज किया गया है। ५०,००० से अधिक लोगों का परीक्षण करके

सातवां वर्ष

उनमें से कोई ३५,००० को टीका लगाया जा चुका है। डाक्टरों नर्सों और सहायकों को विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है।

जम्मू में मलेरिया और गुप्त रोगों को फैलने से रोकने के उपाय हो रहे हैं।

मध्य भारत

राज्य की कुल आमदनी का ६ प्रतिशत से अधिक अंश जनता को डाक्टरों सुविधा देने पर खर्च हो रहा है। राज्य सरकार डाक्टरों और आरोग्य के हिसाब में ८० लाख सालाना खर्च करती है।

राज्य में कुल ५६७ डाक्टरों संस्थाएं हैं। उनके अलावा एक औषधालय और बीमार बच्चों के लिए एक अनाथालय है। सभी जिला प्रधान कार्यालयों के अस्पतालों में आधुनिक साज-सामान है। इनके अलावा राज्य में २५७ आयुर्वेदिक औषधालय हैं। हर ग्राम पंचायत को दवाओं के बक्से दे दिए गए हैं और गांवों में हाट लगने के दिनों पर दवा बाटने का प्रबन्ध कर दिया गया है। अधिकांश गांवों में बी. सी. जी. के टीके लगाए जा चुके हैं। १७ लाख आदमियों का अभी तक परीक्षण हुआ है जिनमें से ५ लाख को टीका लगाया गया है।

मैसूर

ग्रामक्षेत्रों की सेवा के लिए १३५ आरोग्य दलों का एक जाल बुन दिया गया है। राष्ट्रीय मलेरिया निरोध योजना से, जो नवम्बर १९५३ में शुरू हुई थी, आशा है कि साढ़े तीन वर्ष के समय में ५० लाख आदमियों को मलेरिया से बचाया जा सकेगा।

राज्य के चार बी. सी. जी. दलों ने १७ शहरों और १,१६७ गांवों में जाकर ३,१८,४३४ आदमियों को टीके लगाए।

१९५३-५४ में औषधालयों और अस्पतालों की संख्या ४६३ से बढ़ कर ५०६ हो गई। इनमें से ८० प्रतिशत से अधिक ग्राम क्षेत्रों में सेवा कर रहे हैं।

और कोई ८० संस्थाओं में औरतों और बच्चों का ही इलाज होता है। १९५४ में ६ औषधालय और ६ अस्पताल खोले गए। बंगलौर के पागलों के अस्पताल को मानसिक और स्नायविक रोगों में शोध करने और ग्रेजुएट डाक्टरों को ट्रेनिंग देने के उपयुक्त बना दिया जायगा।

पेप्सू

५ नवम्बर १९५३ को राज्य में एक नया डाक्टरों कालेज खोला गया जिसमें ३०० विद्यार्थी हर साल पढ़ सकते हैं।

नर्सों का एक होस्टल और राजेन्द्र अस्पताल बन कर पूरा हो गया है। संगरूर के मुख्य अस्पताल में तपेदिक के इलाज के लिए २६,००० रुपये मंजूर किया गया है। डालमिया दावरो के नागरिक अस्पताल का निर्माण पूरा हो चुका है जिस पर ८० हजार रुपये की लागत आई है। धर्मपुर के तपेदिक अस्पताल और भटिण्डा के नागरिक अस्पताल में नए वार्ड खोल दिए गए हैं।

टापा, गोबिन्द गढ़, नल गढ़, रानीपुर, तालबन्दी, साबो, कनीना, जुलाना और राजपुरा में जच्चा-बच्चा और शिशु हितकारी केन्द्र भी खोले गए हैं।

सौराष्ट्र

पोरबन्दर और लिम्डी के अस्पतालों में जच्चा-बच्चा विभाग में ११० स्थानों का और प्रबन्ध कर दिया गया। जूनागढ़ में विदलेषण करने वाली एक प्रयोग शाला स्थापित की गई है।

घर घर डी. डी. टी. छिड़कने का प्रचार किया गया और मलेरिया निरोधक दवाएँ मुफ्त बाँटी गईं। सौराष्ट्र में बी. सी. जी. के टीके लगाने लगाने वाले तीन दल काम कर रहे हैं और ३,२३,२२२ आदमियों का द्यूबर कुलीन परीक्षण हो चुका है।

पोरबन्दर और लिम्डी में जच्चा-बच्चा हितकारी केन्द्र खोले गए हैं। मानवदार के सामूहिक विकास क्षेत्र में ग्राम वास्तियों के आरोग्य के लिए एक केन्द्र खोला गया है।

गांवों में, छोटे मोटे रोगों की चुनी हुई आयुर्वेदिक दवाओं के बक्से बांटे जा रहे हैं। अब तक ३६६ बक्से बांटे जा चुके हैं।

एक आयुर्वेदिक पुस्तकालय भी खोला गया है।

दूर-दूर के गांवों में डाक्टरों सहायता पहुंचाने के लिए एक एक चलते-फिरते डाकखाना का प्रबन्ध किया गया है।

तिरुवांकुर-कोचीन

मलेरिया निरोध संगठन की कार्य कुशलता की बढौलत उन पहाड़ी प्रदेशों में जो अब तक मलेरिया के घर समझे जाते थे, और जहां आबादी नहीं थी, नए-नए गांव बसते जा रहे हैं।

मलेरिया और फाइलेरियासिस को फैलने से रोकने के उपायों पर जोर दिया गया है।

क्षय के इलाज की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए बड़े-बड़े अस्पतालों में तपेदिक के अलग बार्ड खोले जा रहे हैं। हाल ही में एक प्रमुख तपेदिक अफसर नियुक्त किया गया है जो तपेदिक में सहायता और उसके नियन्त्रण के सारे काम की देख-भाल करेगा।

बी. सी. जी. का आन्दोलन त्रिचूर जिले में मई १९५३ में पूरा हो गया था। अब वह कोट्टायम और क्वीलोन के जिलों में जारी है।

१९५३-५४ में २० जच्चा-बच्चा और शिशु हितकारी केन्द्र शुरू किए गए जिससे कि कुल केन्द्रों की संख्या २५१ होगी। मेडिकल कालेज जनरल अस्पताल, जिसमें ४५० मरीजों की जगह है, इस वर्ष चालू हो गया।

श्रम

हैदराबाद

राज्य के २४ शहरों में दुकान-कानून लागू किया जा चुका है। १९५३-५४ में ४० हजार दुकानों का निरीक्षण किया गया, १,०२३ मुकदमे दायर किए गए और नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों को ग्रेचुइटी के रूप में ८५,६०० रुपया दिया गया। कई प्रकार के कर्मचारियों और उनके आश्रितों को चोट-चपेट के और दुर्घटना से मृत्यु के मुआवजे में ३ लाख रुपया चुकता किया गया।

सरकार ने एक न्यूनतम मजदूरी कमेटी बनाई है जो सड़क बनाने वाले, बोड़ी और बटन तैयार करने वाले, चमड़ा साफ करने वाले, और खेती करने वाले मजदूरों के लिए मजदूरी सुझाएगी।

राज्य के १३ अन्य महत्वपूर्ण उद्योगों में मजदूरी का सुभाव देने के लिए बोर्ड बना दिए गए हैं।

श्रम विभाग ने मालिकों को मजदूरों के हित के कानून मानने पर मजबूर तो किया ही है, साथ-साथ मजदूरों के रहने, बच्चों की शिक्षा और मनोरंजन के सम्बन्ध में जो योजनाएं बनी हैं उनको भी कार्य-रूप देना शुरू किया है।

जश्मू-काश्मीर

औद्योगिक मजदूरों की समस्याओं पर विचार करने के लिए एक कमेटी नियुक्त की गई है। मजदूरों को रहने की बेहतर सुविधाएं देने के लिए वर्तमान कानूनों में रियायतें की जायेंगी।

नगर क्षेत्रों में इस बात की पड़ताल की जायगी कि कुल कितने आदमी बेरोजगार हैं और कितने आधे रोजगार से लगे हुए हैं। इसके बाद इस जात-कारी के आधार पर बेरोजगारी दूर करने की योजनाएं बनाई जायेंगी।

मध्य भारत

भारत सरकार ने श्रम सम्बन्धी जितने कानून निकाले हैं उनमें से लगभग सब मध्य भारत में लागू हो चुके हैं। कुछ उद्योगों में न्यूनतम मजदूरी निश्चित कर दी गई है।

कर्मचारियों का प्राविडेंट फंड कानून लागू कर दिया गया है जिससे कोई ४० हजार मजदूरों का हित होगा। औद्योगिक मजदूरों के लिए मकान बनाने की तीन अलग-अलग योजनाएं हैं। उनमें से दो, जिनमें मध्य भारत के विभिन्न उद्योग केन्द्रों में १,८५२ मकान बनाने की व्यवस्था है, करीब-करीब पूरी हो चुकी हैं। तीसरी को, जिसे हाल में ही भारत सरकार ने मंजूर किया है, कार्यान्वित किया जा रहा है।

चार महत्वपूर्ण औद्योगिक नगरों में श्रम हितकारी केन्द्र खोले गये हैं, जिसमें खेल-कूद, डाक्टरों सहायता, प्रौढ़ शिक्षा इत्यादि के अतिरिक्त मजदूरों में सांस्कृतिक और सामाजिक कामों के लिए सभा-संगठन भी किए जाते हैं। मजदूरों के लिए इन्दौर और ग्वालियर में जच्चा-बच्चा घर खोले जा रहे हैं जहाँ परिवार-आयोजन के बारे में भी निर्देशन किया जायगा।

मंसूर

मंसूर मजदूर मकान कानून के अधीन जो मजदूर मकान-कारपोरेशन बनाया गया है, वह भारत सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है। औद्योगिक मजदूरों और मध्य वर्ग के लोगों—दोनों के लिए मकानों की व्यवस्था करने के वास्ते एक मकान बोर्ड स्थापित किया जायगा।

पेप्सू

पटियाला के फैक्टरी प्रदेश में औद्योगिक मजदूरों के लिए ५० मकान बनाने का विचार है। ३० मकान बन भी चुके हैं। पेप्सू के दो उद्योग शिक्षा केन्द्र फगवाड़ा और नाभा में बने हुए हैं। एक में ११२ और दूसरे में १२८ सीटें हैं।

‘ख’ भाग

धान, दाल, आटे की मिलों में काम करने वालों की न्यूनतम मजदूरी निश्चित कर दी गई है।

१९५३-५४ में १६ फैक्टरियों में कर्मचारियों का प्राविडेंट फंड लागू कर दिया गया है। अब तक ४,१५१ मजदूरों का इस योजना से हित हुआ है। मालिक और मजदूर दोनों मिलकर महीने में करीब ४१,००० रुपया देते हैं।

राजस्थान

३१ शहरों में सप्ताह में एक दिन की छुट्टी अनिवार्य कर दी गई है। मजदूर यूनियन बनाने को प्रोत्साहन दिया जा रहा है और ७७ यूनियनों रजिस्टरशुदा भी हो चुकी हैं। इनके अलावा फैक्टरी कानून के अधीन ४२५ फैक्टरियां भी रजिस्टरशुदा हुई हैं जिनमें कुल मिलाकर ३३,८८३ मजदूर नौकर हैं।

सौराष्ट्र

राज्य में लगभग ६०० रजिस्टर्ड फैक्टरियां हैं। इनमें से ५७५ को लाइसेंस दिए जा चुके हैं। सात प्रकार की अनुसूचित नौकरियों में न्यूनतम मजदूरी निश्चित कर दी गई है। रजिस्टर्ड मजदूर यूनियनों की कुल संख्या १४० के निकट थी, जिसमें लगभग ३२ हजार मजदूर सदस्य थे। २७ यूनियनों का रजिस्ट्रेशन या तो रद्द कर दिया गया है या वापिस ले लिया गया है। अब केवल ११३ मजदूर यूनियनों हैं और कुल सदस्य संख्या २७,००० है।

राजकोट के काम दिलाऊ दफ्तर में नौकरी के इच्छुक ३,००० मजदूरों के नाम दर्ज किए गए हैं।

तिरुवांकुर-कोचीन

समझौता विभाग ने कुल ३,५४० औद्योगिक भगड़ों को हाथ में लिया जिनमें से ३,३०५ मित्रता से निबटा लिए गए और ७३ पंचों के सुपुर्द कर दिए गए।

मालिकों से मजदूरों के लिए आराम घर, भोजन घर, वाचनालय, खेल-

कूब और डाक्टरी आदि की सुविधाएं दिलवाई गई हैं। २५० या अधिक कर्मचारियों वाली फैक्टरियों में कैंटीन खोलने के सम्बन्ध में जो व्यवस्था है उसको भी कड़ाई के साथ लागू किया गया है।

मजदूर यूनियनों की संख्या ५८१ से बढ़कर ६२३ हो गई है। बगानों और बीड़ी और काजू के उद्योगों में काम करने वालों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर दी गई है।

उद्योग

हैदराबाद

राज्य में ६ ट्रेनिंग केन्द्र खोले गए हैं जो अनेक प्रकार के खरेलू उद्योगों का काम सिखाते हैं और उत्पादन के आधुनिक तरीके दिखलाते हैं।

कुछ क्षेत्रों में तांबे की धातु का पता लगाया जा रहा है। सिंगारेनी की कोयला खदानों पर एक नया बिजलीघर बनाया जा रहा है। इस समय राज्य की ये खदानें कोई १३ लाख टन कोयला पैदा कर रही हैं। जब बिजलीघर काम शुरू कर देगा तो उत्पादन २० लाख टन तक पहुँच जायगा।

औद्योगिक ट्रस्ट फंड ने स्थानीय उद्योगों और वम्बई की दो कंपनियों ने १११.३६ लाख रुपये के हिस्से ले रखे हैं। अब तक २१३.२६ लाख रुपया कर्ज के रूप में दिया जा चुका है।

१९५३ में ३.५ करोड़ रुपये के मूल्य के खनिज का उत्पादन हुआ।

जम्मू काश्मीर

पर्यटन राज्य के मुख्य उद्योगों में से एक है। सरकार ने यात्रा की और

अधिक सुविधाएं जुटा दी हैं और पहले से अधिक आराम का प्रबन्ध कर दिया है ताकि बहुत बड़ी संख्या में सैलानी आयें।

यात्रियों और जरूरी सामान का आना बराबर जारी रखने के उद्देश्य से सरकारी परिवहन विभाग ५०० गाड़ियां चलाता है जिससे लगभग १,५०० आदमियों को काम मिला हुआ है। १९४७ से राज्य के परिवहन उद्योग का ३०० प्रतिशत विकास हुआ है और किराया और भाड़ा बहुत काफी घटा दिया गया है।

काश्मीर सरकार के आर्ट्स एम्पोरियम के माध्यम से कारीगरों को एकत्र किया गया है। कारीगरों की सहकारी समितियां बनाने को भी प्रोत्साहन दिया गया है। इन समितियों का तैयार किया हुआ माल एम्पोरियम अपनी शाखाओं के द्वारा निकालता है जो भारत में कोई ३० जगहों में स्थापित हैं।

सरकार ने पामपुर में, जो श्रीनगर से आठ मील पर है, दफ्तरी, स्टेशनरी, औज़ार और इमारती सामान की एक नयी फैक्टरी शुरू की है।

लड़ाख की जनता में उद्योग और वाणिज्य का प्रचार करने के उपाय किए जा रहे हैं। माल को बाज़ार में पहुँचाने की एक संस्था बनाने के बास्ते सरकार ने ५,००,००० रुपये का कर्ज़ दिया है जिस पर वह सूद नहीं लेगी। इस संस्था के मुनाफे का ५० प्रतिशत कारीगरों का रहन-सहन बेहतर बनाने पर खर्च किया जा रहा है।

मध्य भारत

सरकार घरेलू उद्योगों के विकास पर बहुत जोर दे रही है। एक उद्योग सलाहकार बोर्ड बनाया गया है और १९५३ में सरकार ने विभिन्न घरेलू उद्योगों के विकास के लिए ३५,५०० रुपया कर्ज़ और २९,०३६ रुपया अनुदान के रूप में दिया है।

करघा-वस्त्र उद्योग की रक्षा के लिए सरकार ने चंदेरी, सारंगपुर, महेश्वर और शाजापुर में बने कपड़े को शुरू में एक वर्ष के लिए बिक्री कर से

सातवाँ वर्ष

छूट दे दी है। सरकार बुनकरों को मशीनें खरीदने के लिए रुपये की मदद भी दे रही है।

ग्रामोद्योग के विकास में सहायता देने के लिए एक ग्राम उद्योग समिति बनाई गई है, जिसे २५ उद्योगों के विकास की खातिर ३ लाख रुपया दे दिया गया है।

मैसूर

घरेलू उद्योगों के, विशेष कर खादी और करघा-वस्त्र उद्योग के विकास पर खास ध्यान दिया जा रहा है। इस समय राज्य में घरेलू उद्योगों के ३१ केन्द्र हैं। भारत सरकार ने इन उद्योगों के विस्तार के लिए ५८,५०० रुपया अनुदान के रूप में दिया है। सरकार ने अपनी अधिकांश जरूरत के लिए हाथ का बना कपड़ा खरीदने की आज्ञा दी है। सरकार को सेस फंड से १०.१३ लाख रुपया मिला है जो करघा वस्त्र उद्योग के विकास की योजनाओं पर खर्च किया जायगा। हाथ के बने कपड़े को बिक्री कर से भी छूट दी जा रही है।

राज्य की औद्योगिक उन्नति के लिए सरकार ने ग्राम औद्योगीकरण योजना राज्य के सब जिलों में लागू करने का निश्चय किया है। १९५४-५५ के बजट में इस योजना के लिए १६ लाख रुपया रख दिया गया है।

पेप्सू

कलाओं और दस्तकारी के विकास के लिए धुरी के सामूहिक विकास कार्य में और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों में कुछ योजनाओं को कार्य रूप दिया जा रहा है जिन पर ५,४०,००० रुपया खर्च होने का अनुमान है। निम्नांकित उद्योगों में गति लाने के लिए भी योजनाएँ बनाई गई हैं: साइकिल के हिस्सों का निर्माण, जूते और चमड़े के अन्य सामान, सरल प्रकार के गणित के यंत्र, खेल-कूद की चीजें, शीशे का सामान और ताले, और बड़ईगीरी और चमड़े की सफाई।

मालेर कोटला में एक करघा वस्त्र उद्योग केन्द्र खोला गया है जिनमें बुनाई के नए और अच्छे तरीके बताए जाते हैं और नियमित रूप से ट्रेनिंग दी

जाती हैं। यह ट्रेनिंग लेने के लिए १०४ लोग केन्द्र में दाखिल हुए हैं जिनमें से ७२ की ट्रेनिंग पूरी भी हो चुकी है। इन केन्द्रों में अलग-अलग तरह के कपड़ों में,—जैसे पापलीन, दिवल और कमीज के कपड़े और तौलिए—बीस नयी डिजाइनें निकाली गई हैं।

राजस्थान

मई १९५३ में सवाई माधोपुर के जयपुर उद्योग लिमिटेड ने एक सीमेंट फैक्टरी शुरू की। इस फैक्टरी में हर महीने १० हजार टन सीमेंट तैयार हो सकता है। राज्य में सीमेंट फैक्टरियों की कुल उत्पादन-शक्ति अब ३५,००० टन प्रति मास हो गई है।

बनस्पति तेल के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए तेल और खली के निर्यात-कर को ५० प्रतिशत घटा दिया गया है।

खादी और अन्य ग्रामोद्योगों के विकास की अनेक योजनाएँ चालू हैं। इन उद्योगों में मशीनों और आधुनिक प्रणालियों का भी उपयोग करने का इरादा है।

सौराष्ट्र

राज्य सरकार ने एक औद्योगिक-वित्त-कारपोरेशन स्थापित किया है। छोटे कारखानों की जरूरतें सौराष्ट्र का छोटे पैमाने के उद्योगों का बोर्ड पूरा करेगा। यह बोर्ड इसी साल बनाया गया है और इसका काम छोटे उद्योगों के विकास के बारे में सरकार को परामर्श देना भी है।

खादी और ग्रामोद्योगों की देखभाल के लिए सौराष्ट्र खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना की गई है।

छोटे पैमाने के उद्योगों की उन्नति के लिए एक भारी योजना शुरू की गई है जिसके लिए ८,००,००० रुपया अलग रख दिया गया है। सौराष्ट्र करघा बोर्ड इसी वर्ष बनाया गया और करघे पर कपड़ा बुनने का एक आधुनिक केन्द्र भी शुरू किया गया है। छोटे पैमाने के उद्योगों और करघा बुनकरों का

तैयार माल एक एम्पोरियम द्वारा निकाला जायगा जो राजकोट में स्थापित किया जा रहा है।

तिरुवांकुर-कोचीन

उद्योगों के खर्च के लिए पूंजी देने को एक करोड़ रुपये की पूंजी से एक औद्योगिक-वित्त-कारपोरेशन बनाया गया है। पूंजी का ५० प्रतिशत सरकार देगी। कारपोरेशन ने १ दिसम्बर १९५३ को काम शुरू किया और वह अभी तक चार कर्ज भी मंजूर कर चुका है जिनकी कुल राशि १२ लाख रुपया है।

अधिकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने कुछ औद्योगिक संस्थाओं को, जो बन्द हो गई थीं, अपने अधिकार में ले लिया है, जैसे त्रिचूर की सीताराम स्पनिंग और वीविंग मिल, और मुलकुन्नुतुकावु की महालक्ष्मी काटन मिल लिमिटेड। तिरुवनन्तपुरम् की टिटैनियम आक्साइड फैक्टरी में, जहाँ उत्पादन स्थायी रूप से रोक दिया गया था, फिर काम शुरू हो गया है। ताड़-गुड़ उद्योग सहकारिता के आधार पर फिर से संगठित किया गया है। इस उद्योग के मजदूरों की दो केन्द्रीय सहकारी संस्थाएं और ५० प्राथमिक संस्थाएं राज्य के विभिन्न भागों में काम कर रही हैं।

इसी प्रकार नारियल-रेखा उद्योग भी जिससे तटवर्ती प्रदेशों के कोई ५,००,००० लोगों को रोजगार मिला हुआ है, एक योजना के अधीन विकसित किया जा रहा है जिस पर ६४ लाख रुपया खर्च होने का अनुमान है। मजदूरों को बिचवलियों की ज्यादाती से बचाने के लिए दो केन्द्रीय संस्थाएं और १२० प्राथमिक संस्थाएं बनाई जायेंगी।

करघा वस्त्र उद्योग को सहकारिता के आधार पर फिर से संगठित करने की एक योजना तैयार की जा रही है। इस पर इस वर्ष के अन्दर १० लाख रुपया खर्च होने का अनुमान है।

तेल पेरना, कोरा घास और रेशे से चटाई बुनना, मिट्टी के बर्तन बनाना, मधुमक्खी पालना इत्यादि अन्य घरेलू उद्योगों को फिर से संगठित करने की योजनाएं भी बनाई जा रही हैं।

पुनर्वास

जम्मू और काश्मीर

बज़ीर कमेटी की सिफ़ारिश के अनुसार कुछ क्षेत्रों में विस्थापित लोगों से पुनर्वास ऋण को वसूलयाबी रोक दी गई है। पुंछ में विस्थापित परिवारों को और कर्ज दिए जा रहे हैं जिनकी कुल रकम ४,५०,००० रुपये होगी। विस्थापित व्यक्तियों को मालगुजारी अदा करने से भी मुक्त कर दिया गया है।

४,००० परिवारों के लिए एक बस्ती बसाने का विचार है। पुनर्वास की समस्याएँ निबटाने के लिए एक कमेटी बना दी गई है जो सरकार के निर्णयों को कार्यान्वित करेगी।

मध्य भारत

मध्य भारत के ६८,००० विस्थापितों में से अधिकांश फिर से बसा दिए गए हैं। कोई १०,००० लोगों को कर्ज दिया गया है और ३५० परिवारों को बसाने के लिए ज़मीन दी गई है। खेती के लिए भी कर्ज दिया गया है। उद्योग धंधे शुरू करने के लिए कर्ज के रूप में कुल ६ लाख रुपया बांटा गया है।

इन्दौर, उज्जैन, ग्वालियर, नौमच, भोरेना, तरना, मनसर, शामगढ़ और मानपुरा में विस्थापित व्यक्तियों के लिए अब तक कुल १,४७३ मकान बनाए गए हैं। सरकार ने ७६२ पक्की दुकानें बनवाई हैं और विस्थापित व्यक्तियों ने अपने साधनों से १,२२८ दुकानें बनाई हैं। हरिजनों और आदिवासियों के लिए व्यवसाय की शिक्षा देने के केन्द्र खोले गए हैं। बुनाई-कताई, ताड़गुड़ बनाने, बढ़ई गिरी और अन्य धंधों की शिक्षा भी दी जा रही है।

मैसूर

राज्य में कोई ८,४३६ विस्थापित हैं जिनमें से ७,७८५ बंगलूर में, ५८१ मैसूर शहर में और बाकी अन्य जिलों में रहते हैं।

लगभग ५५ परिवारों को दान के रूप में सहायता दी जा रही है। हर महीने कुल १,२०० रुपया बांटा जाना है। व्यापार और दुकानदारी में लगे हुए २७७ व्यक्तियों को पुनर्वास के लिए कुल २,७८,८७६ रुपये १२ आने कर्ज के रूप में दिए गए हैं। जय नगर, बंगलौर में विस्थापितों के लिए निर्धारित २०० जमीनों से ५३ पर मकान बन चुके हैं और आवंटित हो चुके हैं। इसके अलावा ५६ परिवारों को मकान बनाने के लिए जमीन दी गई है। विस्थापित विद्यार्थियों को कुल ४६,६४० रुपया पाँच आना की रकम वितरित की जा चुकी है।

राजस्थान

लगभग ३ लाख विस्थापितों को बसाया जा चुका है। इसमें से कोई ८० प्रतिशत गाँवों में जमीन देकर बसाए गए हैं। इनको कुल ६.२८ लाख एकड़ से अधिक उपजाऊ भूमि दी गई है। इसके अलावा पुनर्वास के लिए कर्ज की शक्ल में ४.४५ करोड़ रुपया भी बांटा जा चुका है।

कोई १,०६२ मकान और १,३७५ दुकानें और स्टाल बन कर तैयार हो चुके हैं। ४०० मकान बन रहे हैं। ५५० मकानों और ५४२ दुकानों के नक्शे बना लिए गए हैं। विस्थापित विद्यार्थियों की शिक्षा सम्बन्धी जरूरतें उदारता से पूरी की जा रही हैं। विस्थापित विद्यार्थियों के १५७ स्कूलों में ४७५ विस्थापित अध्यापकों को नियुक्त किया गया है। इन स्कूलों में १३,०८१ विद्यार्थियों को मुफ्त पढ़ाया जाता है। निराश्रित स्त्रियों और बच्चों की सहायता के लिए विशेष उपाय किए जा रहे हैं।

विस्थापित लोगों को आश्रय देने के लिए जो घर बनाए गए हैं उनमें रहने वालों को मुआवजे के दावों का आंशिक भुगतान कर दिया गया है। जाम नगर में २०८ और राजकोट में ८४ और मकान बनने शुरू हो गए हैं। सरकारी इमारतों और गैर सरकारी मकानों में रहने वाले लोगों को इन मकानों में लाकर बसाया जायगा।

विस्थापित व्यक्तियों को छोटे पैमाने के उद्योग शुरू करने के लिए २,००,००० रुपया कर्ज के रूप में बाँटा गया है। जो विस्थापित खेती करने

बालों के रूप में बस गए हैं उन्हें कुल मिलाकर ५० हजार रुपया ऋण दिया गया है। विस्थापित विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता देने में ४०,००० रुपया खर्च किया गया है।

अनेक विस्थापित स्त्रियों को नसिंग और दाई का काम सिखाया गया है। मोखी और बेतूर में विस्थापितों को टैकनीकल शिक्षा भी दी जा रही है।

३. 'ग' भाग

खाद्य और कृषि

अजमेर

नवम्बर १९५३ में चीनी, मक्का और मिलो पर से राशन हटा लिया गया। अजमेर और राजस्थान के बीच अनाज के आने-जाने की अनुमति दे दी गई है ताकि खुले बाजार में काफी अनाज बना रहे।

'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन के अधीन कम्प्रेसर की सहायता से १०५ पुराने कुएं और सात पनघट गहरे किये गये हैं। इसके अलावा ४४२ पुराने कुओं को गहरा करने के लिये १,५६,३७५ रुपये का तत्काली कर्ज दिया गया है। किसानों में करीब ७,४३६ टन कम्पोस्ट, करीब १,२४० मन गोहूँ का उम्दा बीज, ३०० मन अन्य बीज, ६९८ मन अमोनियम सल्फेट और ८० मन सुपरफास्फेट बांटा गया है। इस तरह कृषि उत्पादन काफी बढ़ गया है।

भोपाल

१९५३-५४ में केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन ने ४०,०९४ एकड़ जमीन तोड़ी। मशीनी खेती को बढौलत गेहूँ की औसत प्रति एकड़ उपज ४ मन २२ सेर से बढ़ कर १० मन हो गई। नये तालाबों और कुओं की मदद से १५,६०१ एकड़ भूमि पर सिंचाई होने लगी है। पुराने तालाब और कुएं सुधार दिये गये हैं। छोटी नदियों पर बांध भी बांधे जा रहे हैं।

कृषि विभाग ने किसानों को १८५ टन रासायनिक खाद और १०४

टन उत्तम बीज दिया है। कम्पोस्ट बनाने का प्रचार करने की योजना भी चालू कर दी गई है।

भोपाल राज्य जागीरदारी उन्मूलन कानून पास कर दिया गया है जिसका उद्देश्य किसानों की उन्नति करना है।

मछुओं के बच्चों को काम सिखाने का एक स्कूल खोला गया है। मछली की बिक्री, मछली मारने के लाइसेन्स और मछली मारने के अधिकारी के नोलामो से १७,३६८ रुपये की आमदनी हुई।

१९५३ का भोपाल पंचायत राज कानून राज्य में १५ अगस्त १९५३ को लागू किया गया, और राज्य में ५३२ गाँव-सभाएं और ४२ न्याय-पंचायतें स्थापित करने की योजना है। इस वर्ष राज्य में चने और ज्वार का उत्पादन १९४९ के १,३४,००० टन उत्पादन से बढ़कर १,९६,००० टन हो गया और राज्य यह दोनों अनाज बाहर भेज सकने में सफल रहा।

बिलासपुर

बहुत ही कम पानी बरसने के कारण मक्का, जोकि राज्य की मुख्य फसल है, बहुत कम पैदा हुआ। अभावग्रस्त क्षेत्रों में बांटने के लिये पंजाब से गेहूँ मँगाना पड़ा। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये सामूहिक विकास-कार्य क्षेत्रों में २७० मन सन और अलसी के बीज की हरी खाद, करीब ५७ मन अमोनियम सल्फेट और ३७ सुपर फ़ास्फेट वितरण किया गया। खाद बनाने के कोई १० हजार गढ़े खोदे गये हैं और बहुत से गढ़े चौड़े किये गये हैं।

ग्राम सेवकों ने खेती के आधुनिक औजारों का इस्तेमाल करने के तरीकों को दिखाया। ये औजार किसानों को उधार दिये गये हैं ताकि वे इनको जाँच सकें।

टिड्डियों से होने वाले नुकसान को बचाने के लिये दूर-दूर तक दवाएँ छिड़की गई हैं।

तीन कृषि प्रदर्शनियाँ और फसल प्रतियोगिताएँ की गईं। धान की खेती के जापानी तरीके का व्यापक प्रचार किया गया।

कुर्ग

१९५३ में मंसूर को ७ हजार टन और मालाबार को २०० टन चावल दिया गया। १९५४ में ५० हजार टन चावल अर्थात् पिछले साल से आठ हजार टन अधिक पैदा होने की आशा है। इसलिये राज्य के बाहर कमी वाले प्रदेशों में १४ हजार टन से अधिक चावल भेजने की योजना बनाई गई है।

लगभग ८६० एकड़ पानी भरी जमीन की सिंचाई के लिये ४५ नये तालाब खोदे गये हैं और २६ पुराने तालाब सुधारे गये हैं २७ बांधों का निर्माण और सुधार किया गया है और करीब ७५० एकड़ ऊसर खेती-योग्य बनाया गया है।

किसान अब हरी खाद की उपयोगिता समझने लगे हैं। १३ हजार रुपये का खाद मिश्रण और हड्डी का चूरा किसानों को मुफ्त बांटा गया। सरकार ने अपनी तरफ से पैसे मिलाकर किसानों को सस्ते दामों पर १,१५१ टन खाद और रासायनिक खाद दी है। ८ ग्राम केन्द्रों में धान की खेती के जापानी तरीके का प्रयोग किया गया है। सरकारी खेती फार्म में तरह-तरह के चारे और अन्य फसलों में प्रयोग किए गए हैं।

दिल्ली

फसल बढ़ाने के लिए मैला, खाद और रासायनिक खाद किसानों को बाँटी गयी है। हरी खाद का प्रचार करने के लिये बड़ी मात्रा में ज्वार के बीज बाँटे गये हैं। उत्तम बीजों की कई किस्में भी दी गई हैं। छोटी छोटी बिखरी हुई जमीनों की चकबन्दो ७३ गांवों में पूरी हो चुकी है और आशा है कि १९५५-५६ तक सब गांवों में पूरी हो जायगी।

खेती के नये और अच्छे तरीकों का प्रचार किया गया है और उनके प्रयोग करके किसानों को दिखाया गया है। गोदाम बनाने के लिए लोहा और इस्पात और खेती के लिए औजार बहु-उपयोगी सहकार संस्थाओं के माध्यम से किसानों में बाँट गये हैं।

खेती के कीड़ों और रोगों के निरोध और नियंत्रण के लिए २.५ लाख रुपया दिया गया है। राज्य सरकार ग्राम क्षेत्रों में मुर्गी पालन के विकास में सहायता देगी। किसानों को उम्दा नस्ल की मुर्गियां दी जायेंगी और यथेष्ट ट्रेनिंग भी दी जायगी।

हिमाचल प्रदेश

अगस्त १९५३ में कृषि-विभाग वन-विभाग से अलग कर दिया गया।

टेकनीकल सलाहकार सेवा की स्थापना की एक योजना तैयार की गई है, और वनस्पति विज्ञान, कृषि विज्ञान, पौधों के रोगों का विज्ञान, कृषि शास्त्र, भूमि विज्ञान, और रसायन शास्त्र के विभाग खोलने का प्रबन्ध किया जा रहा है। आलू और गेहूँ की खेती करने वालों को उम्दा बीज दिए गए हैं और धान बोनेवालों को जापानी तरीका अपनाने पर राजी किया गया है। खाइयों में कम्पोस्ट बनाने और रासायनिक खाद और हरी खाद इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। बाग लगाने वालों को कृषि विभाग के बगीचों से १६,५६७ फलों के पेड़ दिए गए हैं और पेड़ों की कीड़ों से बचाने के उपाय किए जा रहे हैं।

कच्छ

फसल बढ़ाने के लिए किसानों को १० टन सुपर फास्फेट और ४३ टन अमोनियम सलफेट और बाजरा, ज्वार और धान के नए और उम्दा किस्म के बीज दिए गए हैं।

जागीरदारों और बड़े किसानों को बटाई के अनाज की जगह अब नगद रुपया भी दिया जा सकता है।

१९५३-५४ में बीज, औजार और बैल खरीदने के लिए किसानों को छोटे-छोटे तक्रावी कर्ज दिए गए जिनकी कुल रकम दस लाख रुपया हुई।

‘अधिक अन्न उपजाओ’ योजना के अधीन ५,६५,००० रुपया लगाकर करीब ६०५ नए कुएं खोदे गए। रसालिया, घोड़का, दागला, धनली, कुम्हा-

रिया, हम्बे और कल्याणपुर के बांधों पर पानी रोकने और खोलने के दरवाजे बनाए जा चुके हैं।

विन्ध्य प्रदेश

चार नए खेती-फार्म स्थापित करने के लिए २ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। हाल ही में एक सिंचाई-विभाग बना दिया गया है जिसका काम तालाब और कुएं खुदवाना है। धान की खेती का जापानी तरीका भी प्रचलित किया जा रहा है और नए और अच्छे प्रकार के औजारों को खेत में इस्तेमाल करके दिखाया जा रहा है। किसानों को बताया जा रहा है कि हर साल खेतों में फसल की अवला-बवली करते रहने से क्या फायदे होते हैं। अच्छी किस्म के बीज, रासायनिक खाद और कम्पोस्ट भी बांटी जा रही है।

सामान्य रूप से राज्य में अपनी जरूरत भर का अनाज पैदा हो जाता है, बल्कि धान थोड़ा फालतू ही रहता है। इस वर्ष की पैदावार पहले से भी अधिक रही है और अनाज के दाम ग्राम तोर पर गिर गए हैं। राज्य में अनाज की राशन व्यवस्था लागू नहीं है।

शिच्चा

अजमेर

४० नए बुनियादी स्कूल खोले गए हैं। गांवों के कई प्रारम्भिक स्कूल मिडिल स्कूल, और कई मिडिल स्कूल हाई स्कूल बना दिए गए हैं।

राज्य में कुल मिलाकर १०,२५ प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र हैं।

विस्थापित विद्यार्थियों में सरकारी शिक्षा वृत्ति और नकद अनुदान की शकल में ६० हजार रुपये की रकम बांटी जा चुकी है। व्यायाम-शिक्षा और

‘ग’ भाग

सामाजिक और मनोरंजन सम्बन्धी कामों के लिए १५,००० रुपये की रकम अलग से दी गई है।

अजमेर के सावित्री गर्ल्स कालेज में नेशनल केडेट कोर की एक टुकड़ी लड़कियों के लिए बनाई गई है। सहायक केडेट कोर की भी चार जगह स्थापना हुई है।

भोपाल

१९५३-५४ में एक हाई स्कूल और ८० प्राथमिक स्कूल खोले गए। ग्राम क्षेत्रों में ८ छोटे बुनियादी स्कूल भी खोले गए। गांधी नगर में एक बुनियादी ट्रेनिंग कालेज खोला गया है और २६ अध्यापकों को उसमें बुनियादी शिक्षा की ट्रेनिंग दी जा रही है।

ग्राम क्षेत्रों के सब हाई और मिडिल स्कूलों में कृषि को पाठ्य-क्रम में शामिल कर दिया गया है। भोपाल शहर के कैम्ब्रिज स्कूल को हाई स्कूल बनाकर माध्यमिक शिक्षा के केन्द्रीय बोर्ड से संयुक्त कर दिया गया है।

हरिजन विद्यार्थियों के हित के लिए ५० हजार रुपया रखा गया है और अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के सर्व विद्यार्थियों को पाठ्य-पुस्तकें और लिखने-पढ़ने की अन्य सामग्री मुफ्त दी गई है।

भोपाल में १० और सेहोर में ५ समाज-शिक्षा-केन्द्र खोले गए हैं।

बिलासपुर

कुल विद्यालयों की संख्या अब ५० हो गई है जिनमें २५० अध्यापक और ७ हजार विद्यार्थी हैं। विकास योजनाओं सहित शिक्षा को मद में इस वर्ष लगभग ६५,००० रुपये के खर्च का अनुमान है। प्रारम्भिक स्कूलों की संख्या ३० से बढ़ाकर ३४ कर दी गयी है। ४ प्राथमिक स्कूल मिडिल स्कूल बना दिए गए हैं। स्कूलों के लिए १२ इमारतें जनता की मदद से बनाई गई हैं। बिलासपुर शहर का मिडिल स्कूल बड़ा बुनियादी स्कूल कर दिया गया है। बुनियादी ट्रेनिंग कालेज में ४० अध्यापकों को तैयार भी किया जा चुका है।

सातवाँ वर्ष

राज्य में एक जनता कालेज और ११ प्रौढ़ केन्द्र हैं जिनमें ६ सामूहिक विकास कार्य क्रम के अधीन स्थापित किए गए हैं। इन केन्द्रों में रेडियो, गैस के लैम्प और अन्य जरूरी चीजें मौजूब हैं। हर केन्द्र में एक छोटा-सा पुस्तकालय भी है।

कुर्ग

सरकार ने जिला बोर्ड के सब स्कूलों को अपने अधिकार में लेकर अध्यापकों के वेतन सरकारी वेतन-प्रणाली के अनुसार कर दिए हैं। सहायक केडेट कोर नामक एक युवक हितकारी आन्दोलन सब सरकारी हाई स्कूलों में शुरू कर दिया गया है। स्कूलों की नयी इमारतें बनाने और मिडिल और प्रारम्भिक स्कूलों में स्थान बढ़ाने के लिए ३.३५ लाख रुपया मंजूर किया गया है। हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए हाथ का काम सिखाने का कार्यक्रम जारी है और विद्यार्थियों ने बहुत-सा उपयोगी काम भी कर डाला है। समाज-शिक्षा-केन्द्रों में पुस्तकालयों का प्रबन्ध कर दिया गया है और शिक्षात्मक फिल्मों भी दिखाई जा रही हैं।

दिल्ली

१९५३-५४ में मान्यता-प्राप्त स्कूलों की संख्या ७५५ हो गयी; १९५२-५३ में यह संख्या ७२५ थी। इसलिये २३,८७६ विद्यार्थियों के लिए शिक्षा की सुविधाएँ और जुटाया गईं।

ग्राम क्षेत्रों में प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य कर दी गयी है। गांव के सब बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा मुफ्त देने के उद्देश्य से १२ छोटे बुनियादी स्कूल बना दिए गये हैं। १२ ग्रेजुएट अध्यापकों को जामिया मिल्लिया में बड़े बुनियादी पाठ्यक्रम पढ़ाने की शिक्षा लेने भेजा गया है।

१९५३-५४ में "अपना देश देखो" नामक भ्रमण कार्यक्रम बनाया गया। कोई ६०० विद्यार्थियों ने एक स्पेशल रेल गाड़ी से वाणिज्य और इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों की यात्रा की। विद्यार्थियों ने कोई ३,००० मील की सैर की।

अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को उच्च माध्यमिक कक्षा तक की शिक्षा अब सुप्त दी जाती है। अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को कोई १,१३,००० रुपया नकद अनुदान बांटा गया है और विस्थापित विद्यार्थियों को कुल ४,६८,००० रुपया आर्थिक सहायता के रूप में दिया गया है। समाज सेवा के जनता कलेज में विशेष पाठ्य क्रम शुरू किए गए हैं जैसे प्लास्टिक और कंन्वस का काम, बड़ईगिरी, खेती, पशु-पालन और साबुन बनाया। क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग के लिए ३ कैम्पों का आयोजन किया गया। “हमारा शहर”, “हमारा गांव” और “समाज शिक्षा संदेश” नामक तीन पाक्षिक पत्र प्रकाशित हो रहे हैं।

हिमालय प्रदेश

मिडिल स्कूलों को हाई स्कूल, और लोअर मिडिल स्कूलों को मिडिल स्कूल बना दिया गया है। नये प्रारम्भिक बुनियादी स्कूल भी खोले गये हैं।

समाज शिक्षा की एक विशद योजना भी तैयार की जा रही है।

१९५३ में हिमालय प्रदेश अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा बिल पास किया गया।

कच्छ

१९५३ की जून में ‘भज’ में एक इंटरमीजिएट कालेज खोला गया जिसमें अन्य विषयों के साथ विज्ञान की भी शिक्षा दी जा रही है। ग्राम क्षेत्रों में ५ नए प्रारम्भिक स्कूल खोले गये हैं और स्कूलों की ५ नयी इमारतें बन रही हैं। मुख्य तालुका शहरों में समाज और प्रौढ़ शिक्षा-केन्द्र खोले गए हैं। गांवों में समाज शिक्षा देने के लिए सामूहिक केन्द्र भी स्थापित किए गए हैं। १९५३-५४ में ६ अध्यापकों को बुनियादी शिक्षा की ट्रेनिंग लेने के लिए बम्बई राज्य भेजा गया। ६६ विद्यार्थियों को देश में और जगह ऊँची शिक्षा ग्रहण करने के लिए छात्रवृत्ति दी गई। जिन केन्द्रों में हिन्दी पढ़ाई जाती है उन्हें कुल २,५०० रुपया दिया गया। शिक्षितों में बेरोजगारी कम करने के लिए २० नए प्रारम्भिक स्कूल खोले जा रहे हैं और १० प्रारम्भिक स्कूलों का दर्जा बढ़ाया जा रहा है।

सातवाँ वर्ष

विन्ध्य प्रदेश

१९५३-५४ में प्रारम्भिक स्कूलों की संख्या २,१९३ हो गयी। १९५२-५३ में यह संख्या १,८५८ थी। मरम्मत के लिए ७५ हजार रुपये सालाना की जो व्यवस्था है उसके अतिरिक्त इस वर्ष नयी इमारतों पर २० हजार रुपया खर्च किया जा रहा है।

१९५३-५४ में ८ जिलों के प्रधान कार्यालयों में एक २ बुनियादी स्कूल और कुण्डेश्वर में एक बुनियादी ट्रेनिंग कालेज खोला गया। १३७ हिन्दी मिडिल स्कूलों को अंगरेजी मिडिल स्कूल बना दिया गया है।

समाज शिक्षा की योजना को जो राज्य के पंचवर्षीय आयोजन का अंग है, कार्य-रूप दिया जा रहा है। समाज शिक्षा के लिए लाउडस्पीकर और सिनेमा से लैस एक गाड़ी उपयोगी कार्य कर रही है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य

अजमेर

विजय नगर के मसूदा स्टेट औषधालय और किंग जार्ज पंचम मेमोरियल जल्वा-बल्वा अस्पताल को सरकार ने ले लिया है। राय के आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक औषधालयों को ५,००० रुपया अनुदान के रूप में दिया गया है।

बीवर में एक मलेरिया निरोध केन्द्र खोला गया है। बी० सी० जी० टीका आन्दोलन, जो १९५२ में बड़े पैमाने पर शुरू किया गया था, अच्छी प्रगति कर रहा है। जनवरी १९५४ तक २३८,७३५ व्यक्तियों का टूबरकुलिन परीक्षण हो चुका था।

परिवार आयोजन के सम्बन्ध में सलाह देने का प्रबन्ध जार्ज पंचम

‘ग’ भाग

मैमोरियल जच्चा-बच्चा अस्पताल में म्युनिसिपल औषधालय में और औरतों के मिशन अस्पताल अजमेर में किया गया है।

भोपाल

१९५३-५४ में बरेली का औषधालय, अस्पताल बना दिया गया जिसमें १० मरीजों की जगह है। सेहोर जिले के दोराहा में एक नया एलोपैथिक औषधालय खोला गया।

गान्धी नेत्र अस्पताल अलीगढ़ की चलती फिरती टुकड़ी के सहयोग से स्वास्थ्य विभाग ने भोपाल शहर में आँखों के इलाज के लिए एक कैम्प का आयोजन किया।

ईदगाह पहाड़ी पर एक सुसम्पन्न क्षय अस्पताल बनाया गया है जिसमें १३२ मरीजों की जगह है।

राज्य के लगभग सब ऐसे शहरों और गांवों में, जहां की आबादी १,००० या अधिक है, बी० सी० जी० के टीके लगाने वाली टोली जा चुकी है। मलेरिया दूर करने का एक संगठित आन्दोलन सारे राज्य में शुरू किया गया और १,१९४ गांवों में डी० डी० टी० छिड़की गई। गांव वालों को पैलूडिन की टिकियां भी बांटी गई।

४ चलते फिरते औषधालयों ने राज्य में जगह-जगह जाकर गांवों में डाक्टरों सहायता पहुँचाई।

बिलासपुर

राज्य में मलेरिया का निरोध जोरों के साथ किया जा रहा है। घरों में डी० डी० टी० छिड़की जा रही है, मेपाक्वीन टिकियां भी बांटी जा रही हैं। कुओं और तालाबों में कीड़े मारने वाली दवा डाली गई है और सफाई का आम प्रचार किया जा रहा है।

सातवां वर्ष

१९५३-५४ में राज्य में जच्चा-बच्चा और शिशु-हित के दो और केन्द्र खोले गए ।

कुर्ग

डाक्टरों विभाग, जो कुर्ग जिला बोर्ड के अधीन था, अब राज्य सरकार न ले लिया है । फलतः दाइयों, नर्सों और अन्य कर्मचारियों की तनखाहें ऊँचे वर्ग में आ गई हैं । राज्य के बजट में ३१ हजार रुपये की और व्यवस्था की गई है जो डाक्टरों विभाग पथ्य और औषधि पर खर्च करेगा । लोहे के पलंग खरीदने के लिए ७,००० रुपये और साज सामान मंगाने के लिये भी ७,००० रुपये मंजूर कर दिये गये हैं ।

नवम्बर १९५३ में राज्य में बड़े पैमाने पर बी० सी० जी० के टीके लगाना शुरू किया गया । २२ स्कूलों में बच्चों का निरीक्षण किया गया, इनमें से ६,०२३ को टीके लगाए जा चुके हैं और बाकी के लगाए जा रहे हैं ।

दिल्ली

हिन्दू राव अस्पताल को इस वर्ष आम अस्पताल बना दिया जायगा जिसमें १०० मरीजों की जगह होगी । एस० जे० क्षय अस्पताल में १२० रोगियों की जगह और की गयी है : सीने की शल्य-चिकित्सा का एक विभाग भी खोला गया है जिसके पास आपरेशन का विशेष कमरा और आपरेशन के बाद के उपयोग के लिए कमरे तथा एक्स-रे यंत्र भी है । छूत की बीमारियों के अस्पताल में एक दो मंजिला वार्ड बढ़ा दिया गया है जिसमें ४६ रोगियों की जगह है ।

शाहदरा औषधालय को शाहदरा म्युनिसिपैलिटी में ले लिया गया है & बहुत सा नया साज सामान मंगाया गया है और विचार है कि उसे शीघ्र ही ऐसा अस्पताल बना दिया जाय जिसमें ५० रोगियों की जगह हो ।

विलिंगडन अस्पताल और नरसिंग होम, जो अभी तक नयी दिल्ली म्युनिसिपल कमिटी के अधीन था, अब केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण में हो गया है । विस्थापितों के लिए पाँचवा आरोग्य केन्द्र पटेल नगर में खोला गया है ।

‘ग’ भाग

- छठा मोदी नगर में बन रहा है। दिल्ली के निर्धन क्षेत्रों में आरोग्य का प्रबन्ध अच्छा करने के लिए कमलानगर, रोशनारारोड, अन्धा मुगल, आनन्द पर्वत, भापानगर और संतनगर में ६ सेविका केन्द्र खोले गए हैं।

अभी तक १० लाख आवसियों का क्षय परीक्षण करके २ लाख को बी० सी० जी० का टीका लगाया जा चुका है।

दिल्ली के नगर क्षेत्र के मलेरिया ग्रस्त भाग और लगभग सब गांवों और वस्तियों में डी० डी० टी० छिड़क कर उन्हें कीटाणुरहित कर दिया गया है।

१९५३-५४ में कोटला मुबारकपुर और मलकागंज में जच्चा-बच्चा और शिशु हित का एक-एक केन्द्र खोला गया।

१०० रुपयों से कम वेतन पाने वालों के बच्चों के लिए नर्सरी स्कूल भी खोले गए हैं।

कर्मचारियों की सरकारी बीमा योजना के अधीन बीमा कराने वालों की संख्या, जो १९५२ में ३१ हजार थी, दिसम्बर १९५३ में ६६,६२५ हो गयी। बीमा कराए हुए कर्मचारियों की जरूरतों के लिए पूरे समय के आठ और आंशिक समय के ११ औषधालय खोले गए हैं।

हिमाचल प्रदेश

धर्मपुर के निकट मंदीधर में एक क्षय अस्पताल खोला गया है जिसमें ३५ रोगियों की जगह है। महासू, मंडी, चम्बा और सिरमूर के जिलों में एक-एक आयुर्वेदिक और एक-एक एलोपैथिक औषधालय का आयोजन किया गया है। शिमले के हिमाचल प्रदेश अस्पताल में २५ रोगियों की जगह और की गयी है। इस अस्पताल में कोई ६० हजार रुपये की लागत से एक शक्तिशाली एक्स-रे यंत्र लगाया गया है। डाक्टर नियम से गांवों में जा जाकर इलाज करने के अलावा आरोग्य के बारे में सलाह भी देते रहते हैं। पंचवर्षीय आयोजन के अधीन डाक्टरों और आरोग्य की योजनाओं को संतोष जनक रूप से

सातवाँ वर्ष

कार्यान्वित किया जा रहा है। इन पर १८,०६,००० रुपया खर्च होने का अनुमान है।

कोढ़ और कुत्ते काटे के इलाज की शिक्षा प्राप्त करने के लिए डाक्टरी और आरोग्य विभाग के अनेक कर्मचारियों को भेजा गया है। इसके अलावा आयुर्वेद और एम० बी० बी० एस० पाठ्य क्रम की शिक्षा के लिए २ छात्र वृत्तियाँ भी दी गयी हैं।

मलेरिया वाले सब प्रदेशों में डी० डी० टी० छिड़की जा रही है। मलेरिया की दवा भी मुफ्त बांटी जा रही है। कुल मिलाकर ३४,३७२ घरों में दवा छिड़की गयी है और ८,१६५ रोगियों का उनके घर पर ही इलाज किया गया है।

मंडी और चम्बा जिलों में बड़े पैमाने पर बी० सी० जी० के टीके लगाए गए हैं और मंडी और चम्बा के शहरों में बड़े पैमाने पर एक्स-रे किया गया है।

सुन्दर नगर, चम्बा, तिस्सा और दवाहू में जच्चा-बच्चा और शिशु हित के चार केन्द्र खोले गए हैं। गर्भवती स्त्रियों को मछली का तेल, अनेक विटामिनों से युक्त टिकियाँ और मखनिया दूध इत्यादि बांटा जाता है।

कच्छ

दुधई के एक ग्राम औषधालय और नखतराना ताल्लुके में एक चलता-फिरता औषधालय शुरू किया गया है। भुज में एक ग्राम अस्पताल और मांडवी में एक नेत्र-अस्पताल बनाने के लिए ४ लाख रुपया दान दिया गया है। इनका बनना जल्दी ही शुरू होगा। अंजार में ५ लाख रुपये की एक इमारत अस्पताल के लिए अधिकारियों को दान दी जा रही है।

राष्ट्रीय मलेरिया निरोध योजना के अधीन मलेरिया का रोकने के अनेक प्रकार के उपाय किए गए हैं। १९५३-५४ में राज्य में अस्पतालों की संख्या बढ़ाकर ७५ की गई और उनकी उन्नति के लिए इस वर्ष दो लाख रुपया खर्च

किया गया। एक में दंत चिकित्सा विभाग भी खोला गया। वर्ष भर द चलते-फिरते औषधालयों ने दूर-दूर के गांवों में डाक्टरों की सहायता पहुँचायी और मलेरिया रोकने की दवाएं बाँटी। बड़े पैमाने पर बी० सी० जी० के टीके लगाए जा रहे हैं। नर्सों और दाइयों की कमी पूरी करने के लिए रोवा के जी० एन० अस्पताल में ट्रेनिंग की व्यवस्था की गयी है।

श्रम

अजमेर

उन सब अनुसूचित औद्योगिक कार्यालयों में, जहाँ एक हजार या अधिक आदमी काम करते हैं, न्यूनतम मजदूरी निश्चित कर दी गयी है। उद्योगों को कच्चा माल दिलाने और मशीनें लाने-लेजाने में श्रम विभाग सहायता देता रहा है।

४ कपड़ा मिलों और दो मोजा बनियान आदि के कारखानों में कर्मचारियों की प्रोविडेंट फंड की योजना लागू कर दी गयी है। १९५३ में हर महीने औसतन ५,४०० कर्मचारियों ने इस योजना से सीधे लाभ उठाया है।

भोपाल

१९५३-५४ में औद्योगिक अदालत ने मालिकों और मजदूरों के ६ झगड़े निबटाए। इनके अलावा ४५० से अधिक अन्य झगड़े भी मित्रतापूर्वक निबटा लिए गए।

६ मजदूर यूनियनों और रजिस्टर्ड की गई हैं जिससे मजदूर यूनियनों की कुल संख्या २१ हो गयी है।

साप्ताहिक छुट्टी कानून एक नवम्बर १९५३ से भोपाल शहर में लागू हो गया है।

कुर्ग

काफ़ी और इलायची बगानों में काम करने वाले और खेती करने वाले मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी निश्चित कर दी गयी है। कुर्ग न्यूनतम मजदूरी नियम भी तैयार कर लिए गए हैं।

कुल मिलाकर ३०७ भग्ने औद्योगिक अदालत के सुपुर्द किए गए। इनमें से १२७ मित्रतापूर्वक निबटा लिए गए, ६२ रद्द कर दिए गए और ३१ वापिस ले लिए गए।

श्रम और समाज हित के कामों पर कोई ३० हजार रुपया खर्च हुआ।

दिल्ली

कुल १६१ औद्योगिक भग्नों और १,१०२ शिकायतों को मित्रता से निबटाया गया। इनके फैसलों के अनुसार मालिकों को मजदूरों की बकाया मजदूरी चुकाने में ४५,५८८ रुपया देना पड़ा है।

न्यूनतम मजदूरी कानून लोहे की चीजें ढालने, कारखानों (मशीन की दूकान सहित अथवा उसके बिना), मोटर गाड़ियों के कारखानों, छापाखानों और धातु के बर्तन बनाने वाले कारखानों पर भी लागू कर दिया गया है। इनमें के पहले तीन में न्यूनतम मजदूरी निश्चित कर देने से ८ हजार से अधिक मजदूरों का हित हुआ है।

जहां जहां सम्भव हो सका है, मालिकों से मजदूरों के लिये कंटीन, मनोरंजन और अवकाश-ग्रहण करने की सुविधाओं का प्रबन्ध कराया गया है। नवम्बर १९५३ में सरकार ने सब्जीमण्डी क्षेत्र में एक हितकारी केन्द्र खोला जिसमें पुस्तकालय, धातुनालय और खेल-कद की सुविधायें हैं और जो साक्षरता की कक्षाएं भी चलाता है।

सरकारी सहायता-प्राप्त औद्योगिक मकान योजना के अधीन सरकार ने औद्योगिक कर्मचारियों के लिये १,३७६ मकान बनाने का निश्चय किया है।

‘ग’ भाग

३५ नये यूनिन रजिस्टर्ड किए गए हैं। मार्च १९५३ में सब यूनिनों में मिलाकर २,००,२६६ सदस्य थे।

फैक्टरी कानून के अधीन रजिस्टर्ड फैक्टरियों की संख्या जो १९४७ में २८१ थी, १९५३ में ६२५ हो गयी। इस कानून की आरोग्य, सफाई और अन्य हितकारी विषयों की व्यवस्थाओं के उचित पालन के लिए एक डाक्टरी निरीक्षक का पद बनाया गया है।

कच्छ

अमहित सम्बन्धी भारत सरकार के सब कानून, जिनमें १९४८ का फैक्टरी कानून, १९४७ का न्यूनतम मजदूरी कानून, १९४७ का औद्योगिक संघर्ष कानून और १९३६ का मजदूरी अदायगी कानून, कच्छ में भी लागू कर दिया गया है।

विन्ध्य प्रदेश

औद्योगिक कर्मचारियों को अपने मजदूर यूनिन बनाने की सुविधाएं दी गयी हैं। सब अनुसूचित नौकरियों में न्यूनतम मजदूरी भी निश्चित कर दी गई है।

फैक्टरी मजदूरों की सुविधा और हित के लिए १९४८ का फैक्टरी कानून और १९५२ के बी० पी० फैक्टरी नियम लागू कर दिये गये हैं। १९४७ के औद्योगिक संघर्ष कानून के अधीन भगड़ों को मित्रता से निबटाने के लिए समझौते के उपाय अपनाए गए हैं।

उद्योग

अजमेर

अन्य राज्यों की अपेक्षा यहां औद्योगिक कच्चे माल की कमी है और

औद्योगिक माल के लिए सुविकसित स्थानीय बाजार भी नहीं है, इसके कारण वहाँ औद्योगिक काम-काज की गुंजाइश काफी कम है। फिर भी नए उद्योग खोलने की संभावना का पता लगाने के लिए एक औद्योगिक सलाहकार समिति बनाई गयी है। इस समिति ने एक प्रश्नमाला तैयार करके आवश्यक जानकारी जुटाना शुरू कर दिया है। राज्य सरकार ने आर्थिक जाँच पड़ताल का भी एक बोर्ड बनाया है जो राज्य की आर्थिक सामर्थ्य का पता लगायगा।

भोपाल

१९५३-५४ में भोपाल शहर, सेहोर, और पड़ोसी क्षेत्रों में निवासियों को उपयोगी काम-धन्धे जैसे बुनाई, दर्जोगिरी और बड़ईगिरी सिखाने के लिए कई केन्द्र खोले गये।

भोपाल के गांधी आश्रम से एक ग्रामोद्योग शिक्षा केन्द्र खोला गया। इसका उद्देश्य गांववालों को तरह-तरह के धन्धे, विशेष कर खादी की बुनाई सिखाकर गांवों की अर्थ-व्यवस्था की उन्नति करना है।

ग्रामोद्योगों में लगे हुए व्यक्तियों और सहकारी संस्थाओं को २,००० रुपया कर्ज के रूप में दिया गया।

नक़द अनुदान, औज़ार और साज-सामान के रूप में ६,४५५ रुपया और भी बाँटा गया है।

भोपाल शहर में एक एम्पोरियम खोला गया जिसमें सरकारी शिक्षा केन्द्रों की बनी हुई चीज़ें दिखाने और बेचने के लिए रखी जाती हैं।

अखिल भारत दस्तकारी बोर्ड ने राज्य की ४२ दस्तकारियों के विकास की एक योजना बनाई है, जिसमें मिट्टी के बर्तन, चटाई और खिलौने बनाने के धन्धों को महत्व का स्थान दिया गया है। इन दस्तकारियों के कारीगरों की सहकारी संस्थाएं बनायी जायेंगी।

बिलासपुर

सामूहिक विकास कार्यक्रम के अधीन घुमरवीं और सदर तहसील विकास खण्डों में ५ चलते फिरते ट्रेनिंग केन्द्र खोले जायेंगे जो लकड़ी के काम, बर्जों-गिरी, बुनाई, चमड़े के काम और लुहारगिरी की शिक्षा देंगे।

कुर्ग

राज्य के महत्वपूर्ण घरेलू उद्योगों में मधुमक्खी पालन, कपड़ा बुनना मिट्टी के बर्तन बनाना और मुर्गी पालन आते हैं। इनमें से लगभग सब स्थानीय बाजार में ही अपना माल बेचते हैं और केवल शहद ही ऐसा माल है जो राज्य सरकार बड़ी मात्रा में बाहर भेजती है। राज्य में मिल सकने वाले कच्चे माल का विस्तार पूर्वक पता लगाकर राज्य के उद्योग सलाहकार बोर्ड ने कई घरेलू उद्योगों का तुरन्त विकास करने की सिफारिश की है।

इनमें मिट्टी के बर्तन बनाना, कपड़ा बुनना, मछली मारना, फलों का रस निकालना और मुर्गी इत्यादि तथा मधुमक्खी और रेशम के कीड़े पालना महत्वपूर्ण है। कुर्ग के करघा वस्त्र सलाहकार बोर्ड ने राज्य में करघा वस्त्र उद्योग की उन्नति के लिए जो योजना बनायी है उसमें कहा गया है कि बिनाई के और स्कूल खोले जायें और बुनकरों को अपना धन्धा चलाने के लिए जितना प्रोत्साहन चाहिए दिया जाय।

दिल्ली

१९५३-५४ में राज्य में ७५ नयी उत्पादन संस्थाएं बनीं जिसका श्रेय उद्योग विभाग से तुरन्त और समय पर प्राप्त सहायता को है। उद्योग विभाग ने इन संस्थाओं को देश में से और देश के बाहर से कच्चा माल प्राप्त करने में मदद दी, शिल्प विधि और वाणिज्य सम्बन्धी मामलों में निःशुल्क सलाह दी और बिजली और परिवहन की सुविधाओं के अतिरिक्त आर्थिक सहायता का भी प्रबन्ध किया।

खादी उद्योग की उन्नति के लिए खादी और ग्राम उद्योग सहकारी समिति लिमिटेड को ३२,००० रुपये का अनुदान दिया गया। हरिजन लड़कों:

को घरेलू उद्योग सिखाने के लिए हरिजन सेवक संघ को ५,००० रुपये की मदद दी गयी। १९५३-५४ में संघ ने खिलौना बनाने का एक विभाग खोला।

उद्योग सलाहकार बोर्ड ने राज्य में एक औद्योगिक वित्त कारपोरेशन बनाने की एक योजना स्वीकार की है। बोर्ड ने राज्य में बेरोजगारी की समस्या अच्छी तरह समझ ली है और शीघ्र ही वह कई प्रकार के उपाय करने वाला है।

माप और बांट निरीक्षण विभाग ने राज्य में जगह-जगह प्रचलित बटखरों और नपनों की जांच-पड़ताल करने और उन पर ठप्पे लगाने का बड़ा उठाया और बेईमानी रोकने के लिए तथा अपराधियों को पकड़ने के लिए छापे मारे।

१९५३-५४ में भारतीय कम्पनी कानून के अधीन ११६ नई कम्पनियाँ रजिस्टर्ड की गईं जिनमें ३ विदेशी कम्पनियाँ भी हैं। १९३२ के भारतीय साक्षीदारी कानून के अधीन ६०० नयी फर्में स्वीकृत की गयीं।

हिमाचल प्रदेश

ऊन की कटाई और बुनाई सिखाने और साथ ही साथ माल तैयार करने के लिए चम्बा, मंडी, रियूर और सुन्दर नगर (जिला मंडी) तथा चीनी (जिला महासू) में नए केन्द्र खोले गए हैं। इसी प्रकार चमड़ा कमाने और चमड़े का सामान बनाने के लिए चम्बा और पौड़ा (जिला सिरमूर) में, धातु के बर्तन बनाने के लिए सोलन (जिला महासू) में, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए पौड़ा (जिला सिरमूर) में, टोकरियाँ बुनने के लिए नाहन (जिला सिरमूर) में, और स्लेटें बनाने के लिए मंडी में तथा दियासलाई और दियासलाई की डिबिया बनाने के लिए जोगेन्द्र नगर (जिला मंडी) में नए केन्द्र खोले गए हैं।

मंडी, सिरमूर और चम्बा जिलों में शहतूत के पेड़ लगाने के लिए नए

बगीचे बनाए गए। उद्योग विभाग ने मंडी जिले में रेशम निकालने और रेशमी कपड़ा बनाने का भी काम शुरू किया है।

नाहन में हिमाचल रेजिन और तारपीन फैक्टरी ने १,१३,००० मन रेजिन साफ किया है, उसने ७७,२०० मन रेजिन और १,५४,००० गैलन तारपीन भी तैयार किया है जिसका मूल्य लगभग २४,७०,००० रुपया आंका जाता है। घरेलू और छोटे पैमाने के उद्योग शुरू करने को प्रोत्साहन देने के लिए योग्य लोगों को १,३२,००० रुपया कर्ज के रूप में बांटा जा चुका है।

कच्छ

कांडला, जख्माऊ, मुन्द्रा और कोटेद्वर के चारों तमक कारखाने बराबर उन्नति कर रहे हैं। घरेलू उद्योगों के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार ने अपनी तरफ से २०,००० रुपये की सहायता मंजूर की है जो राज्य सरकार द्वारा कर्ज के रूप में बांटी जायगी। राज्य में घरेलू उद्योगों के विकास के तरीके और साधन जुटाने के लिए एक घरेलू उद्योग बोर्ड स्थापित किया गया है। मछली उद्योग के संगठन और उन्नति के उपाय खोजे जा रहे हैं; मछली उद्योग राज्य में बहुत सी आमदनी और रोजगार का साधन है।

विन्ध्य प्रदेश

राज्य की अर्थ-व्यवस्था का मूल आधार खानें है जिनसे १२ महत्वपूर्ण खनिज प्राप्त होते हैं।

पुनर्वास

अजमेर

१९५३-५४ में विस्थापितों को १६,३८० रुपया छोटे-छोटे कर्जों के रूप में बांटा गया। १६६ विधवाओं, २८१ बूढ़ों को गुजारा भत्ता भी दिया गया है।

सातवाँ वर्ष

अजमेर में १९५० में जो विधवाश्रम ट्रेनिंग केन्द्र खोला गया था वह सिलाई, कढ़ाई और कालीन बुनने की शिक्षा बराबर देता आ रहा है। व्यावर के व्यवसाय-शिक्षा केन्द्र में भी कताई और सिलाई सिखाई जाती रही है। सीखने वालों को १२ रुपया महीना छात्र वृत्ति दी जाती है। १९५३ के अन्त में ४३ विपन्न विस्थापित स्त्रियाँ यह धन्ये सीख रही थीं।

विस्थापित हरिजनों के लिये १९५३ के अन्त में अजमेर में एक कमरे वाले १६० और व्यावर में १३६ मकान बनाए जा रहे थे।

भोपाल

बैरागढ़ में विस्थापित व्यक्तियों की बस्ती बन कर तैयार है। जो लोग कोई काम धन्धा सीख चुके हैं उन्हें अपनी मर्जी का काम शुरू करने के लिए कर्जा दिया गया है। बैरागढ़ में विस्थापित व्यक्तियों को मकान और दुकान बनाने के लिए भी कर्ज दिया गया है। २,००० विस्थापित विद्यार्थियों को ३५,००० रुपया अनुदान और छात्रवृत्ति के रूप में बांटा गया है।

बिलासपुर

भाखड़ा नंगल जलाशय बन जाने पर जिन लोगों की जमीन घिर जाएगी उनको फिर से बसाने के लिए प्रबन्ध किया जाने लगा है।


कच्छ

गांधी धाम के आश्रम में जो विस्थापित वृद्धों के लिये बना है, १९५३ के अन्त में ८६३ आदमी रह रहे थे। इस आश्रम पर वर्ष में तीन लाख रुपया खर्च होता है। विस्थापितों को उद्योग और खेती के लिए छोटे-छोटे कर्ज दिए गए हैं।

विन्ध्य प्रदेश

पश्चिम पाकिस्तान से आये हुए विस्थापित विद्यार्थियों और शिक्षार्थियों को आर्थिक सहायता देने के लिए भारत सरकार ने १०,००० रुपया मंजूर

किया है। गुजारा और विवाह भत्ता तथा पुनर्वास अनुदान के रूप में बांटे जाने के लिए ३३ लाख रुपया दिया गया है। विस्थापित व्यक्तियों के लिए एक कमरे वाले ६१० मकान बनाने की मंजूरी दे दी गयी है और काम शुरू भी हो गया है।



Catalogued &

CATALOGUED

CENTRAL ARCHAEOLOGICAL LIBRARY,
NEW DELHI
Borrowers record.

Catalogue No.310.53/Ind/M.I.B.-
3651

— India. Ministry of
& Broadcasting.



CATALOGUED.

देश-विदेश

की

लोक-कथायें

इस संग्रह में देश-विदेश को चुनी हुई सोलह लोक-कथाओं को स्थान दिया गया है। पुस्तक में ५० से ऊपर चित्र और ७४ पृष्ठ हैं। इसका आवरण पठन बहुत ही आकर्षक तथा तिरंगा है। इतना सब हो

"A book that is shut is but a block"

CENTRAL ARCHAEOLOGICAL LIBRARY
GOVT. OF INDIA
Department of Archaeology
NEW DELHI.

Please help us to keep the book
clean and moving.

अथवा

पब्लिकेशन्स डिवीज़न, ओल्ड सेक्रेटेरियेट
दिल्ली को लिखें

स्वाधीनता

और

उसके बाद

जवाहरलाल नेहरू के भाषण

(१९४६-१९४९)

इस संग्रह में हमारे प्रधानमन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू के लगभग ६० महत्वपूर्ण भाषण संग्रहीत हैं। ये भाषण १९४६ से १९४९ तक विशेष-विशेष अवसरों पर विद्ये गये थे। स्वाधीनता, महात्मा गांधी, साम्प्रदायिकता, काश्मीर, हैदराबाद, शिक्षा, उद्योग, भारत की वैदेशिक नीति, भारत और राष्ट्रमंडल, भारत और विश्व आदि विषयों के अतिरिक्त कई फुटकर विषयों पर भी भाषण हैं। जो व्यक्ति आज के भारत या भारत सरकार पर कुछ भी जानना चाहता है वह इन भाषणों को पढ़े बिना काम नहीं चला सकता। नैतिक मूल्यों के लिए हमारे प्रधानमन्त्री का आग्रह, उनकी सरलता, निष्कपटता तथा स्वभावगत सच्चाई के कारण इन भाषणों को स्थायी साहित्य का महत्व प्राप्त हुआ है। केवल सामयिक विषयों पर प्रामाणिक रोशनी की दृष्टि से ही नहीं बल्कि सभी दृष्टियों से ये भाषण संग्रहणीय और पठनीय हैं।

पृष्ठ संख्या डिमाई ४४५, सुन्दर कलापूर्ण
कड़ी जिल्द मूल्य ५) डाक व्यय १)

प्राप्ति स्थान :

पब्लिकेशन्स डिवीजन,

ओल्ड सेक्रेटेरियट,

दिल्ली-८